वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2012 - 2013

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(भारत सरकार)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(GOVT. OF INDIA)

विषय वस्तु

	पृष्ठ सं.
1.0 प्राधिकरण	0
2.0 कार्यालय संरचना	0
3.0 निर्यात निष्पादन	0
3.1 समुद्री उत्पादों का समग्र निर्यात	0
3.2 प्रमुख मदवार निर्यात	0
3.3 प्रमुख बाजारवार निर्यात	0
3.4 प्रमुख पत्तनवार निर्यात	0
4.0 बजट और व्यय के साथ वार्षिक योजना	0
5.0 पंजीकरण	0
6.0 बाजार संवर्धन	0
6.1 बाजार सेवाएं	0
6.2 प्रचार एवं बाजार संवर्धन	0
7.0 मत्स्य ग्रहण	0
8.0 मत्स्य पालन	0
8.1 जल कृषि के जरिए निर्यात उत्पादन	0
8.2 संवर्धनात्मक कार्यकलाप	0
8.3 वित्तीय सहायता स्कीमों का कार्यान्वयन	0
8.4 भारत जैविक जलकृषि परियोजनाएं (आई ओ ए पी)	0
8.5 निर्यात हेतु अलंकारिक मत्स्य प्रजनन का संवर्धन	0
9.0 प्रसंस्करण अवसंरचना तथा मूल्यवर्धन	0
9.1 वित्तीय सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति	0
9.2 शीत श्रृंखला के रखरखाव हेतु सहायता	0
9.3 मूलभूत अवसंरचना के सृजन हेतु निर्यातकों को सहायता	0
9.4 विशेष आर्थिक जोनों में समुद्री खाद्य पार्कों की स्थापना	0
10.0 गुणवत्ता नियंत्रण	0
11.0 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं	0
12.0 एम्पीडा के अधीन सोसायटियां	0
12.1 राजीव गांधी जल कृषि केन्द्र (आर जी सी ए)	0
12.2 मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन एवं सततधारणीय मत्स्यन नैटवर्क (नेटफिश)	0
12.3 राष्ट्रीय सततधारणीय जलकृषि केन्द्र (नाक्सा)	0
13.0 राजभाषा कार्यकलाप	0
14.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम	0
15.0 आभार	0
परिशिष्ट 1	0
परिशिष्ट 2	0
परिशिष्ट 3	0
16.0 परिक्षित वित्तीय विवरण 2012-13	0

CONTENTS

	Page No.
1.0 The Authority	0
2.0 Office Structure	0
3.0 Export performance	0
3.1 Overall export of marine products	0
3.2 Major items-wise exports	0
3.3 Major market-wise exports	0
3.4 Major port-wise exports	0
4.0 Annual Plan with budget and expenditure	0
5.0 Registration	0
6.0 Market Promotion	0
6.1 Market Services	0
6.2 Publicity & Market Promotion	0
7.0 Capture fisheries	0
8.0 Culture fisheries	0
8.1 Export production through aquaculture	0
8.2 Promotional activities	0
8.3 Implementation of financial assistance schemes	0
8.4 India Organic Aquaculture Projects (IOAP)	0
8.5 Promotion of Ornamental fish breeding for export	0
9.0 Processing infrastructure and value addition	0
9.1 Progress of implementation of financial assistance schemes	0
9.2 Assistance for the maintenance of Cold Chain	0
9.3 Assistance to exporters for creating basic infrastructure	0
9.4 Setting up of Seafood Parks in Special Economic Zones	0
10.0 Quality Control	0
11.0 Quality Control Laboratories	0
12.0 Societies under MPEDA	0
12.1 Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA)	0
12.2 Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH)	0
12.3 National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA)	0
13.0 Official language activities	0
14.0 Training Programmes	0
15.0 Acknowledgement	0
Appendix - 1	0
Appendix - 2	0
Appendix - 3	0
16.0 Audited Financial Statements 2012-12	0

1.0 प्राधिकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है जिसे समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है।

प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 28 जुलाई, 2010 को किया गया था और 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार सदस्यों का ब्यौरा परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सुश्री लीना नायर, आई ए एस, एम्पीडा की अध्यक्ष बनी रही।

दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तीनों स्थायी समितियों, अर्थात् कार्यकारी समिति, निर्यात संवर्धन समिति और तकनीकी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 2 में दी गई है।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राधिकरण की दो बैठकें (चेन्नई में 27.6.2012 को प्राधिकरण की 123 वीं बैठक) और (तिरुअनंतपुरम में 31.1.2013 को प्राधिकरण की 124 वीं बैठक), तकनीकी समिति की दो बैठकें (चेन्नई में 27.6.2012 को तकनीकी समिति की 54 वीं बैठक) और (कोच्चि में 27.12.2012 को तकनीकी समिति की 55 वीं बैठक) तथा निर्यात संवर्धन समिति की एक बैठक (तिरुअनंतपुरम में 31.1.2013 को निर्यात संवर्धन समिति की 54 वीं बैठक) आयोजित की गई थीं।

2.0 कार्यालय संरचना

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है जिसकी सहायता मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों, दोनों के अधिकारियों के एक दल द्वारा की जाती है।

प्राधिकरण को सौंपे गए विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के निष्पादन हेतु सभी समुद्र तटीय राज्यों में उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। समुद्री खाद्य व्यापार में आयातकों और एजेंसियों तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ संपर्क रखने के लिए यह व्यापार संवर्धन कार्यालय भी चलाता है।

दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों, नई दिल्ली, टोक्यो एवं न्यूयार्क स्थित व्यापार संवर्धन कार्यालयों, क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय जल कृषि केन्द्रों और कोच्चि, नेल्लोर तथा भीमावरम स्थित प्रयोगशालाओं के अधिकारियों के दल का ब्यौरा परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

2.1 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं केन्द्र

वेरावल, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विज़ाग, कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों और गोवा, मंगलौर, कोल्लम, तूतीकोरिन, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रसंस्करण उद्योग और व्यापार को समर्थन और सहायता प्रदान कर व्यापार संवर्धन से जुड़े अपने कार्यकलापों का निष्पादन जारी रखा। क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों ने संबंधित राज्य सरकारों के मात्स्यिकी विभागों, निर्यात व्यापार में शामिल समुद्री खाद्य उद्योग तथा अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य किया। वल्साड, पनवेल, कोच्चि, तंजावुर, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों तथा कोलकाता, भीमावरम, कारवार और कण्णूर स्थित उप क्षेत्रीय केंद्रों ने निर्यात हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए जलकृषि विकास का संवर्धन जारी रखा। एम्पीडा द्वारा कोच्चि, नेल्लौर और भीमावरम स्थित अपनी प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग के लाभार्थ प्रबंधन संविदा आधार पर भुवनेश्वर में एक एल सी-एम एस एम एस प्रयोगशाला तथा तटीय राज्यों में बीस एलिसा जांच प्रयोगशालाएं भी प्रचालन कर रही हैं।

2.2 व्यापार संवर्धन कार्यालय (विदेश स्थित)

भारतीय समुद्री खाद्य के प्रमुख बाजारों को सेवा प्रदान करने के लिए एम्पीडा के दो व्यापार संवर्धन कार्यालय (टीपीओ) टोक्यो और न्यूयार्क में है। टोकियो और न्यूयार्क स्थित व्यापार संवर्धन कार्यालय क्रमशः वर्ष 1978 तथा 1984 से कार्य कर रहे हैं। समुद्री उत्पादों के लिए जापान और अमरीका प्रमुख बाजार बने रहे और ये कार्यालय आपूर्तिकर्ता अन्य देशों से अधिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद हमारे निर्यात को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। वे आयातकों, सरकारी एजेंसियों, संघरोध प्राधिकरणों,

1.0 THE AUTHORITY

The Marine Products Export Development Authority under the Ministry of Commerce and Industry is a statutory body entrusted with the primary task of promotion of export of marine products.

The Authority was re-constituted on 28th July 2010 and the members as on 31.03.2013 are given in Appendix – 1. Ms. Leena Nair, IAS continued as the Chairman of MPEDA during the period under report.

The list of members of the three Standing Committees viz. the Executive Committee, Export Promotion Committee and the Technical Committee as on 31.03.2013 is given in Appendix - 2.

During the year 2012-13, two meetings of the Authority (123rd Authority Meeting on 27.06.2012 at Chennai) and (124th Authority Meeting on 31.01.2013 at Thiruvananthapuram), Two meetings of the Technical Committee (54th Technical Committee Meeting on 27.06.2012 at Chennai) and (55th Technical Committee Meeting on 27.12.2012 at Kochi), and One meeting of Export Promotion Committee (54th Export Promotion Committee Meeting on 31.01.2013 at Thiruvananthapuram) were held.

2.0 OFFICE STRUCTURE

The Marine Products Export Development Authority functions under the overall supervision of the Chairman, supported by a team of officials both at the Head Office and the Field Offices.

The Authority has Field Offices in all the maritime states to carry out various export promotion functions assigned to it. It also runs Trade Promotion Offices to liaise with the importers and agencies in the seafood trade and various Central Ministries.

The team of Officers of the Authority as on 31.03.2013 at the Head Office, Regional and Sub-Regional Offices, Trade Promotion Offices in New Delhi, Tokyo and New York, Regional and Sub-Regional Centres of Aquaculture and Laboratories at Kochi, Nellore & Bhimavaram is given at Appendix - 3.

2.1 Regional & Sub-Regional Offices/Centres

The Regional Offices at Veraval, Mumbai, Kochi, Chennai, Vizag, Kolkata, and Sub-Regional Offices at Goa, Mangalore, Kollam, Tuticorin, Bhubaneswar and Guwahati continued to discharge its functions relating to export promotion by providing support and assistance to the processing industry and the trade. The Regional/Sub-Regional Offices functioned in close association with the Departments of Fisheries of the respective State Governments, the seafood industry and other organisations involved in the export trade. The Regional Centres for Aquaculture at Valsad, Panvel, Kochi, Thanjavur, Vijayawada, Bhubaneswar and the Sub-Regional Centres at Kolkata, Bhimavaram, Karwar and Kannur continued to promote aquaculture development for augmenting production for exports. MPEDA is implementing a National Residue Control Programme through its laboratories at Kochi, Nellore and Bhimavaram. One LC-MSMS Laboratory at Bhubaneswar and Twenty ELISA test Laboratories in Coastal States are also being operated under management contract basis for the benefit of the marine products export industry.

2.2 Trade Promotion Offices (Overseas)

MPEDA has two Trade Promotion Offices (TPO) - in Tokyo and New York - to service the leading markets of Indian seafood. The Trade Promotion Offices at Tokyo and New York have been functioning since 1978 and 1984 respectively. Japan and USA continued to be among the leading markets for marine products and these offices play a key role in sustaining our export in spite of high competition from other supplying nations. They liaise with importers, Government agencies, quarantine authorities, associations, etc. and

एसोसिएशनों आदि से संपर्क रखते हैं और देश के भीतर तथा आसपास के देशों में ऐसे विभिन्न घटनाक्रमों पर कड़ी निगरानी रखते हैं जिनसे भारत से समुद्री खाद्य व्यापार प्रभावित हो सकता है।

3.0 निर्यात निष्पादन

3.1 समुद्री उत्पादों का समग्र निर्यात

वर्ष 2012-13 के दौरान समुद्री उत्पादों का हुआ 18,856 करोड़ रुपए का निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। समुद्री उत्पादों के निर्यात ने मात्रा, रुपया मूल्य और यु.एस. डॉ. के रूप में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 18,856.26 करोड़ रुपए और 3511.67 मिलियन यु.एस. डॉ. मूल्य के कुल 928215 टन के निर्यात हुए। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में समुद्री खाद्य के निर्यातों में क्रमशः मात्रा के रूप में 7.68 प्रतिशत, रूपए के रूप में 13.61 प्रतिशत और यु.एस. डॉ. आय के रूप में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई:

निर्यात आंकड़ों में वृद्धि को यूरोपीय संघ में कमजोर आर्थिक स्थितियों, अमरीका में मंदी से अब तक उबर रही अर्थव्यवस्था, चीन में संतुलित वृद्धि तथा जापान द्वारा व्यापार पर लगाए गए तकनीकी अवरोधों, यु एस द्वारा प्रशीतित श्रिम्प पर सतत रूप से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की संभावना और भारतीय मुद्रा में लगातार आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अन्य देशों में आपूर्ति की स्थितियों में भी सुधार हुआ है।

वन्नमेई श्रिम्प के संवर्धित उत्पादन, ब्लैक टाइगर श्रिम्प की संवर्धित उत्पादकता और शीतित मदों के संवर्धित निर्यात से भी उच्चतर निर्यात करने में मदद मिली है।

वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात

निर्यात का ब्यौरा	2012-13	2011-12	वृद्धि %
मात्रा टन	928215	862021	7.68
मूल्य, करोड़ रुपए	18856.26	16597.23	13.61
मूल्य दशलक्ष यू एस डॉलर	3511.67	3508.45	0.1

keep a close watch on various developments within the country as well as the adjoining countries that may have an impact on the seafood trade from India.

3.0 EXPORT PERFORMANCE

3.1 Overall export of marine products

During the financial year 2012-13, Exports of marine products reached an all-time high of ` 18,856 crore. Marine product exports, crossed all previous records in quantity, Rupee value and US $ terms. Exports aggregated to 928215 Tonnes valued at ` 18,856.26 crore and USD 3511.67 million. Compared to the previous year, seafood exports recorded a growth of 7.68% in quantity, 13.61% in Rupee and 0.1% growth in US $ earnings respectively.

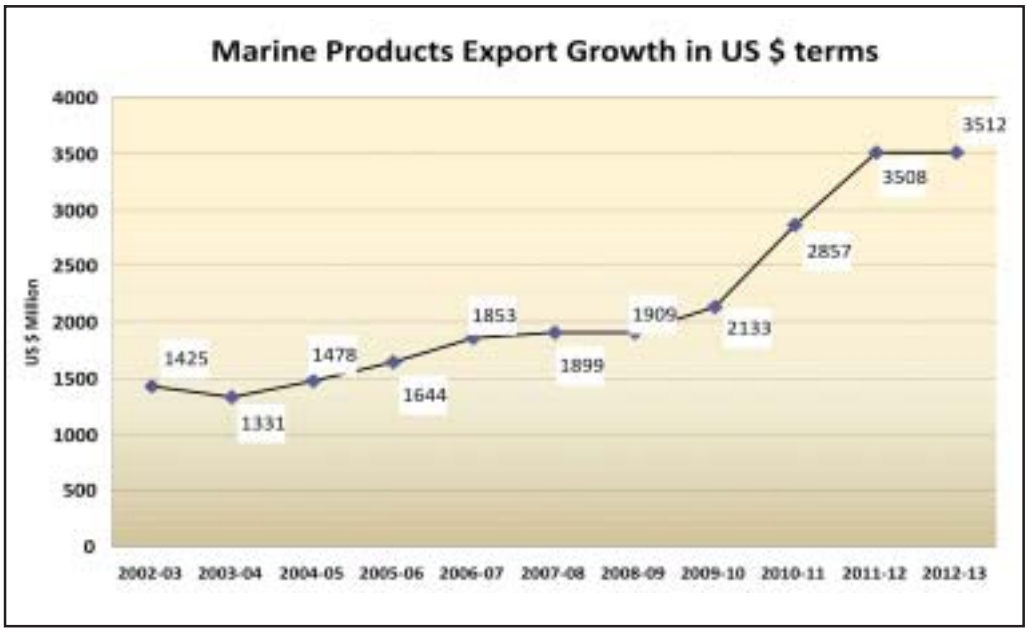

The increase in export figures must be viewed in the light of the weaker economic conditions in European Union, still recovering economy in USA, Moderate growth in China, and technical barriers to trade by Japan, continuing antidumping duty and the possibility of Countervailing duty on frozen Shrimp by US and continuous devaluation of Indian currency. Supply conditions in other countries have also recovered in comparison to previous year.

The increased production of Vannamei shrimp, increased productivity of Black tiger shrimp and increased export of chilled items have helped to achieve higher exports.

Exports during 2012-13 compared to 2011-12

Export details	2012-13	2011-12	Growth %
Quantity Tonnes	928215	862021	7.68
Value ` crore	18856.26	16597.23	13.61
Value US $ Million	3511.67	3508.45	0.1

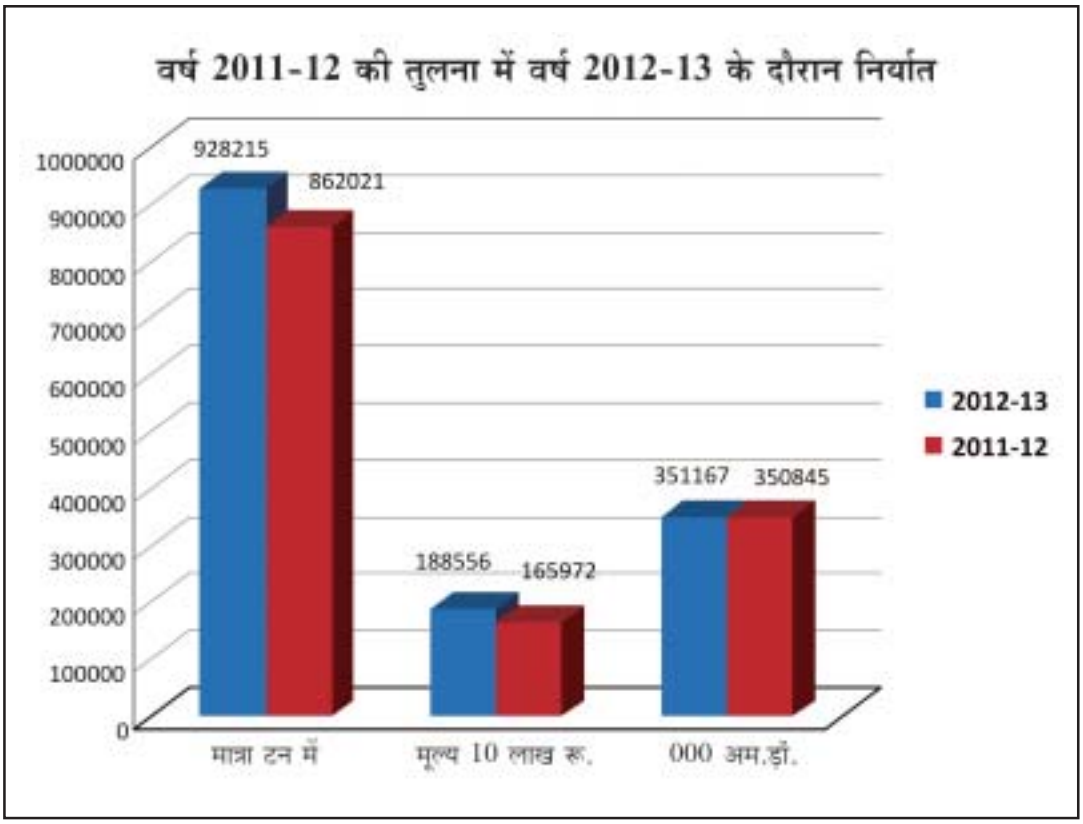

3.2 निर्यात की प्रमुख मदें

प्रशीतित श्रिम्प प्रमुख निर्यात मूल्य की मद बनी रही जिसका हिस्सा यु.एस. डॉ. में कुल आय का 51.35 प्रतिशत रहा था। इस अवधि के दौरान श्रिम्प के निर्यातों में मात्रा, रूपया मूल्य और यु.एस. डॉ. मूल्य के रूप में क्रमश: 20.88%, 18.73% और 3.56% की वृद्धि हुई। श्रिम्प की इकाई मूल्य प्राप्ति में 14.33% की भारी गिरावट आई।

मत्स्य ने मात्रा के अनुसार प्रमुख निर्यात मद के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है और वह मूल्य के रूप में दूसरी सबसे बड़ी निर्यात मद रही है जिसका हिस्सा मात्रा एवं यु.एस. डॉ. आय में लगभग 37.05% और 17.59% रहा था। मत्स्य की इकाई मूल्य प्राप्ति में 8.79% की गिरावट आई।

प्रशीतित कटल फिश ने मात्रा के रूप में 15.78% की वृद्धि दर्ज की। परंतु उसमें यु.एस. डॉ. के रूप में 11.03% और इकाई मूल्य प्राप्ति के रूप में 23.15% की गिरावट आई। कटलफिश की कीमत प्राप्ति में 23.15% की गिरावट आई है। प्रशीतित स्क्विड के निर्यात में रूपया मूल्य के रूप में 12.20% और इकाई मूल्य में 0.36% की वृद्धि प्रदर्शित हुई। परंतु मात्रा के रूप में 2.57% की गिरावट आई।

सूखी मदों के निर्यात में मात्रा में (35.80%), रूपया मूल्य में (45.72%) और यु.एस. डॉ. के रूप में (29.88%) की सकारात्मक वृद्धि हुई। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जीवित मदों में मात्रा, रूपया मूल्य और यु.एस. डॉ. प्राप्ति के रूप में क्रमश: 4.14%, 28% तथा 13.44% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

शीतित मदों ने मात्रा में (26.27%), रूपया मूल्य में (50.27%) एवं यु.एस. डॉ. के रूप में (34.91%) की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। इकाई मूल्य प्राप्ति में भी 6.84% की वृद्धि हुई। निर्यातों की प्रमुख मदों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

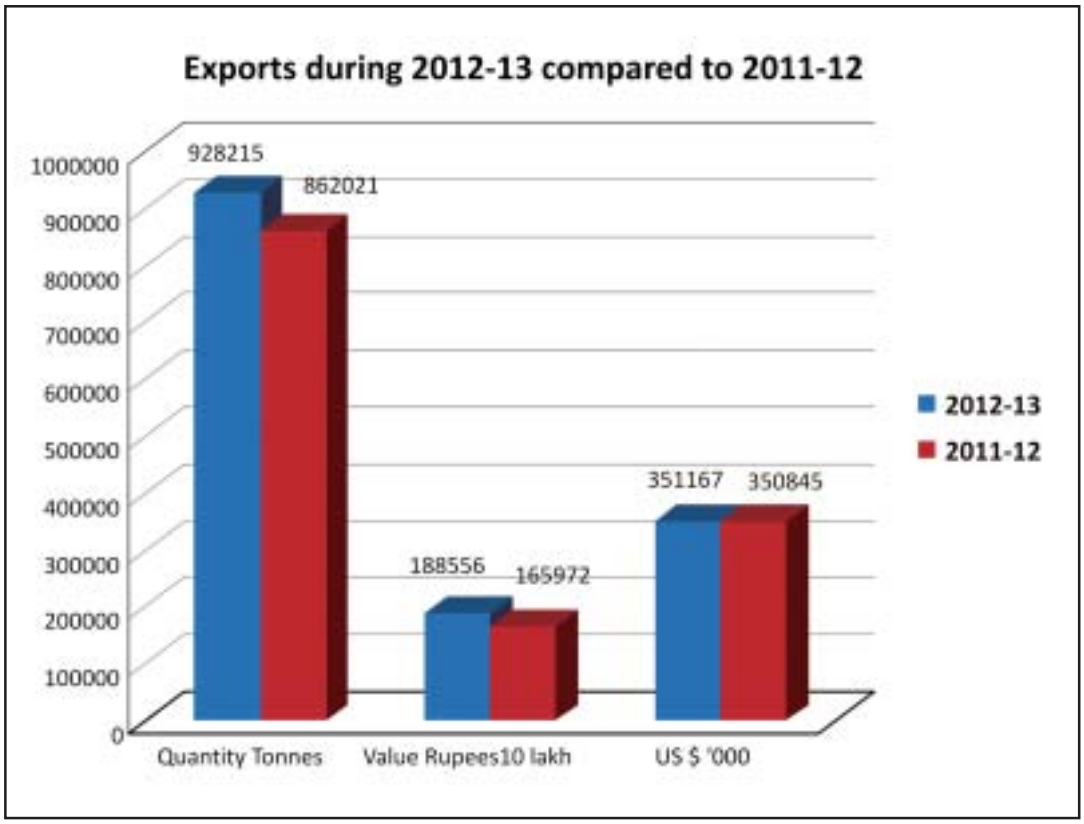

3.2 Major items of export

Frozen Shrimp continued to be the major export value item accounting a share of 51.35% of the total US $ earnings. Shrimp exports during the period increased by 20.88%, 18.73% and 3.56% in quantity, Rupee value and US$ value respectively. There was steep drop in unit value realization of frozen shrimp at 14.33%.

Fish, has retained its position as the principal export item in quantity terms and the second largest export item in value terms, accounted for a share of about 37.05% in quantity and 17.59% in US$ earnings. Unit value realization of fish decreased by 8.79%.

Frozen Cuttlefish recorded a growth of 15.78% in quantity. However, there is a decline of 11.03% in USD terms and 23.15% in unit value realization. Cuttle fish price realization fell by 23.15%. Export of Frozen Squid shown an increase of 12.20% in Rupee value and 0.36% in unit value. However, there is a decrease of 2.57% in terms of quantity.

Dried items have shown a positive growth in quantity (35.80%), Rupee value (45.72%) and US $ (29.88%). Live items exports shown a growth by 4.14%, 28% and 13.44% in quantity, Rupee value and US $ realization respectively compared to the previous year.

Chilled items have shown a positive growth in quantity (26.27%), Rupee value (50.27%) and US $ (34.91%). The unit value realization also increased by 6.84%.The details of major items of exports are given in the following table.

प्रमुख मद-वार निर्यात

(मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रू में, डा: मिलियन यु.एस. डॉ., ई.मू.डॉ.: इकाई मूल्य डॉ./किग्रा.)

मद		हिस्सा %	2012-2013	2011-2012	अंतर	(%)
प्रशीतित श्रिम्प	मा:	24.63	2,28,620	1,89,125	39,495	20.88
	मू:	51.48	9,706.36	8,175.26	1,531.10	18.73
	डॉ.:	51.35	1,803.26	1,741.20	62.06	3.56
	इ.मू.डॉ.:		7.89	9.21	-1.32	-14.33
प्रशीतित मत्स्य	मा:	37.05	3,43,876	3,47,118	-3241	-0.93
	मू:	17.48	3,296.86	3,284.15	12.71	0.39
	डॉ.:	17.59	617.59	683.50	-65.91	-9.64
	इ.मू.डॉ.:		1.80	1.97	-0.17	-8.79
प्रशीतित कटल फिश	मा:	6.82	63,296	54,671	8,626	15.78
	मू:	7.18	1,354.28	1,346.72	7.56	0.56
	डॉ.:	7.16	251.54	282.72	-31.18	-11.03
	इ.मू.डॉ.:		3.97	5.17	-1.20	-23.15
प्रशीतित स्क्विड	मा:	8.12	75,387	77,373	-1986	-2.57
	मू:	7.31	1,378.08	1,228.19	149.89	12.20
	डॉ.:	7.32	256.90	262.72	-5.82	-2.21
	इ.मू.डॉ.:		3.41	3.40	0.01	0.36
सूखी मदें	मा:	7.86	72,953	5,3721	19,232	35.80
	मू:	4.35	819.90	562.65	257.26	45.72
	डॉ.:	4.35	152.81	117.66	35.15	29.88
	इ.मू.डॉ.:		2.09	2.19	-0.10	-4.36
जीवित मदें	मा:	0.47	4,373	4,199	174	4.14
	मू:	1.05	197.89	154.61	43.28	28.00
	डॉ.:	1.05	36.82	32.46	4.36	13.44
	इ.मू.डॉ.:		8.42	7.73	0.69	8.92
शीतित मदें	मा:	2.89	26,868	21,278	5,590	26.27
	मू:	2.85	537.11	357.42	179.69	50.27
	डॉ.:	2.84	99.87	74.03	25.85	34.91
	इ.मू.डॉ.:		3.72	3.48	0.24	6.84
अन्य	मा:	12.16	1,12,841	1,14,538	-1697	-1.48
	मू:	8.30	1,565.78	1,488.24	77.53	5.21
	डॉ.:	8.34	292.86	314.16	-21.30	-6.78
	इ.मू.डॉ.:		2.60	2.74	-0.15	-5.38
कुल	मा:	100	9,28,215	8,62,021	66193	7.68
	मू:	100	18,856.26	16,597.23	2259.03	13.61
	डॉ.:	100	3,511.67	3,508.45	3.22	0.09
	इ.मू.डॉ.:		3.78	4.07	-0.29	-7.05

MAJOR ITEM WISE EXPORTS

(Q: Quantity in Tons, V: Value in ` Crore, $: US$ Million, UV$: Unit Value $ / kg.)

Item		Share %	2012-2013	2011 -2012	Variation	(%)
Frozen Shrimp	Q:	24.63	2,28,620	1,89,125	39,495	20.88
	V:	51.48	9,706.36	8,175.26	1,531.10	18.73
	$:	51.35	1,803.26	1,741.20	62.06	3.56
	UV$:		7.89	9.21	-1.32	-14.33
Frozen Fish	Q:	37.05	3,43,876	3,47,118	-3241	-0.93
	V:	17.48	3,296.86	3,284.15	12.71	0.39
	$:	17.59	617.59	683.50	-65.91	-9.64
	UV$:		1.80	1.97	-0.17	-8.79
Frozen Cuttlefish	Q:	6.82	63,296	54,671	8,626	15.78
	V:	7.18	1,354.28	1,346.72	7.56	0.56
	$:	7.16	251.54	282.72	-31.18	-11.03
	UV$:		3.97	5.17	-1.20	-23.15
Frozen Squid	Q:	8.12	75,387	77,373	-1986	-2.57
	V:	7.31	1,378.08	1,228.19	149.89	12.20
	$:	7.32	256.90	262.72	-5.82	-2.21
	UV$:		3.41	3.40	0.01	0.36
Dried items	Q:	7.86	72,953	5,3721	19,232	35.80
	V:	4.35	819.90	562.65	257.26	45.72
	$:	4.35	152.81	117.66	35.15	29.88
	UV$:		2.09	2.19	-0.10	-4.36
Live items	Q:	0.47	4,373	4,199	174	4.14
	V:	1.05	197.89	154.61	43.28	28.00
	$:	1.05	36.82	32.46	4.36	13.44
	UV$:		8.42	7.73	0.69	8.92
Chilled items	Q:	2.89	26,868	21,278	5,590	26.27
	V:	2.85	537.11	357.42	179.69	50.27
	$:	2.84	99.87	74.03	25.85	34.91
	UV$:		3.72	3.48	0.24	6.84
Others	Q:	12.16	1,12,841	1,14,538	-1697	-1.48
	V:	8.30	1,565.78	1,488.24	77.53	5.21
	$:	8.34	292.86	314.16	-21.30	-6.78
	UV$:		2.60	2.74	-0.15	-5.38
Total	Q:	100	9,28,215	8,62,021	66193	7.68
	V:	100	18,856.26	16,597.23	2259.03	13.61
	$:	100	3,511.67	3,508.45	3.22	0.09
	UV$:		3.78	4.07	-0.29	-7.05

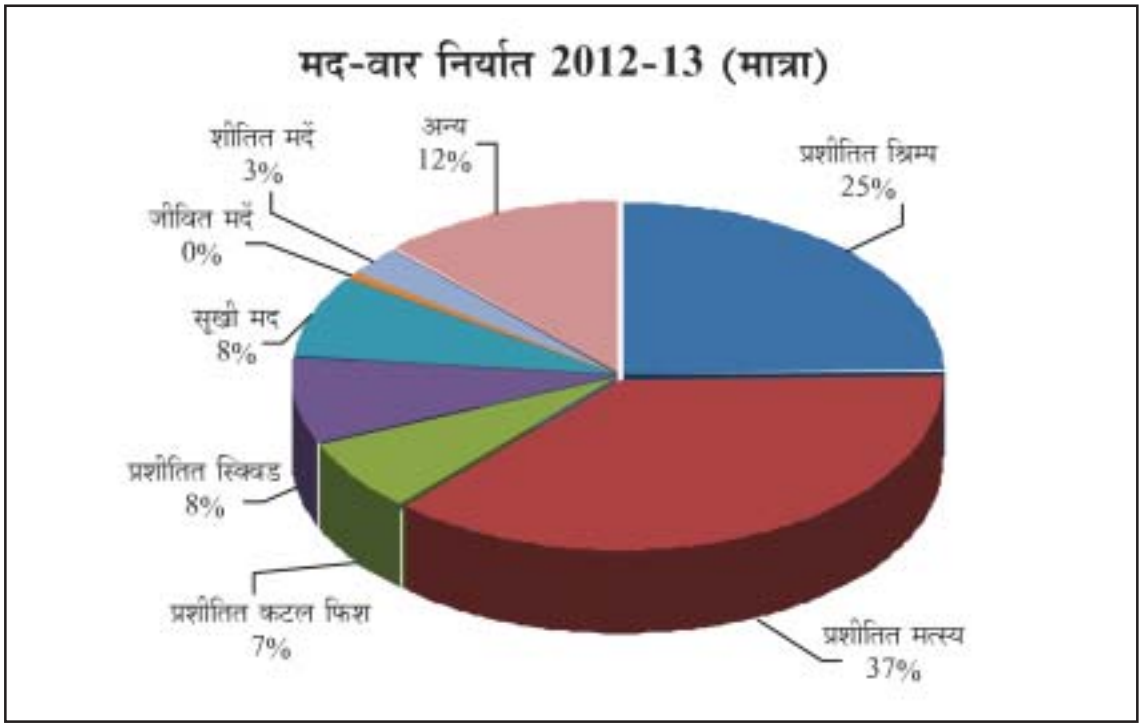

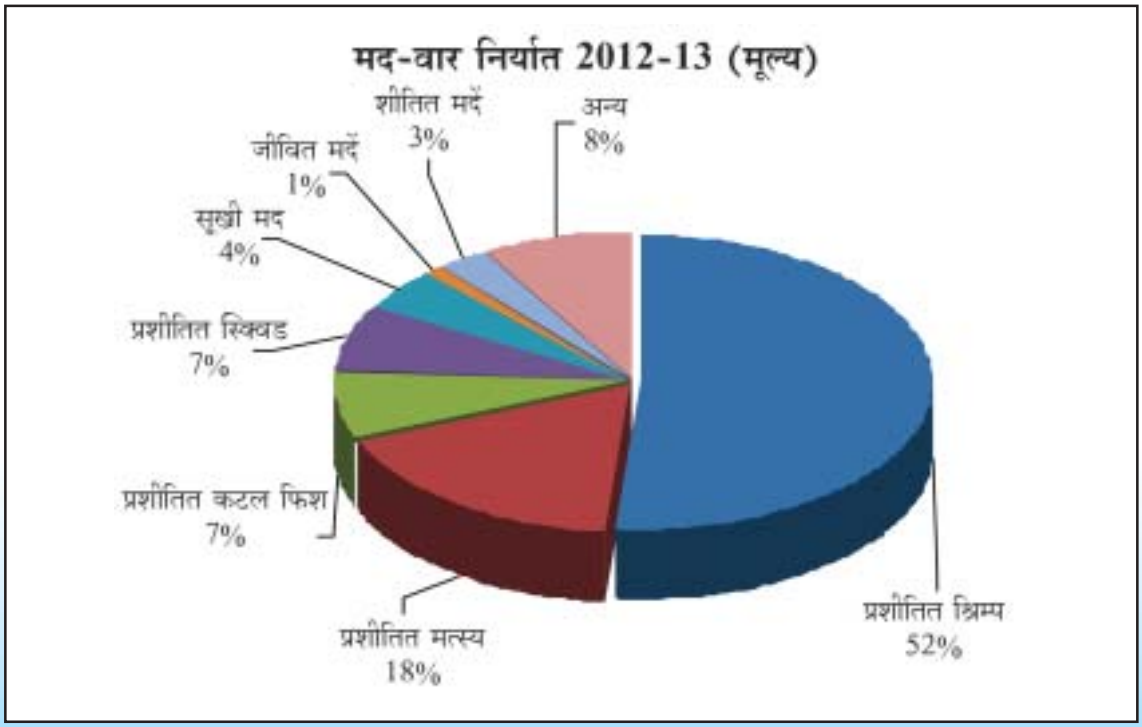

3.3 प्रमुख बाजार-वार निर्यात

दक्षिण पूर्व एशिया अम.डा. मूल्य प्राप्ति के रूप में 23.12% हिस्से के साथ भारतीय समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा केता बना रहा। 22.14% हिस्से के साथ यूरोपीय संघ (ई.यू.) दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जिसके बाद अमरीका (21.29%), जापान (10.61%), चीन (7.67%), मध्य पूर्व (5.96%) और अन्य देशों (9.22%) का स्थान रहा है।

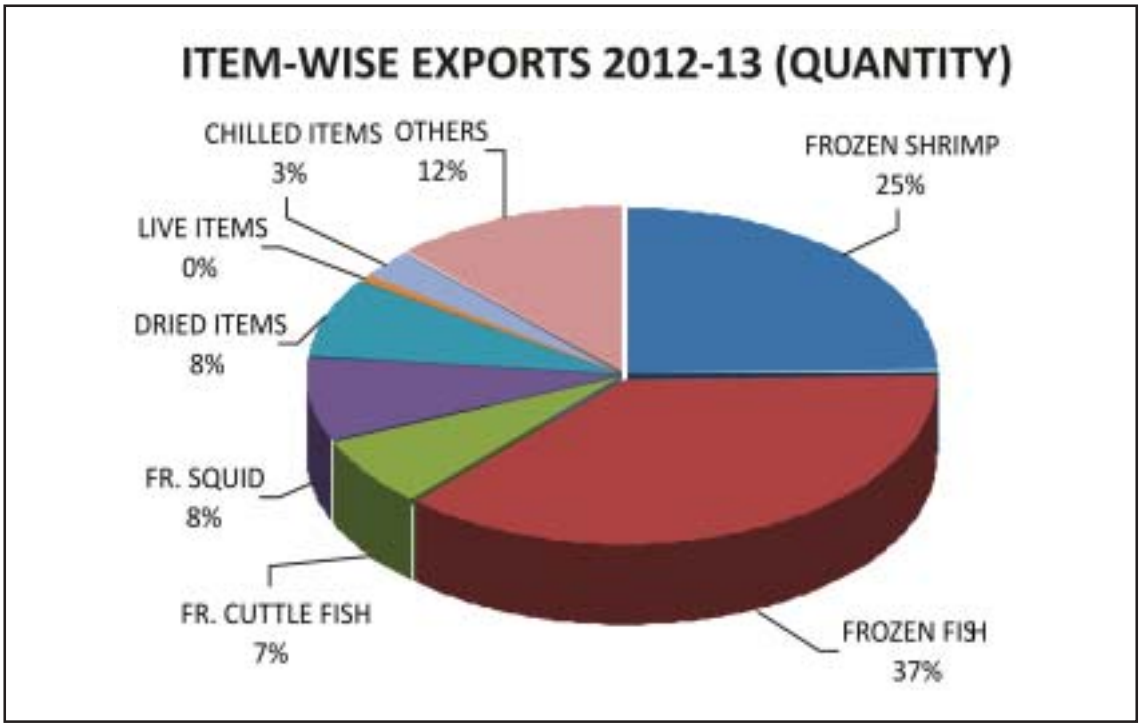

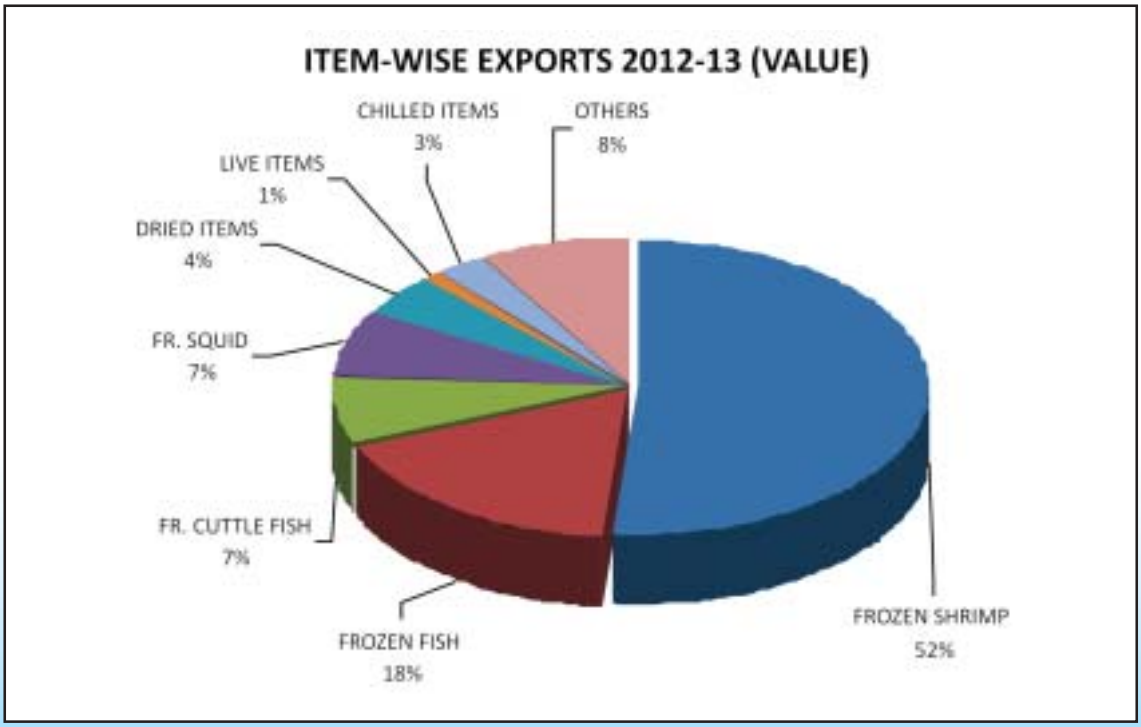

3.3 Major Market-wise exports

South East Asia continued to be the largest buyer of Indian marine products with a share of 23.12% in terms of US $ value realization. European Union (EU) is the second largest market with a share of 22.14% followed by USA (21.29%), Japan (10.61%), China (7.67%), Middle East (5.96%) and Other Countries by 9.22%.

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को हुए निर्यातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मात्रा के रूप में (0.88%) और डालर आय में (7.76%) की गिरावट आई है। दिक्षण पूर्व एशिया को प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में मात्रा के रूप में लगभग 24.87% की वृद्धि दर्ज की गई है।

यु एस को हुए निर्यातों में मात्रा के रूप में 35.25% और यु.एस. डॉ. प्राप्ति के रूप में 17.24% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी और ऐसा मुख्यत : प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात के कारण हुआ था जिसमें मात्रा के रूप में लगभग 49.13% तथा यु.एस. डॉ. के रूप में 20.89% की वृद्धि प्रदर्शित हुई थी। अमरीकी बाजार में वन्नमई श्रिम्प के निर्यातों में मात्रा के रूप में 141.34% और यु.एस. डॉ. प्राप्ति के रूप में 100.09% की उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित हुई।

जापान को हुए निर्यात में मात्रा के रूप में 10.67% और यु.एस. डॉ. के रूप में 18.36% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में मुख्यत : भारत से प्रशीतित श्रिम्प के निर्यातों के साथ इथॉक्सीक्विन मुद्दे के कारण मात्रा के रूप में 11.07% और डॉलर के रूप में 21.92% की गिरावट आई।

चीन को हुए निर्यात में मात्रा के रूप में 3.86% और यु.एस. डॉ. के रूप में 2.34% की वृद्धि प्रदर्शित हुई। मध्य पूर्व देशों को हुए निर्यात में मात्रा के रूप में 8.55%, रूपया मूल्य के रूप में 24.43% और यु.एस. डॉ. प्राप्ति के रूप में 11.95% की वृद्धि प्रदर्शित हुई। भारतीय समुद्री उत्पादों के प्रमुख बाजारों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

मुख्य बाज़ार - वार निर्यात

(मा.: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रू में, डा: मिलियन यु.एस. डॉ.)

देश		हिस्सा %	2012-2013	2011-2012	अंतर	(%)
जापान	मा:	8.26	76,648	85,800	-9151	-10.67
	मू:	10.60	1,999.59	2,140.67	-141.08	-6.59
	डॉ:	10.61	372.57	456.35	-83.78	-18.36
अमरीका	मा:	9.96	92,447	68,354	24,093	35.25
	मू:	21.35	4,026.48	2,977.53	1,048.95	35.23
	डॉ:	21.29	747.45	637.53	109.92	17.24
यूरोपीय संघ	मा:	17.06	1,58,357	1,54,221	4,135	2.68
	मू:	22.15	4,176.42	3,810.44	365.98	9.60
	डॉ:	22.14	777.41	805.38	-27.97	-3.47
चीन	मा:	9.46	87,776	84,515	3,261	3.86
	मू:	7.66	1,444.86	1,259.23	185.63	14.74
	डॉ:	7.67	269.47	263.30	6.16	2.34
दक्षिण पूर्व एशिया	मा:	36.73	3,40,944	3,43,962	-3018	-0.88
	मू:	23.11	4,357.28	4,193.27	164.01	3.91
	डॉ:	23.12	811.80	880.09	-68.29	-7.76
मध्य पूर्व	मा:	4.46	41,419	38,155	3264	8.55
	मू:	5.90	1,113.34	894.38	218.96	24.48
	डॉ:	5.96	209.26	186.85	22.41	12.00
अन्य	मा:	14.07	1,30,623	87,014	43,609	50.12
	मू:	9.22	1,738.29	1,321.72	416.57	31.52
	डॉ:	9.22	323.71	278.94	44.76	16.05
कुल	**मा:**	**100**	**9,28,215**	**8,62,021**	**66,193**	**7.68**
	मू:	**100**	**18,856.26**	**16,597.23**	**2,259.03**	**13.61**
	डॉ:	**100**	**3,511.67**	**3,508.45**	**3.22**	**0.09**

There is a slight decrease in exports to South East Asian Countries in quantity (0.88%) and dollar earnings (7.76%) compared to the previous year. Export of Frozen Shrimp to South East Asia has registered a growth of about 24.87% in volume.

Exports to US had registered a positive growth of 35.25% in quantity and 17.24% in US$ realization and is mainly attributed to the export of Frozen Shrimp which showed a growth of about 49.13% in volume and 20.89% in US$ terms. Exports of Vannamei Shrimp showed a tremendous increase in US market by 141.34 % in quantity and 100.09% in US $ realization.

Export to Japan registered a negative growth of 10.67% in quantity and 18.36% in US $ terms. Export of Frozen Shrimp decreased by 11.07% in quantity terms and 21.92% in Dollar terms mainly due to the Ethoxyquin issue with frozen shrimp exports from India.

Exports to China shown an increase of 3.86% in quantity and 2.34% in US$ terms. Export to Middle East countries shown an increase of 8.55% in quantity, 24.43% in Rupee value and 11.95% in US $ realization. The details on major markets for Indian marine products are given in the following table.

MAJOR MARKET WISE EXPORTS

(Q: Quantity in Tons, V: Value in ` Crore, $: USD Million)

Country		Share %	2012 -2013	2011 -2012	Variation	(%)
Japan	Q:	8.26	76,648	85,800	-9151	-10.67
	V:	10.60	1,999.59	2,140.67	-141.08	-6.59
	$:	10.61	372.57	456.35	-83.78	-18.36
USA	Q:	9.96	92,447	68,354	24,093	35.25
	V:	21.35	4,026.48	2,977.53	1,048.95	35.23
	$:	21.29	747.45	637.53	109.92	17.24
European Union	Q:	17.06	1,58,357	1,54,221	4,135	2.68
	V:	22.15	4,176.42	3,810.44	365.98	9.60
	$:	22.14	777.41	805.38	-27.97	-3.47
China	Q:	9.46	87,776	84,515	3,261	3.86
	V:	7.66	1,444.86	1,259.23	185.63	14.74
	$:	7.67	269.47	263.30	6.16	2.34
South East Asia	Q:	36.73	3,40,944	3,43,962	-3018	-0.88
	V:	23.11	4,357.28	4,193.27	164.01	3.91
	$:	23.12	811.80	880.09	-68.29	-7.76
Middle East	Q:	4.46	41,419	38,155	3264	8.55
	V:	5.90	1,113.34	894.38	218.96	24.48
	$:	5.96	209.26	186.85	22.41	12.00
Others	Q:	14.07	1,30,623	87,014	43,609	50.12
	V:	9.22	1,738.29	1,321.72	416.57	31.52
	$:	9.22	323.71	278.94	44.76	16.05
Total	**Q:**	**100**	**9,28,215**	**8,62,021**	**66,193**	**7.68**
	V:	**100**	**18,856.26**	**16,597.23**	**2,259.03**	**13.61**
	$:	**100**	**3,511.67**	**3,508.45**	**3.22**	**0.09**

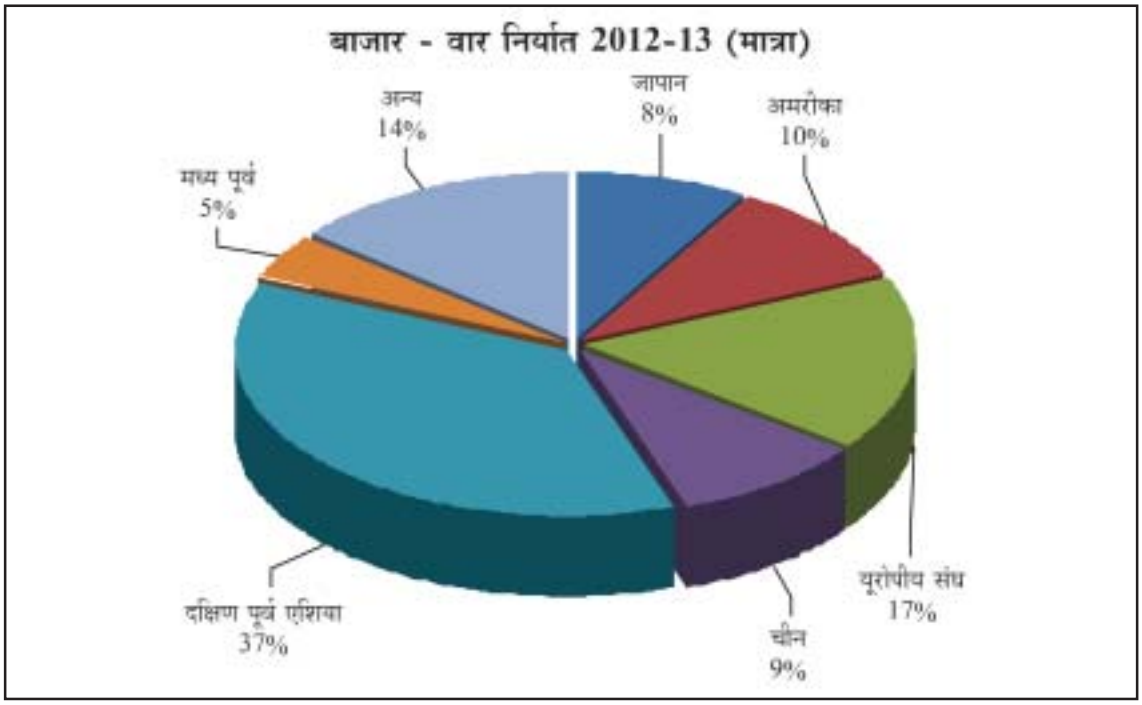

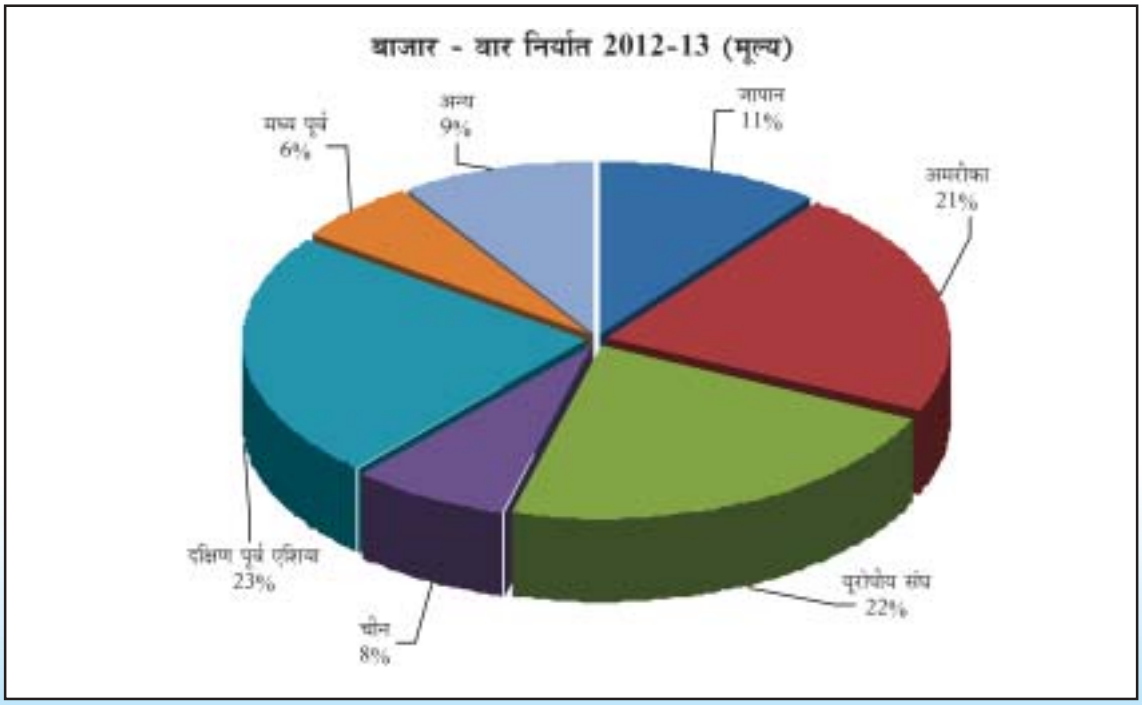

3.4 प्रमुख पत्तनवार निर्यात

निर्यात 21 समुद्री/हवाई/भू पत्तनों के जरिए किए गए थे। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विज़ाग, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता पत्तनों से हुए निर्यातों में सुधार हुआ था। पिपावाव एक ऐसा प्रमुख पत्तन है जिसके जरिए मात्रा (25.18%) के रूप में निर्यात किए गए थे। विज़ाग एक ऐसा प्रमुख पत्तन है जिसके जरिए रूपया मूल्य (17.74 प्रतिशत) के रूप में निर्यात किए गए थे। ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

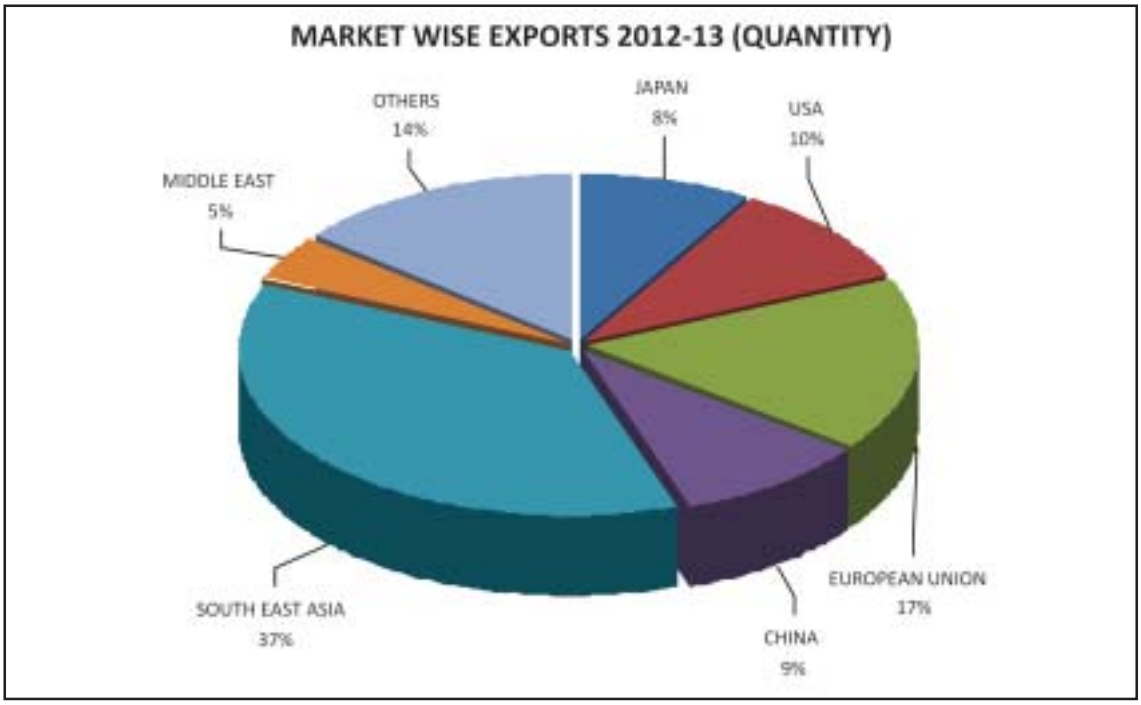

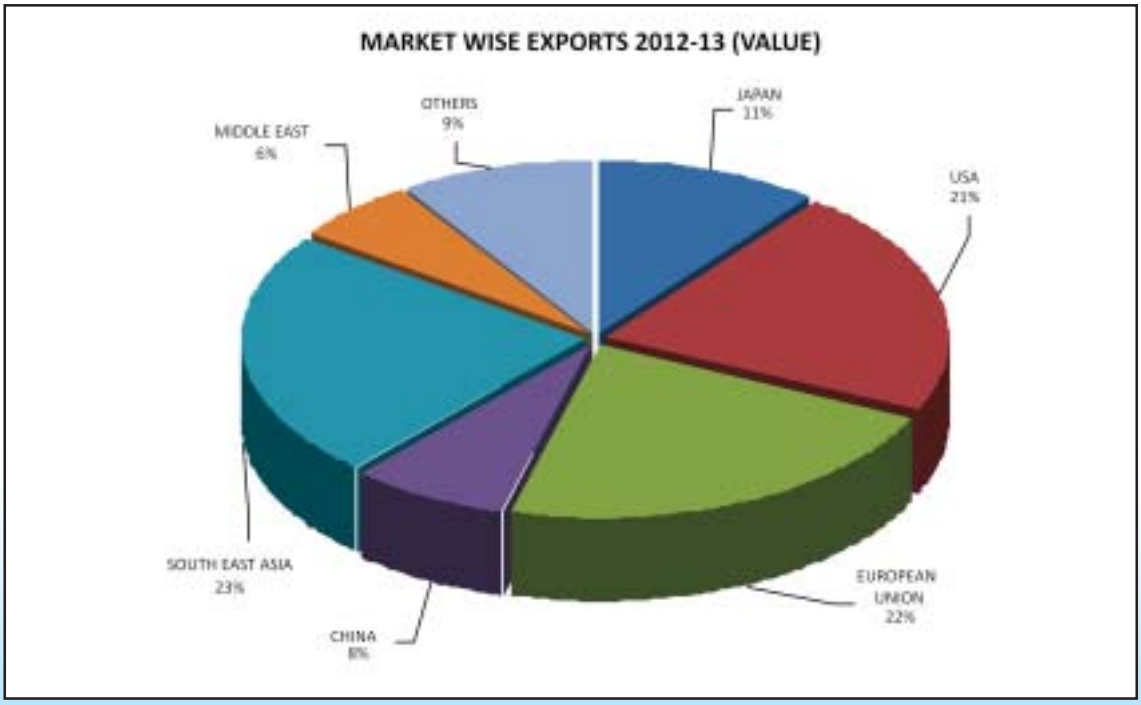

3.4 Major Port wise Exports

Exports effected through 21 sea/air/land ports. Exports improved from Vizag, Chennai, Mumbai and Kolkata ports compared to the corresponding period during the last year. Pipavav is the major port through which exports effected in terms of quantity (25.18%). Vizag is the main port through which exports effected in terms of Rupee value (17.74%). The details are given in the following table.

समुद्री उत्पादों का प्रमुख पत्तन वार निर्यात

(मा.: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रू में, डा: मिलियन यु.एस. डॉ.)

पत्तन		हिस्सा %	2012-2013	2011-2012	अंतर	(%)
1		2	3	4	5	6
विज़ाग	मा:	8.46	78,542	62,215	16,327	26.24
	मू:	17.74	3,344.97	2,652.15	692.82	26.12
	डॉ:	17.68	620.93	565.03	55.91	9.89
कोच्चि	मा:	17.46	1,62,109	1,52,445	9,665	6.34
	मू:	17.32	3,265.64	2,859.02	406.62	14.22
	डॉ:	17.34	608.80	605.25	3.56	0.59
पिपावाव	मा:	25.18	2,33,738	2,19,801	13,938	6.34
	मू:	14.89	2,808.25	2,710.34	97.91	3.61
	डॉ:	14.97	525.57	564.30	-38.73	-6.86
जे एन पी	मा:	15.70	1,45,723	1,48,891	-3169	-2.13
	मू:	12.73	2,399.80	2,151.66	248.13	11.53
	डॉ:	12.77	448.46	452.57	-4.11	-0.91
चेन्नई	मा:	5.77	53,596	46,184	7,412	16.05
	मू:	10.94	2,062.72	1,847.88	214.84	11.63
	डॉ:	10.92	383.46	394.61	-11.15	-2.83
कोलकाता	मा:	6.88	63,832	59,151	4,681	7.91
	मू:	9.61	1,811.21	1,730.89	80.32	4.64
	डॉ:	9.57	335.91	370.14	-34.23	-9.25
तूतीकोरिन	मा:	3.55	32,989	34,532	-1543	-4.47
	मू:	6.73	1,269.03	1,180.84	88.19	7.47
	डॉ:	6.72	235.91	250.58	-14.66	-5.85
मंगलौर/आई सी डी	मा:	10.33	95,907	86,367	9,540	11.05
	मू:	4.50	849.01	659.41	189.60	28.75
	डॉ:	4.50	157.86	137.90	19.97	14.48
गोवा	मा:	4.46	41,377	40,432	945	2.34
	मू:	1.95	366.95	351.17	15.78	4.49
	डॉ:	1.95	68.33	73.66	-5.32	-7.23
मुंबई	मा:	0.34	3164	2973	191	6.41
	मू:	1.72	323.77	268.51	55.26	20.58
	डॉ:	1.72	60.47	55.68	4.79	8.60
त्रिवेन्द्रम	मा:	0.34	3,131	2,867	264	9.22
	मू:	0.76	143.56	117.54	26.02	22.14
	डॉ:	0.76	26.72	24.56	2.15	8.77
मुन्द्रा	मा:	0.89	8274	573	7701	1,342.81
	मू:	0.64	119.96	11.15	108.81	975.57
	डॉ:	0.64	22.32	2.28	20.04	878.03
कालीकट	मा:	0.12	1159	403	756	187.71
	मू:	0.14	26.65	11.77	14.88	126.45
	डॉ:	0.14	4.95	2.48	2.47	99.44

MAJOR PORT WISE EXPORT OF MARINE PRODUCTS

(Q: Quantity in Tons, V: Value in ` Crore, $: USD Million)

Ports		Share %	2012 - 2013	2011 - 2012	Variation	(%)
1		2	3	4	5	6
Vizag	Q:	8.46	78,542	62,215	16,327	26.24
	V:	17.74	3,344.97	2,652.15	692.82	26.12
	$:	17.68	620.93	565.03	55.91	9.89
Kochi	Q:	17.46	1,62,109	1,52,445	9,665	6.34
	V:	17.32	3,265.64	2,859.02	406.62	14.22
	$:	17.34	608.80	605.25	3.56	0.59
Pipavav	Q:	25.18	2,33,738	2,19,801	13,938	6.34
	V:	14.89	2,808.25	2,710.34	97.91	3.61
	$:	14.97	525.57	564.30	-38.73	-6.86
J N P	Q:	15.70	1,45,723	1,48,891	-3169	-2.13
	V:	12.73	2,399.80	2,151.66	248.13	11.53
	$:	12.77	448.46	452.57	-4.11	-0.91
Chennai	Q:	5.77	53,596	46,184	7,412	16.05
	V:	10.94	2,062.72	1,847.88	214.84	11.63
	$:	10.92	383.46	394.61	-11.15	-2.83
Kolkata	Q:	6.88	63,832	59,151	4,681	7.91
	V:	9.61	1,811.21	1,730.89	80.32	4.64
	$:	9.57	335.91	370.14	-34.23	-9.25
Tuticorin	Q:	3.55	32,989	34,532	-1543	-4.47
	V:	6.73	1,269.03	1,180.84	88.19	7.47
	$:	6.72	235.91	250.58	-14.66	-5.85
Mangalore/ICD	Q:	10.33	95,907	86,367	9,540	11.05
	V:	4.50	849.01	659.41	189.60	28.75
	$:	4.50	157.86	137.90	19.97	14.48
Goa	Q:	4.46	41,377	40,432	945	2.34
	V:	1.95	366.95	351.17	15.78	4.49
	$:	1.95	68.33	73.66	-5.32	-7.23
Mumbai	Q:	0.34	3164	2973	191	6.41
	V:	1.72	323.77	268.51	55.26	20.58
	$:	1.72	60.47	55.68	4.79	8.60
Trivandrum	Q:	0.34	3,131	2,867	264	9.22
	V:	0.76	143.56	117.54	26.02	22.14
	$:	0.76	26.72	24.56	2.15	8.77
Mundra	Q:	0.89	8274	573	7701	1,342.81
	V:	0.64	119.96	11.15	108.81	975.57
	$:	0.64	22.32	2.28	20.04	878.03
Calicut	Q:	0.12	1159	403	756	187.71
	V:	0.14	26.65	11.77	14.88	126.45
	$:	0.14	4.95	2.48	2.47	99.44

1		2	3	4	5	6
दिल्ली	मा:	0.03	242	34	208	611.14
	मू:	0.09	17.67	4.94	12.72	257.37
	डॉ:	0.09	3.27	1.05	2.22	211.06
पहाड़ी भू सी.शु.	मा:	0.33	3,109	2,736	373	13.63
	मू:	0.07	13.91	6.62	7.30	110.30
	डॉ:	0.07	2.56	1.36	1.20	88.47
कृषणापट्टनम	मा:	0.03	294	0	294	***
	मू:	0.07	12.72	0.00	12.72	***
	डॉ:	0.07	2.36	0.00	2.36	***
हैदराबाद	मा:	0.04	386	85	301	355.90
	मू:	0.06	11.48	3.24	8.24	254.03
	डॉ:	0.06	2.13	0.68	1.45	214.49
बंगलौर	मा:	0.05	479	8	471	5,542.94
	मू:	0.03	6.23	0.81	5.42	666.65
	डॉ:	0.03	1.15	0.17	0.98	573.26
अहमदाबाद	मा:	0.00	44	87	-43	-49.32
	मू:	0.01	1.40	4.77	-3.37	-70.63
	डॉ:	0.01	0.26	1.04	-0.78	-74.63
मध्य समुद्र	मा:	0.00	46	1963	-1917	-97.67
	मू:	0.00	0.63	21.68	-21.05	-97.07
	डॉ:	0.00	0.11	4.56	-4.45	-97.49
कारवार	मा:	0.01	56	0	56	***
	मू:	0.00	0.62	0.00	0.62	***
	डॉ:	0.00	0.11	0.00	0.11	***
करीमगंज	मा:	0.00	17	19	-2	-8.11
	मू:	0.00	0.04	0.04	0.00	10.38
	डॉ:	0.00	0.01	0.01	0.00	***
त्रिचि	मा:	0.00	1	22	-22	-96.61
	मू:	0.00	0.03	0.44	-0.41	-93.27
	डॉ:	0.00	0.01	0.10	-0.09	-94.44
हल्दिया	मा:	0.00	0	28	-28	-100.00
	मू:	0.00	0.00	0.33	-0.33	-100.00
	डॉ:	0.00	0.00	0.07	-0.07	-100.00
पोर्ट ब्लेयर	मा:	0.00	0	1	-1	-100.00
	मू:	0.00	0.00	0.01	-0.01	-100.00
	डॉ:	0.00	0.00	0.00	0.00	***
अगरतला	मा:	0.00	0	105	-105	-100.00
	मू:	0.00	0.00	0.24	-0.24	-100.00
	डॉ:	0.00	0.00	0.05	-0.05	-100.00
वेरावल	मा:	0.00	0	101	-101	-100.00
	मू:	0.00	0.00	1.77	-1.77	-100.00
	डॉ:	0.00	0.00	0.34	-0.34	-100.00
कुल:	**मा:**	**100**	**9,28,215**	**8,62,021**	**66,193**	**7.68**
	मू:	**100**	**18,856.26**	**16,597.23**	**2,259.03**	**13.61**
	डॉ:	**100**	**3,511.67**	**3,508.45**	**3.22**	**0.09**

1		2	3	4	5	6
Delhi	Q:	0.03	242	34	208	611.14
	V:	0.09	17.67	4.94	12.72	257.37
	$:	0.09	3.27	1.05	2.22	211.06
Hill Land customs	Q:	0.33	3,109	2,736	373	13.63
	V:	0.07	13.91	6.62	7.30	110.30
	$:	0.07	2.56	1.36	1.20	88.47
Krishnapatnam	Q:	0.03	294	0	294	***
	V:	0.07	12.72	0.00	12.72	***
	$:	0.07	2.36	0.00	2.36	***
Hyderabad	Q:	0.04	386	85	301	355.90
	V:	0.06	11.48	3.24	8.24	254.03
	$:	0.06	2.13	0.68	1.45	214.49
Bangalore	Q:	0.05	479	8	471	5,542.94
	V:	0.03	6.23	0.81	5.42	666.65
	$:	0.03	1.15	0.17	0.98	573.26
Ahmedabad	Q:	0.00	44	87	-43	-49.32
	V:	0.01	1.40	4.77	-3.37	-70.63
	$:	0.01	0.26	1.04	-0.78	-74.63
Mid Sea	Q:	0.00	46	1963	-1917	-97.67
	V:	0.00	0.63	21.68	-21.05	-97.07
	$:	0.00	0.11	4.56	-4.45	-97.49
Karwar	Q:	0.01	56	0	56	***
	V:	0.00	0.62	0.00	0.62	***
	$:	0.00	0.11	0.00	0.11	***
Karimganj	Q:	0.00	17	19	-2	-8.11
	V:	0.00	0.04	0.04	0.00	10.38
	$:	0.00	0.01	0.01	0.00	***
Trichy	Q:	0.00	1	22	-22	-96.61
	V:	0.00	0.03	0.44	-0.41	-93.27
	$:	0.00	0.01	0.10	-0.09	-94.44
Haldia	Q:	0.00	0	28	-28	-100.00
	V:	0.00	0.00	0.33	-0.33	-100.00
	$:	0.00	0.00	0.07	-0.07	-100.00
Port Blair	Q:	0.00	0	1	-1	-100.00
	V:	0.00	0.00	0.01	-0.01	-100.00
	$:	0.00	0.00	0.00	0.00	***
Agartala	Q:	0.00	0	105	-105	-100.00
	V:	0.00	0.00	0.24	-0.24	-100.00
	$:	0.00	0.00	0.05	-0.05	-100.00
Veraval	Q:	0.00	0	101	-101	-100.00
	V:	0.00	0.00	1.77	-1.77	-100.00
	$:	0.00	0.00	0.34	-0.34	-100.00
Total	**Q:**	**100**	**9,28,215**	**8,62,021**	**66,193**	**7.68**
	V:	**100**	**18,856.26**	**16,597.23**	**2,259.03**	**13.61**
	$:	**100**	**3,511.67**	**3,508.45**	**3.22**	**0.09**

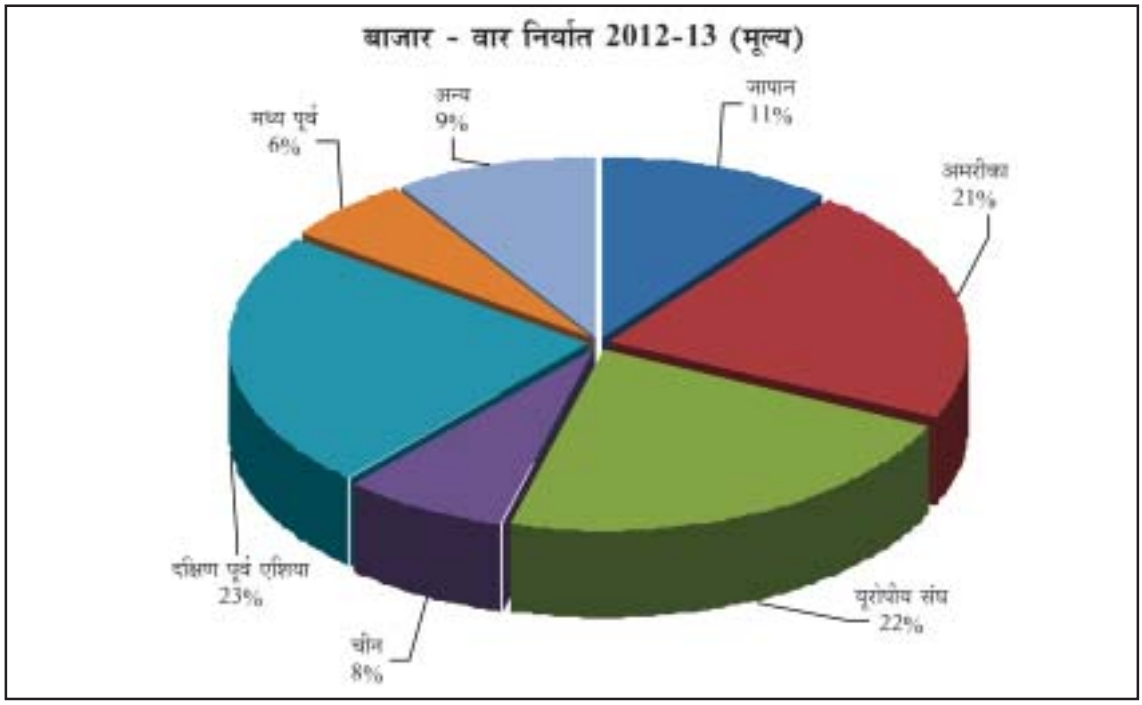

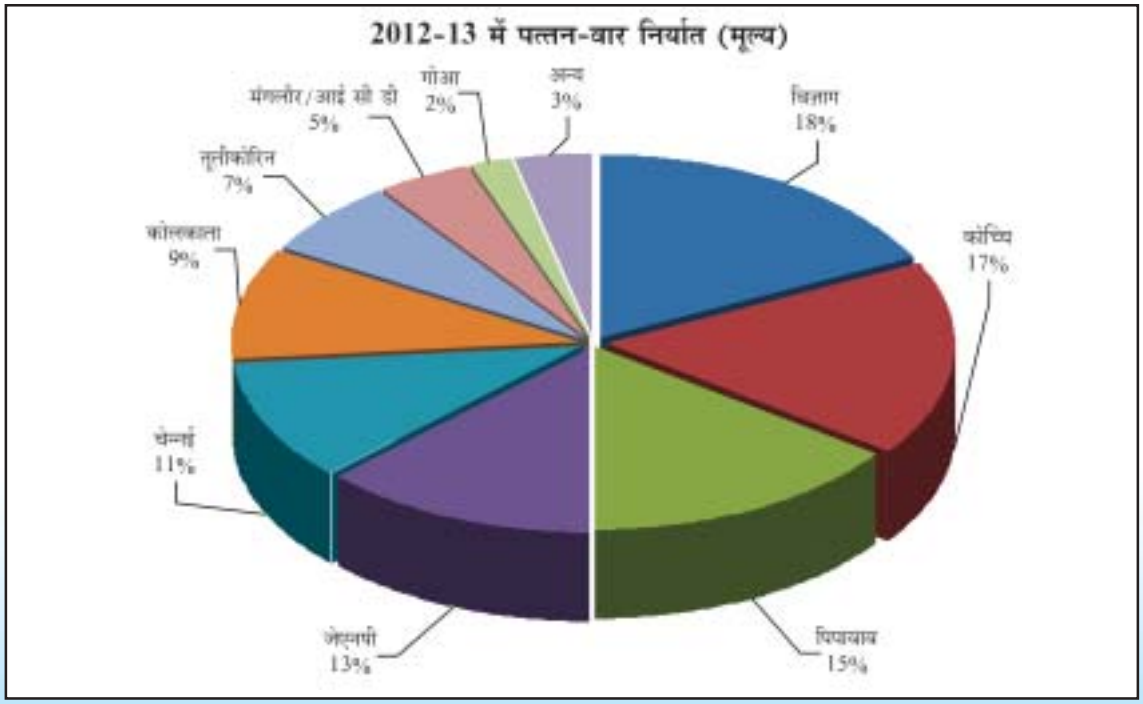

4.0 बजट और व्यय के साथ वार्षिक योजना

4.1 योजना स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति

विकास/संवर्धनात्मक कार्यकलाप 6 प्रमुख शीर्षों अर्थात (i) बाजार संवर्धन, (ii) कैप्चर मात्स्यिकी, (iii) कल्चर मात्स्यिकी (iv) प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्यवर्धन (v) गुणवत्ता नियंत्रण (vi) अनुसंधान एवं विकास।

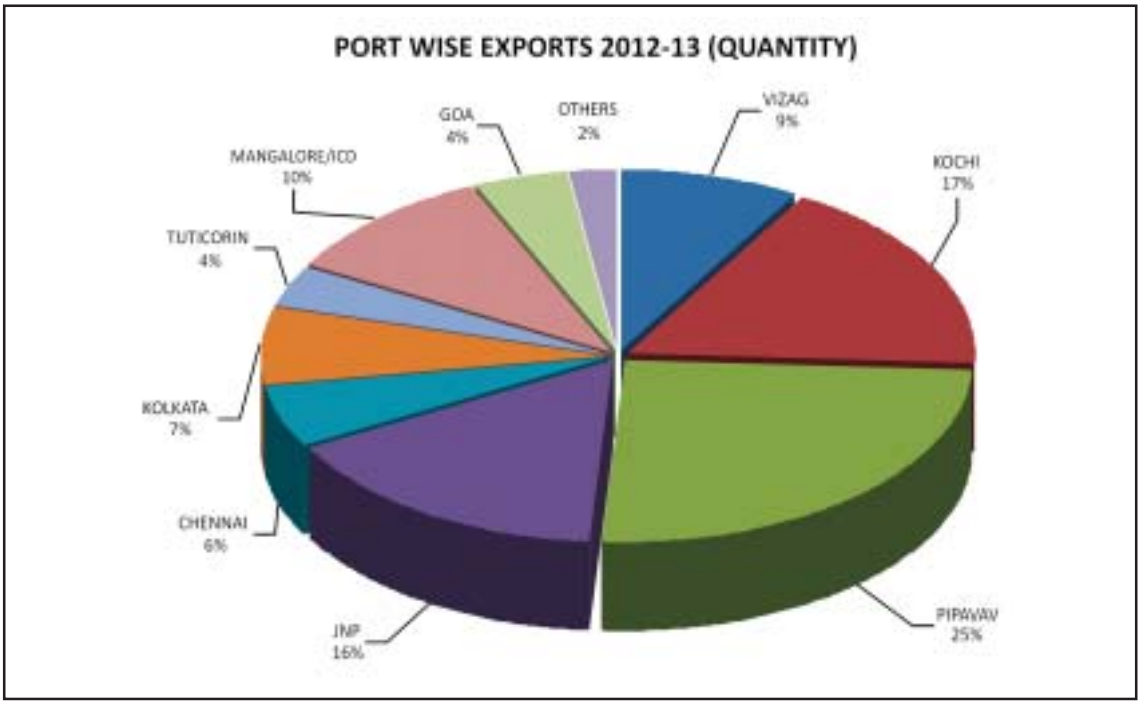

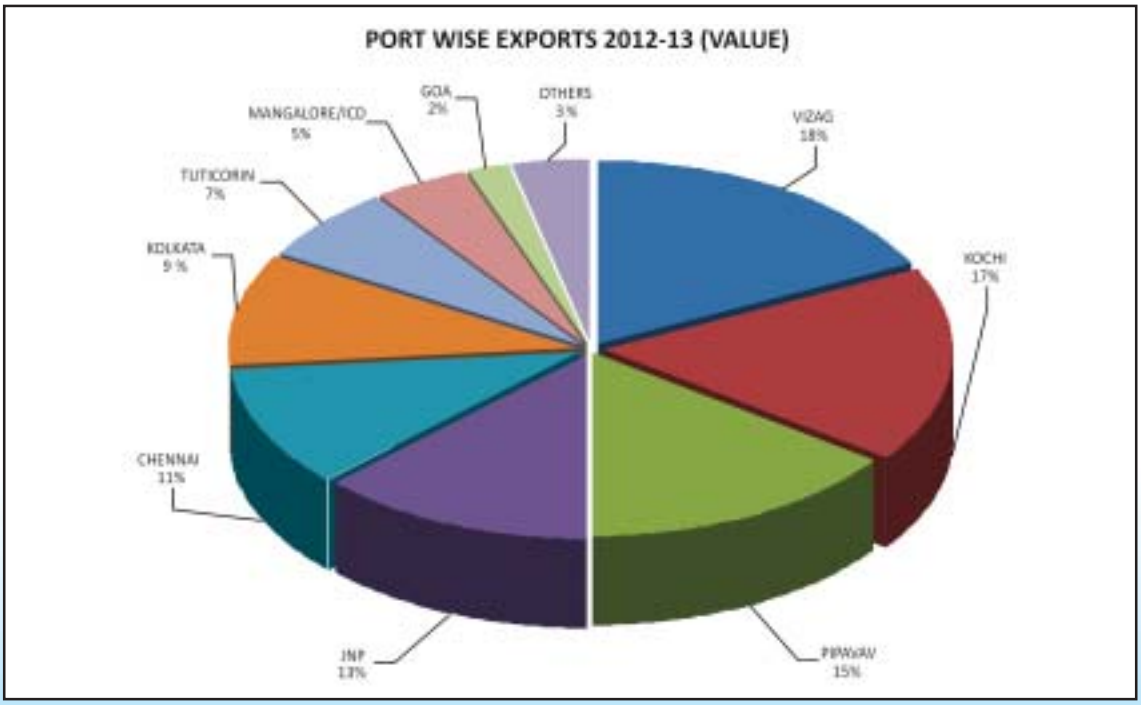

4.0 ANNUAL PLAN WITH BUDGET AND EXPENDITURE

4.1 Progress of plan scheme implementation

The developmental/promotional activities were carried out under six major heads viz. (i) Market Promotion, (ii) Capture Fisheries, (iii) Culture Fisheries (iv) Processing infrastructure & value addition, (v) Quality Control (vi) Research & Development.

वर्ष 2012-13 के लिए योजना बजट (सं.अ.) 95 करोड़ रुपए था। वाणिज्य विभाग ने योजना स्कीम के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए जारी किए थे।

(लाख ` में)

क्र.सं.	शीर्ष	राशि
1.	बाजार संवर्धन	1,647.74
2.	कैप्चर मात्स्यिकी	664.00
3.	कल्चर मात्स्यिकी	1,335.00
4.	प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्यवर्धन	1,170.00
5.	गुणवत्ता नियंत्रण	1,154.00
6.	अनुसंधान एवं विकास	3,529.26
	कुलः	**95,000.00**

पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान योजना व्यय को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता हैः

(लाख ` में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वा.एवं उ.मं. द्वारा जारी योजना निधि	एम्पीडा द्वारा योजना व्यय	वर्षांत में अप्रयुक्त निधि
2002-03	4,000.00	4,090.00	4,061.84	(*) (-) 8.11
2003-04	4,100.00	4,100.00	4,005.00	(**) 643.70
2004-05	4,400.00	4,400.00	4,382.19	661.51
2005-06	5,400.00	4,738.00	5,209.00	214.80
2006-07	5,835.00	4,785.00	4,952.25	(*) (-) 47.72
2007-08	8,000.00	7,666.60	7,807.82	(-) 31.85
2008-09	9,000.00	8,763.00	8,706.52	(#) 58.14
2009-10	9,050.00	8,991.86	9,018.37	(##) 66.93
2010-11	9,000.00	8,933.07	9,001.23	(###) 71.92
2011-12	11,000.00	10,928.08	11,319.27	(####) (-) 213.89
2012-13	9,500.00	9,500.00	9612.42	(-) 112.42

(*) नकारात्मक आंकड़ों से वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि से योजना व्यय के आधिक्य का पता चलता है। इतिशेष की गणना अतिरिक्त बजटीय संसाधनों, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद की गई है।

(**) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार इतिशेष में एचपीएलसी एमएसएमएस उपकरणों की खरीद हेतु एसाइड निधि से प्रतिपूर्त 600 लाख रूपए शामिल हैं जिनकी मूल रूप से पूर्ति वर्ष 2002-03 के दौरान योजना निधि से की गई थी।

(#) दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार 58.14 लाख रू के इति शेष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर 25.00 लाख रूपए का ब्याज शामिल है।

(##) दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार 66.93 लाख रू के इति शेष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर 35.30 लाख रूपए का ब्याज शामिल है।

(###) दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार 71.92 लाख रू के इति शेष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर अर्जित 73.15 लाख रूपए का ब्याज शामिल है।

(####) दिनांक 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार 213.89 लाख रू के इति शेष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि की सामान्य जमा पर अर्जित 105.38 लाख रूपए (अनंतिम) का ब्याज शामिल है।

Plan Budget (RE) for 2012-13 was ` 95 crore. The Department of Commerce released ` 95 crore under Plan Scheme.

(` in lakh)

Sl. No.	Name of Heads	Amount
1.	Market Promotion	` 1,647.00
2.	Capture Fisheries	` 664.00
3.	Culture Fisheries	` 1,335.00
4.	Processing Infrastructure & Value Addition	` 1,170.00
5.	Quality Control	` 1,154.00
6.	Research and Development	` 3,529.26
	Total	**` 95,000.00**

A statement showing Plan expenditure during the previous years can be seen in the following table:-

(` in lakh)

Year	Budget Provision	Plan funds released by the MoCI	Plan expenditure by the MPEDA	Unutilized funds at the end of the year
2002-03	4,000.00	4,090.00	4,061.84	(*) (-) 8.11
2003-04	4,100.00	4,100.00	4,005.00	(**) 643.70
2004-05	4,400.00	4,400.00	4,382.19	661.51
2005-06	5,400.00	4,738.00	5,209.00	214.80
2006-07	5,835.00	4,785.00	4,952.25	(*) (-) 47.72
2007-08	8,000.00	7,666.60	7,807.82	(-) 31.85
2008-09	9,000.00	8,763.00	8,706.52	(#) 58.14
2009-10	9,050.00	8,991.86	9,018.37	(##) 66.93
2010-11	9,000.00	8,933.07	9,001.23	(###) 71.92
2011-12	11,000.00	10,928.08	11,319.27	(####) (-) 213.89
2012-13	9,500.00	9,500.00	9,612.42	(-) 112.42

(*) Negative figure indicates excess of Plan expenditure over Plan funds received from the MoCI. Closing balance is arrived after adjusting Extra Budgetary Resources, if any.

(**) Closing Balance as on 31.03.2004 includes ` 600 lakh reimbursed from ASIDE Fund towards purchase of HPLC MS-MS equipments, which was originally met from Plan Funds during 2002-03.

(#) The closing balance of ` 58.14 lakh as on 31.03.2009 includes ` 25.00 lakh interests on General Deposit of Plan Funds received from MoCI as per instruction of MoCI.

(##) The closing balance of ` 66.93 lakh as on 31.03.2010 includes ` 35.30 lakh interests on General Deposit of Plan Fund received from MoCI as per instruction of MoCI.

(###) The closing balance of ` 71.92 lakh as on 31.03.2011 including ` 73.15 lakh interest earned on General deposit of Plan Fund received from MoCI.

(####) The closing balance of ` 213.89 lakh as on 31.03.2012 including ` 105.38 lakh (provisional) interest earned on General deposit of Plan Fund received from MoCI

5.0 पंजीकरण

एम्पीडा अधिनियम, 1972 और उसके नियमों के सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण ने वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यातकों, मत्स्यन जलयानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, बर्फ संयंत्रों, शीतागारों और प्रहस्तन केन्द्रों आदि का पंजीकरण/विपंजीकरण एवं निरसन जारी रखा। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किए गए पंजीकरण/विपंजीकरण एवं निरसन के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान पंजीकरण, पंजीकरण समापन और निरसन

श्रेणी	01.04. 2012 को पंजीकृत	किया गया पंजीकरण	किया गया विपंजीकरण	निरसन	31.03.2013 के अनुसार पंजीकृत	क्षमता मे.ट. में
विनिर्माता निर्यातक	466	45	16	17	478	ला.न.
व्यापारी निर्यातक	488	86	68	33	473	ला.न.
मार्गस्थ व्यापारी निर्यातक	38	4	0	0	42	ला.न.
अलंकारिक मत्स्य निर्यातक	57	8	6	0	59	ला.न.
मत्स्यन जलयान	8991	894	809	66	9010	ला.न.
प्रसंस्करण संयंत्र	438	24	12	0	450	18,503.98
बर्फ संयंत्र	76	3	3	0	76	2,168.35
पीलिंग शेड	610	27	25	2	610	5,974.47
वाहन	169	2	0	0	171	1,251.36
भंडारण	527	34	17	0	544	2,05,459.00
ताजी/प्रशीतित मत्स्य प्रहस्तन केन्द्र	33	3	4	0	32	1,449.10
जीवित मत्स्य प्रहस्तन केन्द्र	32	4	2	0	34	2,165.63
साल्टेड/सूखी मत्स्य प्रहस्तन केन्द्र	62	7	6	0	63	1,036.38

ला.नः लागू नहीं

6.0 बाजार संवर्धन

6.1 बाजार सेवाएं

6.1.1 भारत से प्रशीतित श्रिम्प के निर्यातों के बारे में अमरीका द्वारा सी वी डी जांच

7 देशों अर्थात चीन, थाइलैंड, वियतनाम, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत द्वारा अमरीका को श्रम्प के निर्यातों के खिलाफ खाड़ी श्रिम्प उद्योगों के गठबंधन (सीओजीएसआई) द्वारा 28.12.2012 को श्रिम्प के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) लगाए जाने के लिए एक विधिक याचिका दायर की गई है। सीओजीएसआई का दावा है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय श्रिम्प उद्योग को प्रदत्त सब्सिडी से अमरीका को होने वाले भारतीय श्रिम्प के निर्यातों को अनुचित लाभ प्राप्त होता है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातक कम कीमतों पर अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं जिसका अमरीका के घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस बारे में अमरीकी वाणिज्य विभाग ने मेसर्स देवी सी फूड्स लि. और मे. देवी फिशरीज लि. और उसकी प्रति स्वामित्व वाली कंपनियों को अनिवार्य प्रतिवादियों के रूप में चयन कर 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की जांच अवधि के साथ 14.2.2013 को भारत सरकार के लिए प्रश्नावली जारी की है। एम्पीडा ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डी जी एफ टी, कृषि मंत्रालय, एनएफडीबी, मात्सियकी विभाग आंध्र प्रदेश सरकार, ई सी जी सी, वित्त मंत्रालय, आर बी आई एवं सी बी ई सी से अनुरोध किया था कि वे भारत सरकार की प्रश्नावली को भरने के लिए अनिवार्य प्रतिवादियों को स्वीकृत सहायता के ब्यौरे एवं प्रश्नावली में उल्लिखित संगत ब्यौरे उपलब्ध कराएं। समस्त संगठनों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नावली पर भारत सरकार का उत्तर 2 अप्रैल, 2013 को दायर कर दिया गया है। दो अनिवार्य प्रतिवादियों ने भी 2 अप्रैल, 2013 को अपने उत्तर दायर कर दिए हैं।

5.0 REGISTRATION

The Authority under the statutory provisions of the MPEDA Act, 1972 and Rules continued to register / de-register and cancel the Exporters, Fishing Vessels, Processing Plants, Ice Plants, Cold Storages, and Handling Centres, etc. during 2012-13. The details of registration / de-registration and cancellation effected as on 31.3.2013 under various categories are shown below:-

REGISTRATIONS, DE-REGISTRATIONS AND CANCELLATIONS DURING THE PERIOD FROM 01.04.2012 TO 31.03.2013

Category	Registered as on 01.04.2012	Registration done	De-Registration done	Cancellation done	Registered as on 31.03.2013	Capacity in M.T.
Manufacturer Exporter	466	45	16	17	478	NA
Merchant Exporter	488	86	68	33	473	NA
Route Thro Merchant Exporter	38	4	0	0	42	NA
Ornamental Fish Exporter	57	8	6	0	59	NA
Fishing Vessels	8991	894	809	66	9010	NA
Processing Plants	438	24	12	0	450	18503.98
Ice Plants	76	3	3	0	76	2168.35
Peeling Shed	610	27	25	2	610	5974.47
Conveyance	169	2	0	0	171	1251.36
Storages	527	34	17	0	544	205459.00
Fresh/ Chilled Fish H. Centre	33	3	4	0	32	1449.10
Live Fish Handling Centre	32	4	2	0	34	2165.63
Salted/Dried Fish H. Centre	62	7	6	0	63	1036.38

NA: Not Applicable

6.0 MARKET PROMOTION

6.1 MARKET SERVICES

6.1.1 CVD investigation by USA on Frozen Shrimp exports from India.

A legal petition for imposition of Countervailing Duty (CVD) on import of Shrimps has been filed on 28.12.2012 by Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI), against Shrimp exports to USA by seven countries viz. China, Thailand, Vietnam, Ecuador, Indonesia, Malaysia and India. COGSI claims that subsidies provided by Govt. of India to the Indian Shrimp Industry provide an unfair advantage for Indian Shrimp exports to the US, resulting in Indian exporters to sell their products at lower prices adversely affecting the domestic industry of US.

In this regard, US Department of Commerce (US DoC) has issued Questionnaire for the Government of India on 14.02.2013, with the period of investigation as 1st April 2011 to 31st March 2012 by selecting M/s. Devi Seafoods Ltd and M/s. Devi Fisheries Ltd and its cross owned companies as mandatory respondents. MPEDA had requested MoCI, DGFT, Ministry of Agriculture, NFDB, Department of Fisheries – Government of Andhra Pradesh, ECGC, Ministry of Finance, RBI & CBEC to provide the details of assistance sanctioned to the mandatory respondents & relevant details mentioned in the questionnaire for filling the Government of India Questionnaire. Based on the replies received from all the organizations, the response of Government of India to the Questionnaire has been filed on 2nd April 2013. The two mandatory respondents have also filed their responses on 2nd April 2013.

6.1.2 भारत से अमरीका को किए गए प्रशीतित श्रिम्प के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क

अमरीका को भारतीय श्रिम्प के निर्यातों पर अगस्त, 2004 से पाटनरोधी शुल्क लागू है। इसके अलावा, यु एस सीमाशुल्क द्वारा आयातकों से नकद जमा और सतत बांड लिए जा रहे थे। डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय ने यु एस सीमाशुल्क एवं सीमा संरक्षण द्वारा सतत बांड की जरूरत एवं यु एस को प्रशीतित श्रिम्प के निर्यातों के मुद्दे के बारे में भारत के पक्ष में निर्णय दिया। इसके आधार पर अमरीकी सीमाशुल्क एवं सीमा संरक्षण ने निर्णय की तारीख अर्थात 1.4.2009 से उत्तरव्यापी प्रभाव से वर्धित बांड अपेक्षा को समाप्त कर दिया है। परंतु अगस्त, 2004 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि हेतु बांड जारी नहीं किए गए थे। यह मामला अमरीकी व्यापार नीति मंच पर विचारविमर्श हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया गया था। संबंधित निर्यातकों से बकाया बांडों, संपार्श्विकों के ब्यौरे एकत्र किए गए थे। यह मामला अध्यक्ष, एम्पीडा द्वारा भी अमरीका में भारत की महामहिम राजदूत सुश्री ब्रेंडा ब्रोकमैन स्मिति, ई डी व्यापार नीति एवं कार्यक्रम तथा श्री क्रिश्चियन मार्श, डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी, वाणिज्य विभाग, वाशिंगटन के साथ मार्च, 2012 में हुई बैठक के दौरान उठाया गया था। यु एस सी बी पी ने अर्हता प्राप्त अधिक्रमणकारी बांड आवेदन को सीबीपी द्वारा स्वीकार किए जाने पर वर्धित बांड अपेक्षा (ई बी आर) के अधीन बांड के रद्दकरण का आदेश देते हुए 31.5.2012 को संघीय रजिस्टर सूचना जारी की। इन आदेशों और एन एफ आई मामले के आधार पर जिन भारतीय निर्यातकों ने ईबीआर बांड प्रस्तुत किए थे, उनमें से अधिकांश ने बांड जारी करने वाली प्रतिभूति/बीमा कंपनियों से संपार्श्विक राशि वापस प्राप्त कर ली है।

यु एस वाणिज्य विभाग ने 1.2.2010 से 31.1.2011 तक की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क के बारे मे छठी प्रशासनिक समीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित किए हैं। इस अवधि के दौरान भारत से प्रशीतित उष्ण जल श्रिम्प हेतु पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा विशिष्ट औसत दर 2.51% है। यु एस वाणिज्य विभाग ने 1.2.2011 से 31.1.2012 तक की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क के बारे मे सातवीं प्रशासनिक समीक्षा के अंतिम परिणाम भी घोषित किए हैं। सातवीं प्रशासनिक समीक्षा हेतु भारत से प्रशीतित उष्ण जल श्रिम्प के लिए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा विशिष्ट औसत दर 2.23% है।

6.1.3 यु एस एफ एस एम ए अधिनियम

यू एस एफ डी ए ने मौजूदा संघीय खाद्य औषध एवं प्रसाधन अधिनियम जिसके द्वारा (2002 का जैव आतंकवाद अधिनियम संशोधित किया गया था) में संशोधन करते हुए खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (एफ एस एम ए) तैयार किया है। इसे हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए निर्यातकों में परिचालित किया गया है। चेन्नई में 4 अक्टूबर, 2012 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एफ एस एम ए अधिनियम के ब्यौरों, पंजीकरण प्रक्रिया और पंजीकरण के प्रयोजनार्थ निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के बारे में निदेशक, भारतीय कार्यालय, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग, खाद्य एवं औषध प्रशासन, अमरीकी दूतावास द्वारा समुद्री खाद्य निर्यातक समुदाय के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था। यु एस ए को संभावित निर्यातकों ने स्वयं को एफडीए में पंजीकृत कराया है।

6.1.4 कनाडा को निर्यात हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की अपेक्षा

कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी (सीएफआईए) ने पशु स्वास्थ्य अधिनियम में संशोधनों के साथ 10 दिसंबर, 2011 को जलीय पशुओं के आयात हेतु दिशानिर्देश प्रकाशित किए। ये नए दिशानिर्देश 10 दिसंबर, 2012 से लागू हैं। यह विनियम सेफैलोपोडों को छोड़कर जीवित, शीतित और प्रशीतित मत्स्य उत्पादों, क्रिस्टेशियनों और ऐसे उत्पादों पर लागू होता है, जिन्हें उपभोग हेतु तैयार करने के लिए प्रसंस्कृत/डिब्बाबंद किया जाता है। एम्पीडा ने कनाडा को निर्यात हेतु जलजीव स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर सीएफआईए टिप्पणियों के बारे में डीएएचडीएफ को टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी थीं। एमओए द्वारा भारत के लिए विशिष्ट बातचीतशुदा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है।

6.1.5 चीनी प्राधिकरण के साथ पंजीकरण हेतु नई अपेक्षा

गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध संबंधी सामान्य प्रशासन (एक्यूएसआईक्यू) ने 'समुद्री खाद्य' को शामिल करने के लिए 'आयातित खाद्य के विदेशी विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु कार्यान्वयन सूची' को संशोधित किया है। चीन को समुद्री खाद्य का निर्यात करने के इच्छुक सभी विदेशी उपक्रमों को अब चीन के प्रमाणन एवं प्रत्यायन प्रशासन (सीएनसीए) के पास पंजीकृत होने की जरूरत होगी क्योंकि उक्त एजेंसी अब चीन को मांस एवं समुद्री खाद्य का निर्यात करने वाले सभी विदेशी उपक्रमों का

6.1.2 Antidumping duty on Frozen Shrimp exports from India to USA.

Indian Shrimp exports to USA have been subjected to Anti Dumping Duty from August 2004. Added to this, US Customs were taking cash deposits and continuous bonds from importers. The Dispute Settlement Body of WTO ruled in favour of India regarding the issue of continuous bond requirement by the US Customs and Border Protection on Frozen Shrimp exports to US. Based on this US Customs and Border Protection has done away with the enhanced Bond Requirement prospectively from the date of decision i.e. from 01.04.2009. But the Bonds for the period August 2004 to 31st March 2009 were not released. This matter was taken up with MoCI for discussion in the US Trade Policy Forum. The details of outstanding Bonds, Collaterals were collected from the concerned exporters. This matter was also raised by Chairman, MPEDA during the meeting in March 2012 with Her Excellency the Ambassador of India in USA, Ms. Brenda Brockman Smithy, ED Trade Policy and Programmes and with Mr. Christian Marsh, Dy. Asst. Secretary, Department of Commerce Building, Washington. US CBP issued Federal Register Notice dated 31.5.2012 ordering cancellation of Bond subject to enhanced bond requirements (EBR) upon CBPs acceptance of qualified superseding bond application. Based on these orders and the NFI case, majority of Indian exporters who had submitted EBR bonds have got back their collateral amount from security/insurance companies who had issued the bonds.

US Department of Commerce (DoC) has announced the final results of 6th Administrative Review on Anti-dumping Duty for the period 01.02.2010 to 31.01.2011. Review specific average rate of Anti-dumping Duty for frozen warm water Shrimp from India during this period is 2.51%. US DoC has also announced the preliminary results of 7th Administrative Review on Anti-dumping Duty for the period 01.02.2011 to 31.01.2012. Review specific average rate of Anti-dumping Duty for frozen warm water Shrimp from India for the 7th Administrative Review is 3.23%.

6.1.3 US FSMA Act

USFDA has brought in the Food Safety Modernization Act (FSMA) amending the existing Federal Food Drug and Cosmetics Act (which in turn had amended Bio-Terrorism Act of 2002). The same has been circulated among the exporters through our field offices. A meeting was conducted on 4th October 2012 at Chennai in which a presentation was given to the seafood exporting community on the details of FSMA Act, process of registration and other requirements laid down for the purpose of registration by the Director, India Office, Department of Health & Human Services, Food and Drug Administration, Embassy of the United States of America. The prospective exporters to USA have registered themselves with FDA.

6.1.4 Health Certificate requirement for export to Canada

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) brought out guidelines for import of aquatic animals on 10th December 2011 with amendments to Health of Animals Act. These new guidelines are operational from 10th December 2012. Regulation is applicable to live, chilled and frozen products of Fish, Crustaceans except Cephalopods and products which are processed, packed for ready consumption. MPEDA offered comments to DAHDF regarding the CFIA comments on the Aquatic Animal Health Certificate for export to Canada. MoA is in the process of finalizing the negotiated Health Certificate specific to India.

6.1.5 New requirement for registration with Chinese Authority

The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) has amended "Implementation Catalogue for Registration of Overseas Manufacturers of Imported Food" to include "sea food". All overseas enterprises desirous of exporting seafood to China will now need to be registered with the Certification and Accreditation Administration of China (CNCA) as the agency now register all overseas enterprises exporting meat and seafood to China. According to CNCA, The deadline for completion of registration

पंजीकरण करती है। सी एन सी ए के अनुसार, पंजीकरण पूर्ण होने की अंतिम तारीख 1 मई, 2013 है। विनिर्माता को भारत में संगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। विनिर्माता को सक्षम प्राधिकरण के प्रभावी नियंत्रण और निगरानी में होना चाहिए। विनिर्माता की स्वच्छता संबंधी स्थितियां चीन के कानूनों और विनियमों, मानकों और संहिताओं के संगत प्रावधानों को पूरा करेंगी। चीन को निर्यातित खाद्य में प्रयुक्त पशु एवं पादप कच्ची सामग्री रोग रहित क्षेत्र से आएंगी। चीन में पशु या पादप रोगों के फैलने के संभावित जोखिम वाले खाद्य का निर्यात करते समय देश का सक्षम प्राधिकारी इस बात का उल्लेख करते हुए सत्यापन दस्तावेज एवं संगत वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराएगा कि जोखिम को दूर कर दिया गया है अथवा वह नियंत्रण में है। एम्पीडा ने इस मामले को ईआईसी (सक्षम प्राधिकरण) और भारतीय दूतावास, बीजिंग के साथ उठाया है। ईआईसी ने अब यह सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय दूतावास, बीजिंग को उन प्रतिष्ठानों की सूची भेज दी है जो भारतीय सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं। परिणामतः भारतीय दूतावास, बीजिंग ने अब यह सूचित किया है कि सीएनसीए के पास पंजीकृत भारतीय समुद्री खाद्य विनिर्माताओं का सत्यापन करने के लिए 7 से 14 मई, 2013 तक भारत को एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए सीएनसीए की योजना है।

6.1.6 चीन के लिए आहार/आहार अभिवर्धकों के निर्यातक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण।

चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध संबंधी सामान्य प्रशासन (एक्यूएसआईक्यू) ने भारतीय दूतावास को यह सूचित किया है कि भारत उन देशों/क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं है, जिन्हें चीन को आहार एवं आहार अभिवर्धकों का निर्यात करने की अनुमति है। एक्यूएसआईक्यू ने आगे यह सूचित किया है कि भारत से चीन को मत्स्य खाद्य का निर्यात सर्वप्रथम चीन में आयात किए जाने वाले कृषि उत्पादों हेतु संगरोध पहुंच प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा सकता है। उक्त विनियमों का अनुपालन करने के लिए एम्पीडा, ईआईसी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं।

6.1.7 नीतिगत निविष्टियां

समुद्री खाद्य क्षेत्र में निर्यात हेतु प्रसंस्करण एवं पुनः प्रसंस्करण के लिए कच्ची सामग्री के आयात में आने वाली बाधाओं के बारे में एम्पीडा के विचार डीजीएफटी एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेजे गए थे। सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में कई बैठकें हुई थीं जिनके बाद एफएसएसएआई ने इन नमूनों की जांच हेतु कोच्चि में 4 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया हैं।

6.1.8 जल कृषि प्रचालन के लिए प्रयुक्त मशीनों और उपकरणों के आयात हेतु शुल्क छूट तथा समुद्री क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्टीकृत निविष्टियों के आयात हेतु शुल्क छूट हकदारी को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हेतु सुझाव डी जी एफ टी को भेजे गए थे।

6.1.9 शुल्क छूट का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ संघटकों के आयात हेतु विभिन्न प्रकार के समुद्री उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकारों पर एसआईओएन के निर्धारण हेतु एम्पीडा से टिप्पणियां उपलब्ध कराई गई थीं।

6.1.10 एम्पीडा ने उद्योग में व्यापार पूछताछों को परिचालित किया और सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु व्यापार तथा गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का निवारण किया।

6.1.11 बाजार सेवा स्कीमें

1) समुद्री भाड़ा सहायता स्कीम

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 77 विनिर्माता निर्यातकों को 6,57,87,403/ रुपए वितरित किए गए हैं।

2) अलंकारिक/जलजीवशाला मत्स्य/जीवित जलजीवशाला पौधों के निर्यात हेतु विकास सहायता

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अलंकारिक जलजीवशाला मत्स्य/जीवित जलजीवशाला पौधों के निर्यात हेतु विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत 7 लाभार्थियों को 10.85 लाख रुपए की सहायता वितरित की गई है।

3) समूह बीमा स्कीम

वर्ष 2012-13 के दौरान मै यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के सहयोग से 16,732 कामगारों को समुद्री खाद्य कामगार बीमा स्कीम में शामिल किया गया है और 8.37 लाख रूपए की राशि का उपयोग किया गया है।

is 1st May, 2013. The manufacturer shall be approved by relevant competent authority in India. Manufacturer should be under the effective control and surveillance of competent authority. The sanitary conditions of the manufacturer shall meet relevant provisions of the laws and regulations, standards and codes of China. The animal and plant raw materials used in the food exported to China shall come from a non-disease area. When exporting foods with possible risks of spreading animal or plant diseases to China, the competent authority of the country shall provide certification documents and relevant scientific evidence indicating that the risks have been eliminated or are under control. MPEDA have followed up the matter with EIC (the Competent Authority) and Embassy of India, Beijing on the matter. Now, it is informed by EIC that they have already forwarded the list of establishments, which are approved by Indian Competent Authority to Embassy of India, Beijing. As a result, the Embassy of India, Beijing has now informed that the CNCA plan to take a 4 member delegation to India from 7th to 14th May 2013 to undertake verification of Indian seafood manufacturers registered with CNCA.

6.1.6 Registration of exporting establishments of feed stuff/feed additives to China

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ) has informed the Embassy of India that India is not in the list of countries/ regions allowed to export feedstuff and feedstuff additives to China. AQSIQ has further informed that fish meal can be exported from India to China in accordance with Quarantine Access Procedures for Agricultural Products to be imported to China for the first time. MPEDA, EIC and Ministry of Commerce and Industry are taking required steps to comply with the above said regulations.

6.1.7 Policy Inputs

MPEDA's views regarding constraints in importing raw materials for processing and re-processing for export in the seafood sector were forwarded to D.G.F.T and MoCI. Several meetings were conducted under the chairmanship of Secretary, MoFPI following which FSSAI has notified four additional laboratories at Kochi for testing of these samples.

6.1.8 Suggestions for Sectoral Review Meeting forwarded to DGFT for Duty exemption for import of machinery and equipments used for aquaculture operation, and increase duty free entitlement from 1% to 2% for import of specialized inputs used in marine sector.

6.1.9 Comments were provided from MPEDA for fixing of SION against Advance Authorizations for different types of marine products for import of ingredients for the purpose of availing duty exemption.

6.1.10 MPEDA circulated the trade enquiries in the industry and addressed trade & quality complaints for amicable settlement.

6.1.11 Market Service Schemes

1) Sea Freight Assistance Scheme

During the financial year 2012–13, ` 6,57,87,403/- has been disbursed to 77 manufacturer exporters.

2) Development assistance for export of ornamental/aquarium fish/live aquarium plants.

During the financial year 2012-13 an assistance of ` 10.85 lakh has been disbursed to 7 beneficiaries under the development assistance scheme for exports of ornamental aquarium fish/live aquarium plants.

3) Group Insurance Scheme

During the year 2012–13, 16,732 workers have been covered under the seafood workers insurance scheme in association with M/s. United India Insurance Company Ltd. and utilized an amount of ` 8.37 lakh.

प्रसंस्करण कार्यों में लगी हुई महिला कामगार

6.2 प्रचार एवं बाजार संवर्धन

6.2.1 विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेलाओं में भागीदारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुमोदन से एम्पीडा ने वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित 8 अंतर्राष्ट्रीय मेलाओं में भागीदारी की:

1) यूरोपियन समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, ब्रसेल्स, 24-26, अप्रैल, 2012
2) टोक्यो, जापान में आयोजित 14 वां जापान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य व प्रौद्योगिकी एक्सपो, 18-20 जुलाई, 2012
3) एशियन समुद्री खाद्य एक्सपो, हांगकांग, 11-13 सितंबर, 2012
4) सियाल मेला, पेरिस, 21-25 अक्तूबर, 2012
5) चीन मत्स्य एवं समुद्री खाद्य एक्सपो, क्विंगडाओ, चीन, 6-8 नवंबर, 2012
6) बुसान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो, बुसान, 15-17 नवंबर, 2012
7) मध्य पूर्व एवं अफ्रीका समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, दुबई, 19-21 नवंबर, 2012
8) अंतर्राष्ट्रीय बोस्टन समुद्री खाद्य शो, बोस्टन, 10-12 मार्च, 2013

इन मेलाओं में हमारी प्रभावी भागीदारी के जरिए एम्पीडा भारत के प्रमुख मत्स्यन संसाधनों, संभावित विश्व स्तरीय प्रसंस्करण सुविधाओं और कुल मिलाकर प्रसंस्कृत और भारत से निर्यात किए जा रहे विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन कर सका। एम्पीडा स्टॉल में प्रदर्शित मूल्यवर्धित उत्पादों से भारतीय उत्पादों की मांग का सृजन हुआ है।

- दिनांक 24-26 अप्रैल, 2012 के दौरान यूरोपीय समुद्री खाद्य एक्सपो, 2012 में इस वर्ष की भागीदारी सबसे बड़ी रही थी जिसमें कुल 448 वर्ग मीटर के दो पेवेलियन थे। ईएसई 2012 में भारतीय पेवेलियन में 24 सहप्रदर्शक थे। एम्पीडा ने बेल्जियम, यूरोपीय आयोग में समुद्री खाद्य के प्रमुख आयातकों और राजनयिकों और नीति निर्माताओं के लिए ईएसई-भारत आयोजन, एक क्रेताविक्रेता बैठक एवं लंचीय कार्यक्रम की मेजबानी भी की। अध्यक्ष, एम्पीडा ने भारतीय समुद्री परिदृश्य, एम्पीडा और गुणवत्तायुक्त निर्यातों को सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय बोस्टन समुद्री खाद्य शो, बोस्टन, 2013 में एम्पीडा की भागीदारी का आयोजन अध्यक्ष, निदेशक (विपणन), श्री अविनाश पी जोशी, निदेशक, ईपी (एम पी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपनिदेशक, (पी एंड एम पी) द्वारा किया गया था। बोस्टन शो के आयोजन संबंधी कार्य का समन्वय टीपीओ, न्यूयोर्क, आवासी निदेशक के जरिए किया गया था। स्टेंड 1453 में 1000 वर्ग फीट की भारतीय पेवेलियन में 5 सहप्रदर्शक थे और उन्होंने प्रशीतित श्रिम्प मदों और मूल्यवर्धित

Women workers involved in the processing works

6.2 PUBLICITY & MARKET PROMOTION

6.2.1 Participation of International fairs abroad

With the approval of MoCI, MPEDA participated in the following 8 international fairs during 2012-13:

1) European Seafood Exposition, Brussels, 24-26, April 2012
2) 14th Japan International Seafood & Technology Expo held at Tokyo, Japan, 18-20 July 2012
3) Asian Seafood Exposition, Hong Kong 11-13, September 2012
4) Sial Fair, Paris, 21-25, October 2012
5) China Fisheries & Seafood Expo, Qingdao, China, 6-8, November 2012
6) Busan International Seafood Show, Busan 15-17, November 2012
7) The Middle East & Africa Seafood Exhibition, Dubai, 19-21, November 2012
8) International Boston Seafood Show, Boston 10-12, March 2013

Through effective participation in these fairs, MPEDA could display India's immense fishery resource, potential world class processing facilities and above all a wide range of products being processed and exported from India. Value added products displayed in MPEDA stall generated demand for Indian products.

- The year's participation in European Seafood Exposition 2012 held during 24-26, April 2012 was the largest having two pavilions of total 448 sq.m. There were 24 co-exhibitors in the India Pavilion at ESE 2012. MPEDA also hosted ESE-India event, a buyer-seller meet cum luncheon programme for major importers of Indian seafood and Diplomats/Policy Makers in Belgium, European Commission. Chairman, MPEDA made a presentation on the Indian seafood scenario, MPEDA and its role in ensuring quality exports.
- MPEDA's participation in the International Boston Seafood Show, Boston 2013 was organized by Chairman, Director (Marketing), Shri Avinash P. Joshi, Director EP(MP), MoCI, and Deputy Director (P&MP). Organisational work of the Boston Show was coordinated through TPO New York, by the Resident Director. 1000 sq.ft. India Pavilion in Stand 1453 had 5 co-exhibitors, and displayed various

समुद्री खाद्य उत्पादों की महत्ता के साथ विभिन्न समुद्री उत्पादों का प्रदर्शन किया था। एम्पीडा की स्टॉल में शीतित फिनफिश और शैलफिश का पहली बार प्रदर्शन किया गया था। पाक कला का प्रदर्शन किया गया था।

एम्पीडा ने 11 मार्च, 2013 को एक भारतीय शो का आयोजन किया जिसमें अध्यक्ष द्वारा भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण परिदृश्य पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था। आमंत्रित अतिथियों ने समारोह की शोभा बढ़ाई थी जिनमें आयातक, निर्यातक, एफडीए, सुपर मार्किट श्रृंखला आदि के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

उपरोक्त मेला के अलावा निर्यातकों द्वारा निम्नलिखित व्यापार मेलाओं में टेबल स्थान सुविधा प्राप्त की गई थी:

1) एशियन समुद्री खाद्य एक्सपो, हांगकांग

2) चीन मत्स्य एवं समुद्री खाद्य एक्सपो, क्विंगडाओ

3) मध्य पूर्व एवं अफ्रीका समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, दुबई,

निर्यातकों ने प्रत्यक्ष व्यापार सौदे और पूछताछें भी की थीं।

अंतर्राष्ट्रीय बोस्टन समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2013 के एम पी ई डी ए पविलियन में श्रीमती मोनिका बत्रा, आवासी निदेशक, सुश्री लीना नायर, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए और श्री अविनाश पी. जोषी, निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ चर्चा करते हुए डॉ मोहम्मद आयूब, निदेशक, इन्फोफिश (बाएं से दाएं)

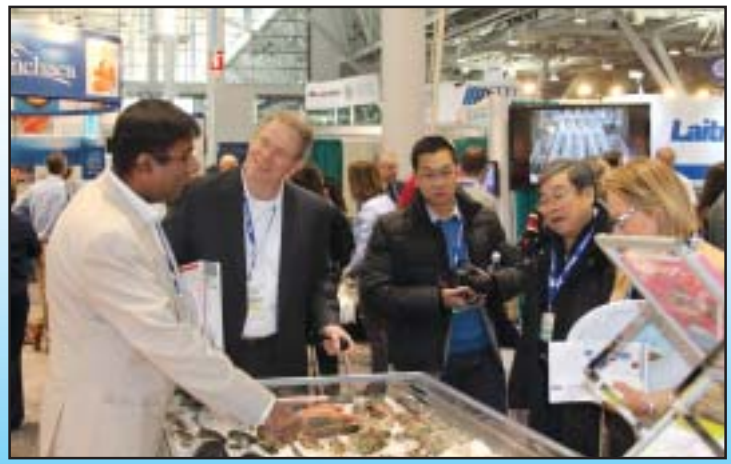

अंतर्राष्ट्रीय बोस्टन समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2013 में संदर्शकों के साथ बातचीत करते हुए श्री एन. रमेश, आई टी एस, निदेशक (विपणन)

marine products with prominence to frozen Shrimp items and value added seafood products. Chilled finfish and shellfish were displayed for the first time in the MPEDA stall along with cooking demonstration.

MPEDA organised an India Show on 11th March 2013 which had a presentation by Chairman on the Indian seafood production and processing scenario. Invited guests comprising importers, exporters, senior officials of FDA, supermarket chains etc graced the gathering.

Apart from the above fair, table space facility was availed by the exporters in the following international fairs:-

1) Asian Seafood Exposition, Hong Kong
2) China Fisheries & Seafood Expo, Qingdao
3) The Middle East & Africa Seafood Exhibition, Dubai.

Exporters also had direct business dealings and enquiries.

Dr. Mohammed Ayub, Director INFOFISH in discussion with Mrs. Monika Batra, Resident Director, Ms. Leena Nair, Chairman MPEDA and Shri Avinash P. Joshi, Director MoCI in MPEDA Pavilion at International Boston Seafood Show 2013 (L - R)

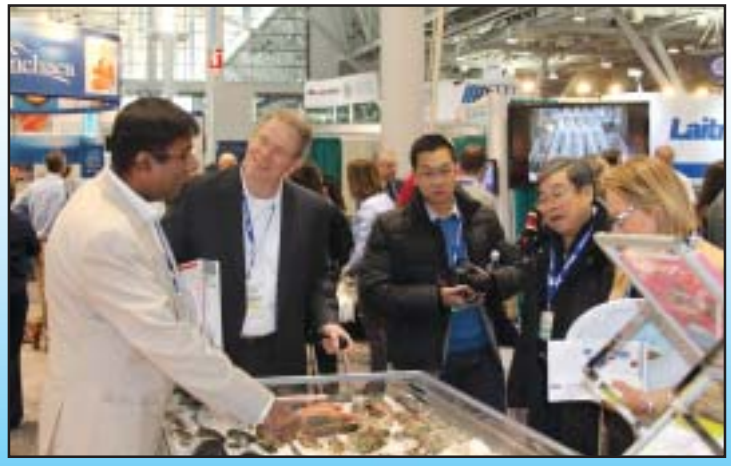

Shri N. Ramesh, ITS, Director (Marketing) interact with visitors at International Boston Seafood Show 2013

अध्यक्ष, एम पी ई डी ए चीन फिशरीस एवं अक्वाकल्चर एक्स्पो, डेलियन में संदर्शकों के साथ

चीन फिशरीस एवं अक्वाकल्चर एक्स्पो, डेलियन में एम पी ई डी ए पविलियन का एक दृश्य

चीन फिशरीस एवं अक्वाकल्चर एक्स्पो, डेलियन में एम पी ई डी ए स्टैन्ड में प्रदर्शित शीतित मत्स्य

Chairman, MPEDA attends the visitors in China Fisheries and Aquaculture Expo, Dalian

A view of MPEDA Pavilion in China Fisheries and Aquaculture Expo, Dalian

Chilled fish displayed in MPEDA Stand at China Fisheries and Aquaculture Expo, Dalian

एशियन सीफुड एक्स्पोसिशन 2012, होंगकोंग में एम पी ई डी ए स्टॉल में संदर्शकों का स्वागत करते हुए श्री राजकण्णु, डेस्क अधिकारी नि.सं (वि.सं), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री पी. अनिल कुमार, उप निदेशक एवं श्री पी.वी. बेबी, सहायक निदेशक (दाएं से बाएं)

सीफेक्स, दुबई में एम पी ई डी ए की भागीदारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित मेलाओं में भागीदारी को भी अनुमोदित किया है और एम्पीडा भागीदारी व्यवस्थाएं कर रहा है।

1) यूरोपीय समुद्री खाद्य एक्सपो, ब्रसेल्स, 23-25 अप्रैल, 2013
2) अक्वारामा, सिंगापुर, 30 मई - 3 जून, 2013

6.2.2 घरेलू मेलाओं में भागीदारी

मात्स्यिकी, जल कृषि और अलंकारिक मत्स्य क्षेत्रों की व्यापक संभावना का प्रचारप्रसार करने एवं इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों को रेखांकित करने के लिए एम्पीडा ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित 11 घरेलू मेलाओं में भागीदारी की।

1) चेन्नई में आहार 2012, 23-25 मई, 2012
2) फाइन फूड इंडिया, नई दिल्ली, 17-19 सितंबर, 2012
3) हैदराबाद में भारतीय शीत श्रृंखला सम्मेलन, 2012, 22-23 नवंबर, 2012
4) कोच्चि में स्वाश्रय भारत, 2012, 30 नवंबर - 5 दिसंबर, 2012
5) भारतीय जैव विविधता कांग्रेस, 8-11 दिसंबर, 2012, बंगलौर

(R to L) Shri R. Rajakannu, Desk Officer - EP (MP), MoCI, Shri P. Anil Kumar, Deputy Director and Shri P.V. Baby Assistant Director receive visitors at MPEDA Stall in Asian Seafood Exposition - 2012, Hong Kong

MPEDA Participation in SEAFEX, Dubai

MoCI have also approved participation in the following fairs and MPEDA is making arrangements for the participation.

1) European Seafood Exposition, Brussels 23-25, April 2013

2) Aquarama, Singapore May 30 - June 3, 2013

6.2.2 Participation of domestic fairs

In order to disseminate the vast potential of the fisheries, aquaculture and ornamental fish sectors and to highlight investment opportunities in this field, MPEDA participated in the following 11 domestic fairs during this period.

1) Aahar 2012, 23-25 August 2012 at Chennai

2) Fine Food India, New Delhi 17-19, September 2012

3) India Cold Chain Summit 2012 at Hyderabad 22-23, November 2012

4) Swasraya Bharat 2012 at Kochi 30th November - 5th December 2012

5) Indian Biodiversity Congress, 8 – 11, December 2012 at Bangalore

6) भारत-आसियान व्यापार मेला 18-20 दिसंबर, 2012, नई दिल्ली

7) कृषक मेला 26 दिसंबर, 2012-5 जनवरी, 2013, तोडुपुझा

8) सुन्दरवन क्रिस्ती मेला ओ-लोको संस्कृति उत्सव 20-29 दिसंबर, 2012, पश्चिम बंगाल

9) कोलकाता में 100 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 3-7 जनवरी, 2013

10) बास्को, गोरेगांव में 4 से 7 जनवरी, 2013 तक वैश्विक कोंकण महोत्सव, 2013

इसके अलावा, एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा 27-28 फरवरी, 2013 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन एवं नेट कार्य 2013 एवं पश्चिम बंगाल में सुदरवन क्रिस्ती मेला ओ-लोको संस्कृति उत्सव 20-29 दिसंबर, 2012 हेतु प्रायोजकता प्रदान की गई थी।

6.2.3 इन्फोफिश बैठकें

- अध्यक्ष, एपीडा ने 3-5 जुलाई, 2012 के दौरान क्वालालंपुर, मलेशिया में आयोजित इन्फोफिश तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
- संयुक्त सचिव-ईपी (एमपी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 27-30 नवंबर, 2012 के दौरान मनीला, फिलीपींस में आयोजित इन्फोफिश शासी परिषद की बैठक में भाग लिया।

6.2.4 प्रेस सम्मेलन

कोच्चि में 10 सितंबर, 2012 को "वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए समुद्री उत्पादों की निर्यात सांख्यिकी" की सरकारी घोषणा करने के लिए अध्यक्ष के प्रेस सम्मेलन हेतु व्यवस्थाओं का समन्वय किया।

6.2.5 प्रतिनिधि मंडलों का संदर्शन

1) अध्यक्ष, एम्पीडा को 14 से 18 जनवरी, 2013 तक यु एस ए को श्रिम्प के भारतीय निर्यातों के बारे में सीवीडी जांच के संबंध में विचारविमर्श में भाग लेने के लिए वाशिंगटन डीसी, यु एस ए में प्रतिनियुक्त किया गया।

2) एक्वा एक्वेरिया इंडिया, 2013 के दौरान अलंकारिक मत्स्य एवं जल कृषि पर आयोजित तकनीकी सत्रों के लिए भारत और विदेश के तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।

3) विजयवाड़ा में एक्वा एक्वेरिया इंडिया, 2013 के दौरान अलंकारिक मत्स्य हेतु एक क्रेता विक्रेता बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें 3 विदेशी और 13 राष्ट्रीय क्रेताओं ने भाग लिया।

4) दिनांक 2-6 सितंबर, 2012 के दौरान एथॉक्सीक्विन के कारण समुद्री खाद्य अस्वीकार किए जाने के बारे में जापानी प्राधिकारियों के साथ विचारविमर्श करने के लिए उप निदेशक (पी एंड एम पी) को जापान में प्रतिनियुक्त किया गया।

टोकियो, जापान में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा का स्वागत करते हुए डॉ राम मोहन एम.के., आवासी निदेशक, एम पी ई डी ए, टोकियो

6) India-ASEAN Business Fair - 18-20, December 2012 at New Delhi

7) Karshika Mela - 26 December 2012 – 5th January 2013, at Thodupuzha

8) Sunderban Kristi Mela-O-Loko Sanskriti Utsab – 20–29, December 2012 at West Bengal.

9) 100th Indian Science Congress at Kolkata, 3-7, January 2013

10) Global Konkan Festival 2013 at BASCO, Goregaon from 4th to 7th January 2013.

Besides, Sponsorship was offered for the International Conference on Telecommunications & NET work 2013 held during 27-28, February 2013 organized by Amity University, Uttar Pradesh and Sunderban Kristi Mela-O-Loko Sanskriti Utsab – 20–29, December 2012 at West Bengal.

6.2.3 INFOFISH meetings

- Chairman, MPEDA attended the INFOFISH Technical Advisory Board meeting held at Kuala Lumpur, Malaysia, during 3-5 July 2012.
- Joint Secretary-EP (MP), MoCI attended the INFOFISH Governing Council meeting held at Manila, Philippines during 27-30 November 2012.

6.2.4 Press Conference

Coordinated the arrangements for the Chairman's Press Conference to declare official "Export Statistics of Marine Products for the period 2011-12" at Kochi on 10th September 2012.

6.2.5 Delegation visit.

1) Chairman, MPEDA was deputed to Washington DC, USA for participation in the discussions relating to CVD Investigation on Indian Export of Shrimps to USA from 14th to 18th January 2013.

2) Technical experts from India and abroad were invited for the technical sessions on ornamental fisheries and aquaculture conducted during Aqua Aquaria India 2013.

3) A buyer seller meet was also arranged for ornamental fishes in which 3 overseas and 13 national buyers participated during the Aqua Aquaria India 2013 at Vijayawada.

4) Deputy Director (P&MP) was deputed to Japan for holding discussions with Japanese authorities regarding the rejection of seafood due to Ethoxyquin during 2 – 6, September 2012

Dr. Ram Mohan M. K., Resident Director, MPEDA Tokyo receives Mr. Anand Sharma, Hon'ble Minister of Commerce & Industry at Tokyo, Japan

6.2.6 छात्रों के दौरे

- वर्ष 2013 के दौरान 22 शैक्षिक एवं मात्स्यिकी संस्थानों के विद्यार्थियों ने एम्पीडा का संदर्शन किया। उन्हें एम्पीडा के कार्यकलापों के बारे में संक्षेप में बताया गया।
- इसके अलावा, एम्पीडा का संदर्शन करने वाले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के आई ए एस अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के एक बैच को एम्पीडा के कार्यकलापों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई।
- मैट्रो कनाडा के एक निर्यातक और आपूर्तिकर्ता श्री क्लाउड लरोसे, निदेशक, प्राकृतिक मत्स्य एवं समुद्री खाद्य प्रापण ने ओटावा में 13-14 मार्च, 2012 के दौरान आयोजित ब्रांड इंडिया एक्सपो में एम्पीडा पेवेलियन के उनके दौरे के आधार पर मई, 2012 के दौरान भारत का दौरा किया। अलगअलग स्टालों और प्रसंस्करण इकाइयों में उनके संदर्शन की मदद की गई।

6.2.7 प्रकाशनों का मुद्रण

वर्ष के दौरान निम्नलिखित मुफ्त और समूल्य प्रकाशनों के संशोधित संस्करण प्रकाशित किए गए थे:

- डिजिटल निर्यातक निर्देशिका, 2012
- यूरोपीय समुद्री खाद्य एक्सपो एवं चीनी मात्स्यिकी तथा समुद्री खाद्य एक्सपो, 2012 के लिए सहप्रदर्शक मार्गदर्शिका।
- ईएसई, 2012 के लिए पेवेलियन संदर्भ लेआउट
- भारत-अवसरों का महासागर स्नैपशोट
- चिरस्थायिता के साथ निर्यात-पुस्तिका
- ओ एफ डी स्कीम पुस्तिका
- अलंकारिक मत्स्य चार्ट
- भारतीय समुद्री खाद्य उत्पाद सूची
- भारत की वाणिज्यिक फिनफिश एवं शैलफिश
- अलंकारिक मत्स्य विकास स्कीमों पर एम्पीडा पुस्तिका का हिंदी रूपांतर
- नव वर्ष बधाई पत्र, 2013
- एम्पीडा प्लानर, 2013
- अक्वा अक्वेरिया इंडिया, 2013 की मुद्रित मेला सूची एवं स्मारिका
- जीवंत रत्न-मीठा जल अलंकारिक मत्स्य पर एक हस्त पुस्तिका
- कीचड़ केकड़ा का प्रजनन, बीजोत्पादन एवं कृषि
- कोबिया का हैचरी बीजोत्पादन एवं कृषि-पहल
- भारत में पालित श्रिम्प एवं झींगों के रोग
- खारा जलकृषि में रोग

इसके अलावा, प्रकाशित अन्य संवर्धनात्मक साधनों में शामिल हैं:

- विभिन्न घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय मेलों की पृष्ठपट (बैकड्रौप्स)
- कैरी बैग्स, बुने न गए फैबलोन बैग्स
- एम्पीडा चिन्ह और गुणवत्ता लोगो वाले पेपर कैरी बैग्स
- विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विज्ञापन हेतु डिजाइनें

6.2.6 Visit of students

- Students from 22 Educational/Fisheries Institutions visited MPEDA during 2013. They were briefed on the activities of MPEDA.
- Besides, one batch of IAS officer trainees from the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration who visited MPEDA was briefed on MPEDA activities.
- Mr. Claude Larose, Director, Procurement Nature Fish & Seafood an exporter and supplier for Metro Canada, visited India during May 2012 based on his visit to MPEDA pavilion at Brand India Expo at Ottawa held during 13-14, March 2012. Assisted him on his visits to different stalls and processing units.

6.2.7 Printing of publications

The revised editions of the following free and priced publications were brought out during the year:-

- Digital Exporters Directory 2012
- Co-exhibitors Guide for European Seafood Exposition and China Fisheries and Seafood Expo 2012.
- Pavilion reference layout for ESE 2012
- India – An ocean of opportunities – snapshot
- Export with sustainability – brochure
- OFD Scheme brochure
- Ornamental Fish Chart
- Indian Seafood Product Catalogue
- Commercial fin fishes and Shell fishes of India
- Hindi version of MPEDA brochure on Ornamental Fish Development Schemes
- New Year Greeting Cards 2013
- MPEDA Planner 2013
- Printed Fair Catalogue & Souvenir of Aqua Aquaria India 2013
- Living Jewels - A hand book on freshwater ornamental fish
- Breeding, Seed production & farming of Mud Crab
- Hatchery Seed Production and Farming of Cobia-initiative
- Diseases of cultured Shrimp and prawns in India
- Disease in Brackish water aquaculture

Besides, other promotional aids brought out include: -

- Backdrops for various Domestic / International fairs
- Carry bags, Non woven fablon bags
- Paper Carry bags with MPEDA emblem and Quality Logo.
- Designs for advertisement in various national and international journals.

6.2.8 विज्ञापन जारी करना

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रमुख मात्स्यिकी पत्रिकाओं, जर्नलों आदि में 55 बाह्य विज्ञापन और 121 आंतरिक विज्ञापन जारी किए गए थे।

6.2.9 प्रकाशन एवं एम्पीडा समाचार पत्रिका की बिक्री

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रकाशनों की बिक्री से 1,30,015 रूपए की राशि एकत्र की गई थी।

एम्पीडा समाचार पत्रिका के 12 अंक प्रकाशित किए गए।

6.2.10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता

- इन्फोफिश को वार्षिक सदस्य देश का अंशदान
- ऑर्नामेंटल फिश इंटरनेशनल नेतरलैन्ड की सदस्यता का नवीकरण

6.2.11 अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013

एम्पीडा द्वारा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश स्थित आंध्रा लोयोला कॉलेज परिसर में 8-10 फरवरी, 2013 के दौरान अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय आयोजन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जल कृषि एवं अलंकारिक मत्स्य पालन विशेषज्ञों द्वारा आयोजित तकनीकी सत्र, सरकारी विभागों, सहकारी समितियों एवं एसोसिएशनों के अलावा विभिन्न पणधारियों तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी शामिल थी। इस आयोजन का उद्घाटन डा. दग्गूबती पुरन्देश्वरी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा 8.2.2013 को किया गया था। इसमें 154 प्रदर्शक स्टॉल लगाए गए थे। इस आयोजन में लगभग 5,000 प्रतिनिधियों और 4800 आगंतुकों ने भाग लिया था।

तकनीकी सत्रः

अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 के दौरान अलंकारिक मत्स्य कृषकों/प्रजनकों एवं निर्यातकों के लाभार्थ एम्पीडा ने तकनीकी सत्रों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में चार सत्र आयोजित किए गए थे। ये थेः अलंकारिक मत्स्य का निर्यात-बाजार प्रवृतियां व चिरस्थायिता, अलंकारिक मत्स्य व्यापार में / विपणन कार्यनीतियों की भूमिका, समुद्री अलंकारिक मत्स्य कृषि की संभावना, मीठा जल अलंकारिक मत्स्य पालन में विकास, अलंकारिक मत्स्य व्यापार में प्रौद्योगिकीय उन्नति। इन सत्रों का संचालन वक्ताओं, नामतः नॉर्वे के श्री स्वायन फोसा, श्रीलंका के श्री कपिल तिसेरा, कुसाट, कोच्चि के डा. ए. रामचन्द्रन, पुर्तगाल के डॉ. रिकॉर्डो कलेडो, अन्नामलई विश्वविद्यालय, मदुरई के डा. टी.टी. अजीत कुमार, आस्ट्रेलिया के श्री ब्रायन एन्ड्रूस, जर्मनी के श्री हैंस जार्ज ईवर्स, सिंगापुर के श्री एन्ड्रू सोह और ज़ाम्बिया की सुश्री नेली स्तोयानोवा द्वारा किया गया था।

सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए अक्वा अक्वेरिया 2013 विजयवाडा में स्वागत भाषण देती हैं

6.2.8 Release of advertisement

During the period under report, 55 External advertisements and 121 Internal advertisements were released in leading fisheries magazines, journals, etc.

6.2.9 Sale of publication & MPEDA Newsletter

An amount of ` 1,30,015/- was collected by sale of publications during the year under report.

Brought out 12 issues of MPEDA News letter.

6.2.10 Membership in international organizations

- ❖ Annual Membership country contribution to INFOFISH.
- ❖ Renewal of membership of Ornamental Fish International, Netherland.

6.2.11 Aqua Aquaria India 2013

The second edition of AQUA AQUARIA INDIA 2013 was organized by MPEDA from 8 – 10, February 2013 in the Andhra Loyola College Campus in Vijayawada, Andhra Pradesh. The 3-day event comprised technical sessions conducted by national and international experts on aquaculture and ornamental fish culture, exhibition by various stake holders and suppliers, besides government departments, cooperatives and associations. The event was inaugurated by Dr. Daggubati Purandeswari, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry on 8.2.2013. There were 154 exhibitor stalls. Around 5000 delegates and 4800 visitors attended the event.

Technical session:

During Aqua Aquaria India - 2013, MPEDA organized technical sessions for the benefit of the farmers/ breeders and exporters of Ornamental fish. There were 4 sessions in the programme. They were: Ornamental Fish Export- Market Trends & Sustainability/ Role of Marketing Strategies in Ornamental Fish Trade, Prospects of Marine Ornamental Fish Farming; Advances in Freshwater Ornamental Fish Culture & Technological Advances in Ornamental Fish Trade. The sessions were handled by speakers viz. Mr. Svein Fossa from Norway, Mr. Kapila Tissera from Sri Lanka, Dr. A. Ramachandran of CUSAT, Kochi, Dr. Ricardo Calado from Portugal, Dr. T.T. Ajith Kumar of Annamalai University, Madurai, Mr. Brian Andrews from Australia, Mr. Hans-Georg Evers from Germany, Mr. Andrew Soh from Singapore and Ms. Neli Stoyanova from Zambia.

Ms. Leena Nair, IAS, Chairman MPEDA delivering the Welcome address at Aqua Aquaria 2013, Vijayawada

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री डॉ. डी. पुरन्देश्वरी विजयवाडा के अक्वा अक्वेरिया 2013 का उद्घाटन करती हैं

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री डॉ. डी. पुरन्देश्वरी अक्वा अक्वेरिया 2013 में उद्घाटन भाषण देती हैं

अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 के उद्घाटन सत्र की सभा

Dr. D. Purandeswari, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry inaugurating the Aqua Aquaria 2013 at Vijayawada

Inaugural address by Dr. D. Purandeswari, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry at Aqua Aquaria 2013

Audience in the inaugural session of Aqua Aquaria India 2013

क्रेता-विक्रेता बैठकें:

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रेताओं के लिए अलग से क्रेताविक्रेता बैठक आयोजित की गई थीं जिनमें क्रमशः 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं और 6 भारतीय क्रेताओं ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं में शामिल थे मे. एस वी एक्वेरियम एलएलसी, दुबई; मे. एक्वेरियम लाइव्ज़ सेंटर एलएलसी, अबूधाबी और मे. एमएई एक्वेटिक्स पीटीई लि., सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय क्रेताविक्रेता बैठक में 19 भारतीय विक्रेताओं ने भाग लिया था।

घरेलू क्रेता थे मे. ओशियन इंटरप्राइज़ेज़, मध्यप्रदेश.; मे. ट्राइडेंट इंटरनेशनल, मुंबई; मे. अर्पिता इन्फ्राकोन प्रा. लि., सिंकन्दराबाद; मे. उटेकर फिशरीज, मुंबई; मे. गगन एक्वेरियस, हिमाचल प्रदेश; मे. ब्लू गोल्डफिश फार्म, हिमाचल प्रदेश और मे. जे. के. एक्वेटिक जोन, कर्नाटक। इस क्रेताविक्रेता बैठक में कुल मिलाकर अलंकारिक मत्स्य के 13 घरेलू विक्रेताओं ने भाग लिया था।

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री डॉ. डी. पुरन्देश्वरी अक्वा अक्वेरिया 2013 के प्रदर्शनी स्टॉलों का उद्घाटन करती हैं

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री डॉ. डी. पुरन्देश्वरी अक्वा अक्वेरिया 2013 आर जी सी ए पविलियन में बातचीत करती हैं

Buyer- Seller meets:

There were separate buyer-seller meet for international and domestic buyers and were attended by 3 international buyers and 6 Indian buyers respectively. International buyers include M/s. S. V. Aquarium LLC, Dubai; M/s. Aquarium Lives Centre LLC, Abu Dhabi and M/s MAE Aquatics Pte. Ltd., Singapore. The international buyer-seller meet was attended by 19 Indian sellers.

The domestic buyers were M/s. Ocean Enterprises, Madhya Pradesh; M/s. Trident International, Mumbai; M/s. Arpitha Infracon Pvt. Ltd, Secunderabad; M/s. Utekar Fisheries, Mumbai; M/s. Gagan Aquarias, Himachal Pradesh; M/s. Blue Gold Fish Farm, Himachal Pradesh and M/s. J. K. Aquatic Zone, Karnataka. Altogether 13 domestic sellers of Ornamental Fish participated in this buyer-seller meet.

Dr. D. Purandeswari, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry inaugurating the Exhibition Stalls - Aqua Aquaria 2013

Dr. D. Purandeswari, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry interacting at RGCA Pavilion in Aqua Aquaria 2013

माननीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री डॉ. डी. पुरन्देश्वरी आर जी सी ए थीम पविलियन में

अक्वा अक्वेरिया 2013 के आर जी सी ए पविलियन में संदर्शकों का एक दृश्य

पुरस्कार विजेताओं की सूची - ए ए आई 2013

क्र.सं.	पुरस्कार विजेताओं का नाम	पुरस्कार
1	सुश्री कल्पना बेन एन. टंडेल, कोसाम्बा, वल्साड जिला, गुजरात	सर्वोत्तम टाइगर श्रिम्प कृषक
2	श्री गडिराजू रामाकृष्णम राजू, केसनाकरुपालम, पोलावरम मंडल, पूर्व गोदावरी जिला, आंध्रा प्रदेश	दूसरा सर्वोत्तम टाइगर श्रिम्प कृषक
3	मे. आशादीप एक्वाकल्चर प्रा. लि., बालासोर के श्री संदीप चक्रवर्ती	सर्वोत्तम एल. वन्नमई कृषक
4	श्री शांतिलाल आई. पटेल, जहांगीरपुरा, सूरत, गुजरात	द्वितीय सर्वोत्तम एल वन्नमई कृषक
5	मे. ऑनवे इंड. लि., नवसारी, जिला, गुजरात के श्री साजीचाको	सर्वोत्तम एल. वेन्नामाई कॉर्पोरेट कृषक
6	श्री चेल्लप्पा, अध्यक्ष मे. लगून एक्वा फामर्स वेलफेयर सोसायटी, जम्बूवनोदय, तिरूवारूर जिला, तमिलनाडु	सर्वोत्तम श्रिम्प कृषि सोसायटी
7	मे. सरावती सिगडी कृषिकारा संघ, हल्दीपुर, हेनोवर, कर्नाटक	द्वितीय सर्वोत्तम श्रिम्प कृषि सोसायटी
8	कत्तूर गांव, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु के श्री जे. सिवगनानम	सर्वोत्तम स्कैम्पी कृषक
9	श्री सी.के. सुधाकरन, पुल्लुट, त्रिशूर जिला, केरल	सर्वोत्तम कीचड़ केकड़ा कृषक (प्रोत्साहन)
10	वेदारण्यम, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु के श्री जे. सेंथिल कुमार	सर्वोत्तम खारा जल फिनफिश कृषक (प्रोत्साहन)
11	अनापुष़ा, केरल के श्री वी.एफ. बर्नबास	द्वितीय सर्वोत्तम खारा जल फिनफिश कृषक (प्रोत्साहन)
12	मे. सोना श्रिम्प हैचरीज, चेत्तिनानगर, टिंडीवनम तालुक, तमिनाडु के श्री सी. वेंकटरामन	सर्वोत्तम टाइगर श्रिम्प उत्पित्तशाला
13	मै. अल्फा हैचरीज, कोरातुरू नेल्लूर जिला, आंध्रप्रदेश के श्री सुधाकर	सर्वोत्तम एल.वेन्नामाई उत्पित्तशाला

Dr. D. Purandeswari, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry in RGCA Theme Pavilion

A view of visitors at RGCA Pavilion in Aqua Aquaria 2013

List of Awardees - AAI 2013

Sl. No.	Name of the Awardees	Award
1	Ms. Kalpanaben N. Tandel, Kosamba, Valsad Dist., Gujarat	Best Tiger Shrimp Farmer
2	Shri Gadiraju Rama krishnam Raju, Kesanakurupalem, 1-Polavram Mandal, East Godavari Dist., Andra Pradesh	Second Best Tiger Shrimp Farmer
3	Shri Sandip Chakraborty of M/s. Ashadeep Aquaculture Pvt Ltd, Balasore.	Best *L. vannamei* Farmer
4	Shri Shantilal Patel, Jahangir pura, Surat, Gujarat	Second Best L. vannamei Farmer
5	Shri Saji Chacko of M/s. Onaway Industries Ltd, Navsari Dist of Gujarat.	Best *L. vannamei* Corporate Farmer
6	Shri Chellappa, President of M/s. Lagoon Aqua Farmers Welfare Society, Jambuvanodai, Tiruvarur District, Tamil Nadu	Best Shrimp Farming Society
7	Shri K.S. Gowda of M/s. Sharavati Sigadi Krashikara Sanga, Haldipur, Honavar, Karnataka	Second Best Shrimp Farming Society
8	Shri J. Sivagnanam of Kattur Village, Thiruvallur Dt. of Tamil Nadu	Best Scampi Farmer
9	Shri C. K. Sudhakaran, Pullut, Thrissur District, Kerala	Best Mud Crab Farmer (Encouragement)
10	Shri J. Senthil Kumar of Vedaranyam, Nagapattinam District, Tamil Nadu	Best Brackishwater Finfish Farmer (Encouragement)
11	Shri V. F. Barnabas of Anapuzha, Kerala	Second Best Brackishwater Finfish Farmer (Encouragement)
12	Shri C. Venkataraman of M/s. Sona Shrimp Hatcheries, of Chettinanager, Tindivanam Taluk of Tamil Nadu	Best Tiger Shrimp Hatchery
13	Shri Sudhakar of M/s. Alpha Hatcheries, Koraturu, Nellore District of Andhra Pradesh	Best *L. vannamei* hatchery

14	मै. वैसखी बायोरिर्सोसेज (प्रा.) लि. के श्री रबि कुमार येलंकी	द्वितीय सर्वोत्तम एल. वेन्नामाई उत्पित्तशाला
15	मै. तिरूमाला वेंकटेश्वर एक्वा फामर्स वेलफेयर सोसायटी, निजामपट्टनम, गुंटूर जिला,आंध्र प्रदेश के श्री वी. वेंकटेशवर	श्रिम्क कृषि सोसायटी से सर्वोत्तम कृषक
16	श्री विघ्नेश्वर एक्वा फामर्स वेलफेयर सोसायटी, टंगूटुरू प्रकाशन जिला, आंध्र प्रदेश के श्री पामिदीसुब्बानायडू	द्वितीय श्रिम्क कृषि सोसायटी से सर्वोत्तम कृषक
17	लक्ष्मीपुरम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के श्री दिंताकुर्ती मधुसूदन राव,	सर्वोत्तम जैविक श्रिम्क कृषक
18	वेटाकट्टूसेरी, वालामंगलम, अलपुझा जिला,केरल के श्री जार्ज एलेक्जेंडर	द्वितीयजैविक श्रिम्क कृषक
19	मै. प्रयास इन्फोटैक हाइराइज लि., नेहाटी, पश्रचिम बंगाल के श्री सुदीपदेवनाथ	सर्वोत्तम अलंकारिक मत्स्य फार्म (बड़ा)
20	मै. सिद्ध एक्वा, तूतीकोरिन, तमिलनाडु के श्री जी. श्रवरणन	द्वितीय अलंकारिक मत्स्य फार्म (बड़ा)
21	हंस एक्वा, मानगांव, रायग़ढ जिला, महाराष्ट्र के श्री हसन महासलाय	द्वितीय अलंकारिक मत्स्य फार्म (बड़ा)
22	मै. एक्वापेट्स इंटरनेशनल, पनाचीकल, कोझीकोड, केरल के श्री अलेक्स जॉर्ज	सर्वोत्तम अलंकारिक मत्स्य फार्म (मध्यम)

7.0 कैप्चर मात्स्यिकी

कैप्चर मात्स्यिकी अत्यंत विविधीकृत है जिसमें बड़ी संख्या में ऐसी मात्स्यिकी शामिल है, जो वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों द्वारा श्रेणीबद्ध हैं। मत्स्य ग्रहण का योगदान मूल्य के अनुसार भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात के 71 प्रतिशत से अधिक और मात्रा के अनुसार 88 प्रतिशत से अधिक है।

देश से समुद्री उत्पादों के चिरस्थाई निर्यात उत्पादन हेतु कैप्चर मात्स्यिकी का संवर्धन करने के लिए एम्पीडा निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता आ रहा है:

7.1 ट्यूना मत्स्यन एवं कम दोहन किए गए अन्य संसाधनों का संवर्धन (मत्स्यन जलयानों का ट्यूना लॉंग लाइनरों में परिवर्तन)

कम दोहन किए गभीर सागर ट्यूना संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करने के लिए एम्पीडा द्वारा मत्स्यन जलयानों के मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर "मौजूदा मत्स्यन जलयानों के ट्यूना लॉंग लाइनरों में परिवर्तन" की स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत के महासागरीय जल में ट्यूना की उच्च संभावना के कारण श्रिम्प ट्रालर मालिक ट्यूना मत्स्यन की ओर आकर्षित हुए और इससे अधिक दोहन किए गए महाद्वीपीय शेल्फ से महासागरीय जल में मत्स्यन का विविधीकरण करने में मदद मिली है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मत्स्यन जलयानों का ट्यूना लॉंगलाइनरों में परिवर्तन करने के लिए चेन्नई क्षेत्र के 60 मत्स्यन जलयान मालिकों को सब्सिडी के रूप में ` 215.04 लाख की राशि वितरित की गई थी।

7.2 "पकड के बेहतर परिरक्षण" हेतु मछुवारों को सहायता (फिश होल्ड की स्थापना हेतु सब्सिडी)

इस स्कीम में जलयानों पर "पकड के बेहतर परिरक्षण" में मछुवारों को सहायता प्रदान करना और इस प्रकार निर्यात संवर्धन को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम से फसलोत्तर हानि को कम कर और दूरवर्ती जल में बहुदिवसीय मत्स्यन को प्रोत्साहित कर मछुवारों को अधिक राजस्व प्राप्त करने में भी मदद मिली।

मत्स्यन जलयानों पर इन्सुलेटिड फिश होल्ड की स्थापना हेतु 158 मत्स्यन जलयान मालिकों को सब्सिडी के रू में 98.60 लाख रूपए की राशि वितरित की गई थी।

14	Shri Ravi Kumar Yellanki, of M/s. Vaiskhi Bioresources (P) Ltd.	Second Best *L. vannamei* Hatchery
15	Shri V. Venkateswara Rao of M/s. Thirumala Venkateswara Aqua Farmers Welfare Society, Nizamapatnam, Guntur District, Andhra Pradesh	Best Farmers from Shrimp Farming Society
16	Shri Pamidi Subbanaidu, of Sri Vigneswara Aqua Farmers Welfare Society, Tanguturu, Prakasam District, Andhra Pradesh	Second Best Farmer from Shrimp Farming Society
17	Shri Dintakurthi Madhusudhana Rao, of Lakshmipuram, Krishna District of Andhra Pradesh	Best Organic Shrimp Farmer
18	Shri George Alexander of Vattakkattussery, Valamangalam, Alappuzha District, Kerala	Second Organic Shrimp Farmer
19	Shri Sudip Debnath, of M/s. Prayag Infotech HiRise Ltd, Naihati, West Bengal	Best Ornamental Fish Farm(Large Scale)
20	Shri G. Saravanan, of M/s. Sidha Aqua, Tuticorin, Tamil Nadu	Second Best Ornamental Fish Farm (Large Scale)
21	Shri Hasan Mhaslai of Hans Aqua, Maangaon, Raigad District, Maharashtra	Second Best Ornamental Fish Farm (Large Scale)
22	Shri Alex George of M/s.Aquapets International, Panachikal, Kozhikode, Kerala	Best Ornamental Fish Farm (Medium Scale)

7.0 CAPTURE FISHERIES

Capture fisheries are extremely diversified, comprising a large number of fisheries that are categorized by different levels of classification. Capture fisheries contribute more than 71% of seafood export of India value wise and more than 88% quantity wise.

To promote the capture fisheries for sustained export production of marine products from the country, MPEDA has been implementing the following schemes: -

7.1 Promotion of fishing of Tuna and other under exploited resources (Conversion of fishing vessels to Tuna Long liners)

For encouraging the exploitation of under exploited Deep-sea Tuna resources, MPEDA has been implementing the scheme "Conversion of existing Fishing Vessels to Tuna Longliners" by providing financial assistance to the fishing vessel owners. High potential for Tuna in the oceanic waters of India attracted the Shrimp trawler owners to Tuna fisheries and also it helped to diversify the fishing from over exploited continental shelf area to oceanic waters.

During the year under report, an amount of ` 215.04 lakh was disbursed as subsidy to 60 fishing vessel owners from Chennai Region for conversion of fishing vessels to Tuna Longliners.

7.2 Assistance to fishermen for 'Better preservation of Catch' (Subsidy for installation of fish hold)

The scheme envisages assisting fishermen in 'Better preservation of Catch' onboard vessels and thereby augmenting export production. The scheme also helped fishermen to get more revenue for the catch by reducing post harvest loss and encourage multiday fishing in distant waters.

An amount of ` 98.60 lakh was disbursed as subsidy to 158 fishing vessel owners for the installation of insulated fish hold on board fishing vessels.

7.3 समुद्री संसाधनों का संरक्षण - पकड प्रमाणन पत्र योजना

यूरोपीय संघ विनिमय 1005/2008 का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2010 से यूरोपीय संघ को समुद्री खाद्य के निर्यात के लिए पकड प्रमाण पत्र के विधिमान्यीकरण की मांग करता है। भारत सरकार द्वारा मत्स्य ग्रहण प्रमाणपत्र के विधिमान्यीकरण हेतु एम्पीडा को प्राधिकृत किया गया है। एम्पीडा ने पकड प्रमाणन कार्य को सुकर बनाने के लिए प्रमुख मत्स्य उतराई केन्द्रों और मत्स्य ग्रहण मत्स्यन बंदरगाहों पर संविदा आधार पर 44 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 14 बंदरगाह आंकड़ा संग्रहणकर्ता (प्रशिक्षणार्थी) तैनात किए हैं। हमने पकड प्रमाण पत्र के ऑन लाइन आवेदन में निर्यातकों एवं एम्पीडा अधिकारियों के लाभार्थ कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे और अब ऑन लाइन प्रणाली कार्य कर रही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एम्पीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 8,552 पकड प्रमाण पत्र विधिमान्यीकृत किए गए हैं।

7.4 गुजरात के मछुवारों को सहायता

वर्ष 2012-13 के दौरान गुजरात के 77 मत्स्यन जलयान मालिकों को पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए जलयानों के स्थान पर नए जलयानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गई थी और पीएमएनआर निधि से 385 लाख रुपए जारी किए गए थे। एम ओ ए निधि के अंतर्गत हमने 108 लाख रुपए की राशि जारी कर 18 जलयान मालिकों की सहायता की है।

7.5 ट्यूना एवं अन्य बड़ी गभीर सागरीय मत्स्य प्रजातियों हेतु लाँग लाइन मात्स्यिकी के लिए फसलोत्तर तरीकों में सुधार तथा चिरस्थाई बाजार विकास पर एफएओ/टीसीपी परियोजना

एफ ए ओ / इन्फोफिश के सहयोग से एम्पीडा ने 13 से 25 अगस्त, 2012 तक तूतीकोरिन, नागापट्टिनम, विजाग और कोच्चि में "ट्यूना एवं अन्य बड़ी गभीर सागरीय मत्स्य प्रजातियों हेतु लॉगलाइन मात्स्यिकी के लिए फसलोत्तर तरीकों में सुधार तथा चिरस्थाई बाजार विकास" पर 4 कार्यशालाएं आयोजित कीं। तूतीकोरिन में कार्यशाला के पहले चरण का उद्घाटन निदेशक (विपणन), एम्पीडा द्वारा किया गया था। डॉ. करूणासागर इड्डया, वरिष्ठ मात्स्यिकी अधिकारी, एफएओ रोम, श्री फ्रांसिस्को ब्लाहा, एफएओ के विशेषज्ञ, इन्फोफिश क्वालालंपुर के अधिकारी, संयुक्त निदेशक (मात्स्यिकी), तमिलनाडु सरकार, क्षेत्रीय अध्यक्ष, एसईएआई उपस्थित थे। इस कार्यशाला में चारों स्थानों पर उद्योग के 500 से अधिक पणधारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए थे:

क) ट्यूना हैडलिंग एवं व्यापार में मुद्दों का पर्यवेक्षण

ख) पोल एवं लाइन मात्स्यिकी के संदर्भ में ट्यूना बाजारों एवं विपणन में वैश्विक प्रवृत्तियां।

ग) मूल्यवर्धन तथा विपणन संबंधी सीएफसी परियोजनाओं से अनुभव।

घ) भारत में ट्यूना उद्योग का अवलोकन।

एफ ए ओ टी सी पी क्षेत्रीय कार्यशाला के प्रथम चरण का उद्घाटन करते हुए श्री एन. रमेश, निदेशक (विपणन) एम पी ई डी ए

7.3 Conservation of Marine Resources - Catch Certification Scheme

Implementation of European Union Regulation 1005/2008 demands validation of Catch Certificate for export of sea foods to European Union since 1st January 2010. MPEDA has been authorized by the Government of India for validation of Catch Certificate. MPEDA has deployed 44 Data Entry Operators and 14 Harbour Data Collectors (Trainees) on contract basis at major fish landing centers and fishing harbors for capturing the data for facilitating the catch certification work. We had organized several training programmes for the benefit of Exporters and MPEDA Officers in the online application of Catch Certificate and now the online system is functional.

During the year under report, through the field offices of MPEDA, 8,552 Catch Certificates have been validated.

7.4 Assistance to Gujarat Fishermen

During the year 2012-13, 77 fishing vessel owners from Gujarat were assisted for the construction of new vessels in lieu of the vessels seized by Pakistan and released ` 385 lakh from the PMNR Fund. Under the MoA Fund, we have assisted 18 vessel owners by releasing an amount of ` 108 lakh.

7.5 FAO/TCP Project on Improving post-Harvest practices and sustainable market Development for long line fisheries for Tuna and other large pelagic fish species

MPEDA in association with FAO/INFOFISH organized 4 workshops on "Improving post-Harvest practices and sustainable market Development for long line fisheries for tuna and other large pelagic fish species" at Tuticorin, Nagapattinam, Vizag, and Kochi from 13th to 25th August 2012. The 1st phase of the workshop at Tuticorin was inaugurated by Director (Marketing), MPEDA. Dr. Karuna Sagar Iddya, Senior Fishery Officer, FAO Rome, Mr. Fransico Blaha, expert from FAO, officials from INFOFISH Kuala Lumpur, Joint Director (Fisheries), Government of Tamil Nadu, Regional President, SEAI were present. The workshop was attended by more than 500 stakeholders from the industry in all the four places. The following topics were covered in the workshop:-

a) Overview of issues in Tuna handling and trade

b) Global trends in Tuna markets and marketing with reference to pole and line fisheries

c) Experience from CFC Projects on value addition and marketing

d) Overview of Tuna industry in India

Shri N. Ramesh, Director (Marketing), MPEDA inaugurating the 1st phase of FAO TCP Regional Workshop

एफ ए ओ टी सी पी क्षेत्रीय कार्यशाला के प्रथम चरण का उद्घाटन करती हुई सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए

ङ) ई यू बाजार में ट्यूना के मूल्यवर्धित उत्पाद।

च) ट्यूना प्रसंस्करण से उपोत्पादों का उपयोग।

छ) ट्यूना विपणन हेतु विनियामक कार्यढांचा: पकड प्रलेखन, अनुगम्यता, गुणवत्ता मुद्दे।

ज) साशिमी ग्रेड की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ट्यूना हेतु जलयान पर प्रहस्तन पद्धतियां।

श्री फ्रांसिस्को ब्लाहा द्वारा सभी स्थानों पर ट्यूना हैंडलिंग एवं प्रच्छालन का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया था। भागीदारों के लाभार्थ ट्यूना उत्पादों के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था सिफ्ट प्रयोगशाला, कोच्चि में की गई थी।

कार्यशाला का अंतिम चरण कोच्चि में आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला का उद्घाटन 23 अगस्त, 2012 को अध्यक्ष, एम्पीडा ने किया था। डॉ. पीटर इरविन केनमोर, कंट्री प्रतिनिधि, एफएओ, भारत मानद अतिथि थे। डॉ. टी. के. श्रीनिवास गोपाल, निदेशक, सिफ्ट तथा डा. एस. गिरिजा, निदेशक, निफफट ने बधाई भाषण दिया।

परियोजना की अंतिम क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन जलीय संसाधन विकास मंत्रालय, श्रीलंका के सहयोग से कोलंबो, श्रीलंका में 3 से 5 दिसंबर, 2012 तक किया गया था। इस कार्यक्रम में दो अन्य भागीदारों (निफ्फट के एक अधिकारी और उद्योग के एक अधिकारी) के साथ निदेशक (विपणन) ने भाग लिया था।

श्री फ्रान्सिस्को ब्लाहा, एफ ए ओ विशेषज्ञ द्वारा (निफाट्ट प्रसंस्करण कॉम्प्लेक्स, कोच्ची) में ट्यूना हैंडलिंग का प्रदर्शन

Ms. Leena Nair IAS, Chairman, MPEDA inaugurating the last phase of the FAO TCP Regional Workshop

e) Value added products of Tuna in EU market

f) Utilization of by products from Tuna processing

g) Regulatory framework for Tuna marketing: catch documentation, traceability, quality issues

h) Onboard handling practices for Tuna to meet quality requirements of sashimi grade

Practical demonstration of handling of Tuna and cleaning was demonstrated by Mr. Francisco Blaha at all places. Demonstration of quality assessment techniques for Tuna products was arranged in CIFT lab, Kochi for the benefit of participants.

The last phase of the workshop was organized at Kochi. The workshop was inaugurated by Chairman, MPEDA on 23rd August 2012. Dr. Peter Ervin Kenmore, Country Representative, FAO, India was the guest of honour. Dr. T.K. Srinivasa Gopal, Director, CIFT and Dr. S. Girija, Director, NIFPHATT delivered felicitation address.

The final Regional workshop of the project was held in Colombo Sri Lanka from 3rd to 5th December 2012 in collaboration with the Ministry of Aquatic Resources Development, Sri Lanka. Director (Marketing) along with other two participants (one officer from NIFPHATT and other from the Industry) attended this programme.

Demonstration of Tuna handling by Mr. Francisco Blaha, FAO Expert at NIFPHATT Processing Complex, Kochi

7.6 निफ्फाट प्रसंस्करण कॉम्पलैक्स, कोच्चि में ट्यूना पैकिंग सुविधा

निफ्फाट प्रसंस्करण कॉम्पलैक्स, कोच्चि स्थित ट्यूना पैकिंग सुविधा को मै. मून फिशरी इंडिया प्रा. लि. को दो वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था और पट्टे की यह अवधि जून, 2012 में समाप्त हो गई थी। अब मे. कोरल एक्सपोर्टस कोच्चि ने 29.01.2013 से 3 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर यह सुविधा प्राप्त की है।

8.0 कल्चर मात्स्यिकी

8.1 जलकृषि के जरिए निर्यात संवर्धन

निर्यात हेतु देश के जलकृषि उत्पादन में वर्ष 2012-13 के दौरान भी पर्याप्त वृद्धि जारी रही और यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 2,77,275 मे. ट. पर पहुंच गया। निर्यातोन्मुख जलकृषि उत्पादन, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 23.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, के परिणामस्वरूप भी देश से श्रिम्प के निर्यातों में योगदान में वृद्धि हुई है। श्रिम्प पालन क्षेत्र में कई संकटों के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला में प्रबंधन की बेहतर पद्धितयां अपनाकर कृषित श्रिम्प में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के महत्व के बारे में सृजित की गई जागरूकता से देश में जल कृषि क्षेत्र को बनाए रखने में मदद मिली है।

उत्पादन की प्रवृत्तियों से यह पता चला कि श्रिम्प की दुर्लभ प्रजाति एल. वन्नमई का उत्पादन टाइगर श्रिम्प की कृषि की लागत पर बढ़ना जारी रहा। क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चला कि हालांकि एल. वन्नमई के उत्पादन में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों (1,35,465 मे.ट.) की तुलना में टाइगर श्रिम्प के उत्पादन (1,23,303 मे.ट.) में लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट दर्शित हुई है। श्रिम्प और झींगे के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों ने शैलफिश (747 मे.ट.) और फिनफिश (551 मे.ट.) की अन्य निर्यात योग्य किस्मों के उत्पादन की भी सूचना दी थी।

8.1.1 श्रिम्प जल कृषि उत्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान श्रिम्प जलकृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त क्षेत्र 1,15,826 हेक्टेयर का था जिसमें 2,70,819 मे. ट. श्रिम्प का उत्पादन हुआ था। वर्षानुवर्ष देश में श्रिम्प कृषि में प्रगति को नीचे चित्र 1 में दर्शाया गया है।

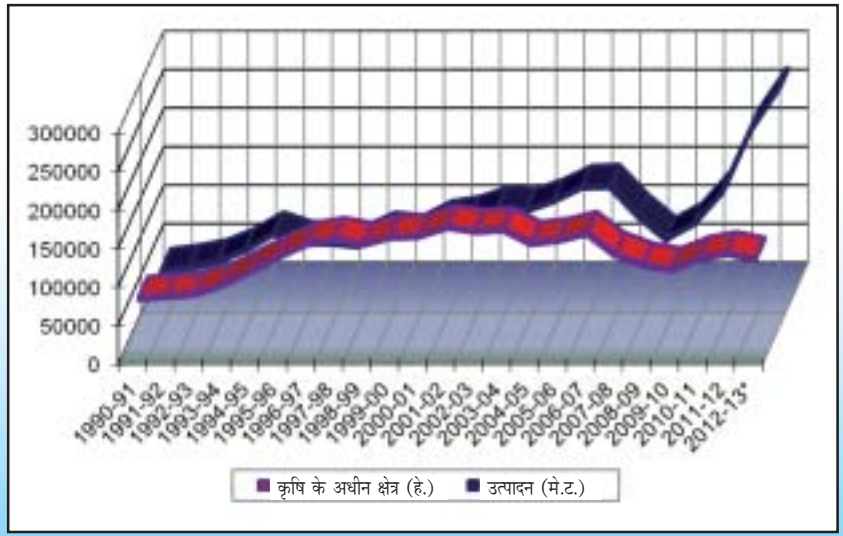

चित्र 1: श्रिम कृषि के अधीन क्षेत्र और उत्पादन

कृषि के अधीन क्षेत्र और उत्पादन का प्रजाति वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

7.6 Tuna packing facility at NIFPHATT Processing Complex, Kochi

The Tuna packing facility at NIFPHATT Processing Complex, Kochi which was leased out to M/s. Moon Fishery India Pvt. Ltd for a period of two years and the lease period was over in June 2012. Now M/s. Coral Exports Kochi has got the facility on lease for a period of 3 years with effect from 29.01.2013.

8.0 CULTURE FISHERIES

8.1 Export production through aquaculture

Aquaculture production of the country for export continued to increase significantly during the year 2012-13 also and reached an all time high over 2,77,275 MT. The export oriented aquaculture production which registered 23.69% increase over the previous year also resulted in increased contribution to Shrimp exports from the country. Awareness created on the importance of maintaining quality and food safety in farmed Shrimp by adopting good management practices in supply chain has helped to sustain the aquaculture sector in the country, despite a number of crises facing the Shrimp culture sector.

The production trends indicated that Aquaculture production of the exotic variety of Shrimp, *L. vannamei* continued to increase at the cost of Tiger Shrimp farming. The reports received from Regional and Sub Regional Centers indicated that while *L. vannamei* production showed an increase of 83%, Tiger Shrimp production (1,23,303 MT) showed a decline of about 9% when compared to the previous year figures (1,35,465 MT). In addition to the Shrimp and prawn the field offices reported production of other exportable varieties of shellfish (747 MT) and finfish (551 MT) also.

8.1.1 Shrimp aquaculture production

During the year 2012-13 the area utilized for Shrimp aquaculture production was 1,15,826 Ha which produced 2,70,819 MT of Shrimp. The progress in Shrimp culture in the country over the years is depicted in Figure - 1 below.

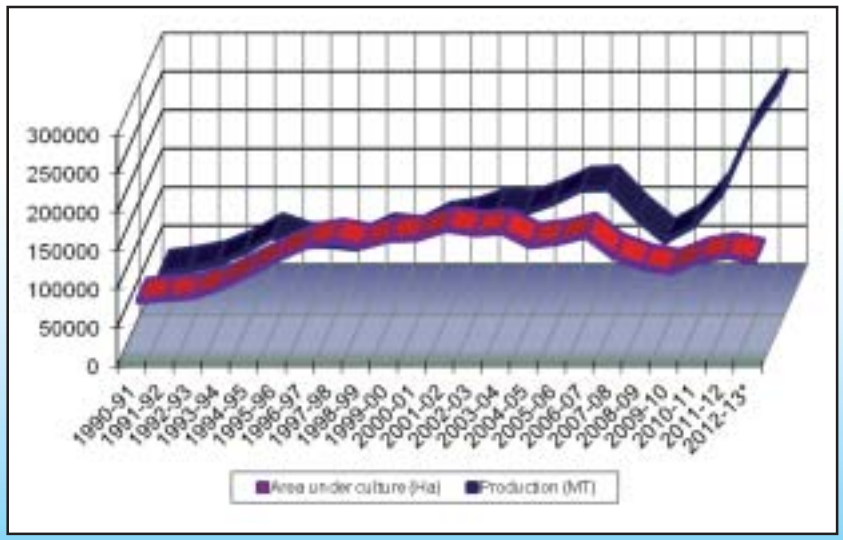

Figure 1 Area under Shrimp culture and production

The species-wise details of area under culture and production are given below:

8.1.1.1 टाइगर श्रिम्प

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 93,110 हेक्टेयर क्षेत्र से 1,23,303 मे. ट. टाइगर श्रिम्प का उत्पादन किया गया था। टाइगर श्रिम्प कृषि का राज्यवार ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका - 1: टाइगर श्रिम्प की कृषि का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं	राज्य	प्रयुक्त क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.ट.)	उत्पादकता (मे.ट./है./वर्ष)
1	पं. बंगाल	48,410	52,581	1.09
2	ओडिशा	6,256	14,096	2.25
3	आंध्र प्रदेश	15,925	25,948	1.63
4	तमिलनाडु	6,293	17,220	2.74
5	केरल	12,917	5,175	0.40
6	कर्नाटक	240	180	0.75
7	गोआ	30	48	1.61
8	महाराष्ट्र	1,047	2,010	1.92
9	गुजरात	1,992	6,045	3.03
	कुल	**93,110**	**1,23,303**	**1.32**

वर्ष 2011-12 में 1,35,465 मे. ट. के उत्पादन की तुलना में उत्पादन में 8.98 प्रतिशत की गिरावट सूचित की गई है। कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में गिरावट का उच्चतर प्रतिशत (18.59 प्रतिशत) दर्शाया गया है। इस वर्ष के दौरान उत्पादित श्रिम्प का अनुमानित मूल्य 3,082 करोड़ रूपए रहा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 991 करोड़ रूपए की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 2)। एल. वन्नामेई की शुरूआत के बाद टाइगर श्रिम्प की मांग में कमी उत्पादन एवं मूल्य में गिरावट के कारणों में से एक कारण है।

तालिका - 2: जल कृषि के जरिए टाइगर श्रिम्प का उत्पादन

वर्ष	जीव भार (मे.ट.)	उत्पाद वज़न (मे.ट.)	अनुमानित मूल्य (` करोड़)
2011-12	1,35,778	81,467.00	4,073.00
2012-13	1,23,303	73,747.00	3,082.00
वृद्धि	(-) 12,475	(-) 7,720.00	(-) 991.00
अंतर प्रतिशतता	9.19%	(-) 9.48%	(-) 24.33%

8.1.1.2 *एल. वन्नामेई* श्रिम्प

एल. वन्नामेई के उत्पादन में 83 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है जबकि कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में 190 प्रतिशत वृद्धि की सूचना दी गई है। वर्ष 2011-12 में 7,837 हेक्टेयर से लगभग 80,717 मे.ट. के उत्पादन से एल. वन्नामेई का उत्पादन वर्ष 2012-13 के दौरान बढ़कर 22715 हेक्टेयर क्षेत्र से 1,47,516 मे.ट. पर पहुंच गया। उच्च उत्पादकता एल. वन्नामेई कृषि का हॉल मार्क रही है। तथापि, वन्नामेई फार्मों के लिए औसत उत्पादकता पूर्ववर्ती वर्ष के लगभग 10 मी.ट./हेक्टे/वर्ष से घटकर चालू वर्ष के दौरान लगभग 6.59 प्रतिशत हो गई है। आंध्र प्रदेश ने पुनः 1,33,135 मे.ट. के कुल उत्पादन और 6.59 मे.ट./हेक्टे./वर्ष की उत्पादकता के साथ तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। गुजरात और ओडिषा 9 मे.ट./हेक्टे/वर्ष अधिक उत्पादकता के साथ उत्पादकता में अग्रणी रहे हैं। 5732 मे.ट. के उत्पादन के साथ तमिलनाडु राज्य को उत्पादन के संबंध में दूसरे स्थान पर रखा गया है जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिषा और गोवा राज्य क्रमानुसार उसके बाद आते हैं। पश्चिम बंगाल और केरल राज्य को अभी एल. वन्नामेई कृषि में प्रवेश करना है।

8.1.1.1 Tiger Shrimp

During the year under report, a total of 1,23,303 MT of Tiger Shrimps were produced from an area of 93,110 Ha. State-wise details of Tiger Shrimp farming are given in Table–1.

Table - 1: State-wise details of Tiger Shrimp farming

Sl. No.	State	Area Utilized (ha)	Production (MT)	Productivity (MT/ha/Year)
1	West Bengal	48,410	52,581	1.09
2	Odisha	6,256	14,096	2.25
3	Andhra Pradesh	15,925	25,948	1.63
4	Tamil Nadu	6,293	17,220	2.74
5	Kerala	12,917	5,175	0.40
6	Karnataka	240	180	0.75
7	Goa	30	48	1.61
8	Maharashtra	1,047	2,010	1.92
9	Gujarat	1,992	6,045	3.03
	Total	**93,110**	**1,23,303**	**1.32**

Compared to the production of 1,35,465 MT during the year 2011-12, a 8.98% decrease in production has been reported. The area under culture has shown a higher percentage of declines (18.59%). The estimated value of Shrimp produced during the year was ` 3,082 crore, registered a decrease of ` 991 crore over the previous year (Table - 2). Lack of demand for Tiger Shrimp in the onslaught of *L. vannamei* has been one of the reasons for the decline in production and value.

Table - 2: Tiger Shrimp Production through Aquaculture

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (` Crore)
2011-2012	1,35,778	81,467.00	4,073.00
2012-13	1,23,303	73,747.00	3,082.00
Increase	(-)12,475	(-)7,720.00	(-) 991.00
Difference %	9.19 %	(-) 9.48 %	(-) 24.33 %

8.1.1.2 *L. vannamei* Shrimp

Growth of *L. vannamei* production has shown 83 % increase while the area under culture reported showed 190% increase. From a production of about 80,717 MT from 7,837 ha in 2011-12, the *L. vannamei* production reached 1,47,516 MT from 22715 Ha., during 2012-13. High productivity has been the hallmark of *L. vannamei* culture. The average productivity for the vannamei farms however declined from about 10 MT/ha/year during the previous year to about 6.59% during the current year. Andhra Pradesh once again led the table with a total production of 1,33,135 MT and a productivity of 6.59 MT/ha/year, Gujarat and Odisha lead in terms of productivity, with a productivity of more than 9 MT/ha/year. The State of Tamil Nadu with a production of 5732 MT is placed at the second place in terms of production, while the States of Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Odisha and Goa followed in that order. The States of West Bengal and Kerala are yet to venture into *L. vannamei* culture.

तालिका - 3: एल वन्नामेई श्रिम्प कृषि का राज्यवार विवरण 2012-13

क्र.सं.	राज्य	प्रयुक्त क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.ट.)	उत्पादकता (मे.ट./हे./वर्ष)
1	पं. बंगाल	0	0	0.00
2	उडीषा	46	436	9.48
3	आंध्र प्रदेश	20,198	1,33,135	6.59
4	तमिलनाडु	1511	8,595	5.69
5	केरल	0	0	0.00
6	कर्नाटक	154	484	3.14
7	गोआ	1	15	15.00
8	महाराष्ट्र	439	1,503	3.42
9	गुजरात	366	3,348	9.14
	कुल	**22,715**	**14,75,16**	**6.49**

तालिका-4 में कृषि उत्पादन से सृजित उत्पाद भार और उत्पाद के अनुमानित मूल्य का ब्यौरा दिया गया है। उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उत्पाद के मूल्य में भी वृद्धि देखी गई है। थाइलैंड, वियतनाम आदि जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में से कुछ देशों में श्रिम्प के उत्पादन में आई गिरावट के कारण एल वन्नामेई की मांग में वृद्धि होने से औसतन फार्म गेट कीमत को बढ़ाने में भी मदद मिली है।

तालिका - 4: जल कृषि के जरिए एल. वन्नमई का उत्पादन

वर्ष	जीव भार (मी.ट.)	उत्पाद भार (मे.ट.)	अनुमानित मूल्य (` करोड़)
2011-2012	80,717	48,430.00	2,400.00
2012-2013	1,47,516	91,610.00	5,160.00
वृद्धि	66,799	43,180.00	2,760.00
अंतर प्रतिशतता	82.76%	89.16%	115.00%

8.1.1.3 स्कैम्पी

मांग में कमी प्रयोग के कारण स्कैम्पी कृषि और उत्पादन कोई वृद्धि प्रदर्शित करने में विफल रहा है। स्कैम्पी की वैज्ञानिक मोनोकल्चर केवल लगभग 2919 हेक्टेयर में दर्ज की गई है जिसमें लगभग 3332 मे.ट. का उत्पादन हुआ है।

स्कैम्पी कृषि का राज्यवार ब्यौरा तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका - 5: स्कैम्पी कृषि का राज्यवार ब्यौरा 2012-13

क्र.सं.	राज्य	प्रयुक्त क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.ट.)	उत्पादकता (मे.ट./हे./वर्ष)
1	पं. बंगाल	1,520	2,446	1.61
2	ओडीषा	886	592	0.67
3	आंध्र प्रदेश	280	174	0.62
4	तमिलनाडु	136	54	0.39
5	केरल	48	6	0.12
6	कर्नाटक	0	0	0.00
7	महाराष्ट्र	49	60	1.22
8	गुजरात	0	0	0.00
	कुल	**2,919**	**3,332**	**1.14**

Table - 3: State-wise details of *L. vannamei* Shrimp farming 2012-13

Sl. No.	State	Area Utilized (ha)	Production (MT)	Productivity (MT/ha/Year)
1	West Bengal	0	0	0.00
2	Odisha	46	436	9.48
3	Andhra Pradesh	20,198	1,33,135	6.59
4	Tamil Nadu	1511	8,595	5.69
5	Kerala	0	0	0.00
6	Karnataka	154	484	3.14
7	Goa	1	15	15.00
8	Maharashtra	439	1,503	3.42
9	Gujarat	366	3,348	9.14
	Total	**22,715**	**1,47,516**	**6.49**

Table - 4 provided the estimates of the product weight generated from the culture production and the estimated value of the produce. Along with increase in production, the value of the produce has also shown increase. The increase in demand for the *L. vannamei* because of the decline in production of the Shrimp in some of the South East Asian countries such as Thailand, Vietnam, etc. has helped in a rise in the average farm gate prices also.

Table - 4: L. *vannamei* Shrimp Production through Aquaculture

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (` Crore)
2011-2012	80,717	48,430.00	2,400.00
2012-2013	1,47,516	91,610.00	5,160.00
Increase	66,799	43,180.00	2,760.00
Difference %	82.76%	89.16%	115.00%

8.1.1.3 Scampi

Plagued by the lack of demand the Scampi culture and production has failed to show any increase. The scientific monoculture of Scampi has been recorded only in about 2919 Ha registering a production of about 3332 MT.

A State-wise detail of scampi farming is given in Table – 5.

Table - 5: State-wise details of Scampi culture 2012-13

Sl. No.	State	Area Utilized (ha)	Production (MT)	Productivity (MT/ha/Year)
1	West Bengal	1,520	2,446	1.61
2	Odisha	886	592	0.67
3	Andhra Pradesh	280	174	0.62
4	Tamil Nadu	136	54	0.39
5	Kerala	48	6	0.12
6	Karnataka	0	0	0.00
7	Maharashtra	49	60	1.22
8	Gujarat	0	0	0.00
	Total	**2,919**	**3,332**	**1.14**

वैज्ञानिक स्कैम्पी फार्मों से उत्पादन के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों ने जलाशयों और गांव के तालाबों से 3,124 मे.ट. स्कैम्पी के उत्पादन की सूचना दी है। इस प्रकार 6,456 मे.ट. का कुल स्कैम्पी उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान हुए 7,993 मे.ट. के उत्पादन की तुलना में लगभग 1,537 मे. ट. कम है।

तालिका - 7: जलकृषि के जरिए स्कैम्पी का उत्पादन

(लाख ` में)

वर्ष	जीव भार (मे.ट.)	उत्पाद भार (मे.ट.)	अनुमानित मूल्य (` करोड में)
2011-2012	7,993.00	3,996.00	130.00
2012-2013	6,456.00	3,228.00	97.00
वृद्धि/कमी	(-) 1,537	(-) 768	(-) 33.00
अंतर प्रतिशतता	(-) 19.23	(-) 19.22	(-) 25.38

8.1.2 निर्यात के लिए श्रिम्प तथा स्कैम्पी कृषि का कुल उत्पादन

इस प्रकार, वर्ष 2012-13 के दौरान श्रिम्प और स्कैम्पी सहित समग्र निर्यातोन्मुख जलकृषि उत्पादन लगभग 2,77,275 मे.ट. होने का अनुमान था। उत्पादन का कुल मूल्य 8,340 करोड़ रूपए होने का अनुमान था जो नम भार के 300 रूपए प्रति किग्रा. की औसत फार्म गेट कीमत बनती है। इससे पूर्ववर्ती वर्ष के 6,603 करोड़ रूपए मूल्य के 2,24,500 मे.ट. के उत्पादन की तुलना में मात्रा के हिसाब से 52,775 मे.ट. और मूल्य के हिसाब से 1,737 करोड़ रूपए (क्रमशः 23.51% और 26.31%) की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

तालिका - 8: जलकृषि के जरिए श्रिम्प और स्कैम्पी का कुल उत्पादन

वर्ष	जीव भार (मे.ट.)	उत्पाद भार (मे.ट.)	अनुमानित मूल्य (मूल्य ` करोड)
2011-2012	2,24,500	1,33,893.00	6603.00
2012-2013	2,77,275	1,68,585.00	8340.00
वृद्धि/कमी	52,775	34,692.00	1737.00
अंतर प्रतिशतता	23.51%	25.91%	26.31%

चित्र-2 में श्रिम्प तथा स्कैम्पी की प्रमुख प्रजातियों के जलकृषि उत्पादन में प्रवृतियां दी गई हैं। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि टाइगर श्रिम्प का उत्पादन वर्ष 2006-07 में हुए सर्वोच्च उत्पादन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और टाइगर श्रिम्प के समान एल. वेन्नामाई में भारी वृद्धि हो रही है। तो भी, स्कैम्पी के उत्पादन में वृद्धि का कोई संकेत प्रदर्शित नहीं हो रहा है। संभवतः समस्त नर स्कैम्पी की उपलब्धता अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग में वृद्धि होने से ही स्कैम्पी कृषि को बहाल करने में मदद मिलेगी।

निर्यात हेतु कृषित श्रिम्प के योगदान में वृद्धि जारी रही और वर्ष 2011-12 के दौरान पहली बार कृषित श्रिम्प के निर्यातों के मूल्य ने एक बिलियन यु एस डॉ. के स्तर को पार किया है। उत्पादन में प्रवृतियों से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निर्यात हेतु जलकृषि के योगदान में भी वृद्धि हुई है। यद्यपि, कृषित श्रिम्प उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात में चला जाता है तथापि, समझा जाता है कि हाल में पर्याप्त मात्रा भी स्थानीय बाजार में जा रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान श्रिम्प और स्कैम्पी के निर्यातों का ब्यौरा तालिका - 9 में दिया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में खासकर एल.वन्नमेई के निर्यात में वृद्धि के कारण कृषित श्रिम्प और स्कैम्पी के योगदान में वृद्धि प्रदर्शित हुई। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए ब्लैक टाइगर, एल. वन्नमेई और स्कैम्पी के निर्यात के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कृषित श्रिम्प का कुल निर्यात 1, 54, 938 मे.ट. का हुआ है जिसका मूल्य 6,879 करोड़ रूपए (1.2777 बिलियन यु एस डॉ.) है जिसमें मात्रा में लगभग 30%, रूपए में 20.07% और डालर में 4.24% की वृद्धि दर्ज की गई है।

In addition to the production from Scientific Scampi Farms the field offices have reported production of 3,124 MT of Scampi from reservoirs and village ponds. Thus the total Scampi production of 6,456 MT, about 1,537 MT less in comparison to the production of 7,993 MT achieved during the previous year.

Table - 7: Scampi Production through Aquaculture

(Value ` crore)

Year	Live Weight (MT)	Product Weight (MT)	Estimated Value
2011-2012	7,993.00	3,996.00	130.00
2012-2013	6,456.00	3,228.00	97.00
Increase/Decrease	(-) 1,537	(-) 768	(-) 33.00
Difference in %	(-) 19.23	(-) 19.22	(-) 25.38

8.1.2 Total Shrimp and Scampi culture production for export

Thus, during the year 2012-13 overall export oriented aquaculture production comprising Shrimp and Scampi was estimated at about 2,77,275 MT. The total value of the production was estimated at ` 8,340/- Crore, which works out to an average farm gate price of ` 300/- per kilogram of wet weight. This shows a increase of 52,775 MT by quantity and by ` 1,737/- crore in value (23.51% and 26.31% respectively) compared to the previous year production of 2,24,500 MT valued at ` 6,603/- Crore.

Table - 8: Total Shrimp & Scampi production through Aquaculture

(Value ` crore)

Year	Live Weight (MT)	Product Weight (MT)	Estimated Value
2011-2012	2,24,500	1,33,893.00	6603.00
2012-2013	2,77,275	1,68,585.00	8340.00
Increase	52,775	34,692.00	1737.00
Difference in %	23.51%	25.91%	26.31%

Figure - 2 gives the trends in aquaculture production of the major species of Shrimp and Scampi. It can be seen that while the Tiger Shrimp production is fast approaching the peak production achieved during the 2006-07 and *L. vannamei* is increasing leaps and bounds to catch up with Tiger Shrimp, Scampi production is not showing any signs of increase. Probably, availability of all male Scampi or increase in demand in international markets only will help revive Scampi culture.

Cultured Shrimp continued to increase its contribution to exports and for the first time, during the year 2011-12 the value of cultured Shrimp exports crossed the landmark of 1 Billion US Dollars. From the trends in production, the contribution of aquaculture to exports has increased during the year under report too. Though the major share of the cultured Shrimp production goes for export, it is understood that, of late significant quantities are also going to the local markets. The details of cultured Shrimp and Scampi exports during the year 2012-13 are given in Table-9.

During the year under report, the contribution of cultured Shrimp and Scampi showed increase compared to the previous year, particularly because of the increase in export of *L. vannamei*. As per the provisional figures of export of Black Tiger, *L. vannamei* and Scampi for the financial year 2012-13 the total export of cultured Shrimp export is 1,54,938 MT valued ` 6,879 Crore (US $ 1.277 Billion) registering increases of about 30% in quantity, 20.07% in Rupee terms and 4.24% in Dollar terms.

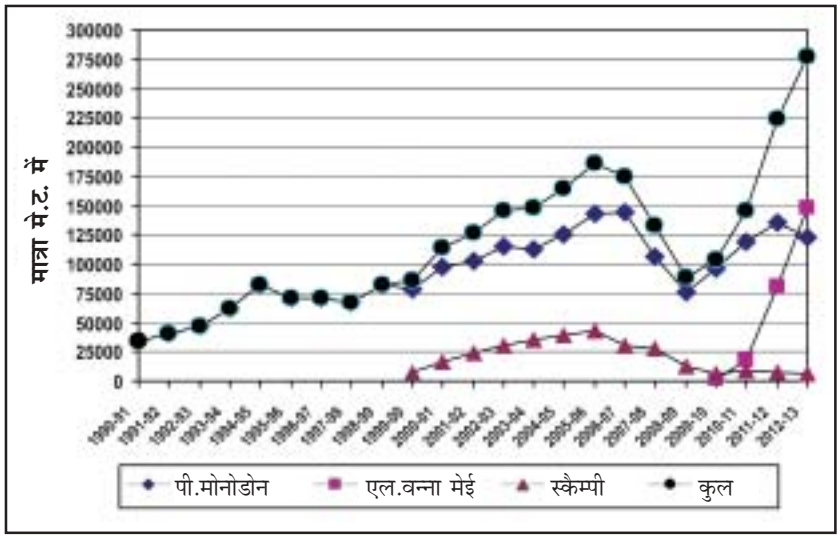

चित्र-2. श्रिम्प/झींगों की तीनों प्रमुख प्रजातियों के जलकृषि उत्पादन में प्रवृतियां

तालिका - 9: निर्यात उत्पादन में कृषित श्रिम्प और स्कैम्पी का योगदान

मद	2012-13			2011-12			अंतर		
	मात्रा (मे.ट.)	मूल्य (करोड़ रू)	मूल्य (दशलक्ष युएस डॉ.)	मात्रा (मे.ट.)	मूल्य (` करोड़)	मूल्य (दशलक्ष युएस डॉ.)	मात्रा (मे.ट.)	मूल्य (` करोड़)	मूल्य (दशलक्ष युएस डॉ.)
टाइगर	61,177	2,809	521	74,097	3,684	791	-12,920	-875	-269
वन्नामेई	91, 171	3,937	731	40, 787	1, 820	386	50, 382	2,118	345
स्कैम्पी	2,061	112	21	2,723	155	33	-662	-43	-13
सफेद श्रिम्प	529	21	4	1,585	71	15	-1,056	-50	-11
कुल	**1,54,938**	**6,879**	**1,277**	**1,19,192**	**5,730**	**1,225**	**35,746**	**1,150**	**52**

8.1.3 निर्यात योग्य अन्य प्रजातियों का उत्पादन

एम्पीडा द्वारा अपनी आर एंड डी शाखा, आरजीसीए और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ निर्यात योग्य फिनफिश तथा शैलफिश की जलकृषि का संवर्धन हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फिनफिश में से सीबास तथा तिलापिया और शैलफिश में से केकड़े के उत्पादन की सूचना दी गई है। उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका 10 में दिया गया है:

तालिका - 10: निर्यात योग्य अन्य प्रजातियों का कृषि राज्यवार कृषि उत्पादन

क्र.सं.	राज्य	कीचड़ केकड़ा उत्पादन (मे.ट.)	सीबास उत्पादन (मे.ट.)	तिलापिया उत्पादन (मे.ट.)
1	पं. बंगाल	140	153	-
2	ओडीषा	36	25	-
3	आंध्र प्रदेश	318	35	-
4	तमिलनाडु	2	55	2
5	केरल	82	3	-
6	कर्नाटक	25	11	-
7	महाराष्ट्र	145	193	75
	कुल	**747**	**474**	**77**

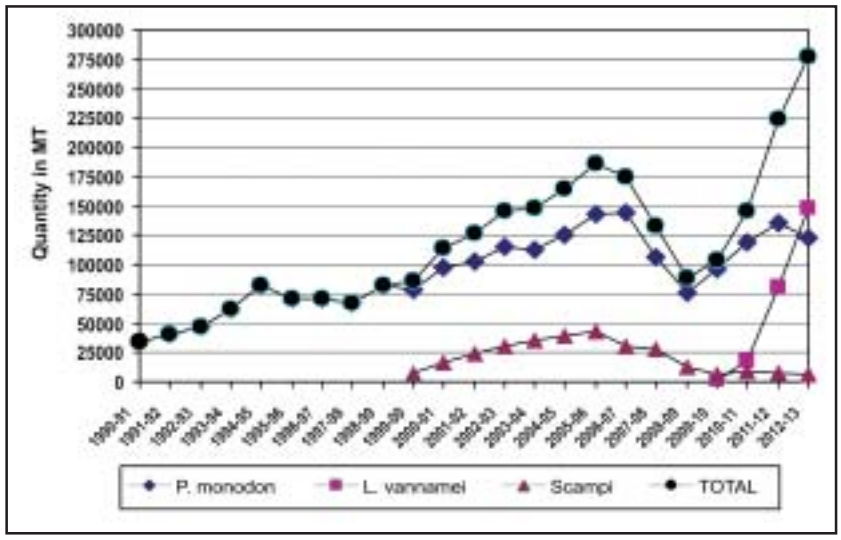

Figure - 2. Trends in aquaculture production of the three major species of Shrimp/prawns

Table - 9: Contribution of cultured Shrimp & Scampi in export production

Item	2012-13			2011-12			Difference		
	Quantity in MT	Value in ` Crore	Value in US $ Million	Quantity in MT	Value in ` Crore	Value in US $ Million	Quantity in MT	Value in ` Crore	Value in US $ Million
Tiger	61,177	2,809	521	74,097	3,684	791	-12,920	-875	-269
Vannamei	91,171	3,937	731	40,787	1,820	386	50,382	2,118	345
Scampi	2,061	112	21	2,723	155	33	-662	-43	-13
White Shrimp	529	21	4	1,585	71	15	-1,056	-50	-11
Total	**1,54,938**	**6,879**	**1,277**	**1,19,192**	**5,730**	**1,225**	**35,746**	**1,150**	**52**

8.1.3 Production of other exportable species

Efforts of MPEDA through its R&D arm, RGCA, and the Field Offices have resulted in promotion of aquaculture of a few exportable finfish and shellfish. Production of Seabass and Tilapia among the finfish and Crab among the shellfish has been reported by the field offices. The State-wise details of the production are given in the Table - 10 below: -

Table - 10: State-wise culture production of other exportable species

Sl. No.	State	Mud Crab production in MT	Seabass production in MT	Tilapia Production (MT)
1	West Bengal	140	153	-
2	Odisha	36	25	-
3	Andhra Pradesh	318	35	-
4	Tamil Nadu	2	55	2
5	Kerala	82	3	-
6	Karnataka	25	11	-
7	Maharashtra	145	193	75
	Total	**747**	**474**	**77**

8.2 संवर्धनात्मक कार्यकलाप

मुख्यालय में जलकृषि अनुभाग का उद्देश्य क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए एम्पीडा की विभिन्न वित्तीय एवं संवर्धनात्मक स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा समुद्रवर्ती राज्यों में निर्यात योग्य जलकृषि प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ाना है। यह विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों, वित्तीय एवं बीमा एजेंसियों, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा जलकृषि क्षेत्र के पणधारियों के साथ इस अनुभाग और क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा घनिष्ठ संपर्क से प्राप्त किया जाता है। इसमें शामिल हैं अपेक्षाओं का समय पर अनुपालन करने में स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए योजना बनाना, अनुमोदन लेना और क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ लगातार संपर्क में रहना।

8.2.1 नाक्सा के कार्यकलापों का समन्वय

एम्पीडा की विस्तार शाखा नाक्सा का प्राथमिक उद्देश्य चिरस्थाई एवं पर्यावरण के अनुकूल जल कृषि में समर्थ बनाने के लिए प्रबंधन के बेहतर तरीके (बीएमपी) अपनाने में छोटे किसानों का संवर्धन करना है। जलकृषि सोसाईटियों के गठन हेतु नाक्सा के प्रयासों से, बीएमपी अपनाने के ज़रिए उत्पादन की चुलौतियों के सामना करने में लघु स्तरीय कृषकों को एक उच्चतर और एकजुट आवाज़ मिल गई है। बाद में फोकस खाद्य सुरक्षा, अनुमार्गणीयता आदि जैसे मुद्दों में जागरूकता पैदा कर प्रमाणन हेतु छोटे किसानों को तैयार करने पर केन्द्रित किया जा रहा है। उत्पादन के प्रमाणन से छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजारों में बेहतर पहुंच उपलब्ध करवाकर जिम्मेवारी के साथसाथ अत्यंत जरूरी आर्थिक निर्भरता की शक्ति मिलेगी। जलकृषि उत्पादन के प्रमाणन का समर्थन बाजार की बेहतर और आसान पहुंच को सुकर बनाने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान नाक्सा की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

1) अनुमार्गणीयता एवं पंजीकरण

अनुमार्गणीयता एवं प्रतिजैविकी अवशिष्टमुक्त उत्पाद अब समस्त समुद्री खाद्य निर्यातों के लिए अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय जरूरत बन गए हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए ऐसे फार्मों की पहचान करना अनिवार्य है जहां से निर्यात मदों के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री की खरीद की जाती है। प्रतिजैविकी अवशिष्टमुक्त उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री की कटाईपूर्व जांच भी सर्वोत्तम कारगर तरीकों में से एक है। ई आई सी ने 10 मार्च, 2011 को का. आ. 497 (इ 1) के तहत इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि संगठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत/निर्दिष्ट प्राधिकरणों में पंजीकृत फार्मों से ही जलकृषि उत्पादों की खरीद करेंगे। दिनांक 2.1.2012 के अपने आदेश सं. ईआईसी/डी (क्यू/सी)/टी1/201112 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) को पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान की है।

आंध्र प्रदेश, ओडिषा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल राज्यों में जल कृषि फार्मों को पंजीकरण हेतु नामांकित किया गया था। अंतिम पंजीकरण फॉर्मों के निरीक्षण और औचक जांच के बाद किया जा रहा है। कुल 36,072 खारे जल के फार्मों और 1,428 मीठा जल फार्मों को नामांकित किया गया था जिनमें से, 34524 फार्मों ने जीपीएस साधनों द्वारा सत्यापन के बाद ऑन लाइन प्रविष्टि की थी। पंजीकरण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

2) पी एच टी पंजीकरण कार्यक्रम का ब्योरा

राज्य/सं.शा. क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या	ऑन लाइन प्रविष्ट आवेदनों की संख्या	जीपीएस साधनों से सत्यापित फार्मों की संख्या
आंध्र प्रदेश	23049	22899	23190
पं. बंगाल	6272	5438	2132
ओडीषा	3866	3515	2201
तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार	1310	1285	952
कर्नाटक/गोवा	356	346	204
केरल	561	422	116
महाराष्ट्र	110	110	107
गुजरात/दीव	548	509	57
कुल	**36072**	**34524**	**28959**

8.2 Promotional Activities

The objective of Aquaculture section at HO is to augment production of exportable aquaculture species in the maritime States by implementation of various financial as well as promotional schemes of MPEDA through the field centres. This is achieved by close liaison by the section and the field centres with various State Governments, other Central Government Establishments, Financial and Insurance agencies, various national and international organizations and stakeholders of aquaculture sector. This includes planning, approval and continuous touch with the field centres for a conducive environment for effective implementation of the schemes in time complying the requirements.

8.2.1 Coordination of the activities of NaCSA

The prime objective of NaCSA, the aquaculture extension wing of the MPEDA is to promote small scale farmers to adopt Better Management Practices (BMPs) enabling sustainable and environment friendly Aqua farming. NaCSA's efforts in formation of Aqua Societies have by and large provided a louder and unified voice to the small scale farmers in facing the challenges of production through adoption of BMPs. Subsequently, the focus is being shifted to get the small scale farmers prepared for Certification through creation of awareness in issues like food quality, traceability etc. Certification of produce will empower the small scale farmers with the much needed economic independence, coupled with responsibility by providing them better accessibility to competitive markets. Certification of the Aquaculture produce is advocated to facilitate better and easy access to the market.

The major achievements of NaCSA during the year 2012-13 are as follows;

1) Traceability and Registration

Traceability and antibiotic residue free products have now become mandatory international requirement for all seafood exports. In order to ensure this, identification farms from where raw material is procured for production of export items is essential. The Pre-harvest test of the raw material used in production is also one of the most effective methods of ensuring antibiotic residue free product. EIC issued instructions under SO 497 (E1) dated 10th March 2011 to the effect that the establishments shall procure aquaculture products only from farms registered with authorities authorized/designated by the Competent Authority. Vide its Order No. EIC/D(Q/C)/T-1/2011-12 dated 02.01.2012 the Competent Authority recognized the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) as a 'Registering Authority'.

The Aqua farms in the States of Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Kerala have been enrolled for registration. The final registration is being done after inspection of farms and random super check. A total of 36072 brackishwater farms and 1428 freshwater farms were enrolled in which 34524 farms were entered online after verification by GPS instruments. The progress of the registration programme is given below.

2) Details of PHT Registration programme

Sl. No.	State/UT	No. of Applications received	No. of Applications entered on line	No. of farms verified with GPS Devices
1	Andhra Pradesh	23,049	22,899	23,190
2	West Bengal	6,272	5,438	2,132
3	Odisha	3,866	3,515	2,201
4	Tamil Nadu/Pondicherry/A&N	1,310	1,285	952
5	Karnataka/Goa	356	346	204
6	Kerala	561	422	116
7	Maharashtra	110	110	107
8	Gujarat/Diu	548	509	57
	Total	**36,072**	**34,524**	**28,959**

3) जलकृषि सोसाइटियां

चालू वर्ष के दौरान नाक्सा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिषा और पंश्चिम बंगाल में 12 नई जलकृषक कल्याण सोसायटियों के गठन में सहायता और सुविधा प्रदान करने में सफल रहा जिनमें 339 जलकृषक और 166 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। नाक्सा के जरिए गठित सोसायटियों की कुल संख्या बढ़कर 819 हो गई है जिनमें लगभग 16,466 हेक्टेयर क्षेत्र रखने वाले 18,039 से अधिक किसान शामिल है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत सोसायटियों की कुल संख्या 694 हो गई। इन सोसायटियों में से दिनांक 31.3.2012 तक 373 सोसायटियों ने एम्पीडा के पास अनंतिम पंजीकरण प्राप्त किया, 115 को जलकृषक सोसायटियों की पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत स्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया जिनमें 2,550 हेक्टेयर क्षेत्र रखने वाले 2,629 किसान शामिल हैं।

इसके अलावा, नाक्सा ने अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 में 2000 जलकृषकों की भागीदारी को सुकर बनाया, सोसाइटी अवधारणा के साथ बीएमपी के कार्यान्वयन पर अंग्रेजी में एक निर्दशनात्मक वीडियो तैयार किया जिसे बाद में 9 क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित किया गया था। नाक्सा ने स्वस्थ पी. मोनोडोन बीजों के भंडारण, एटीएमए के सहयोग से बीएमपी पर सीआईएफई, मुंबई, आंध्र विश्व विद्यालय से प्रशिक्षित विद्यार्थियों और सोसायटी किसानों को सहयोग दिया। जीएए के प्रतिनिधियों ने पूर्वी गोदावरी जिले में नाक्सा सोसायटियों का दौरा किया और एम्पीडा सोसायटियों में किसानों द्वारा अपनाई गई आईसीएस (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली) के बारे में उनके साथ चर्चा की। एम्पीडा और नाक्सा के दो अधिकारियों को चीन में सामूहिक प्रमाणन में प्रशिक्षित किया गया है।

एम्पीडा के क्षेत्रीय केन्द्र व्यवहार संहिता के अंगीकरण के जरिए परिस्थिति अनुकूल एवं चिरस्थाई जलकृषि के संवर्धन हेतु विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों में नाक्सा दलों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

8.2.2 सोसायटियों को सहायता

एम्पीडा संबंधित समुद्र तटीय राज्यों के सोसायटी रजिस्ट्रारों/राज्य प्राधिकरणों के पास पंजीकृत जलकृषक कल्याण सोसाइटियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एम्पीडा के पास ऐसी सोसाइटियों का पंजीकरण चिरस्थाई जलकृषि हेतु व्यवहार संहिता (सीओपी) के जरिए अपेक्षित पात्रता के सत्यापन के बाद किया जा रहा है। इन जलकृषि सोसाइटियों का उद्देश्य भागीदारी पद्धति के जरिए उत्पादन, उत्पादकता और आय में सुधार करने, क्षमता निर्माण एवं प्राथमिक उत्पादकों के सशक्तिकरण, उन्नत सेवा प्रावधान तथा पणधारियों के बीच विचारविनिमय आदि को सुकर बनाने हेतु फार्मों में बेहतर प्रबंधन पद्धतियां (बीएमपी) अपनाना है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो सोसायटियों को अनंतिम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। दो सोसायटियों ने सीओपी लेखा परीक्षा योग्यता हासिल की थी, उन्हें स्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया था। शुरूआती अनुदान एवं एरेटरों की स्थापना हेतु कुल 12 सोसायटियों ने वित्तीय सहायता का लाभ उठाया। प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सोसाइटियों का पंजीकरण एवं वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्रम सं	राज्य	अनंतिम पंजीकरण	प्राप्त शुरूआती अनुदान	स्थायी पंजीकरण	प्राप्त अतिरिक्त सहायता	ऐसी सोसायटियों की संख्या जिन्हें अभी वित्तीय सहायता प्राप्त करनी है।
1	आंध्र प्रदेश	323	243	99	40	80
2	तमिलनाडु	21	19	6	2	2
3	ओडिषा	10	9	3	1	1
4	कर्नाटक	10	10	7	5	0
5	केरल	2	1	0	0	1
6	पश्चिम बंगाल	3	3	2	0	0
	कुल	**369**	**285**	**117**	**48**	**84**

3) Aqua Societies

During the current year, NaCSA was able to assist and facilitate in formation of 12 new Aqua Farmers' Welfare Societies covering 339 aqua farmers and 166 ha of area in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha and West Bengal. The total number of Societies set up through NaCSA has reached 819 involving over 18,039 farmers having about 16,466 ha area. During the year under report of the total number of Societies registered by various State Governments reached 694. Out of these Societies 373 Societies received provisional registration with MPEDA till 31.3.2012, 115 were accorded Permanent Registration under the scheme for registration of Aqua farmers Societies covering 2,629 farmers having 2,550 ha area.

Besides, NaCSA facilitated the participation of 2,000 aqua farmers in Aqua Aquaria India 2013, prepared an illustrative video in English, on BMPs implementation with Society concept which was later translated to nine vernacular languages. NaCSA was associated in stocking of High Health *P. monodon* seeds, trained students from CIFE, Mumbai, Andhra University and Society farmers on BMPs in association with ATMA. GAA representatives visited NaCSA Societies in East Godavari district and discussed with farmers regarding the ICS (Internal control system) adopted by them in MPEDA Societies. Two officials from MPEDA and NaCSA have been trained in China in Group Certification.

The field centres of MPEDA are coordinating in tandem with the NaCSA teams in various maritime States for promoting eco-friendly and sustainable aquaculture through adoption of Code of Practices.

8.2.2 Assistance to Societies

MPEDA has been providing financial assistance to the Aqua Farmers Welfare Societies registered with the Registrars of Societies/Sate Authorities of the respective maritime states. Such Societies are being registered with MPEDA after verifying the required eligibility through adoption of Code of Practices (CoP) for sustainable aquaculture. The objective of these Aqua Societies are to follow Better Management Practices (BMPs) in farms to improve production, productivity and returns through participatory approach, capacity building and empowerment of primary producers, facilitating improved service provision and interaction among stakeholders etc.

During the year under report, 2 Societies were issued provisional registration and 2 Societies qualified the CoP Audit were accorded permanent registration. Total 12 societies availed financial assistance on initial Start up grant and for installation of aerators. The details of assistance provided are given below.

Details of Registration and Financial Assistance to Societies

Sl. No.	State	Provisional Registration	Start up grant availed	Permanent Registration	Additional Assistances availed	Number of Societies yet to avail Financial Assistance
1	Andhra Pradesh	323	243	99	40	80
2	Tamil Nadu	21	19	6	2	2
3	Odisha	10	9	3	1	1
4	Karnataka	10	10	7	5	0
5	Kerala	2	1	0	0	1
6	West Bengal	3	3	2	0	0
	Total	**369**	**285**	**117**	**48**	**84**

8.2.3 श्रिम्प कृषि क्षेत्रों का जीआईएस मानचित्रण

विभिन्न समुद्रतटीय राज्यों के जलकृषि फार्मों के मानचित्रण हेतु एम्पीडा ने संबंधित राज्य की दूर संवेदी एजेंसियों को प्रत्यायोजित किया था। प्रस्तुत किए गए जीआईएस आंकड़ों में गुणवत्ता संबंधी जांच की गई थी और स्थान संबंधी त्रुटियों के बारे में एजेंसियों को सूचित किया गया था, जिनमें सुधार किया जा रहा है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ओडिषा और गुजरात के जलकृषि फार्मों का जीआईएस वैक्टर लेयर पूर्ण हो गया था। गुजरात, गोआ और कर्नाटक के मामले में संबंधित एजेंसी द्वारा रास्टर आंकड़ों की स्थान संबंधी यथातथ्यता में सुधार किया जाना है।

87 जीपीएस रिसीवरों की खरीद की गई थी और फार्म के आंकड़ों को दर्ज करने के लिए उपकरण के उपयोग के बारे में विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों तथा नाक्सा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए गए थे। जीपीएस आंकड़ों की डाउनलोडिंग, अंतरण एवं संपर्क हेतु एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था और नाक्सा के जीपीएस आंकड़ा संग्रहणकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण दिया गया था। पीएचटी आंकड़ा सत्यापन के एक भाग के रूप में संग्रहीत जीपीएस आंकड़ों के संकलन और गुणवत्ता संबंधी जांच की प्रक्रिया चल रही है।

निर्णय सहायताकारी साधन के रूप में फसल पूर्व जांच हेतु नमूना एकत्र करने के लिए चौकियों हेतु उचित मानचित्र तैयार किए गए।

विभिन्न प्रयोजनों के लिए आंकड़ा आधार का उपयोग करने हेतु आंकड़ों को ग्राहकानुकूल बनाने, अपेक्षाओं के अनुरूप अनुप्रयोग तैयार करने और एक इंटरप्राइज जीआईएस संरचना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।

8.2.4 इथोक्सीक्विन का पता लगाने के बारे में की गई कार्रवाई

मुद्दे का मूल्यांकन करने के लिए देश में आहार विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की दो बैठकें चेन्नई और कोच्चि में आयोजित की गई थी और मत्स्य आहार विनिर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक बैठक कोच्चि में आयोजित की गई थी तथा तत्काल उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई थी। क्षेत्रीय केंद्रों/उप क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा विभिन्न राज्यों से संग्रहीत विभिन्न विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के आहार नमूनों का विश्लेषण एथोक्सीक्विन की मौजूदगी के लिए किया गया था। 92 नमूनों की जांच की गई थी और जांच परिणामों के बारे में संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों/उप क्षेत्रीय केंद्रों को सूचित किया गया था।

8.2.5 जल कृषि के विविधीकरण के बारे में प्रदर्शन कार्यक्रमों के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण

एम्पीडा की आर एंड डी शाखा आरजीसीए ने फिन और शैलफिश की निर्यात योग्य किस्म के कृषि उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया है और उसने प्रजातियों अर्थात सीबास, कीचड़ केकड़ा, गिफ्ट तिलापिया, स्वस्थ टाइगर श्रिम्प आदि हेतु बीजों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। देश के विभिन्न भागों में किसानों के बीच प्रौद्योगियों का प्रचार प्रसार करने के लिए 19.11.2012 को आयोजित एक बैठक मे आरजीसीए द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का क्षेत्र को हस्तांतरण करने की कार्य योजना के बारे में निर्णय लिया गया था। तदनुसार क्षेत्रीय केन्द्रों को सूचित किया गया और इन प्रजातियों की कृषि पर प्रदर्शन शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र में उच्च स्वस्थ टाइगर श्रिम्प के परीक्षण ने बेहतर परिणाम प्रदर्शित किया है जहां 0.80 हेक्टेयर पानी भरे क्षेत्र में 1770 किग्रा. का उत्पादन हुआ है। आरजीसीए, गोपालपुर से स्वस्थ टाइगर श्रिम्प के बीजों का भंडारण भी गुजरात, केरल, ओडिषा में किया जाता है और निष्पादन अनुकूल रहा है। सीबास बीजों का भंडारण तमिलनाडु में किया जाता है जबकि तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में कीचड़ केकड़ा का प्रदर्शन किया जा रहा है। गिफ्ट तिलापिया का प्रदर्शन ओडिषा में किया जा रहा है। निर्यात योग्य विविधीकृत जलकृषि प्रजातियों की कृषि का प्रदर्शन करने के लिए शेष क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

8.2.6 हैचरियों का पंजीकरण और तिमाही निगरानी

समुद्र तटीय राज्यों में श्रिम्प हैचरियों का पंजीकरण चल रहा है। चालू वर्ष के दौरान एम्पीडा द्वारा आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में 10 हैचरियों को अनंतिम रूप से पंजीकृत किया गया है जिनमें से एक को सीएए अधिनियम के अनुसार स्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया है। जिन हैचरियों की स्थापना इनहाउस नैदानिक प्रयोगशालाओं और बहिस्राव अभिक्रिया इकाइयों में की गई है, उन पर स्थायी पंजीकरण के लिए विचार किया जा रहा है।

8.2.3 GIS Mapping of Shrimp farming areas

MPEDA had delegated respective State Remote Sensing Agencies for the mapping of aquaculture farms of various maritime states. Quality checks were conducted in the GIS data submittals and positional errors were reported to the agencies and are in the process of correction. GIS vector layers of aquaculture farms of Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Odisha and Gujarat were completed. In the case of Gujarat, Goa and Karnataka improvement of the positional accuracy of the Raster data have to be completed by the respective agency.

87 numbers of GPS receivers were procured and trainings were provided to officials of various field centres and NaCSA on using the instrument for recording farm data. A protocol for the downloading, transfer and connecting GPS data were developed and trainings were given for the same to the GPS data collectors of NaCSA. Compilation and quality check of GPS data collected as the part of PHT data verification is on process.

Suitable maps were developed for the out posts for sample collection for the Pre-Harvest Test as a decision support tool.

In order to utilize the database for various purposes, customization of the data, application development suiting to the requirements and implementation of an enterprise GIS set up is envisaged.

8.2.4 Action taken on Ethoxyquin detection

Two meetings with feed manufacturers and suppliers in the country were organized in Chennai and Kochi and one meeting was organized in Kochi with the fish meal manufacturers and suppliers to appraise on the issue and immediate steps to be taken were discussed. Feed samples of various manufacturers/suppliers collected from different States by the RC/SRCs were analyzed for presence of Ethoxyquin. 92 nos. of samples were tested and the test results are communicated to the concerned RC / SRCs.

8.2.5 Transfer of Technology through Demonstration programmes on diversification of aquaculture

RGCA, the R & D arm of MPEDA has standardized the technology for culture production of exportable variety of fin and shell fishes and started commercial production of seeds for species viz. Seabass, Mud Crab, GIFT Tilapia, High Health Tiger Shrimp, etc. To propagate the technologies among farmers in various parts of the country, it was decided in a meeting on 19.11.2012 on plan of action for transfer of technologies developed by RGCA to the field. Accordingly the field centres were informed and demonstrations on culture of these species are initiated. High Health Tiger Shrimp trial in Maharashtra has shown a good result by producing 1770 Kgs in 0.80 ha w.s.a. High Health Tiger Shrimp seeds from RGCA, Gopalpur are also stocked in Gujarat, Kerala, Odisha and the performance is promising. Seabass seeds are stocked in Tamil Nadu where as Mud Crab demonstrations are going on in Tamil Nadu and West Bengal. GIFT Tilapia is being demonstrated in Odisha. Actions are being taken by the rest of the field centres to demonstrate the culture of diversified exportable aquaculture species.

8.2.6 Registration and quarterly monitoring of hatcheries

Registration of Shrimp hatcheries in maritime States is in progress. During the current year, 10 hatcheries in Andhra Pradesh and Tamil Nadu are registered provisionally by MPEDA, out of which 1 has got permanent registration as per the CAA Act. Hatcheries that have established in-house diagnostic laboratories and effluent treatment units were being considered for permanent registration.

गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के भाग के रूप में क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा तिमाही निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत हैचरियों का निरीक्षण किया जा रहा है और वे पैथोजन तथा प्रतिबंधित प्रतिजैविकियों एवं औषधि की दृष्टि से सक्रिय पदार्थों के अवशिष्ट से उत्पन्न रोग की मौजूदगी के बारे में तिमाही आधार पर गुणवत्ता जांच हेतु बीज नमूने एकत्र कर रहे हैं। 1952 नमूनों की जांच की गई थी जिनमें से 167 नमूने पॉजिटिव पाए गए थे। जहां कहीं पैथोजन और प्रतिजैविकी के अवशिष्ट का निगरानी के दौरान पता चलता है, वहां अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

बालेश्वर, ओडिषा में उच्च स्वास्थ्य श्रिम्प बंपर संग्रहण

संग्रहण के बाद बालेश्वर, ओडीषा के उत्तोजित कृषक

8.2.7 अधिकारियों का क्षमता निर्माण

संगठन के तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच क्षमता निर्माण के उपायों के भाग के रूप में वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

1) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एलिसा प्रयोगशालाओं की पीएचटी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के एक भाग के रूप में क्षे.के./उप क्षे.के. एवं एलिसा नमूना संग्रहणकर्ताओं को फसलपूर्व जांच हेतु जल कृषि फार्मों का पता लगाने में जीपीएस के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

2) जलकृषि अनुभाग, मुख्यालय के दो अधिकारियों को यूएसएफडीए द्वारा बेहतर जलकृषि पद्धितयों पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

As part of the quality control measures, field centers have been inspecting the hatcheries under quarterly monitoring programme and are collecting seed samples on quarterly basis for quality checks for the presence of disease causing pathogens and residue of banned antibiotics and pharmacologically active substances. 1952 samples were tested out of which 167 samples were detected +ve. Follow up actions are taken whenever pathogens or residues of antibiotics are detected during the surveillance.

Bumper harvest of High Health Shrimps at Balasore, Odisha

Thrilled farmers at Balasore, Odisha after harvest

8.2.7 Capacity building of officials

As part of the capacity building measures among the technical officers/staff of the organization, various training programmes/workshops were organized during the year 2012-13.

1) During the year under report, trainings were given on the use of GPS in identifying the aquaculture farms for Pre-Harvest Test to RCs / SRCs and ELISA sample collectors as the part of streamlining the process of PHT of ELISA labs.

2) Trainers training on Good Aquaculture Practices by USFDA was imparted to two officers from the Aquaculture Section, HO.

3) जनवरी, 2013 के दौरान अरीजोना-एपीएल विश्व विद्यालय, यु एस ए के सहयोग से आरसीजीए द्वारा श्रिम्प रोग निदान में मूलभूत एवं उन्नत पाठ्यक्रमों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2 अधिकारियों को नामित किया गया था ताकि कृषित जीवों के रोग निदान में एम्पीडा के अधिकारियों को जानकार बनाया जा सके।

कोट्टपुरम, त्रिश्शूर जिला, केरल में खुले पश्चजल में संस्थापित पिंजरों में सीबास कृषि का प्रदर्शन

कोट्टपुरम, त्रिश्शूर जिला, केरल में खुले पश्चजल में प्रदर्शित पिंजरों से सीबास के नमूने

4) क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, क्षे.के. भुवनेश्वर और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, उ.दो.के., कोलकाता ने 27.8.2012 से 31.8.2012 तक सीबा, काकद्वीप द्वारा पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में श्रिम्प कृषि में बीएमपी पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

5) क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, क्षे.के. कोच्चि ने 12.9.2012 से 19.9.2012 तक सीएमएफआरआई, कोच्चि में एन बी एफ जी आर द्वारा आयोजित मात्स्यिकी अनुसंधान में मोलेक्यूलर मार्कर संबंधी प्रशिक्षण में भाग लिया।

8.2.8 वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

1) कृषित उत्पाद की फसल पूर्व जांच हेतु किसानों को रिकॉर्ड बुक जारी करने के कार्य को सुकर बनाने हेतु फार्म आंकड़ा संग्रहण। क्षेत्रीय केन्द्रों की सहायता से नाक्सा ने रिकॉर्ड बुक जारी करने के प्रयोजनार्थ सभी समुद्रतटीय जिलों में फार्म

3) Two officials were nominated to the Training programmes on Basic and Advanced courses in Pathology of Shrimps organized by RGCA in association with University of Arizona-APL, USA To equip the officials of MPEDA in disease diagnosis of cultured animals, during January 2013.

Demonstration of Seabass culture in cages installed in open backwater at Kottapuram, Thrissur dist., Kerala

Sampling of Seabass from the open backwater demostration cages at Kottapuram, Thrissur dist., Kerala

4) Field Supervisor, RC Bhubaneswar and Field Supervisor, SRC Kolkata participated in the training programme on BMP in Shrimp farming with special reference to West Bengal by CIBA , Kakdwip from 27.8.2012 to 31.8.2012.

5) Field Supervisor, RC Kochi participated in the training on Molecular marker in Fisheries Research organized by NBFGR at CMFRI, Kochi from 12.9.2012 to 19.9.2012.

8.2.8 Major achievements during the year

1) Farm Data Collection for facilitating issue of Record books to farmers for Pre-Harvest Testing of farmed produce NaCSA with assistance from the Field Centres has undertaken the farm data collection work

आंकड़ा संग्रहण कार्य शुरू किया है जिससे उन्हें निर्यात हेतु कृषित श्रिम्प की फसल पूर्व जांच करने में सुविधा मिलेगी। फार्मों के सर्वेक्षण हेतु जीपीएस उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और फार्म इनका समन्वय कर इन्हें दर्ज करता है जिसके आधार पर पी एच टी हेतु एलिसा प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए प्रत्येक फार्म को विशिष्ट आई डी प्रदान किया जाता है। इससे किसी प्रतिबंधित प्रतिजैविकी या रसायन का पता लगाने में मदद मिलेगी।

फसल पूर्व जांच के संबंध में जल कृषि फार्मों का पंजीकरण पूर्ण होने वाला है। कुल 60411 खारा जल फार्मों में से समस्त तटीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में 36438 फार्मों को नामांकित किया गया है। संग्रहीत आंकड़ों की ऑन लाइन प्रविष्टि की जा रही है और अब तक 36050 फार्मों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि की गई है।

आगामी फसल मौसम के दौरान समय पर नमूनों के संग्रहण को सुकर बनाने के लिए श्रिम्प कृषि क्षेत्रों में पीएचटी नमूनों के संग्रहण हेतु चौकियां स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की गई थी। आरंभ में ऐसी 20 चौकियों की स्थापना की जा रही है जबकि प्रस्ताव 35 का है जिन्हें जरूरत के अनुसार चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा।

8.3 वित्तीय सहायता स्कीमों का कार्यान्वयन

नए फार्म के विकास, हैचरियों की स्थापना, रोग निदान प्रयोगशालाओं, बहिस्राव अभिक्रिया इकाइयों की स्थापना हेतु पणधारियों को समुचित वित्तीय सहायता, पंजीकृत जल कृषि सोसायटी किसानों को सहायता आदि प्रदान कर जल कृषि विकास के अंतर्गत और अधिक उपयुक्त क्षेत्र लाने के लिए एम्पीडा द्वारा अपने प्रयास जारी रखे जा रहे हैं।

चालू वर्ष के दौरान जल कृषि सोसायटी किसानों के लिए सभी रोगों हेतु बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संगठन की शर्तों पर सहमति व्यक्त किए जाने के साथ बीमा क्षेत्र को आश्वस्त करने के वास्तविक प्रयास किए गए थे।

रोगों के प्रादुर्भाव और प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए अपने फार्मों का बीमा कराने हेतु जल कृषि सोसायटी किसानों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता से एम्पीडा द्वारा एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई थी।

8.3.1 नव फार्म विकास सहायता का कार्यान्वयनः

वर्ष 2012-13 के दौरान 390 हेक्टेयर के श्रिम्प और स्कैम्पी फार्मों का विकास करने के लिए 100.00 लाख रुपए के लक्ष्य की तुलना में 344.80 हेक्टेयर के नए फार्मों का विकास करने हेतु गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ओडिषा और पश्चिम बंगाल राज्यों में संबंधित लाभार्थियों को 183 श्रिम्प/स्कैम्पी फार्मों को 138.09 लाख रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई।

8.3.2 रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता

भारत में एल. वन्नामेई की शुरूआत के साथ कई राज्यों में कई हैचरियां इस किस्म के बीजों का उत्पादन करने की इच्छुक हैं। चूंकि सी ए ए द्वारा पी सी आर प्रयोगशालाओं की स्थापना को अनिवार्य जरूरत बना दिया गया है, इसलिए बीज उत्पादन कार्यकलाप शुरु करने की इच्छुक हैचरियों द्वारा पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। वर्ष के दौरान 50 लाख रूपए की वित्तीय अपेक्षा वाली 10 प्रयोगशालाओं के लक्ष्य की तुलना में 12 प्रयोगशालाओं को 41.39 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई।

8.3.3 बहिस्राव अभिक्रिया इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता

स्रोत जल की बेहतर गुणवत्ता और छोड़े जाने से पूर्व अपशिष्ट जल की अभिक्रिया के जरिए स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सी ए ए मानदंडों के अनुसार सभी हैचरियों के लिए पंजीकरण हेतु ईटीएस अनिवार्य है। वर्ष 2012-13 के दौरान 20.00 लाख की वित्तीय अपेक्षा वाली 10 इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 8 इकाइयों को सहायता प्रदान की जा सकी जिसके लिए 11.09 लाख रूपए मंजूर किए गए थे।

8.3.4 वाणिज्यिक हैचरियों और नर्सरियों की स्थापना हेतु सहायता

वर्ष के दौरान टास्पार्क में एल. वन्नामेई ब्रुड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर की स्थापना के एक भाग के रूप में आर जी सी ए को उपलब्ध मशीनों के अनुरक्षण के पुनः रूपांतरण हेतु 50.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

in all the maritime districts for the purpose of issue of record books which would facilitate them for Pre Harvest Test of farmed Shrimps for export. GPS instruments are used for the survey of farms and the farm coordinates are recorded based on which unique ID is given to each farm for use by the ELISA labs for PHT. This would help traceability in case of any banned antibiotic or chemicals are found.

Enrolment of aquaculture farms in connection with Pre-Harvest Test is going to be completed. Out of a total 60,411 brackish water farms, 36,438 farms are enrolled in all coastal States & UTS. Online entry of the data collected is being made & so far data related to 36,050 farms are entered.

Action plan was made to put up PHT sample collection out posts in Shrimp farming areas for facilitating sample collection in time during the forthcoming harvest season. Initially 20 such outposts are going to be established out of the total 35 Nos. proposed which will be completed in phased manner as per requirement.

8.3 Implementation of the financial assistance schemes

MPEDA has been continuing its efforts to bring more suitable area under aquaculture development by suitably extending necessary financial support to the stake holders for new farm development, establishment of hatcheries, disease diagnostic laboratories, effluent treatment units, support to the registered Aqua Society farmers etc.

Efforts for convincing the insurance sector has become a reality with National Insurance Company agreeing to the terms of the organization for covering all the diseases for the Aqua Society farmers during the current year.

To motivate the Aqua Society farmers to insure their farms against losses due to disease outbreaks and against natural disasters, a pilot scheme was initiated by the MPEDA with the financial support from National Fisheries Development Board.

8.3.1 Implementation of New Farm development assistance

Financial assistance to 183 Shrimp/Scampi farms to the tune of ` 138.09 lakh was released to the concerned beneficiaries in the States of Gujarat, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Odisha and West Bengal during the year 2012-13 for developing new farms of 344.80 ha against the targets of ` 100.00 lakh for developing 390 ha of Shrimp and Scampi farms.

8.3.2 Assistance for establishment of disease diagnostic labs

With the introduction of *L. vannamei* in India, a number of hatcheries in many States are keen to take up the seed production of the variety. As establishment of PCR labs has been a mandatory requirement by CAA, hatcheries keen to commence the seed production activity are in the process of establishment of PCR labs. During the year as against the target of 10 labs with a financial requirement of ` 50 lakh, financial assistance was released to 12 labs to the tune of ` 41.39 lakh.

8.3.3 Assistance for establishment of Effluent Treatment units

ETS is mandatory for registration for all hatcheries as per CAA norms to maintain good quality of source water and healthy environment through treatment of waste water before release. During the year 2012-13, as against the targets of 10 units with the financial requirement of ` 20.00 lakh, 8 units could be assisted during the year for which ` 11.09 lakh was sanctioned.

8.3.4 Assistance for establishing Commercial Hatcheries and Nurseries

During the year, as part of establishment of *L.vannamei* brood stock multiplication centre at TASPARC, RGCA was extended financial assistance to the tune of ` 50.00 lakh for re-modification of maintenance of the available machineries.

शैल और फिनफिश की कृषि में नर्सरियां अत्यंत संगत हैं। ग्रो-आउट प्रचालन में मत्स्य/शैलफिश की वृद्धि और उत्तरजीविता में नर्सरी सुविधा से किशोरों/फिंगरलिंग्स भंडारण द्वारा पर्याप्त सुधार किया जा सकता है। वर्ष के दौरान यह प्रस्ताव किया गया था कि स्कैम्पी, फिन फिश किस्मों के पालन हेतु नर्सरियों की स्थापना करने के लिए 5.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। दो नर्सरियों को ` 3.37 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकी।

8.3.5 सोसायटियों को सहायता

एरेटरों की खरीद, विद्युत/प्रयोगशाला की स्थापना जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए पंजीकृत सोसायटियों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री का उत्पादन करने में स्वावलंबी बनाया जा सके। कुल 12 सोसाइटियों ने 15.91 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की जिनमें से 4 सोसाइटियों ने 50,000 रूपए की दर से शुरूआती अनुदान सहायता प्राप्त की जबकि शेष 8 सोसाइटियों ने कृषि क्षेत्रों में एरेटरों, स्थापित विद्युत सुविधाओं जैसी सामान्य सुविधाओं का अर्जन करने के लिए दूसरा अनुदान प्राप्त किया।

8.3.6 पारंपरिक फार्मों को सहायता

केरल में कुल 3 पारंपरिक सकैम्पी फार्मों में 142 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु 3 कृषक समूहों के लिए 3.18 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

8.3.7 विदेश दौरे

- ❖ डॉ. एस. कंडन, सहायक निदेशक (जलकृषि) ने 24.4.2012 से 27.4.2012 तक बुडापेस्ट, हंगरी में ई यू आहार नियमों तथा तीसरे देशों के लिए आहार आयात अपेक्षाओं पर आयोजित बी टी एस एफ प्रशिक्षण सेमिनार में भाग लिया।
- ❖ राम आधार गुप्ता, उप निदेशक (जलकृषि) ने 11.9.2012 से 14.9.2012 तक वारसॉ, पोलैंड में ई यू आहार नियमों तथा तीसरे देशों के लिए आहार आयात अपेक्षाओं पर आयोजित बी टी एस एफ प्रशिक्षण सेमिनार में भाग लिया।
- ❖ दिलीप कुमार बिश्वास, उप निदेशक (जलकृषि) ने 9.8.2012 से 10.8.2012 तक बैंकॉक में ई एम एस/ए एच पी एन एस परामर्श में भाग लिया।
- ❖ एम. विश्वकुमार, सहायक निदेशक (जलकृषि) ने 15.8.2012 से 16.8.2012 तक फुकेत, थाइलैंड में जलकृषि गोल मेज श्रृंखला, 2012 में भाग लिया।
- ❖ निदेशक, एम्पीडा ने 1.9.2012 से 05.9.2012 तक बैंकॉक पराग्वे, चैक गणराज्य, में अक्वा, 2012 वैश्विक जलकृषि में भाग लिया।
- ❖ अध्यक्ष, एम्पीडा ने 30.10.2012 से 2.11.2012 तक बैंकॉक में जी ओ ए एल, 2012 में भाग लिया। अध्यक्ष ने 3.11.2012 से 5.11.2012 तक ब्रुनेई सरकार की एस पी एफ टाइगर श्रिम्प पालतूकरण परियोजना का भी दौरा किया।
- ❖ पी.एन. विनोद, सहायक निदेशक (जलकृषि) ने 6.12.2012 से 7.12.2012 तक भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त मात्स्यिकी तकनीकी समिति की बैठक के सिलसिले में जकार्ता, इंडोनेशिया के दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी की।

8.4 भारत जैविक जलकृषि परियोजना (आई ओ ए पी)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने समुद्रवर्ती राज्यों में जैविक जल कृषि का संवर्धन जारी रखा। भरत में जैविक कृषि की व्यापक संभावना है जिसके लिए एम्पीडा ने एक पृथक कार्यक्रम, "भारत जैविक जलकृषि परियोजना" शुरू किया है। सिप्पो, स्विटजरलैंड के सहयोग से वर्ष 2007 में शुरू हुई आई ओ ए पी वर्ष 2009-10 में संपन्न हुई थी। सिप्पो के साथ परियोजना की समाप्ति पर एम्पीडा ने देश में जैविक जलकृषि के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय अनुभव और ज्ञान अर्जित किया है। इस समय आई ओ ए

Nurseries are highly relevant in the culture of shell and fin fishes. Growth and survival of the fish/shellfish in the grow-out operation can be significantly improved by stocking the juveniles/fingerlings from the Nursery facility. During the year it was proposed to extend financial assistance to the tune of ` 5.00 lakh for establishment of Nurseries for rearing Scampi, finfish varieties. Assistance could be extended to 2 Nurseries to the tune of ` 3.37 lakh.

8.3.5 Assistance to Societies

Financial assistance as subsidies is being extended to the registered societies for various activities like purchase of aerators, establishment of electricity, laboratory for making them self sufficient in producing top quality raw material. A total of 12 Societies received financial assistance to the tune of ` 15.91 lakh of which 4 Societies received start up grant assistance @ ` 50,000/- while the rest 8 Societies received the second grant for acquiring common facilities like aerators, established electricity facilities in the farming areas.

8.3.6 Assistance to Traditional Farms

Financial assistance was provided to the tune of ` 3.18 lakh for 3 farmer groups for adopting improved technology for increased production in total 142 ha area in Kerala in 3 traditional scampi farms.

8.3.7 Visits Abroad

- Dr. S. Kandan, Assistant Director (AQ) participated in the BTSF training seminar on EU feed rules and feed import requirements for third countries at Budapest, Hungary from 24.4.2012 to 27.4.2012.
- Ram Adhar Gupta, Deputy Director (AQ) participated in the BTSF training seminar on EU feed rules and feed import requirements for third countries at Warsaw, Poland from 11.9.2012 to 14.9.2012.
- Dilip Kumar Biswas, Deputy Director (AQ) participated in the EMS/AHPNS consultation at Bangkok fro 9.8.2012 to 10.8.2012.
- M. Viswakumar, Assistant Director (AQ) participated in the Aquaculture Round Table Series 2012 at Phuket, Thailand from 15.8.2012 to 16.8.2012.
- Director, MPEDA participated in the AQUA 2012 Global Aquaculture at Prague, Czech Republic from 1.9.2012 to 5.9.2012.
- Chairman, MPEDA participated in the GOAL 2012 from 30.10.2012 to 2.11.2012 at Bangkok. Chairman also visited SPF Tiger Shrimp Domestication Project of the Government of Brunei from 03.11.2012 to 05.11.2012.
- P.N. Vinod, Assistant Director (AQ) participated in the delegation to visit Jakarta, Indonesia in connection with Joint Technical Committee meeting on Fisheries between India and Indonesia from 6.12.2012 to 7.12.2012.

8.4 INDIA ORGANIC AQUACULTURE PROJECT (IOAP)

The Authority continued to promote Organic Aquaculture in the maritime states, during the year under report. India has largest potential in organic farming, for which MPEDA has initiated a separate programme, the "India Organic Aquaculture Project". IOAP, started in 2007 with the collaboration of SIPPO, Switzerland was concluded in 2009-10. At the end of the project with SIPPO, MPEDA has gained necessary field experience and exposure to promote organic aquaculture in the country. At present, IOAP is working on

पी जैविक जलकृषि विकास हेतु सहायता की संशोधित प्रणाली पर कार्य रही है। जैविक जलकृषि परियोजना हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के अलावा, आई ओ ए पी द्वारा चल रहे कार्यक्रमों की निगरानी भी की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय, स्थानीय निरीक्षण एजेंसियों और मे. डब्ल्यू ए बी ट्रेडिंग इंटरनेशनल (एशिया) लि. जैसे अन्य संबंधित संगठनों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस) की स्थापना हेतु समन्वय किया जा रहा है।

एम्पीडा द्वारा संशोधित स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष 2011-12 से किया गया था। इसके परिणामस्वरूप इस स्कीम से विभिन्न राज्यों में सकारात्मक विकास प्रदर्शित हुआ है। इस समय जैविक जलकृषि कार्यकलाप पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में प्रगति पर हैं। आई ओ ए पी द्वारा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा जैसे अन्य तटीय राज्यों में संभावित संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। आई ओ ए पी भारत में जैविक जल कृषि हेतु भारतीय सफेद झींगे जैसी नई प्रजातियां शुरु करने का भी लक्ष्य रखता है और इस प्रकार आगामी वर्षों में जैविक कृषि में विस्तार होने की तैयारी है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों का संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है:-

8.4.1 कृषि के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र

वर्ष के दौरान केरल में 86.36 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र और 5.06 हैक्टेयर मीठा जल क्षेत्र में क्रमशः जैविक श्रिम्प और जैविक स्कैम्पी बीजों का संभरण किया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में 78.37 हैक्टेयर और पश्चिम बंगाल में 265 हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक श्रिम्प बीजों का संभरण किया गया था। इस प्रकार वर्ष के दौरान जैविक जलकृषि के अंतर्गत लाया गया कुल क्षेत्र 434.79 हैक्टेयर है।

8.4.2 जैविक जलकृषि हेतु अभिज्ञात किए गए नए क्षेत्र

एम्पीडा ने जैविक जलकृषि के विकास हेतु तटीय राज्यों में संभावित क्षेत्रों का पता लगाना जारी रखा। परिणामतः वर्ष के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल जैसे विभिन्न राज्यों में 132.95 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था।

जैव अक्वाकल्चर फार्म का दृश्य

8.4.3 जैविक फार्मों का मॉनीटरिंग

आई ओ ए पी/एम्पीडा द्वारा जैविक जलकृषि फार्मों का समय समय पर मानीटरिंग किया गया थी ताकि फसल हेतु बीज संभरण से जैविक पद्धतियां अपनाने के लिए किसानों का आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन किया जा सके। आगे, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस) भी लागू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषक समूह जैविक प्रमाणन मानकों के अनुसार फार्म प्रबंधन का पालन करते हैं।

8.4.4 जैविक श्रिम्प कृषि कार्यक्रम

एम्पीडा ने वलमंगलम, आलप्पुषा जिले में वट्टकाट्टुशेरी, जैविक श्रिम्प फार्म में एक कार्यक्रम 'इनऑगुरल हार्वेस्ट ऑफ आर्गेनिक श्रिम्प' चलाया। अध्यक्ष, एम्पीडा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में निदेशक, निदेशक (एम),

a modified pattern of assistance for Organic Aquaculture Development. Apart from surveying suitable areas for organic aquaculture project, IOAP is also monitoring the ongoing programs and coordinating with the international certification body, local inspection agencies as well as other concerned organizations such as M/s. WAB Trading International (Asia) Ltd for the formation of Internal Control System (ICS).

Revised scheme was implemented by MPEDA from 2011-12. As a result the scheme was shown positive developments in various States. At present, organic aquaculture activities are progressing in the State of West Bengal, Andhra Pradesh and Kerala. The potential resources in other Coastal States such as Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra and Goa are being scaled up by IOAP for future developments. IOAP is also targeting for the introduction of new species such as Indian White Shrimp for Organic Aquaculture in India and hence the Organic farming is set to expand in the coming years. The major developments during the year 2012-13 are briefed below:-

8.4.1 Area brought under culture

In Kerala, 86.36 ha brackish water area and 5.06 ha fresh water area were stocked with Organic Shrimp and Organic Scampi seed respectively, during the year. Besides, 78.37 ha in Andhra Pradesh and 265 ha in West Bengal were stocked with the Organic Shrimp seeds during the year. Hence, the total area brought under organic aquaculture during the year is 434.79 ha.

8.4.2 New areas identified for Organic Aquaculture

MPEDA continued to identify potential areas in the coastal States for development of Organic aquaculture. As a result, 132.95 ha of brackish water area were surveyed in different States such as Karnataka, Maharashtra and Kerala during the year.

View of an Organic Aquaculture Farm

8.4.3 Monitoring of organic farms

The Organic Aqua Farms were monitored periodically by the IOAP / MPEDA to provide necessary technical guidance to the farmers to adopt Organic practices right from seed stocking to harvest. Further, the Internal Control System (ICS) is also implemented to ensure that farmer groups comply with the farm management as per Organic Certification Standards.

8.4.4 Organic Shrimp Harvest Programme

MPEDA conducted a programme, 'Inaugural Harvest of Organic Shrimp' at Vattakkattussery Organic Shrimp Farm in Valamangalam, Alappuzha District. Chairman, MPEDA inaugurated the programme. Director,

संयुक्त निदेशक (जल कृषि एवं प्रशिक्षण) तथा एम्पीडा के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर केरल राज्य मात्स्यिकी के उप निदेशक, डब्ल्यू ए बी ट्रेडिंग इंटरनेशनल (एशिया) लि. के प्रंबध निदेशक और केरल जल कृषक परिसंघ के प्रतिनिधि उपस्थि थे। इस समारोह की विभिन्न मीडिया ने कवरेज की थी। आई ओ ए पी की तकनीकी और वित्तीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2008 के दौरान केरल में कृषित विश्व के सर्वप्रथम जैविक मीठा जल झींगा एम्पीडा की उल्लेखनीय उपलब्धि थी और अब इसके बाद जैविक रूप से कृषित टाइगर झींगों की फसल इस राज्य में अपने प्रकार की एक अन्य आई ओ ए पी उपलब्धि है जो वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है।

8.4.5 जैविक जलकृषि उत्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान 270.28 मे.ट. जैविक श्रिम्प का उत्पादन किया गया था। इसमें 232.12 मे.ट. पश्चिम बंगाल से, 28.71 मे.ट. आंध्र प्रदेश से और 9.15 मे.ट. केरल से प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान केरल के कुट्टानाड क्षेत्र में जैविक स्कैम्पी कृषक समूह से 0.30 मे.ट. जैविक स्कैम्पी का उत्पादन किया गया था।

अध्यक्ष, एम पी ई डी ए वट्टाक्काट्टुश्शेरी श्रिम्प फार्म, वलमंगलम में आयोजित संग्रहण समारोह का उद्घाटन करती हैं

श्री पी. मोहनसुन्दरम, निदेशक, एम पी ई डी ए उदघाटन समारोह की सभा का अभिसंबोधन करते हैं

Director (M), Joint Director (Aqua & Trg.) and other MPEDA officials participated in the programme. Deputy Director of Kerala State Fisheries, Managing Director of WAB Trading International (Asia) Ltd and the representatives of Kerala Aqua Farmers Federation were present in the occasion. The function was well covered by various media. The world's first organic fresh water prawn harvested in Kerala during 2008 under the technical and financial support of IOAP was a remarkable achievement of MPEDA, is now followed by organically cultured tiger prawns harvest, first of its kind in the State, is another achievement of IOAP during the year.

8.4.5 Organic Aquaculture production

270.28 MT of Organic Shrimp was produced during the year 2012-13. In this, 232.12 MT from West Bengal, 28.71 MT from Andhra Pradesh and 9.15 MT from Kerala were sourced. Besides, 0.30 MT of Organic Scampi was produced from the Organic Scampi farming group in the Kuttanad region of Kerala during the year.

Chairman, MPEDA inaugurates the harvest function conducted at Vattakkattussery Shrimp Farm, Valamangalam

Shri P Mohanasundaram, Director, MPEDA addresses the audience at the inaugural function

श्री जोर्ज अलक्सांडर, वट्टाक्काटुश्शेरी श्रिम्प फार्म को संग्रहित जैव श्रिम्प देती हुई अध्यक्ष एम पी ई डी ए

जैव श्रिम्प से भरी टोकरी

8.4.6 कीमत समिति की बैठक

कुट्टानाड जैविक स्कैम्पी कृषक समूह द्वारा उत्पादित जैविक स्कैम्पी की कीमत तय करने के लिए एम्पीडा, मुख्यालय में दिनांक 7.11.2012 को कीमत समिति की एक बैठक बुलाई गई थी। समिति ने पारंपरिक कीमतों के अलावा, 20 प्रतिशत प्रीमियम पर जैविक स्कैम्पी ग्रेडों की कीमत तय की। मे. बेबी मैरीन इंटरनेशनल (जैविक प्रसंस्करण कर्ता) के प्रतिनिधियों, जैविक स्कैम्पी किसानों, एम्पीडा निदेशक, संयुक्त निदेशक (जल कृषि एवं प्रशिक्षण) तथा एम्पीडा के अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया था।

8.4.7 निविष्टि आपूर्तिकर्ताओं का पैनल तैयार करना

निविष्टि आपूर्तिकर्ता (जैविक श्रिम्प बीज) मे. साईं बालाजी हैचरीज, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश को जैविक जलकृषि हेतु पैनल में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए एम्पीडा मुख्यालय में 23.11.2012 को पैनल समिति की एक बैठक बुलाई गई थी। निदेशक, सचिव, संयुक्त निदेशक (जल कृषि एवं प्रशिक्षण) तथा सहायक निदेशक (जलकृषि)-आई ओ ए पी, जो समिति के सदस्य थे, ने जैविक श्रिम्प बीजों के उत्पादन और आपूर्ति हेतु इस इकाई को 3 वर्ष की अवधि के लिए पैनल में शामिल किया।

Chairman, MPEDA handing over harvested Organic Shrimp to Shri George Alexander, Vattakkattussery Shrimp Farm

A Basket full of Organic Shrimps

8.4.6 Price Committee meeting

A price Committee meeting was convened at MPEDA, HO on 07.11.2012 to fix the price of organic scampi produced by Kuttanad Organic Scampi Farming Group. The Committee fixed the price of Organic Scampi grades at 20% premium over the conventional prices. The representatives from M/s. Baby Marine International (Organic processor), Organic Scampi farmers, MPEDA Director, Joint Director (Aqua & Trg.) and other MPEDA officials attended the meeting.

8.4.7 Empanelment of input suppliers

An Empanelment Committee Meeting was convened at MPEDA HO on 23.11.2012 to recommend the empanelment of input supplier (Organic Shrimp seed) M/s. Sai Balaji Hatcheries, Visakhapatnam, Andhra Pradesh for Organic Aquaculture. The Director, Secretary, Joint Director (Aqua & Trg.) and Assistant Director (Aqua) - IOAP who were the members of the Committee empanelled the unit for a period of 3 years for the production and supply of Organic Shrimp seed.

8.4.8 आई ओ ए पी सब्सिडी सहायता

संशोधित स्कीम के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 205.24 हैक्टेयर क्षेत्र के विकास हेतु 30,46,730 रुपए की राशि जारी की गई थी। इस राशि में से 101.96 हैक्टेयर के विकास हेतु आंध्र प्रदेश में 20,18,611 रूपए की राशि जारी की गई थी और 103.28 हैक्टेयर क्षेत्र के विकास हेतु केरल में 10,28,119 रुपए की राशि जारी की गई थी।

8.4.9 कार्यशालाएं/सेमिनार

- एम्पीडा ने गांधी जी स्टडी सेंटर, तोडुपुझा द्वारा 26 दिसंबर से 1 जनवरी, 2013 तक न्यूमैंस कॉलेज परिसर, तोडुपुझा में आयोजित कृषक मेले में भागीदारी की।
- सहायक निदेशक (जल कृषि) आई ओ ए पी ने कोडुंगालूर, त्रिशूर में दिनांक 14.3.2013 को क्षेत्रीय केन्द्र, कोच्चि द्वारा आयोजित कृषक बैठक के दौरान जैविक जल कृषि पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
- सहायक निदेशक (जल कृषि) आई ओ ए पी ने कण्णूर में दिनांक 27.9.2013 को उप क्षेत्रीय केन्द्र, कण्णूर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जैविक जल कृषि पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
- उप क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता ने लाहिरीपुर दक्षिणी 24 परगना, पाखीराला, तारेकेवर तथा हूगली क्षेत्रों में विभिन्न दिवसों पर जैविक जलकृषि के बारे में 3 जागरूकता अभियान चलाए। इस कार्यक्रम में लगभग 104 किसानों ने भाग लिया था।

क्षेत्रीय केन्द्र, तंजावुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जैव अक्वाकल्चर योजना पर व्याख्यान देते हुए श्री के रेजी माथ्यु, सहायक निदेशक, आई ओ ए पी, मुख्यालय

- क्षेत्रीय केन्द्र, पनवेल ने राज्य में जैविक जलकृषि के संवर्धन हेतु रायग़ढ, थाणे, सिंदुर्ग और रत्नागिरी में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए।
- क्षेत्रीय केन्द्र, कोच्चि ने राज्य में जैविक जलकृषि के संवर्धन हेतु केरल के त्रिशूर, कोट्टयम, पालक्काड, आलप्पुझा, कोल्लम और एर्णाकुलम जिले में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए।

8.4.10 जैविक स्कैम्पी हैचरी का प्रमाणन

जैविक स्कैम्पी बीज के उत्पादन हेतु हैचरी के जैविक प्रमाणन के लिए मे. इंडोसर्ट, आलूवा (भारत में स्थापित एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचालनरत प्रमाणन निकाय) ने कोनाथापाडू, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश स्थित आर जी जी ए स्कैम्पी ब्रुडस्टॉक विकास परियोजना का निरीक्षण किया।

8.4.8 IOAP subsidy assistance

As per the modified scheme, during the year under report, an amount of ` 30,46,730/- was released for the development of 205.24 ha areas. In this, an amount of ` 20,18,611/- was released in Andhra Pradesh for the development of 101.96 ha and ` 10,28,119/- was released in Kerala for the development of 103.28 ha area.

8.4.9 Workshops/Seminars

- MPEDA participated in the 'Karshika Mela' held at Newman's College ground, Thodupuzha from 26th December to 1st January 2013 organised by Gandhiji Study Centre, Thodupuzha.
- Assistant Director (Aqua) IOAP made a presentation on Organic Aquaculture during farmers meet conducted by Regional Centre, Kochi on 14.03.2013 at Kodungallur, Thrissur.
- Assistant Director (Aqua) IOAP made a presentation on Organic Aquaculture during the training programme conducted by Sub Regional Centre, Kannur on 27.09.2012 at Kannur.
- Sub Regional Centre, Kolkata conducted 3 awareness campaigns about Organic Aquaculture on various days at Lahiripur south 24 Parganas, Pakhiralla, Tarekewar and Hooghly areas. About 104 farmers participated in the programme.

Shri K. Reji Mathew, Assistant Director, IOAP, HO delivering lecture on Organic Aquaculture scheme at the training programme, conducted by Regional Centre, Thanjavur

- Regional Centre, Panvel conducted various awareness campaigns in Raigad, Thane, Sindhurg and Ratnagiri areas for the promotion of Organic Aquaculture in the State.
- Regional Centre, Kochi conducted various awareness campaigns in Thrissur, Kottayam, Palakkad, Alappuzha, Kollam and Ernakulam district of Kerala for the promotion of Organic Aquaculture in the State.

8.4.10 Certification of Organic Scampi Hatchery

M/s. INDOCERT, Aluva (A nationally and internationally operating, certification body established in India) conducted inspection of the RGCA Scampi Broodstock Development Project, at Konathapadu, Vijayawada, Andhra Pradesh for the Organic Certification of the hatchery for the production of Organic Scampi seed.

8.4.11 जैविक फार्मों का पूर्व मूल्यांकन

मेसर्स इंडोसर्ट, आलूवा द्वारा दि. 5 सितंबर, 2012 को जैविक श्रिम्प कृषि हेतु कर्नाटक राज्य में सोसायटी मेसर्स शारावती सिगडी कर्शिकारा संघ, हल्दीपुर का पूर्व मूल्यांकन निरीक्षण किया था।

क्षेत्रीय केन्द्र (जलकृषि) पनवेल ने मेसर्स ब्यूरो वेरीटास सर्टीफिकेशन इंडिया प्रा. लि., मुंबई द्वारा राज्य में जैविक जलकृषि हेतु संभावित क्षेत्रों का पूर्व साध्यता अध्ययन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे।

8.4.12 सर्वोत्तम जैविक श्रिम्प कृषक पुरस्कार

अक्वा अक्वेरिया इंडिया, 2013 में आंध्र प्रदेश के श्री दिन्ताकुर्ती मधुसूदनराव ने सर्वोत्तम जैविक श्रिम्प कृषक पुरस्कार और केरल के श्री जार्ज एलेक्जेंडर ने दूसरा सर्वोत्तम जैविक श्रिम्प कृषक पुरस्कार प्राप्त किया था।

अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 के दौरान श्री दिन्डाकुर्ती मधुसूदना राव, आन्ध्र प्रदेश सर्वोत्तम जैव श्रिम्प कृषक का पुरस्कार ग्रहण करते हैं

अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 के दौरान श्री जोर्ज अलक्सांडर, केरल, द्वितीय उत्तम जैव श्रिम्प कृषक का पुरस्कार ग्रहण करते हैं

8.5 निर्यात हेतु आलंकारिक मत्स्य प्रजनन का संवर्धन

8.5.1 आलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयों (ओ एफ बी यू) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

वर्ष 2012-13 के दौरान एम्पीडा ने 13.05 दशलक्ष मत्स्य की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले स्कीम कार्यान्वयनकर्ता राज्यों में 54 ओ एफ बी यू की स्थापना हेतु 160.16 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

8.4.11 Pre-evaluation of Organic Farms

Pre-assessment inspection of the Society M/s. Sharavathi Shigadi Karshikara Sangha Haldipur in Karnataka State for Organic Shrimp farming was conducted by M/s. INDOCERT, Aluva on 5th September 2012.

Regional Centre (AQ), Panvel had taken necessary steps for conducting pre-feasibility study of the potential areas for Organic Aquaculture in the State by M/s. Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, Mumbai.

8.4.12 Award for best Organic Shrimp Farmer

Mr. Dintakurthi Madhusudana Rao from Andhra Pradesh won the best Organic Shrimp Farmer award and Mr. George Alexander from Kerala got the second best Organic Shrimp Farmer award in the Aqua Aquaria India 2013.

The Best Organic Shrimp Farmer Shri Dintakurthi Madhusudhana Rao, Andhra Pradesh, receiving award during Aqua Aquaria India 2013

The Second Best Organic Shrimp Farmer Shri George Alexander, Kerala, receiving award during Aqua Aquaria India 2013

8.5 PROMOTION OF ORNAMENTAL FISH BREEDING FOR EXPORT

8.5.1 Financial Assistance for establishment of Ornamental Fish Breeding Units (OFBUs)

MPEDA has provided ` 160.16 lakh as financial assistance for the setting up of 54 OFBU's in the scheme implementing States with a production capacity of 13.05 million fish per annum during 2012-13.

8.5.2 आलंकारिक मत्स्य विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

एम्पीडा ने क्षमता निर्माण हेतु पणधारियों के लिए 7 मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 3 उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

8.5.3 आलंकारिक मत्स्य विकास पर जन अभियान एवं सामान्य जागरूकता कार्यक्रम

आलंकारिक मत्स्य क्षेत्र और स्कीमों के बारे में जनसाधारण एवं पणधारियों के लिए एम्पीडा ने 55 जागरूकता एवं अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

8.5.4 निर्यातक-प्रजनक बैठकें

केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 4 निर्यातक-प्रजनक बेठकों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों, थोक विक्रेताओं और निर्यातकों के बीच एक नेटवर्क तैयार करना था।

8.5.5 आलंकारिक मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र (ओ एफ टी सी)

एम्पीडा ने पणधारियों के क्षमता निर्माण हेतु स्कीम कार्यान्वयनकर्ता राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। एम्पीडा ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के ओ एफ टी सी हेतु तकनीकी अधिकारी/तकनीकी सहायक की भर्ती की है और इन ओ एफ टी सी के लिए आदर्श आलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयों की स्थापना हेतु पहली किस्त जारी की है।

8.5.6 पुस्तकों का प्रकाशन

- इस समय अलंकारिक मत्स्य के बारे में लागत प्रभावी संदर्भ मैनुअलों/पुस्तिकाओं की कमी है जो आम आदमी और प्रजनक आसानी से समझ सकते हैं। इसके अनुरूप एम्पीडा ने 'लिविंग ज्वैल्स-ए हैंडबुक ऑन फ्रेश वाटर आर्नामेंटल फिश' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है।
- एम्पीडा ने "इंडियन आर्नामेंटल फिशेज़" नामक पुस्तक, जो अब प्रकाशन के अंतिम चरण में है, को तैयार करने और उसका प्रकाशन करने के लिए श्री हीको ब्लेहर, अक्वाप्रेस पब्लिशर्स, इटली के साथ एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं।

8.5.7 आलंकारिक मत्स्य के निर्यात परेषण का स्वास्थ्य प्रमाणन

भारत सरकार ने ई यू को निर्यात हेतु आलंकारिक मत्स्य के लदानपूर्व निरीक्षण एवं स्वास्थ्य प्रमाणन के लिए एम्पीडा और ई आई सी को केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया है। एम्पीडा द्वारा पैनलबद्ध स्थानीय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अब ई यू एवं सिंगापुर के लिए आलंकारिक मत्स्य परेषणों हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (विशिष्ट अनुरोध के आधार पर) जारी किए जा रहे हैं।

एम्पीडा ने वर्ष 2012-13 के दौरान आलंकारिक मत्स्य परेषणों के लिए 39 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

प्राणी-विज्ञान व अप्लैड अक्वाकल्चर विभाग, बरकत्तुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश में आयोजित आलंकारिक मत्स्य कृषि पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.5.2 Training programmes for Ornamental Fish development

MPEDA has organized 7 basic training programmes and 3 advanced training programmes to the stakeholders for capacity building.

8.5.3 People's Campaign and General Awareness Programmes on Ornamental Fish development

MPEDA has organized 55 awareness & orientation programmes to general public and stakeholders about the Ornamental Fish sector and schemes.

8.5.4 Exporter-breeder meets

Four exporter-breeder meets were organized in the States of Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal. The main objective of the programme was to develop a network between the Ornamental Fish Breeders, Wholesalers and Exporters.

8.5.5 Ornamental Fish Training Centers (OFTC)

MPEDA has set up Training Centers in the scheme implementing States for capacity building of stakeholders. MPEDA has recruited Technical Officer / Technical Assistant for the OFTCs of Maharashtra and West Bengal and released the first installment for the setting up of model Ornamental Fish Breeding Units to these OFTCs.

8.5.6 Publication of books

- Currently there is a shortage of cost effective reference manuals / handbooks on Ornamental Fish, which can be easily understood by the layman and breeders. In line with this, MPEDA has published a book entitled "Living Jewels- A hand book on freshwater Ornamental Fish".
- MPEDA signed MoU with Mr. Heiko Bleher, Aquapress Publishers, Italy for the preparation and publication of a book entitled "Indian ornamental fishes" which is now in the final stages of publication.

8.5.7 Health Certification of export consignment of Ornamental Fish

Government of India has declared MPEDA and EIC as the central competent authorities for pre-shipment inspection and health certification of ornamental fishes for export to EU. The Local Competent Authorities empanelled by MPEDA are now issuing Health Certificate for ornamental fish consignments to EU & Singapore (based on specific request).

MPEDA has issued 39 Health Certificates for the Ornamental Fish consignments during 2012-13.

Basic training programme on Ornamental Fish culture organized at Department of Zoology & Applied Aquaculture, Barkatullah University, Bhopal, Madhya Pradesh

बेहदला गॉव, उना, हिमाचल प्रदेश में आयोजित ओ एफ बी यु योजना पर जागरुकता कार्यक्रम

8.5.8 प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशालाओं में भागीदारी

कार्यक्रम प्रबंधक (ओ एफ डी), तमिलनाडु ने 30-31 अगस्त, 2012 को आई एफ जी टी बी कोयम्बटूर में आयोजित साइट्स जागरूकता प्रशिक्षण के दौरान साइट्स में भारत की संकटापन्न आलंकारिक मत्स्य एवं उनके व्यापार पर व्याख्यान दिया था।

सहायक निदेशक (ओ एफ डी) ने तिरुवनंतपुरम में दिनांक 24.9.2012 को "केरल में अलंकारिक मत्स्य का विकासः संभावना एवं चुनौतियां" विषय पर फर्मा द्वारा आयोजित मंथन सत्र में भाग लिया और "आलंकारिक मत्स्य का अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन संभावना एवं चुनौतियां" पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।

कार्यक्रम प्रबंधक (ओ एफ डी), केरल ने दिनांक 21.11.2012 को अ.जा. महिला सशक्तीकरण हेतु एफएफडीए, एर्णाकुलम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और "लघु बैकयार्ड अलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाई की स्थापना" पर एक सत्र का संचालन किया है।

8.5.9 राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

- एम्पीडा ने 10 जुलाई, 2012 को रवीन्द्र भवन, भोपाल में मात्स्यिकी विभाग एवं मात्स्यिकी परिसंघ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित "मछुवा दिवस (मछुवारा दिवस 12)" में एक स्टॉल लगाया था।
- एम्पीडा ने 22 सितंबर, 2012 को सीआईएफई, रोहतक केन्द्र में एक स्टॉल लगाकर और इस हेतु राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम प्रबंधकों को प्रतिनियुक्त कर मत्स्योत्सव एवं प्रदर्शनी में भागीदारी की।
- एम्पीडा ने 30 नवंबर से 5 दिसंबर, 2012 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कोच्चि में स्वदेशी साईंस मूवमैंट, केरल द्वारा आयोजित "7 वां स्वाश्रय भारत 2012", विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक्स्पो में भागीदारी की।
- एम्पीडा ने 26 दिसंबर, 2012 से 5 जनवरी, 2013 तक गांधी जी स्टडी सेंटर, तोडूपुषा, केरल द्वारा आयोजित "कार्षिका मेला 2013, तोडूपुषा" में भागीदारी की।

Awareness Programme on OFBU scheme conducted at Village Behdala, Una, Himachal Pradesh

8.5.8 Participation in Training/Seminar/ Workshops

Programme Manager (OFD), Tamil Nadu delivered a talk on endangered ornamental fishes of India in CITES and their trade during CITES Awareness Training held on August 30-31, 2012 at IFGTB Coimbatore.

Assistant Director (OFD) participated in the brain storming session organized by FIRMA on the topic "Development of Ornamental Fisheries in Kerala: Potential and Challenges" on 24.09.2012 at Thiruvananthapuram and given a presentation on "Domestic and International Marketing of Ornamental Fishes - Potential and challenges".

Programme Manager (OFD), Kerala has attended training programme organized by FFDA Ernakulam for SC women empowerment on 21.11.12 and handled a session on 'Establishing a small scale backyard Ornamental Fish Breeding Unit'.

8.5.9 Participation in National Fairs/ Exhibitions

- MPEDA had put up a stall in "Machuwa Diwas (Fishermen's Day - 12)" organized by Department of Fisheries & Fisheries Federation, Government of Madhya Pradesh at Ravindra Bhawan, Bhopal on 10th July 2012.
- MPEDA participated in the "Fish Festival cum Exhibition" at CIFE, Rohtak Center on 22nd September 2012 by putting a stall and deputed Programme Managers of Rajasthan and Himachal Pradesh for the same.
- MPEDA participated in the "7th Swasraya Bharat 2012", Science and Technology Expo organized by Swadeshi Science Movement, Kerala at Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi from 30th November - 5th December 2012.
- MPEDA participated in the "Karshikamela 2013, Todupuzha" organized by Gandhiji Study Centre, Thodupuzha, Kerala from 26th December 2012 to 5th January 2013.

- ❖ एम्पीडा ने 5 से 7 जनवरी, 2013 तक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड, सिधि, मध्य प्रदेश में प्रेस सूचना ब्यूरो (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा आयोजित 33 वां भारत निर्माण सार्वजनिक सूचना अभियान में भागीदारी की।

अलंकारिक मत्स्य क्षेत्र में एम्पीडा के कार्यकलापों का प्रभावी प्रदर्शन इन प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाकर किया गया था।

8.5.10 मध्य प्रदेश उद्यमियों के लिए प्रदर्शन दौरा

कार्यक्रम प्रबंधक (ओ एफ डी), मध्यप्रदेश और क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने संयुक्त रूप से 22 और 23 अक्टूबर, 2012 को सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी जिले में मध्य प्रदेश उद्यिमयों के लिए अलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयों के प्रदर्शन दौरे का आयोजन किया था।

8.5.11 विदेशी विशेषज्ञ का दौरा

एक सुविख्यात अलंकारिक मत्स्य कृषक और लेखक श्री ब्राइन एंड्रयूज, जिन्हें एएआई 2013 की तकनीकी सत्र हेतु वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, ने 14 से 21 फरवरी, 2013 तक केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में ओएफबीयू का दौरा किया और निर्यात हेतु गुणवत्तायुक्त आलंकारिक मत्स्य के व्यापक उत्पादन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और सुझाव दिया।

9.0 प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन

एम्पीडा द्वारा प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक वित्तीय सहायता स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनके संघटक मुख्यतः मूल्यवर्धन पर विशेष जोर देते हुए समुद्री खाद्य उत्पादों के उत्पादन और निर्यात हेतु अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हैं। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता एम्पीडा की समस्त पंजीकृत मौजूदा प्रसंस्करण इकाइयों और नई इकाइयों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। देश की कुल निर्यात आय में मूल्यवर्धित उत्पादों के हिस्से को बढ़ाने और भारत को एक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र बनाने की दृष्टि से मूल्यवर्धन पर विशेष जोर दिया गया था।

9.1 वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय सहातया स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन शीर्ष के अंतर्गत अनुमोदित बजट अनुमान 1,170.0 लाख रुपए का था और विभिन्न संघटकों के अंतर्गत ` 1,206.18 की कुल राशि खर्च की गई थी, जिसमें 103.14 प्रतिशत की समग्र उपलब्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता का स्कीम वार ब्यौरा निम्नानुसार है।

9.1.1 मूल्यवर्धन हेतु निर्यातकों को सहायता

चूंकि मूल्यवर्धन भारत से समुद्री खाद्य के निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक थ्रस्ट क्षेत्र है, इसलिए यह आवश्यक है कि हैंडि्लंग, पूर्व प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के सृजन हेतु समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को सुविधासम्पन्न बनाया जाए। मूल्यवर्धन हेतु नई सुविधाओं का सृजन आवश्यक है और मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करना और मूल्यवर्धन हेतु अतिरिक्त सुविधा का सृजन करना जरूरी है। मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने हेतु एम्पीडा द्वारा अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु मौजूदा प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों और नए उद्यमियों के लाभार्थ विभिन्न सब्सिडी स्कीमें चलाई जा रही हैं।

9.1.2 समुद्री उत्पाद प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीयूएसएमपी)

वर्ष 2012-13 के दौरान मूल्यवर्धन हेतु नई इकाई की स्थापना, मूल्यवर्धित उत्पादों की मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार तथा अपेक्षित मशीनों और उपकरणों की स्थापना द्वारा मूल्यवर्धन में विविधीकरण हेतु टीयूएसएमपी स्कीम के अंतर्गत 8 प्रसंस्करण इकाइयों को 496 लाख रुपए की सहायता वितरित की गई थी।

- ❖ MPEDA participated in the "33rd Bharat Nirman Public Information Campaign" organized by Press Information Bureau (Ministry of Information and Broadcasting, Government of India) at College of Excellence Ground, Sidhi, Madhya Pradesh during 5th - 7th January 2013.

The activities of MPEDA in Ornamental Fish sector were effectively showcased in these shows by putting up stalls.

8.5.10 Exposure visit for Madhya Pradesh Entrepreneurs

Programme Manager (OFD), Madhya Pradesh and Regional Office, Mumbai jointly organized an Exposure visit for Madhya Pradesh Entrepreneurs to the Ornamental Fish Breeding units in Sindhudurg and Ratnagiri District on 22nd & 23rd October 2012.

8.5.11 Visit of Foreign Expert

Mr. Brian Andrews, a well known Ornamental Fish farmer and author who was an invited speaker for the Technical session of AAI – 2013 visited OFBUs in the States of Kerala, Tamil Nadu & Maharashtra from 14th - 21st February 2013 and gave technical guidance and suggestions for mass production of quality Ornamental Fish for export.

9.0 PROCESSING INFRASTRURE AND VALUE ADDITION

MPEDA is operating various developmental financial assistance schemes under the head Processing Infrastructure and Value Addition, the components of which are mainly intended for extending financial assistance for the creation of infrastructure facilities for the production and export of seafood products with special emphasis on value addition. The assistance under the various schemes can be availed by all the MPEDA registered existing processing units and also by the new units. The special emphasis to value addition was given with the view to increase the share of value added products in the total export earnings of the country and to make India a seafood processing hub.

9.1 Progress of the implementation of financial assistance schemes during 2012-13

During the year 2012-13, the approved Budget Estimate under the head Processing Infrastructure and Value Addition was ` 1,170 lakh and a total amount of ` 1,206.68 were spent under various components, thereby recording an overall achievement of 103.14%. The scheme wise details of the financial assistance provided during the year 2012-13 are as follows:-

9.1.1 Assistance to exporters for value addition

Value addition being the thrust area for increasing seafood's exports from India, it is necessary to equip the seafood processors to create state-of-art technology in handling, preprocessing, processing, packaging, warehousing and transportation. New facilities for value addition need to be created and the existing facilities needs to be expanded and additional facility for value addition are created. To increase the processing capacity for value added seafood products, MPEDA is operating various subsidy schemes for the benefit of existing processors, exporters and also to the new entrepreneurs for creation of required infrastructure facilities.

9.1.2 Technology Upgradation Scheme for Marine Products (TUSMP)

During 2012-13, an assistance of ` 496 lakh was disbursed to 8 processing units under TUSMP scheme for setting up new unit for value addition, expansion of the existing production capacity of value added products and for diversifying into value addition by installing required machinery and equipments.

मूल्यवर्धित उत्पादों

ब्रेडेड फिश फिंगर

ब्रेडड टेन्टाकिल

श्रिम्प नूडल्स

ब्रेडड कलमारी रिंग्स

9.2 शीत श्रृंखला के रख रखाव हेतु सहायता

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की प्रकृति अतिशीघ्र खराब होने वाली होती है इसलिए इन्हें संग्रहण से लेकर उपभोग तक शीत श्रृंखला में रखे जाने की जरूरत होती है। अतः शीत श्रृंखला और "फार्म से उपभोग तक" मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता के अनुरक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं के सृजन की जरूरत है। "शीत श्रृंखला अनुरक्षण" शीर्ष के तहत वर्ष 2012-13 के दौरान जलयान ऑपरेटरों, श्रिम्प किसानों, शीतित मत्स्य निर्यातकों, पूर्व प्रसंस्करण संयंत्रों, प्रसंस्करण संयंत्रों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को 220 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी।

9.2.1 इंसुलेटेड मत्स्य बॉक्सों का सब्सिडीयुक्त वितरण

मत्स्यन जलयानों पर, श्रिम्प फार्मों, पीलिंग शेडों, प्रसंस्करण संयंत्रों और शीतित मत्स्य हैंडि्लंग केन्द्रों में कच्ची सामग्रियों को बर्फीली स्थिति में समुचित परिरक्षण हेतु स्कीम की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लाभार्थियों को 34.65 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

Value Added Products

Breaded fish finger

Breaded Tentacles

Shrimp noodles

Breaded Calamari Rings

9.2 Assistance for the maintenance of Cold Chain

Owing to its highly perishable nature, fish and fishery products needs to be maintained under Cold Chain right from the harvest, until it is consumed. Hence necessary infrastructure needs to be created at various levels for the maintenance of Cold Chain and the quality of the fish and fish products 'from farm to fork'. Under the head 'Maintenance of Cold Chain', an assistance of ` 220 lakh was provided to beneficiaries belonging to the various categories like the Vessel operators, Shrimp farmers, Chilled Fish exporters, Pre-processing Plants, Processing Plants, etc, during 2012-13.

9.2.1 Subsidized distribution of Insulated Fish Boxes

Financial assistance of ` 34.65 lakh was given to beneficiaries under various categories of the scheme for proper preservation of raw materials in iced condition on board Fishing Vessels, in Shrimp Farms, Peeling Sheds, Processing Plants and Chilled Fish Handling Centers.

9.2.2 बड़े शीतभंडारों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

बड़े आधुनिक शीतभंडारों की स्थापना हेतु 7 लाभार्थियों को 184.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी जिसकी मदद से 20 डिग्री से. पर तैयार समुद्री उत्पादों की भंडारण सुविधा वाली 9,797 मे.ट. की अतिरिक्त शीतभंडार क्षमता का वर्ष 2012-13 के दौरान सृजन किया गया था।

9.3 मूलभूत अवसंरचना के सृजन हेतु निर्यातकों को सहायता

देश के कुल निर्यातों में सूखी मत्स्य के निर्यात हिस्से को बढ़ाने के लिए एम्पीडा निर्यात हेतु सूखे मत्स्य के हैंडलिंग एवं पैकिंग तथा भंडारण हेतु मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिए प्रसंस्करणकर्ताओं की सहायता करने हेतु सब्सिडी स्कीमें भी चलाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को वर्ष 2012-13 के दौरान सूखे मत्स्य के हैंडलिंग, पैकिंग और भंडारण हेतु मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिए 15.18 लाख रुपए की सहायता वितरित की गई थी।

9.3.1 मीठा जल मत्स्य में मूल्यवर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात का संवर्धन

यह परियोजना समुचित उत्पाद/बाज़ार विविधीकरण कार्यनीतियों के जरिए मीठा जल मात्स्यिकी संसाधनों के चिरस्थाई उपयोग के संवर्धन के लिए है। इसके व्यापक उद्देश्य हैं भारत से मीठा जल मत्स्य और उसके उत्पादों को चिरस्थाई ढंग से निर्यात और घरेलू विपणन, दोनों हेतु सहायता प्रदान करना, अभिनव पैकेजिंग/प्रस्तुतीकरण के जरिए बाजार विकास को सुकर बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, फसलोत्तर हानि को कम करना और विपणित मीठा जल मत्स्य उत्पादों की सुरक्षा/गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, इस क्षेत्र में घरेलू विपणन तथा निवेश के प्रोत्साहन सहित निर्यात प्रसंस्करण में मीठा जल मत्स्य प्रजातियों के उत्पादन एवं विपणन में छोटे/मध्यम ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना। परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण एवं विपणन कार्यकलापों के जरिए अंतर्देशीय जल कृषि और यथाप्रयोज्य अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी से संसाधनों के उन्नत हैंडलिंग, प्रसंस्करण और विपणन हेतु कार्यप्रणालियां शुरू करके प्राप्त किये जाएंगे। एफएओ सामान्य वस्तु निधि (सीएफसी) के अंतर्गत यह अपने प्रकार की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें भारत में फार्म में पाले गए मीठा जल मत्स्य से मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन और विपणन, जलकृषि प्रौद्योगिकी के अंतरण की परिकल्पना की जाती है। इस तीन वर्षीय परियोजना के चार प्रमुख संघटक हैं अर्थात (1) बाजार/उत्पाद अध्ययन, (2) प्रौद्योगिकी अंतरण, (3) निवेश संवर्धन, (4) क्षमता निर्माण और प्रसार।

एम्पीडा ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 4 लाभार्थियों को अभिज्ञात किया है जिनमें 2 ऐसी कंपनियां शामिल हैं, जो कृषित मीठा जल मत्स्य का उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात करती हैं और शेष दो कंपनियां कृषित मीठा जल मत्स्य का प्रसंस्करण और निर्यात करती हैं। एम्पीडा ने इन्फोफिश और 4 लाभार्थि कंपनियों के साथ परियोजना कार्यान्वयन करार निष्पादित किया है। इस स्कीम के परिणाम को फार्म में पाले गए मीठा जल मत्स्य से मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए सेमिनारों/प्रशिक्षण आदि के जरिए निवेश संवर्धन हेतु सभी हितबद्ध निर्यातकों/उद्यमियों को पहुंचाया जाएगा।

9.4 एस ई इज़ड में समुद्री खाद्य पार्कों की स्थापना

मूल्यवर्धित उत्पादों में निर्यात हेतु कच्ची सामग्री के आयात का संवर्धन करने और भारत को एक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र बनाने के लिए एम्पीडा की कल्पना विशेष आर्थिक जोनों (एस ई इज़ड) में समुद्री खाद्य पार्कों की स्थापना करने का है। एम्पीडा ने मूल्यवर्धन हेतु समुद्री खाद्य पार्क की स्थापना करने के लिए नेल्लोर, आंध्रप्रदेश में इफ्को किसान विशेष आर्थिक ज़ोन को अभिज्ञात किया है। चेन्नई और नेल्लोर क्षेत्र का निर्यात समुदाय इस केन्द्र में शामिल होने की स्थिति में होगा। कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसॉर्टियम लि. (सी सी सी एल), चेन्नई ने तूतीकोरिन में पर्ल सिटी

9.2.2 Financial assistance for setting up Large Cold Storages

Financial assistance amounting to ` 184.5 lakh was extended to 7 beneficiaries for establishment of modern Large Cold Storages, with the help of which Cold Storage capacity of 9,797 MT having facility to store finished seafood products at –20°C was additionally created during 2012-13.

9.3 Assistance to exporters for creating basic infrastructure

In order to increase the share of exports of dried fish in the total exports of the country, MPEDA also operates subsidy schemes to assist the processors to create the basic facilities for the handling and packing cum storage of dried fish for export. Under the scheme, an assistance of `15.18 lakh was distributed two beneficiaries for the creation of basic facilities for dried fish handling, packing and storage, during 2012–13.

9.3.1 Promotion of processing and export of Value Added Products in Freshwater Fishes

This project is to encourage the sustainable utilization of freshwater fishery resources through appropriate product/market diversification strategies. The broad objectives are to provide support for both export and domestic marketing of freshwater fish and their products from India in a sustainable manner; to provide technical assistance to facilitate market development through innovative packaging/ presentation, reducing post-harvest losses and ensuring safety/ quality of freshwater fish products marketed; to encourage small/ medium scale operators in production and marketing of freshwater fish species in export processing including domestic marketing and encourage investment in the sector. Project goals will be achieved through the introduction of methodologies for improved handling, processing and marketing of the resources from inland aquaculture, and inland capture fisheries where applicable, through environmentally friendly processing and marketing activities. The project, under the FAO Common Fund for Commodities (CFC), is the first of its kind that envisages transfer technology for aquaculture, production and marketing of Value Added Products from farm raised fresh water fishes in India. The three years project has four main components: viz., (1) Market / product studies, (2) Technology Transfer, (3) Investment Promotion (4) Capacity Building and Dissemination.

MPEDA has identified four beneficiaries for implementation of project which comprise Two companies involved in production, processing and exporting of farmed freshwater fishes and remaining two companies involved in processing and exporting of farmed freshwater fishes. MPEDA has executed Project Implementation Agreement with INFOFISH and four beneficiary companies. Outcome of this scheme will be taken over to all interested exporters / entrepreneurs for investment promotion through seminars / trainings etc to promote production, processing and export of value added products from farm raised freshwater fishes.

9.4 Setting up of Seafood Parks in SEZs

MPEDA has a vision to set up seafood parks in Special Economic Zones (SEZ) to promote import of raw material for export into value added products and to make India as a seafood processing hub. MPEDA has identified IFFCO Kisan Special Economic Zone at Nellore, Andhra Pradesh for establishment of Seafood Park for Value Addition. Export community from Chennai and Nellore region would be in a position to join this hub. Consolidated Construction Consortium Limited (CCCL), Chennai has floated Pearl City Food

फूड पोर्ट एस ई इज़ड की शुरूआत की है। मूल्यवर्धन हेतु समुद्री खाद्य पार्क की स्थापना करने के लिए सीसीसीएल ने समूह के सृजन हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए एम्पीडा से भी संपर्क किया है। इस संदर्भ में एम्पीडा ने विस्तृत मांग निर्धारण और व्यवहार्यता विश्लेषण अध्ययन करने का कार्य एक ऐसे सक्षम व्यावसायिक निकाय को सौंपा है जो इस समय अध्ययन का कार्य कर रहा है।

10.0 गुणवत्ता नियंत्रण

समुद्री खाद्य परंपरागत रूप से विश्व के कई भागों में आहार का एक लोकप्रिय भाग रहा है और कई देशों में यह पशु प्रोटीन का प्रमुख प्रदाता है। अलग अलग मत्स्य प्रजातियों की खास्थ्य विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण हैं और लोग, खासकर धनाढ्य देशों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग मांस के अन्य उत्पादों के विकल्प के रूप में मत्स्य को तरजीह दे रहे हैं। अतः खाद्य उत्पादकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों के लिए समुद्री खाद्य की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता है। अतः समुद्री खाद्य के गुणवत्ता नियंत्रण की जरूरत खासकर खाद्य जनित बीमारी की बढ़ती हुई दर के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण बन गई है। देश से निर्यातित समुद्री खाद्य की गुणवत्ता में सुधार करने की पहलें एम्पीडा के अधिदेशों में से एक है। गुणवत्ता शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे कि सुरक्षा, शुद्धता, पोषकता, सुसंगतता, उत्पाद उत्कृष्टता आदि। एम्पीडा का गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग समुद्री खाद्य उद्योग के सुदृढ़ीकरण की ओर उन्मुख है ताकि देश से निर्यात हेतु सुरक्षित एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य पौष्टिक मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सके।

वर्ष 2012-13 के दौरान इस अनुभाग द्वारा किए गए कार्यों/पहलों की रूपरेखा नीचे दी गई है:

10.1 एच ए सी सी पी प्रशिक्षण कार्यक्रम

एम्पीडा द्वारा उद्योग के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर एच ए सी सी पी के कार्यान्वयन में समुद्री खाद्य उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वेरावल, भीमावरम और मंगलौर में तीन एचएसीसीपी (मूलभूत) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, एम्पीडा ने यु एस खाद्य एवं औषध प्रशासन (यू एस एफ डी ए) और ज्वाइंट इंस्टीट्यूट फॉर फूड सेफ्टी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन (जिफ्सान) यु एस ए के सहयोग से रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समुद्री खाद्य एच ए सी सी पी कार्यान्वयन एवं बेहतर जलकृषि पद्धितयों पर दो "प्रशिक्षक को प्रशिक्षण" कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस श्रृंखला में प्रथम प्रशिक्षण का उद्घाटन अध्यक्ष, एम्पीडा द्वारा 4 मार्च, 2013 को सेंटर होटल, कोच्चि में किया गया था। इस श्रृंखला में दूसरे प्रशिक्षण का आयोजन नेल्लूर में 11 से 15 मार्च, 2013 तक किया गया था जिसका उद्घाटन 11 मार्च, 2013 को होटल लियो, नेल्लूर में संयुक्त निदेशक (गु. नि.) द्वारा किया गया था।

इन 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन यू एस एफ डी ए और जिफ्सान की जानीमानी हस्तियों और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर समुद्री खाद्य उद्योग के विभिन्न पणधारियों के लाभार्थ किया गया था।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारों को प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों और जलकृषि फार्मों में मौके पर अध्ययन शामिल था। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी भागीदारों को पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी भागीदारों ने समुद्री खाद्य एच ए सी सी पी के बारे में कॉरनेल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑन लाइन इंटरनेट प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया था ताकि अमरीका के ए एफ डी ओ (खाद्य एवं औषध अधिकारी एसोसिएशन) द्वारा एच ए सी सी पी प्रमाणन हेतु उन्हें सुविधा मिलें।

Port SEZ at Tuticorin. CCCL has also approached MPEDA to assist for creation of cluster for establishment of Seafood Park for Value Addition. In this context, MPEDA has entrusted the work of detailed demand assessment and viability analysis study to a competent professional body who is currently carrying out the study.

10.0 QUALITY CONTROL

Seafood has traditionally been a popular part of the diet in many parts of the world and in several countries it is the main supply of animal protein. The health attributes of different fish species are extremely great and people are turning to fish as an alternative to other meat products, particularly the health conscious people in affluent countries. Therefore, quality of seafood is a major concern to food producers and public health authorities. The need for control of quality of seafood is hence quite important, specifically in view of the increasing rate of food born illness. Initiatives to improve the quality of seafood exported from the country are one among the mandates of MPEDA. The word "quality" embraces a lot of meanings such as safety, purity, nutrition, consistency, product excellence etc. Quality Control Section of MPEDA is oriented towards strengthening the seafood industry to produce safe and internationally acceptable wholesome fish & fishery products for export from the country.

An outline of the works / initiatives undertaken by the Section during 2012-13 is given below:-

10.1 HACCP Training Programme

MPEDA has been providing technical assistance to the seafood industry in HACCP implementation by imparting training to the technical personnel of the industry. Three HACCP (basic) training programmes were conducted during the year under report at Veraval, Bhimavaram and Mangalore.

Apart from the above training programmes, MPEDA, in association with United States Food & Drug Administration (USFDA) & the Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), USA has organized two 'Train-the Trainer' Programme on Seafood HACCP Implementation and Good Aquaculture Practices during the year under report. The first training in the series was inaugurated by Chairman, MPEDA at Center Hotel Kochi on 4th March, 2013. The second in its series was organised at Nellore from 11th to 15th March, 2013, which was inaugurated by Joint Director (QC) on 11th March, 2013 at Hotel Leo, Nellore.

The five-day training programmes were organized by eminent personalities and veterans from US FDA and JIFSAN. The programme was organized for the benefit of different stakeholders of the seafood industry in the West Coast & East Coast of India.

These training programmes included on-site study in seafood processing establishments and aquaculture farms to impart first hand information to the participants. The course certificates were issued to all participants successfully completed the training programmes.

All the participants attended the above training had also successfully undergone an on-line internet training conducted by Cornell University on Seafood HACCP, to facilitate them for HACCP Certification by AFDO (the Association of Food & Drug Officials) of the United States.

इस कार्यक्रम के दौरान डॉ. ब्रूस रोस, कंट्री डायरेक्टर, यू एस एफ डी ए, नई दिल्ली, डॉ. जॉन स्प्राउल, सहायक कंट्री डायरेक्टर, यू एस एफ डी ए, नई दिल्ली, डॉ. ब्रेट कून्स, यू एस एफ डी ए, डॉ. माइकल जैनके, जिफ्सान, डॉ. थॉमस रिपन, जिफ्सान और डॉ. स्टेन्ली सर्फिलिंग, यू एस एफ डी ए ने विभिन्न तकनीकी सत्रों का संचालन किया था।

कोच्चि और नेल्लोर में 4 से 16 मार्च, 2013 तक आयोजित एम्पीडा - यू एस एफ डी ए एच ए सी सी पी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र समन्वय करने के लिए दो सहायक निदेशकों (गु.नि.) को प्रतिनियुक्त किया गया था।

वर्ष 2012-13 के दौरान एम्पीडा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 5 बैचों में खाद्य व्यापार आपरेटरों, विनियामक प्राधिकरणों आदि जैसे समुद्री खाद्य उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लगभग 160 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया था।

कोच्ची में एम पी ई डी ए एवं यू एस एफ डी ए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "सीफुड एच ए सी सी पी निरीक्षण व जी ए क्यू पी" पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

कोच्ची में आयोजित सीफुड "एच ए सी सी पी निरीक्षण व जी ए क्यू पी" पर एम पी ई डी ए व यू एस एफ डी ए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करती हुई सुश्री लीना नायर आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए

Eminent faculty members like Dr. Bruce Ross, Country Director, US FDA New Delhi, Dr. John Sproul, Assistant Country Director, US FDA, New Delhi, Dr. Brett Koonse of US FDA, Dr. Michael Jahncke of JIFSAN, Dr. Thomas Rippen of JIFSAN and Dr. Stanley Serfling of US FDA handled various technical sessions during the programme.

Two Assistant Directors (Quality Control) were deputed for the overall co-ordination of the MPEDA–US FDA HACCP Training Programme at Kochi & Nellore from 4th to 16th March, 2013.

Altogether, about 160 participants, representing the seafood industry like the Food Business Operators, Regulatory Authorities etc. were trained in the five batches of training programmes organized by MPEDA during 2012-13.

Inauguration of the 5 days training programme on "Seafood HACCP Inspection & GAqP" jointly organised by MPEDA and USFDA at Kochi

Ms. Leena Nair, IAS, Chairman MPEDA inaugurating the MPEDA - USFDA Joint Training Programme on "Seafood HACCP Inspection & GAqP" organised at Kochi

एम पी ई डी ए यु एस एफ डी ए द्वारा कोच्ची में 'सीफुड एच ए सी सी पी निरीक्षण व जी ए क्यू पी' पर संयुक्त रूप से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान भागीदारों को अभिसंबोधित करते हुए डॉ. ब्रूस रोस, देशीय निदेशक, यु एस एफ डी ए, नई दिल्ली

एम पी ई डी ए एवं यु एस एफ डी ए द्वारा नेल्लूर में "सीफुड एच ए सी सी पी निरीक्षण व जी ए क्यू पी" पर संयुक्त रूप से आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भागीदारों को अभिसंबोधित करते हुए डॉ. ब्रेट कून्स

"सीफुड एच ए सी सी पी निरीक्षण व जी ए क्यू पी" पर एम पी ई डी ए - यु एस एफ डी ए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डॉ. ब्रेट कून्स एक तकनीकी सत्र का संचालन करते हैं

Dr. Bruce Ross, Country Director, USFDA, New Delhi addressing the participants during the MPEDA - USFDA Joint Training Programme on Seafood HACCP Inspection & GAqP" organised at Kochi

Inauguration of the 5 days training programme on "Seafood HACCP Inspection & GAqP" jointly by MPEDA and USFDA at Nellore - Dr. Brett Koonse, addressing the participants

Dr. Brett Koonse, handling a Technical Session at Nellore during the MPEDA - USFDA joint training programme on "Seafood HACCP Inspection & GAqP"

10.2 एच ए सी सी पी मैनुअल संवीक्षा

वर्ष के दौरान 3 एच ए सी सी पी मैनुअलों की संवीक्षा की गई जिनमें से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एक इकाई को एच ए सी सी पी अनुपालन प्रमाण पत्र और दो इकाइयों को संवीक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए।

10.3 ई यू अनुमोदित प्रतिष्ठान

वर्ष के दौरान ई यू को निर्यात हेतु अनुमोदित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की सूची का एम्पीडा वेबसाइट पर आवधिक अद्यतनीकरण भी किया गया। वित्त वर्ष के अंत में ई यू द्वारा अनुमोदित 262 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठान और 37 स्वतंत्र शीतभंडार थे।

10.4 रूस को समुद्री उत्पादों का निर्यात

फेडरल सर्विस फॉर वेटेरिनरी एंड फाइटोसेनेटरी सर्विलांस (एफएसबीपीएस) ने अब तक रूसी परिसंघ को समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु 84 भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को अनुमोदित किया है।

10.5 मत्स्यन बंदरगाहों का उन्नयन

ई यू अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए एम्पीडा ने विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों में मत्स्यन बंदरगाहों के उन्नयन की एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम के अनुसार एम्पीडा द्वारा अभिज्ञात मत्स्यन बंदरगाहों के लिए ट्यूब/फ्लेक आइस मेकिंग मशीन तथा दो शीतकक्षों की व्यवस्था की जाएगी और इन सुविधाओं का प्रचालन और रखरखाव एम्पीडा और संबंधित राज्य सरकारों के बीच निष्पादित करार के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

यद्यिप, ऐसी तीन सुविधाओं को पूर्ण कर राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है, तथापि, 7 सुविधाएं प्रवर्तन हेतु पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं।

10.6 लोगो स्कीम

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आई डी पी द्वारा सूरत और वेरावल स्थित दो इकाइयों का मूल्यांकन किया गया था और उन्हें एम्पीडा की समुद्री उत्पाद (गुणवत्ता चिह्नांकन) स्कीम, 2012 के अंतर्गत प्रमाणन हेतु अनुमोदित किया गया था। एक इकाई को प्रमाण पत्र जारी किया गया था और दूसरा बैंक गारंटी प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है।

10.7 आईएसओ/टीसी - 234 की छठी बैठक

एम्पीडा के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग के सहायक निदेशक (गु.नि.) ने 6 से 8 नवंबर, 2012 को रेकजाविक आइसलैन्ड में आयोजित "क्रस्टेशियन एवं मोलस्कस सहित शैलफिश की अनुमार्गणीयता" पर मात्स्यिकी एवं जल कृषि तकनीकी समिति पर छठी पूर्ण बैठक, आई एस ओ/टी सी 234 के कार्यदल बैठकों एवं सलाहकार समूह बैठकों में भाग लिया था।

रेइकजाविक आइसलैन्ड में आयोजित आई एस ओ टी सी/234 बैठक के दौरान वर्किंग ग्रूप (डब्ल्यु जी 07) के मसौदा आई एस ओ मानदण्डों का प्रस्तुतीकरण करते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल

10.2 HACCP Manual Scrutiny

3 HACCP manuals were scrutinised during the year of which HACCP compliance certificate was issued to 1 unit and scrutiny certificates were issued to 2 units during the year under report.

10.3 EU Approved establishments

Periodic updation of the list of seafood processing establishments approved for export to EU in the MPEDA website was also done during the year. At the closure of the financial year, there were 262 seafood processing establishments and 37 independent cold storages approved by the EU.

10.4 Export of marine products to Russia

Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) has so far approved 84 Indian seafood processing establishments for export of marine products to Russian Federation.

10.5 Upgradation of Fishing Harbours

In order to comply with the EU requirements, MPEDA had taken up a scheme for upgradation of Fishing Harbours in different maritime States. According to the scheme MPEDA would provide the Tube / Flake Ice Making Machine and two Chill Rooms to the identified Fishing Harbours and these facilities have to be operated and maintained by the respective State Governments as per the Agreement executed between MPEDA & State Governments concerned.

Though three such facilities have already been completed and handed over to the State Governments, seven facilities are at different stages of its completion for commissioning

10.6 Logo Scheme

During the year under report, two units at Surat and Veraval were assessed by the IDP and approved for certification under the Marine Products (Quality Marking) Scheme, 2010 of MPEDA. The certificate of approoval was issued to one unit and other one is pending due to non-submission of bank guarantee.

10.7 6th meeting of the ISO/TC-234

The Assistant Director (QC) of the Quality Control Division of MPEDA attended the 6th Plenary Meeting, Working Group Meetings & Advisory Group Meetings of the ISO/TC-234 on 'Fisheries & Aquaculture Technical Committee' on "Traceability of Shellfish including Crustaceans & Molluscs", held at Reykjavik, Iceland from 6th to 8th November, 2012.

The Indian delegation presenting the draft ISO standards of the Working Group (WG 07) during the ISO-TC/234 meeting held at Reykjavik, Iceland

रेइकजाविक आइसलैन्ड में आयोजित आई एस ओ टी सी/234 बैठक के दौरान इंडियन टीम के वर्किंग ग्रूप के प्रस्तुतीकरण में भाग लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य

10.8 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी

गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग की पहल पर एम्पीडा के दो कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को यूरोपीय आयोग की "समुद्री खाद्य हेतु बेहतर प्रशिक्षण" पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है। दोनों अधिकारियों ने 4 से 7 दिसंबर, 2012 तक इटली, रोम में "तीसरे देशों के लिए ई यू आहार नियम एवं आहार आयात अपेक्षाएं" विषय पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

10.9 जापान में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान

इथोक्सीक्विन (ऑक्सीडेंट के रूप में मत्स्य खाद्य का एक संघटक) की मौजूदगी के कारण भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों को अस्वीकार किए जाने के मद्देनजर इस समस्या का समाधान करने के लिए जापानी स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने हेतु, अध्यक्ष, एम्पीडा के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 से 7 सितंबर, 2012 के दौरान जापान का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने जापान के स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्री के साथ बैठक भी की और यह अनुरोध किया कि श्रिम्प में इथॉक्सीक्विन हेतु एमआरएल का निर्धारण समुचित जोखिम विश्लेषण के बाद ही किया जाए और सकारात्मक सूची के चूक स्तर (अर्थात 0.01 पीपीएम) के अधिरोपण को हटा दिया जाए।

एत्तोक्सीक्यून मामले के समाधान के लिए श्रीमती योको कोमियाना, माननीय स्वाथ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्री, जापान के साथ (बाएं से दाएं) डॉ. राम.मोहन, उप निदेशक, एम पी ई डी ए, डॉ एस.के. सक्सेना, निदेशक, ई आई सी, सुश्री लीना नायर आई ए एस, अध्यक्ष एम पी ई डी ए एवं माननीय श्रीमती दीपा गोपालन वाध्वा एवं राजदूतावास के अन्य अधिकारी

Members of the International Delegation attending the presentation of the Indian Team during Working Group (WG 07) ISO-TC / 234 meeting held at Reykjavik, Iceland

10.8 Participation in International Training Programmes

At the initiative of Quality Control Division, two Junior Technical Officers of MPEDA had been nominated for training under "Better Training for Safer Food" initiative of the European Commission. The two Officers attended training on the "EU Feed Rules and Feed Import Requirements for Third Countries" at Italy, Rome from 4th to 7th December, 2012.

10.9 Resolving Quality Problems in Japan

In view of rejection of Indian seafood products on account of the presence of Ethoxyquin (an ingredient to fish meal as antioxidant), a three member delegation led by Chairman MPEDA visited Japan during 4th to 7th September, 2012 to initiate dialogues with the Japanese health Authorities to resolve the problem. The delegation also met Japanese Minister for Health, Labour & Welfare and requested that the MRL for Ethoxyquin in Shrimp may be fixed only after appropriate risk analysis and imposition of the default level of the positive list (ie.0.01 ppm) may be lifted.

(L - R) Dr. Ram Mohan, Deputy Director MPEDA, Dr. S.K. Saxena, Director EIC, Ms. Leena Nair, IAS, Chairman MPEDA and H.E. Mrs. Deepa Gopalan Wadhwa and other Embassy officials meet Mrs. Yoko Komiyana, Hon'ble Minister of Health, Labour and Welfare, Japan to resolve the Ethoxyquin issues

10.10 जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का भारत संदर्शन

स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, जापान के एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने जापानी बाजार में उत्पादों का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के सामान्य सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में 30 जुलाई, से 3 अगस्त, 2012 तक भारत का दौरा किया। इस मिशन का उद्देश्य जापान में आयातित खाद्य की सुरक्षा से संबंधित समस्याओं से बचना और खाद्य स्वच्छता एवं सफाई के क्षेत्र में भारत में लागू नियंत्रण/प्रबंधन प्रणाली के बारे में प्रत्यक्ष सूचना भी प्राप्त करना है।

श्री डी एस देशी, संयुक्त सचिव, एम ओ सी आई जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिनिधि मंडल के भारत संदर्शन की समापन बैठक में अध्यक्षता करते हैं

श्री डी.एस. देशी, संयुक्त सचिव, एम ओ सी आई की अध्यक्षता में हुई समापन बैठक के दौरान जापानी प्रतिनिधि मंडल के भारत संदर्शन की टिप्पणियाँ बाँटती हुई सुश्री मित्स्यु ओटा

सुश्री मित्सुई ओटा (आयात खाद्य सुरक्षा प्रभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, एम एच एल डब्ल्यू, जापान) और सुश्री तकाको अराकावा (मुख्य परीक्षक, खाद्य सुरक्षा विभाग, एम एच एल डब्ल्यू, जापान) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ई आई सी, एम्पीडा, एपीडा, मसाला बोर्ड, एम ओ ए आदि के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में अपनी खुली बैठक की और अपने भारत दौरे का उद्देश्य स्पष्ट किया। इस दल ने कोच्चि स्थित एम्पीडा मुख्यालय और राष्ट्रीय स्तर पर अवशिष्ट का मॉनीटरिंग करने वाली उसकी प्रयोगशाला के संदर्शन के अलावा, कोच्चि स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरण और उसकी निरीक्षण प्रयोगशाला, निर्यात हेतु समुद्री उत्पादों की जांच और प्रमाणन करने वाली अरूर स्थित मे. सी लैब (ई आई सी अनुमोदित निजी प्रयोगशाला), कोच्चि स्थित मसाला बोर्ड और उसकी प्रयोगशालाओं का संदर्शन किया।

10.10 Visit of Japanese Health Ministry Delegation to India

A Japanese Delegation from the Ministry of Health, Labour & Welfare, Japan visited India from 30th July to 3rd August, 2012 as part of their general survey on Quality Control System of major countries exporting their products into the Japanese market. The objective of the mission is to avoid problems related to safety of food imported into Japan as also to acquire first hand information on Control / Management system in place in India, in the field of food hygiene and sanitation.

Shri D.S. Dhesi, Joint Secretary, MoCI chairing the closing meeting of the Japanese Health Ministry Delegation visit to India

Ms. Mitsue Ota sharing the observations of the Japanese Delegation visits to India during the closing meeting chaired by Shri D.S. Dhesi, Joint Secretary, MoCI

The two member delegation comprising of Ms. Mitsue Ota (Import Food Safety Division, Department of Food Safety, MHLW, Japan) and Ms. Takako Arakawa (Chief Examiner, Department of Food Safety, MHLW, Japan) had their opening meeting at New Delhi with the officers of MoCI, EIC, MPEDA, APEDA, SPICES BOARD, MoA, etc. and explained their objective of the visit to India. The team visited office of the Export Inspection Agency (EIA) and their Inspection laboratory at Kochi, M/s. Sealab (an EIC approved private laboratory) at Aroor, undertaking testing / certification of marine products for export, the Spices Board & their labs at Kochi apart from their visit to the MPEDA Head Quarters at Kochi and its laboratory, undertaking residue monitoring at the national level.

एम्पीडा, कोच्चि में समापन बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने कृषि उत्पादों, मसालों और समुद्री उत्पादों के भारतीय निर्यात क्षेत्र में विद्यमान प्रणालियों/नियंत्रणों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक की अध्यक्षता श्री डी. एस. ढेसी, आई ए एस, संयुक्त सचिव ई पी (एम पी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ने की थी। अध्यक्ष, एम्पीडा के अलावा, एम्पीडा के निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, ई आई सी नई दिल्ली, एपीडा नई दिल्ली, ई आई ए कोच्चि और मसाला बोर्ड कोच्चि के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

10.11 ई यू (आर ए एस एफ एफ) द्वारा त्वरित चेतावनी अधिसूचनाएं

वर्ष 2012-13 के दौरान 26 त्वरित चेतावनी अधिसूचनाएं प्राप्त हुई थीं और संबंधित क्षे.का./उ.क्षे.का. ने संबंधित मामलों में जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

10.12 अम्बलपुष़ा, शक्तिकुलंगरा एवं बलरामग़ढी में सामान्य पूर्व प्रसंस्करण केन्द्र

क्षेत्र में अस्वस्थ एवं अनधिकृत पूर्व प्रसंस्करण कार्यकलापों की रोकथाम करने के लिए केरल में अम्बलपुष़ा और शक्तिकुलंगरा में दो सामान्य पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसी) का निर्माण किया गया है। अम्बलपुष़ा स्थित सीपीसी ने अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है और शक्तिकुलंगारा स्थित सीपीसी द्वारा शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

जहां तक ओडिषा के बलरामग़ढी में सीपीसी के प्रस्ताव का संबंध है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दि. 4.9.2012 के अपने पत्र संख्या 13-03-2011 - स्टेट्स सेल के तहत 330 लाख रुपए की मंजूरी की सूचना दी है। परियोजना के लिए भूमि अर्जित की जा चुकी है। बलरामग़ढी में सामान्य पूर्वप्रसंस्करण केन्द्र के निर्माण हेतु एम्पीडा के हिस्से के रूप में एस ई ए आई ओडिषा क्षेत्र को 3500 लाख रुपए की राशि भी अंतरित कर दी गई है।

10.13 लघु प्रयोगशाला की स्थापना हेतु सब्सिडी

प्रक्रियाधीन गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एम्पीडा 1,50,000 रुपए तक प्रति इकाई की अधिकतम लागत के 25 प्रतिशत की सब्सिडी द्वारा अपनी खुद की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों को सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान 7.11 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी और 7 प्रसंस्करण संयंत्रों को सब्सिडी सहायता के रूप में उसे जारी किया गया था।

10.14 कैप्टीव पूर्व प्रसंस्करण केन्द्र केलिए सब्सिडी

इस स्कीम का उद्देश्य पूर्व प्रसंस्करण कार्यकलापों को प्रसंस्कर्ताओं के नियंत्रण में लाना और एच ए सी सी पी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार सुविधाओं का उन्नयन करना है। सब्सिडी सहायता नव निर्माण हेतु 15 लाख रूपए की उच्चतम सीमा के साथ वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत और नवीकरण हेतु 13.5 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के साथ वास्तविक व्यय का 45 प्रतिशत है जिसे पूर्व प्रसंस्करण हॉल के क्षेत्र के साथ भी जोड़ा जाता है। स्वतंत्र पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों के लिए अधिकतम सीमा 22 लाख रुपए है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कैप्टीव पूर्व प्रसंस्करण केन्द्र के निर्माण हेतु 7 लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 77.01 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी।

10.15 स्वतंत्र पूर्व-प्रसंस्करण केन्द्र केलिए सब्सिडी

इस स्कीम का उद्देश्य एच ए सी सी पी और ई सी विनियमों के अनुसार पूर्व-प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन करना है। सब्सिडी सहायता नव निर्माण हेतु 22 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत और नवीकरण हेतु 19.8 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक व्यय का 45 प्रतिशत है। स्वतंत्र पूर्व प्रसंस्करण केन्द्र के निर्माण हेतु इस अवधि के दौरान सब्सिडी/अतिरिक्त सब्सिडी का कोई वितरण नहीं किया गया है।

11.0 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

11.1 राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण योजना (एन आर सी पी) 2012

ई यू निर्देश 96/23/ईसी के अंतर्गत पूर्वापेक्षा के अनुसार एम्पीडा जल कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण योजना (एन आर सी पी) का प्रचालन करता है। एन आर सी पी ई यू देशों को निर्यात करने के लिए देशों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक सांविधिक पूर्वापेक्षा है। एन आर सी पी की अवधारणा, आयोजना और कार्यान्वयन का कार्य एम्पीडा की कोच्चि स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है जिसका कार्यान्वयन (1) कोच्चि, (नेल्लोर), और (3) भीमावरम स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के जरिए किया जाता है।

In the closing meeting held at MPEDA, Kochi, the delegation shared their views on the systems / controls prevailing in the Indian export sector of agriculture products, spices and marine products. The meeting was chaired by Shri D. S. Dhesi, IAS, Joint Secretary - EP (MP), MoCI, New Delhi. Apart from Chairman MPEDA, Directors & other Senior Officers of MPEDA, the representatives of EIC New Delhi, APEDA New Delhi, EIA Kochi and Spices Board Kochi were also present.

10.11 Rapid Alert Notifications by EU (RASFF)

26 Rapid Alert Notifications were received during the year 2012-13 and the concerned ROs/SROs have investigated and furnished their report in the respective cases.

10.12 Common Pre-processing Centre at Ambalapuzha, Sakthikulangara & Balramgarhi

To prevent unhygienic and unauthorised pre-processing activities in the region, two Common Pre-processing Centres (CPC) have been constructed at Ambalapuzha and Sakthikulangara in Kerala. The CPC at Ambalapuzha has already been put into commercial operation & the CPC at Sakthikulangara would be commissioned shortly.

As regards the proposal for the CPC at Balramgarhi in Odisha, the MoCI, has conveyed the sanction of ` 330 lakh vide letter No.13/03/2011-States Cell dated 04.09.2012. The land for the project has already been acquired. An amount of ` 35.00 lakh has also been transferred to SEAI Odisha region as MPEDA's share for construction of the Common Pre-processing Centre at Balramgarhi.

10.13 Subsidy for setting up of Mini Laboratory

For the effective implementation of in-process quality control, MPEDA assists the processing plants to set up their own quality control laboratories by subsidizing 25% of the cost subject to a maximum of ` 1, 50,000 per unit. During 2012-13, an amount of ` 7.11 lakh was sanctioned and released as subsidy assistance to 7 processing plants.

10.14 Subsidy for Captive Pre-Processing Centre

The scheme aims to bring the pre-processing activities under the control of processors and to upgrade the facilities as per HACCP and other International Regulations. The subsidy assistance is 50% of the actual expenditure with a ceiling of ` 15 lakh for new construction and 45% of the actual expenditure with a ceiling of ` 13.5 lakh for renovation, which is also linked with the area of the pre-processing hall. The maximum limit for independent pre-processing centers is ` 22 lakh. An amount of ` 77.01 lakh was sanctioned as subsidy to 7 beneficiaries for construction of Captive Pre-processing Centre during the year under report.

10.15 Subsidy for Independent Pre-Processing Centre

The scheme aims to upgrade the pre-processing facilities as per HACCP and EC Regulations. The subsidy assistance is 50% of the actual expenditure with a ceiling of ` 22 lakh for new construction and 45% of the actual expenditure with a ceiling of ` 19.8 lakh for renovation. No disbursement subsidy/additional subsidy during the period for construction of Independent Pre-processing Centre.

11.0 QUALITY CONTROL LABORATORIES

11.1 National Residue Control Plan (NRCP) 2012

As a pre requisite under EU Directive 96/23/EC, the MPEDA operates the National Residue Control Plan (NRCP) for aquaculture products. The NRCP is a statutory requirement to be implemented by the countries for exporting to EU countries. The conceptualizing, planning and implementation of NRCP is undertaken by the MPEDA Quality Control Laboratory at Kochi and implemented through the QC labs at: (1) Kochi, (2) Nellore and (3) Bhimavaram.

अवशिष्ट नियंत्रण कार्यक्रम एनआरसीपी 2012 के अंतर्गत एम्पीडा की तीनों गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (कोच्चि, भीमावरम और नेल्लौर) द्वारा 2702 नमूनों के लक्ष्य की तुलना में कुल 2772 नमूनों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया गया था: विश्लेषित नमूनों और परिणाम का ब्योरा नीचे बताए अनुसार है:

क्र.सं.	गु. नि. प्रयोगशाला का नाम	लक्ष्य (2012)	नमूनों की संख्या	
			प्राप्त	विश्लेषित
1	गु. नि. प्रयोगशाला, कोच्चि (मुख्यालय)	1015	1074	1074
2	गु. नि. प्रयोगशाला, नेल्लोर	829	835	835
3	गु. नि. प्रयोगशाला, भीमावरम	853	863	863
	कुल	**2702**	**2772**	**2772**

11.1.1 गु. नि. प्रयोगशाला भीमावरम तथा कोच्चि द्वारा वाणिज्यिक नमूनों की जांच

एम्पीडा की सभी गु. नि. प्रयोगशालाएं वाणिज्यिक नमूनों की जांच हेतु ईआईसी की प्रयोगशाला अनुमोदन स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान भीमावरम और कोच्चि प्रयोगशालाओं ने वाणिज्यिक नमूना श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः 233 तथा 24 नमूनों का विश्लेषण किया।

एम पी ई डी ए, कोच्ची की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का एक दृश्य

रासायनिक तत्वों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला, नेल्लूर के आणविक अवशोषण स्पेक्टोमीटर का एक दृश्य

Under the residue control programme NRCP 2012, a total number of 2772 samples were received and analysed by the three MPEDA QC Laboratories (Kochi, Bhimavaram & Nellore) against the target of 2702 samples. The details of samples analyzed and results communicated are as follows:-

Sl. No.	Name of the QC Lab	Target (2012)	No. of samples	
			Received	Analysed
1	QC Laboratory, Kochi (HO)	1,015	1,074	1,074
2	QC Laboratory, Nellore	829	835	835
3	QC Laboratory, Bhimavaram	853	863	863
	Total	**2,702**	**2,772**	**2,772**

11.1.1 Testing of Commercial Samples by QC Labs Bhimavaram & Kochi

All the QC Labs of MPEDA are approved under the Laboratory Approval Scheme of EIC for testing Commercial Samples. During the year 2012-13, the Lab Bhimavaram and Lab Kochi analysed 233 and 24 samples respectively under commercial sample category.

A view of Quality Control Laboratory at MPEDA, Kochi

A view of Atomic Absorption Spectrometer for analysis of Chemical Elements at Lab, Nellore

प्रतिजैविकी अवशेष के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला, भीमावरम के एच पी एल सी एम एस एम एस का एक दृश्य

11.1.2 शेल फिश उत्पादन जल का मॉनीटरिंग

कोच्चि स्थित एम्पीडा की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा एन ए बी एल प्रत्यायित प्रयोगशाला में. सी लैब, अरूर के जरिए वर्ष 2008 से शेल फिश उत्पादन जल (केरल के कासरगोड जिला स्थित पडन्ना झील) का मॉनीटरिंग परियोजना चलाई जा रही थी। चार वर्षीय अध्ययन कार्य जून, 2012 में पूर्ण हो गया और मे. सी लैब द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चारों अध्ययन आंकड़ों को शामिल करके समेकित किया जा रहा है।

11.1.3 सेफैलोपोडों में कैडमियम का मॉनीटरिंग

वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्वी और पश्चिमी तटों के अलग अलग क्षेत्रों से 100 नमूनों को एकत्र कर उनके विश्लेषण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कोच्चि ने सेफैलोपोडों (स्क्विड, कटल फिश और ऑक्टोपस) में कैडमियम तत्व का मॉनीटरिंग किया गया।

11.1.4 राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशिष्ट का मॉनीटरिंग (एम पी आर एन एल)

यह कृषि मंत्रालय द्वारा निधिबद्ध निरंतर चलने वाली एक परियोजना है। वर्ष 2012-13 के दौरान कोच्चि प्रयोगशाला द्वारा भारत के सभी समुद्र तटीय राज्यों से एकत्रित अंतर्देशीय मत्स्य एवं क्रस्टेशियन तथा समुद्री क्रस्टेशियन के 480 नमूनों का विश्लेषण किया गया है जिनके परिणामों की सूचना परियोजना समन्वयकर्ता को प्रदान की गई है।

11.1.5 इथॉक्सीक्विन की मौजूदगी हेतु जल कृषि आहार नमूनों की निगरानी

जापान में इथॉक्सीक्विन के कारण जल कृषित निर्यात परेषणों का पता चलने/अवरुद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप एम्पीडा ने अपने क्षेत्रीय संगठनों के जरिए समस्त क्षेत्रों से नमूनों का संग्रहण कर जल कृषि आहार में "इथॉक्सीक्विन" की मौजूदगी का मॉनीटरिंग हेतु एक परियोजना शुरू की। अगस्त, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्चि द्वारा इथॉक्सीक्विन के कुल 92 नमूनों को एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया था।

11.1.6 एलिसा प्रयोगशाला मॉनीटरिंग नमूनों की जांच

एलिसा प्रयोगशालाओं में की गई जांच की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए 13 वीं एमआरएम के निर्णय के अनुसार सभी एलिसा प्रयोगशालाओं से दो-दो नमूने लेकर एम्पीडा क्यू सी प्रयोगशालाओं में जांच की गई थी। वर्ष 2012 के दौरान कुल 163 नमूनों की जांच की गई थी।

11.1.7 प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन

एम्पीडा प्रयोगशालाओं-कोच्चि, भीमावरम और नेल्लौर-के एन ए बी एल प्रत्यायन का नवीकरण किया गया है और ये क्रमशः 14.10.2014, 24.10.2014 और 4.2.2015 तक की अवधि के लिए वैध है।

11.1.8 प्रयोगशालाओं के लिए ईआईसी अनुमोदन

एम्पीडा प्रयोगशालाओं-कोच्चि, भीमावरम और नेल्लौर का ई आई सी अनुमोदन क्रमशः 13.5.2013, 13.4.2014 और 10.8.2013 तक के लिए वैध है।

A view of HPLC MSMS for analysis of Antibiotic residues at Lab, Bhimavaram

11.1.2 Monitoring of Shell Fish Growing waters

The MPEDA QC Laboratory at Kochi was undertaking the project on Monitoring of Shell Fish Growing waters (Padanna Lake at Kasargod District of Kerala) from 2008 through M/s. Sealab, Aroor, a NABL Accredited Laboratory. The four year studies have been completed by June 2012 and the report submitted by M/s. Sealab is being consolidated incorporating the four study data.

11.1.3 Monitoring of Cadmium in Cephalopods

During the year 2012-13, the monitoring of Cadmium content in Cephalopods (Squid, Cuttlefish & Octopus) was carried out by QC Lab Kochi by collecting and analyzing 100 samples caught from different regions of East & West Coasts.

11.1.4 Monitoring of Pesticide Residues at National Level (MPRNL)

This is an ongoing project funded by Department of Agriculture (MoA). During the year 2012-13, 480 samples of inland fishes and crustaceans and marine crustaceans collected from all the maritime States of India have been analyzed and the results communicated to the Project Coordinator by Lab Kochi.

11.1.5 Monitoring of Aquaculture Feed Samples for presence of Ethoxyquin

Consequent to the detection / detention of Aquacultured export consignments due to Ethoxyquin at Japan, MPEDA, initiated a project for monitoring the presence of "Ethoxyquin" in Aquaculture feed, by collecting samples from all the regions through its field formations. During the period from August 2012 to 31st March 2013, a total number of 92 samples were collected and analysed for Ethoxyquin by QC Lab, Kochi.

11.1.6 Testing of ELISA Lab monitoring samples

As per decision of the 13th MRM, two samples each from all MPEDA ELISA Labs were drawn and tested in MPEDA QC Labs, to ensure the correctness of tests carried out in the ELISA Labs. During 2012, a total number of 163 samples were tested.

11.1.7 Accreditation for Laboratories

The NABL accreditations of MPEDA Labs – Kochi, Bhimavaram and Nellore have been renewed and valid for the period up to 14th October, 24th October 2014 and 04th February 2015 respectively.

11.1.8 EIC Approval for Laboratories

The EIC approval of MPEDA Labs – Kochi, Nellore and Bhimavaram is valid up to 13.05.2013, 13.04.2014 and 10.08.2013 respectively.

11.1.9 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण

वर्ष 2012-13 के दौरान 8 अलगअलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रबंधन एवं तकनीकी) में कोच्चि, भीमावरम और नेल्लौर प्रयोगशालाओं के 60 तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

11.1.10 अंतर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रमः

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	आईएलसी उमित	आईएलसी की भागीदारी	कुल
1	गु. नि. प्रयोगशाला, कोच्चि	6	14	20
2	गु. नि. प्रयोगशाला, नेल्लोर	5	10	15
3	गु. नि. प्रयोगशाला, भीमावरम	5	15	20

11.1.11 प्रवीणता जांच कार्यक्रम

वर्ष 2012-13 के दौरान, कोच्चि, भीमावरम और नेल्लोर प्रयोगशालाओं ने एनएफ मेटाबोलिट्स के विश्लेषण हेतु अंतराष्ट्रीय प्रवीणता जांच (फापस) में भाग लिया है। तीनों प्रयोगशालाओं के लिए इज़ेड-स्कोर संतोषजनक रहे।

11.1.12 नव पद्धति विकास और विधिमान्यता अध्ययन

पीसीबी, एफलाटॉक्सिन, नेलीडिक्सिक एसिड और नाइट्रोमिडाजोल के विश्लेषण हेतु कार्य प्रणाली तैयार कर विधिमान्यीकृत की गई और उसे कोच्चि प्रयोगशाला के एनएबीएल दायरे में लाया गया था। आहार नमूनों में इथैक्सोक्विन जांच की कार्यप्रणाली भी तैयार की गई जिसके विधिमान्यीकरण की प्रक्रिया चल रही है। एफलाटॉक्सिन के लिए भीमावरम प्रयोगशाला में प्रणाली तैयार कर विधिमान्यीकृत की गई।

11.2 भुवनेश्वर में एम्पीडा गु. नि. प्रयोगशाला

प्रतिजैविकी अवशिष्ट के लिए वाणिज्यिक नमूनों के विश्लेषण हेतु भुवनेश्वर स्थित एम्पीडा की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को मे. इंटरफील्ड लेबोरेटरीज को प्रबंधन संविदा आधार पर पट्टे पर दिया गया है।

11.3 तमिलनाडु और ओडीषा में नई गु. नि. प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रस्ताव

11.3.1 ओडिषा

एम्पीडा ने भुवनेश्वर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु भूमि पर कब्जा लिया है। मात्सियकी विभाग और एम्पीडा के बीच करार निष्पादित किया जा रहा है। परामर्शदाता का पता लगाया गया है और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य कंसलटेंट सिविल इंजीनियर को सौंपा गया है।

11.3.2 तमिलनाडु

तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है कि वह एक रफरेल प्रयोगशाला (एम्पीडा गु. नि. प्रयोगशाला) की स्थापना हेतु दीर्घावधिक पट्टा आधार (अर्थात 99 वर्ष की अवधि के लिए) पर अपने नियंत्रणाधीन पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराए।

11.4 क्यू सी प्रयोगशाला नेल्लूर और भीमावरम के स्थान परिवर्तन के लिए अपनी खुद की सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव

11.4.1 भीमावरम, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार ने भीमावरम में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के निर्माण हेतु एम्पीडा को पर्याप्त भूमि के आवंटन के आदेश जारी किए हैं। परामर्शदाता को अभिज्ञात किया गया है और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य कन्सलटेंट सिविल इंजीनियर को सौपा गया है। सिफ्ट को तकनीकी परामर्श का कार्य सौंपा गया जिसके लिए करार निष्पादित किया गया है। इस बीच मात्स्यिकी विभाग ने यह सूचित किया है कि भूमि के स्वामित्व के बारे में एक विधिक याचिका दायर की गई है। सरकार द्वारा मुद्दे के समाधान कर भूमि की सुपुर्दगी का प्रयास किया जा रहा है।

11.1.9 Training of personnel of the QC Labs

During the year 2012-13, 60 technical personnel of Labs Kochi, Bhimavaram & Nellore were trained in 8 different training programmes (management and technical).

11.1.10 Inter-Laboratory Comparison Programmes

Sl. No.	Name of the Laboratory	ILC originated	ILC participated	Total
1	QC Lab., Kochi	6	14	20
2	QC Lab., Nellore	5	10	15
3	QC Lab., Bhimavaram	5	15	20

11.1.11 Proficiency Test programmes

During 2012-13, Labs Kochi, Bhimavaram and Nellore have participated in the International Proficiency Tests (FAPAS) for analysis of NF Metabolites. The Z-score for all the three Labs were satisfactory.

11.1.12 New Method Development and Validation Study

Methodologies for analysis of PCBs, Aflatoxin, Nalidixic Acid and Nitroimidazoles have been developed, validated and bought under the NABL Scope of Kochi Lab. Methodology for Testing Ethoxyquin in feed samples was also developed and the validation is in progress.

Lab, Bhimavaram developed and validated methods for Aflatoxin.

11.2 MPEDA QC Lab at Bhubaneswar

The MPEDA QC Lab at Bhubaneswar is leased out on management contract basis to M/s. Interfield Laboratories for analysis of commercial samples for antibiotic residues.

11.3 Proposal for setting up of new QC Labs at Tamil Nadu and Odisha

11.3.1 Odisha

MPEDA has taken possession of the land for establishing Quality Control Laboratory at Bhubaneswar. The agreement between Department of Fisheries and MPEDA is being executed. Consultant has been identified and the work was awarded to Consultant Civil Engineer for preparation of detailed project report for submission to Ministry of Food Processing Industries for availing the financial assistance for setting up of Quality Control Laboratory.

11.3.2 Tamil Nadu

The Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University has been requested to provide sufficient land under their control for long term lease basis (i.e. for a period of 99 years) for establishment of (MPEDA QC Lab) a referal Lab.

11.4 Proposal for setting up of own facilities for shifting of QC Labs Nellore and Bhimavaram

11.4.1 Bhimavaram, Andhra Pradesh

Government of Andhra Pradesh has issued orders allocating sufficient land for MPEDA to construct the building for Quality Control Lab at Bhimavaram. Consultant has been identified and the work was awarded to Consultant Civil Engineer for preparation of detailed project report for submission to Ministry of Food Processing Industries for availing the financial assistance for setting up of Quality Control Laboratory. Technical consultancy was entrusted with CIFT for which agreement has been executed. Meanwhile the Department of Fisheries has intimated that there is a legal petition regarding the ownership of the land. Government is trying to sort out the issue and to handover the land.

11.4.2 नेल्लौर, आंध्र प्रदेश

एम्पीडा ने नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भूमि पर कब्जा कर लिया है। परामर्शदाता को अभिज्ञात कर लिया गया है और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य कन्सल्टेंट सिविल इंजीनियर को सौपा गया है।

11.5 एलिसा जांच प्रयोगशालाएं - फसल पूर्व जांच (पी एच टी)

वर्ष 2012-13 के दौरान ओडिषा, पं. बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के किसानों/ प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार 4 और एलिसा प्रयोगशालाएं स्थापित कर उनका प्रचालन किया गया था जिससे फसल पूर्व उत्पाद में क्लोरमफैनीकोल एवं नाइट्रोफ्यूरान मैटाबोलाइट्स जैसे प्रतिजैविकी अपशिष्टों की मौजूदगी हेतु जलकृषि उत्पादों (श्रिम्प/मत्स्य) की फसल पूर्व जांच/परीक्षण के लिए भारत के समुद्र तटीय राज्यों में एलिसा प्रयोगशालाओं की संख्या कुल मिलाकर 20 हो गई है। इन एलिसा प्रयोगशालाओं को पूर्ण स्वचालित एलिसा रीडरों और अन्य अपेक्षित सहायक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। इन एलिसा प्रयोगशालाओं का संचालन दो निजी बी एल प्रत्यायित ई आई सी अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। एम्पीडा के अधिकारियों द्वारा समयसमय पर इन प्रयोगशालाओं का मॉनीटरिंग किया जाता है।

वर्ष 2012 में फसल पूर्व जांच (पी एच टी) का ब्यौरा

क्र.सं.	एलिसा लैब	एलिसा द्वारा जांच किए गए नमूनों की संख्या	एलिसा सकारात्मक मामलों की संख्या	अनुपालन न किए गए नमूनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश (7)	17,842	212	91
2	पं.बंगाल (4)	6,645	55	शून्य
3	ओडीषा (3)	1,647	5	शून्य
4	तमिलनाडु (2)	1,994	20	शून्य
5	केरल (1)	45	शून्य	शून्य
6	कर्नाटक (1)	55	शून्य	शून्य
7	महाराष्ट्र (1)	309	शून्य	शून्य
8	गुजरात (1)	2,569	1	शून्य
	कुल	**30,746**	**293**	**91**

एम पी ई डी ए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्ची में खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय (एम एच एल डब्ल्यु), जापान के अधिकारी

11.4.2 Nellore, Andhra Pradesh

MPEDA has taken possession of the land for establishing Quality Control Laboratory at Nellore, Andhra Pradesh. Consultant has been identified and the work was awarded to Consultant Civil Engineer for preparation of detailed project report for submission to Ministry of Food Processing Industries for availing the financial assistance for setting up of Quality Control Laboratory.

11.5 ELISA Screening Laboratories – Pre-Harvest Testing (PHT)

During 2012-13, four more ELISA Labs were set up and made operational, as per request of the farmers/processors from the States of Odisha, West Bengal, Tamil Nadu and Andhra Pradesh making the total number of ELISA Labs to Twenty in the maritime states of India to conduct the pre-harvest testing/screening of the Aquaculture products (Shrimp/fish) for the presence of antibiotics residues like Chloramphenicol & Nitrofuran metabolites before the produce is harvested. These Elisa Laboratories are equipped with fully automated ELISA Readers and other required accessory equipments. These ELISA Labs are operated by two Private NABL Accredited / EIC Approved Laboratories. These Labs are periodically monitored by the officers of MPEDA.

Details of Pre-Harvest Testing (PHT) in 2012

Sl. No.	ELISA Labs	No. of Samples tested by ELISA	No. of ELISA positives	No. of Non-Compliant samples
1	Andhra Pradesh (7)	17,842	212	91
2	West Bengal (4)	6,645	55	0
3	Odisha (3)	1,647	5	0
4	Tamil Nadu (2)	1,994	20	0
5	Kerala (1)	45	0	0
6	Karnataka (1)	55	0	0
7	Maharashtra (1)	309	0	0
8	Gujarat (1)	2,569	1	0
	Total	**30,746**	**293**	**91**

Officials of Department of Food Safety, Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Japan at MPEDA Quality Control Laboratory, Kochi

11.6 स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, जापान के प्रतिनिधिमंडल का संदर्शन

स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, जापान के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 अगस्त 2012 को कोच्चि स्थित एम्पीडा की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का संदर्शन किया। उनका भारत दौरा 30 जुलाई से 03 अगस्त तक का था। अध्यक्ष ने 30 जुलाई, 2012 को दिल्ली में उद्घाटन बैठक में भाग लिया था। उनहोंने अध्यक्ष, एम्पीडा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा एम्पीडा तथा ई आई सी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था। समापन बैठक का आयोजन 3 तारीख को अपराह्न एम्पीडा सम्मेलन कक्ष में किया गया था जिसमें संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ई आई सी, ई आई ए, एम्पीडा, एपीडा और मसाला बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया था।

12.0 एम्पीडा के अधीन सोसायटियां

12.1 राजीव गांधी जल कृषि केन्द्र (आर जी सी ए)

राजीव गांधी जल कृषि केन्द्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अनुसंधान एवं विकास शाखा है। आर एंड डी शीर्ष के अंतर्गत एम्पीडा की योजना स्कीम का कार्यान्वयन आर जी सी ए द्वारा किया जा रहा है। इस संगठन की स्थापना सिरकली, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु में वर्ष 1995 में की गई थी और यह तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है।

आर जी सी ए ऐसी विभिन्न चिरस्थाई जलकृषि प्रौद्योगिकियों के विकास से जुडा हुआ है, जो जैव सुरक्षित, पारिस्थितिकी अनुकूल हैं और जो देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जलीय प्रजातियों के बीज उत्पादन एवं ग्रो आउट कृषि का प्रस्ताव करती हैं जिनमें खासतौर पर निर्यात की संभावना होती है। आर जी सी ए ने जलकृषि उद्योग के लिए स्थापित विभिन्न परियोजनाओं में विकसित की गई प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु एक आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अंतरण तथा प्रशिक्षण केन्द्र भी विकसित किया है ताकि भारत से गुणवत्तायुक्त समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु कच्ची सामग्री का उत्पादन आधार मजबूत किया जा सके।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं में कार्यकलापों और कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

12.1.1 प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कॉम्पलैक्स

आर जी सी ए का प्रौद्योगिकी अंतरण प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कॉम्पलैक्स सिरकली, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु में स्थित है। आर जी सी ए मुख्यालय इसी कॉम्पलेक्स से कार्य करता है । प्रशिक्षण, कार्यशालाएं चलाने, सेमिनार एवं सम्मेलनों का आयोजन करने की अवसंरचना सुविधाओं के अलावा, इस कॉम्पलैक्स में केन्द्रीय जल कृषि रोग विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय आनुवंशिक प्रयोगशाला और एक जलकृषि पुस्तकालय भी है। ये सब जलकृषि अनुसंधान और उद्योग की सेवा के लिए समर्पित हैं।

केन्द्रीय रोग विज्ञान प्रयोगशाला विभिन्न चालू एवं शुरू होने वाली आर जी सी ए परियोजनाओं की रोग नैदानिक एवं रोगमूलक निगरानी की जरूरतों को पूरा करती है और यह जरूरत के आधार पर रोग निदान एवं रोगमूलक निगरानी सेवाएं प्रदान कर जलकृषि उद्योग की सेवा करती है। इस सुविधा का सृजन अरीजोना स्थित डॉ. डोनाल्ड लाइटनर की जलकृषि रोग विज्ञान प्रयोगशाला की तर्ज पर किया गया है। अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के अलावा, इस सुविधा ने वर्ष 2012-13 के दौरान 9000 से अधिक पी सी आर परीक्षण किए हैं। केन्द्रीय रोग विज्ञान प्रयोगशाला ने वर्ष के दौरान जलकृषि रोग विज्ञान प्रयोगशाला, अरीजोना विश्वविद्यालय (ओ आई ई संदर्भ प्रयोगशाला) द्वारा आयोजित प्रवीणता परीक्षण में भी सफलतापूर्वक भाग लिया है।

आर जी सी ए की केन्द्रीय आनुवंशिकी प्रयोगशाला कृषि योग्य श्रिम्प, झींगा, कीचड़ केकड़ा और फिन फिश में नस्ल सुधार एवं वांछनीय गुणों के विकास हेतु प्रजनन योजनाओं के बारे में अध्ययन करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत के विभिन्न तटीय राज्यों के अलग अलग स्थानों से कीचड़ केकड़ा, स्कैम्पी, सीबास, ग्रूपर और पसफिक वाइट श्रिम्प (एल. वन्नामेई) सहित वाणिज्यिक रूप से वरीयता प्राप्त प्रजातियों के कुल 891 ऊतक नमूनों (तमिलनाडु, 446; पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र, 34; आंध्र प्रदेश, 221; ओडिशा, 77; पश्चिम बंगाल, 48 और केरल, 65) का संग्रहण डी एन ए निष्कर्षों एवं पीसीआर अभिक्रिया हेतु किया गया था। 213 अलग अलग नमूनों के लिए आनुवंशिक प्रयोगशाला में आनुवंशिक विश्लेषक का प्रयोग करते हुए इस अवधि के दौरान कुल 426 आनुक्रमिक अभिक्रियाएं भी निष्पादित की गई थीं।

11.6 Visit of Delegation from the Ministry of Health, Labour & Welfare, Japan

A Two member delegation from Ministry of Health, Labour & Welfare, Japan visited MPEDA, Quality Control Lab at Kochi on 3rd August 2012. Their visit to India was from 30th July to 3rd August. Chairman attended the opening meeting at Delhi on 30th July 2012. They had discussion with Chairman MPEDA, Joint Secretary, MoCI and other senior officers of MPEDA and EIC. The closing meeting was held at MPEDA Conference Hall on 3rd afternoon which was attended by Joint Secretary MoCI, Officials from EIC, EIA, MPEDA, APEDA and Spices Board.

12.0 SOCIETIES UNDER MPEDA

12.1 RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (RGCA)

Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture is the Research & Development arm of the Marine Products Export Development Authority. The plan scheme of MPEDA under the R & D head is being implemented by RGCA. This organization was established in the year 1995 at Sirkali, Nagapattinam District, Tamil Nadu and is functioning as a Society, registered under the Tamil Nadu Societies Registration Act, 1975.

RGCA is involved in the development of various Sustainable Aquaculture technologies that are Bio-secure, eco-friendly and offer traceability for seed production and grow out farming of various aquatic species particularly those having export potential at various locations in the country. RGCA has also developed a state-of-the-art Technology Transfer and Training Centre for disseminating the technologies developed at the various projects established to the Aquaculture Industry in order to strengthen the raw material production base for export of quality marine products from India.

The activities and progress of implementation at these technology development projects during the year under report are detailed below:-

12.1.1 Technology Transfer Training and Administrative Complex

The Technology Transfer Training & Administrative Complex of RGCA is located at Sirkali, Nagapattinam District, Tamil Nadu. RGCA Head Quarters functions from this complex. Apart from infrastructure facilities for training, conducting workshops, seminars and conferences, the complex also houses the Central Aquaculture Pathology Laboratory, Central Genetics Laboratory and an Aquaculture Library, all devoted solely for Aquaculture Research and service to the industry.

The Central Pathology Laboratory caters to the disease diagnostic and pathogen surveillance needs of various ongoing and upcoming RGCA projects and serves the aquaculture industry by providing disease diagnostic and pathogen surveillance services on need basis. This facility has been created in the lines of the Aquaculture pathology Lab of Dr. Donald Lightner at Arizona. Apart from carrying out R & D work, the facility has carried out over 9000 PCR tests during the year 2012-13. The Central Pathology Lab has also successfully participated in the proficiency testing conducted by Aquaculture Pathology Laboratory, University of Arizona (OIE Reference Laboratory) during the year.

The Central Genetics laboratory of RGCA carries out studies on strain improvement and breeding plans for development of desirable traits in cultivable Shrimp, prawn, Mud Crab and Finfish. During 2012-13, a total of 891 tissue samples were collected from commercially prioritized species including Mud crab, Scampi, Seabass, Grouper and Pacific white shrimp (*L. vannamei*) from various locations of different coastal states of India (Tamil Nadu, 446; UT of Pondicherry, 34; Andhra Pradesh, 221; Odisha, 77; West Bengal, 48 and Kerala, 65) for DNA extraction and PCR reactions. A total of 426 sequencing reactions were also performed during the period using the genetic analyzer at genetics lab for 213 different samples.

इस अवधि के दौरान "आकृति विज्ञान एवं उन्नत आण्विक निर्माता तकनीकों का प्रयोग करते हुए भारतीय कीचड़ केकड़ा की वर्गीकीय अस्पष्टता का समाधान" पर एक अध्ययन पूरा किया गया था। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कीचड़ केकड़ा की केवल दो प्रजातियां (सिल्ला सेराटा एवं एस.ओलीवासिया) ही भारतीय तटीय जल में आम तौर पर उपलब्ध हैं। इस अध्ययन का महत्व काफी अधिक है क्योंकि उचित अभिज्ञान विशेष प्रजातियों के प्रजनन और प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशन हेतु दो अनुसंधान पत्र तैयार हैं। इस अवधि के दौरान 5 अनन्य अनुक्रमणिकाएं (केसी 200562, केसी 200563, केसी 200564, केसी 200565 और केसी 262643) एनसीबीआई, जेनबैंक वेबसाइट (अमरीका) के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित की गई थीं।

यह प्रयोगशाला इस समय आर जी सी ए की विभिन्न ऐसा परियोजनाओं में सभी प्रजनन कार्यकलापों के आनुवंशिक आंकड़ा संचय का मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण तथा रख रखाव कर रही है जिनमें टाइगर श्रिम्प के पालतूकरण (डीटीएसपी), तिलापिया परियोजना और एल. वन्नामेई बीएमसी के आनुवंशिक आंकड़ों का प्रबंधन शामिल है।

आर जी सी ए की जलकृषि संदर्भ पुस्तकालय भारत में एकमात्र ऐसी पुस्तकालय है जो पूर्णतः जलकृषि और संबद्ध विषयों के लिए समर्पित है। यह सुविधा न केवल भारत के जलकृषि व्यावसायिकों, अपितु जलकृषि क्षेत्र में विद्यार्थियों एवं अनुसंधानकर्ताओं की जानकारी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। यह पुस्तकालय इस क्षेत्र की नवीनतम पुस्तकों और प्रकाशनों को जोड़कर जलकृषि पर पुस्तकों के अपने संग्रहण का विस्तार कर रही है। इस पुस्तकालय में अब 5300 से अधिक पुस्तकों का समग्र संग्रह है जिनमें पुराने जिल्दसाजी किए गए खंड और डॉ. ई जी सिलास, अध्यक्ष, एस ए सी, आर जी सी ए द्वारा योगदान की गई लगभग 4600 पुस्तकें शामिल हैं। पुस्तकों और पत्रिकाओं के अलावा, इस पुस्तकालय में इस समय जलकृषि में ई-संसाधन भी हैं जो विश्व भर से किसी भी संदर्भ सामग्री का पता लगाने और उसे प्राप्त करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक सूचना युक्तियां उपलब्ध कराएंगे।

12.1.2 प्रौद्योगिकी अंतरण एवं प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान आर जी सी ए ने "एशियाई सीबास जलकृषि में पालन के सर्वोत्तम तरीके" पर 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम के द्वारा किलाई, पिचावरम और वेदारण्यम के 40 मछुवारे लाभान्वित हुए थे। इस अवधि के दौरान कीचड़ केकड़ा जलकृषि में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे जिनमें कुल 22 लाभार्थियों ने भाग लिया था जिनमें केरल, गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के किसान और प्रौद्योगिकविद शामिल थे। "जीव आहार कृषि" में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिससे अन्नामलाई विश्वविद्यालय, परांगीपेटाई के 6 अनुसंधानकर्ता लाभान्वित हुए थे।

इनके अलावा, आर जी सी ए के टीटीटी स्कंध ने एम्पीडा/आर जी सी ए कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों, किसानों, मछुवारों, प्रौद्योगिकविदों, विद्यार्थियों के लाभार्थ सीबास एवं कीचड़ केकड़ा कृषि, जीव आहार कृषि एवं रोग निदान के तरीकों पर 7 परिचय तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के जरिए लगभग 131 व्यक्ति लाभान्वित हुए थे।

अक्वा अक्वेरिया 2013, विजयवाडा में आर जी सी ए पविलियन का एक दृश्य

During this period a study on 'resolving taxonomic ambiguity of Indian Mud Crabs using morphometry as well as advanced molecular marker techniques' was completed. This study concludes that only two mud crab species are commonly available in Indian coastal waters (*Scylla serrata* and *S. olivacea*). The importance of this study is immense because proper identification plays pivotal role in breeding and management of the particular species. Two research papers are ready for publication in International journals. Five unique sequences (KC200562, KC200563, KC200564, KC200565 and KC262643) were published in public domain of NCBI, GenBank website (USA) during the period.

This Lab is presently monitoring & supervising and maintaining the Genetic Database of all the breeding activities at different projects of RGCA that includes managing genetic data for Domestication of Tiger Shrimp (DTSP), Tilapia project and the *L. vannamei* BMC.

The Aquaculture reference Library of RGCA is the only Library in India, solely devoted to Aquaculture and allied subjects. This facility is designed to cater to the information needs not only of the Aquaculture professionals of the Industry, but also to students and researchers in the Field of Aquaculture. The Library is expanding its collection of Aquaculture books by adding the latest books and publications in the field. The Library now has of a total collection of over 5300 books that include backdated bound volumes and the collection of nearly 4600 books contributed by Dr. E. G. Silas, Chairman, SAC of RGCA. Apart from Books and Journals, the library presently also has E – resources in Aquaculture that will provide electronic information services to identify and source any reference material from all over the world.

12.1.2 Technology Transfer & Training

RGCA organized two Hands on training programmes on "Best Husbandry practices in Asian Seabass Aquaculture" during the year. 40 fishermen from Killai, Pichavaram and Vedaranyam benefitted through the programme. Two training programmes in Mud Crab Aquaculture were also organized during the period which had a total of 22 beneficiaries that included farmers and technocrats from Kerala, Goa, Tamil Nadu and Maharashtra. One training programme in 'Live Feed Culture' was also organized that benefitted 6 research scholars from the Annamalai University, Parangipettai.

Apart from these, the TTT wing of RGCA conducted 7 familiarization and awareness programmes in Seabass and Mud Crab farming, Live Feed culture and Disease diagnostic methods for the benefit of farmers, fishermen, technocrats, students and Government officials including MPEDA/RGCA staff. Around 131 persons were benefitted through these programmes.

A view of RGCA Pavilion at Aqua Aquaria 2013, Vijayawada

प्रौद्योगिकी अंतरण एवं प्रशिक्षण स्कंध ने जनवरी, 2013 के दौरान सिरकली स्थित आर जी सी ए के प्रौद्योगिकी अंतरण प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कॉम्पलैक्स में अरीजोना विश्वविद्यालय के अधीन डॉ. डोनाल्ड लाइटनर की जलकृषि रोग विज्ञान प्रयोगशाला के सहयोग से श्रिम्प रोग विज्ञान में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम के जरिए श्रिम्प कृषि उद्योग और सरकारी क्षेत्र के 23 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे।

अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 से एक दृश्य (सभी नर स्कैम्पी)

वर्ष के दौरान आर जी सी ए ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा 8-10 फरवरी, 2013 के दौरान विजयवाड़ा में आयोजित अक्वाअक्वेरिया 2013 में सक्रियतापूर्वक भाग लिया। आर जी सी ए द्वारा उक्त आयोजन में 540 वर्ग मीटर (लगभग 5600 वर्गफिट) क्षेत्र में थीम पवेलियन स्थापित की गई थी। इस पवेलियन में आर जी सी ए द्वारा किए गए ऐसे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को प्रदर्शित किया गया था जिन्हें उद्योग द्वारा अपनाया जा सकता है। आर जी सी ए द्वारा प्रदर्शित बड़े विपणन योग्य आकार के जीवित मत्स्य, श्रिम्प एवं एक कीचड़ केकड़ा मानग्रोव सेंचुरी ने भारी भीड़ को आकर्षित किया था, जिसमें किसान, प्रौद्योगिकविद, विद्यार्थी, अनुसंधानकर्ता एवं आम लोग शामिल थे। आर जी सी ए ने किसानों के लाभार्थ विभिन्न प्रजातियों के बीजों, आर्टेमियासिस्ट एवं बायोमास, खुले सागर केजों का भी प्रदर्शन किया। समूची प्रणाली पुनःसंचरण जलकृषि प्रणाली द्वारा समर्थित थी जिससे इस अवधि के दौरान प्रदर्शित मत्स्य को तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिली थी।

आरजीसीए द्वारा एक समुद्री खाद्य स्टॉल "मछिलीपट्टिनम" भी लगाई गई थी जिसमें आरजीसीए फार्मों से प्राप्त पकाई गई और प्रशीतित मत्स्य के विभिन्न व्यंजन परोसे गए थे। इस आयोजन के दौरान इस स्टॉल ने अभूतपूर्व भीड़ को आकर्षित किया था। आर जी सी ए द्वारा लगाए गए इस शो की आगंतुकों के सभी तबकों ने प्रशंसा की थी और आयोजन में इसने एक विशेष पुरस्कार भी जीता था।

आरजीसीए ने 3-7 जनवरी, 2013 के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दि समारोहों में भी भाग लिया। एम्पीडा, कोलकाता कार्यालय की सहायता से आर जी सी ए ने इस आयोजन में एक स्टॉल लगाया था।

आरजीसीए ने 27 जनवरी से 3 फरवरी, 2013 तक केरल सरकार द्वारा 25 वां केरल विज्ञान कांग्रेस के सिलसिले में आयोजित "शास्त्र जालकम", राष्ट्रीय विज्ञान एक्स्पो, 2013 में भी भाग लिया। आरजीसीए ने इस शो में जीवित कोबिया शावकों का प्रदर्शन किया और प्रजनन, बीजोत्पादन तथा प्रजातियों की कृषि में आरजीसीए द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को स्पष्ट किया। आयोजन के दौरान इस स्टॉल के बारे में किसानों, प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और आम जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

12.1.3 वैबसाइट की शुरूआत

आरजीसीए के लिए एक वैबसाइट (www.rgca.org.in) तैयार कर ली गई है और उसका अधिकारिक रूप से उद्घाटन आर जी सी ए की कार्यकारी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में अध्यक्ष, आर जी सी ए द्वारा 25 मार्च, 2013 को किया गया था।

The Technology Transfer and Training wing also organized a 5 day International Workshop in Shrimp Pathology in collaboration with the Aquaculture Pathology Laboratory of Dr. Donald Lightner under the University of Arizona at the Technology Transfer Training and Administrative Complex of RGCA at Sirkali during January 2013. 23 beneficiaries from the Shrimp Farming Industry as well as the Government sector benefitted through the programme.

A view from the Aqua Aquaria India 2013 (All Male Scampi)

During the year, RGCA also actively participated in Aqua Aquaria 2013 organized by the Marine Products Export Development Authority held at Vijayawada during 8th — 10th February' 2013. The theme pavilion of the event covering an area of 540 sq. metres (5600 sq. ft approximate) at the event was set up by RGCA. The pavilion showcased the various Research & Development activities pursued by RGCA that could be adopted by the industry. The large marketable sized live fish, Shrimp and a Mud Crab Mangrove sanctuary displayed by RGCA attracted large crowds that included farmers, technocrats, students, researchers as well as the general public. RGCA also exhibited seeds of various species, Artemia cysts and Biomass, Open Sea cages for the benefit of farmers. The entire system was supported by a Recirculation Aquaculture System that assisted in providing a stress free environment to the displayed fish during the period.

A Seafood stall "Machilipattinam" was put up by RGCA that served different dishes of cooked and frozen fish derived from RGCA farms. This stall attracted unprecedented crowds during the event. The show put up by RGCA was appreciated by all sections of the visitors and was also won a special prize at the event.

RGCA participated in the centenary celebrations of Indian Science Congress held at the Salt Lake Stadium Kolkata during 3 – 7 of January 2013. RGCA put up a stall at the event with assistance from the MPEDA Kolkata office.

RGCA also participated in the "Shasthra Jalakam", National Science Expo 2013, organized in connection with the 25th Kerala Science Congress by the Government of Kerala from the 27th January to 3rd February 2013. RGCA displayed live Cobia fingerlings at the show and explained on the inroads made by RGCA in breeding, seed production and farming of the species. The stall evoked an enthusiastic response from farmers, delegates, students, Scientists and the general public during the event.

12.1.3 Website Launch

The development of a Website for RGCA (www.rgca.org.in) has been completed and officially launched by President RGCA on the 25th March 2013 in the presence of the Executive Committee Members of RGCA.

आरजीसीए की वैबसाइट के जरिए आरजीसीए पुस्तकालय और एल. वन्नामेई हेतु जलीय संगरोध सुविधा संबंधी जलीय संगरोध मानीटरिंग प्रणाली की पहुंच हासिल की जा सकती है।

12.1.4 टायगर श्रिम्प पालतूकरण परियोजना

वर्ष 2012-13 के दौरान डी टी एस पी की प्राथमिक संगरोध इकाई और द्वितीयक संगरोध इकाई ने पूर्ण रूप से प्रचालन शुरू कर दिया था। इस अवधि के दौरान समस्त ज्ञात श्रिम्प रोगमूलकों से मुक्त कुल 37 नर और 37 मादाओं की जांच कर उनका उपयोग नए मूल परिवारों के उत्पादन हेतु प्राथमिक संगरोध इकाई में किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान और 12 मूल परिवारों के उत्पादन हेतु पीक्यूयू के होल्डिंग अनुभाग में अतिरिक्त ब्रुड स्टॉक की जांच कर उनका अनुरक्षण किया गया है।

वर्ष 2012 के दौरान द्वितीयक संगरोध इकाई में रखे गए 5 मूल परिवारों (जी 1) से वर्ष के दौरान 8 जी 2 परिवारों का उत्पादन किया गया था। उपर्युक्त 8 जी 2 परिवारों में से तीन परिवारों को केंद्रक प्रजनन केन्द्र को अंतरित किया गया था जबकि शेष 5 परिवारों को द्वितीयक संगरोध में रखा जा रहा है।

बी एम सी विशाखपट्टनम के एल वन्नामेई पालन अनुभाग का दृश्य

पुन:संचरण प्रणाली के बायोरिएक्टरों की कंडीशनिंग के बाद नवंबर, 2012 से कोडियाघाट स्थित केंद्रक प्रजनन केन्द्र को प्रचालनरत बनाया गया है। आई डी सं. जी 2-1/सी, जी 2-2/सी और जी 2-5/डी वाले तीन परिवारों को आई जी एच एस सहित ज्ञात समस्त श्रिम्प रोगों से मुक्त पाया गया था। टाइगर श्रिम्पों की तीसरी पीढी के उत्पादन हेतु कंडीशनिंग एवं प्रजनन करने के लिए जी 2-1/सी के 22 नरों और 105 मादाओं, जी 2-2/सी के 27 नरों और 23 मादाओं तथा जी2-5/डी के 15 श्रिम्पों को केंद्रक प्रजनन केन्द्र के नर्सरी अनुभाग में रखा जा रहा है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 3.74 लाख प्रति ब्रुड स्टॉक की औसत नौपली उत्पादन दर वाले स्वस्थ श्रिम्प नौपली का उत्पादन कर उन्हें ओस्पार्क, ओडिषा में आर जी सी ए पायलेट स्केल बी एम सी में अंतरित किया गया था। वर्ष 2013 के दौरान मूल परिवारों का विकास करने के लिए कुल 227 नरों और 254 मादाओं की जांच समस्त ज्ञात श्रिम्प रोगमूलकों के लिए की गई थी। स्वस्थ नौपली उत्पादन हेतु उनमें से 116 नरों और 142 मादाओं का चयन किया गया था।

ओस्पार्क स्थित डी टी एस पी की पायलेट स्केल बी एम सी इकाई द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 10 दशलक्ष बीजों का उत्पादन किया गया था। 7.5 दशलक्ष बीजों की आपूर्ति आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिषा के श्रिम्प किसानों को की गई थी। डॉ. अल मुत्तुरामन, उप निदेशक, एम्पीडा द्वारा स्वस्थ बीज निष्पादन के ब्यौरों का मूल्यांकन किया गया था जिन्हें जुलाई, 2012 में एम्पीडा न्यूज़ लेटर में "स्वस्थ बीजों के उपयोग द्वारा टाइगर श्रिम्प का सफल उत्पादन" शीर्षक से प्रकाशित किया गया था।

ओस्पार्क में डी टी एस पी पायलेट स्केल बीएमसी प्रचालन प्रगति पर है और यह सुविधा जी 6 टाइगर श्रिम्पों की छठी पीढ़ी का उत्पादन करने में सफल रही है। इस समय यह सुविधा 9 परिवारों के 1000 एसपीएफ श्रिम्पों का धारण कर रही है।

Both the RGCA Library as well as the Aquatic Quarantine Monitoring System for the Aquatic Quarantine facility for *L. vannamei* can be accessed through the RGCA website.

12.1.4 Domestication of Tiger Shrimp Project

Primary quarantine unit and secondary quarantine unit of DTSP were fully operational during 2012-13. During the period, a total of 37 males and 37 females screened free of all known Shrimp pathogens were used in the Primary quarantine unit for the production of new founder families. Additional broodstock has been screened and maintained in holding section of PQU for the production of another 12 founder families during 2013-14.

From 5 founder families (G1) held in the Secondary Quarantine Unit during 2012, 8 G2 families were produced during the year. Out of the above 8 G2 families, three families were transferred to the Nucleus Breeding Centre while the remaining five families are being retained in the Secondary Quarantine.

View of the Rearing Section of L.vannamei - BMC Vishakhapatnam

The Nucleus Breeding Centre at Kodiaghat has been put into operation from November 2012 after conditioning the bioreactors of the recirculation system. Three families with ID no.G2-1/C, G2-2/C and G2-5/D, found to be free from all known Shrimp diseases including IHGS. 22 males and 105 females from G2-1/C, 27 males and 23 females from G2-2/C and 15 Shrimps from G2-5/D are being maintained in the Nursery section of Nucleus Breeding Centre for conditioning & breeding to produce third generation of tiger Shrimps.

High Health Shrimp Nauplii were produced and transferred to RGCA-Pilot Scale BMC in OSSPARC, Odisha during 2012-13 with an average Nauplii production rate of 3.74 lakh per broodstock. During 2013, a total of 227 males and 254 females were screened for all known major Shrimp pathogens to develop founder families. 116 males and 142 females among them were selected for high health Nauplii production.

During the year 2012-13, 10 million seeds were produced by the pilot scale BMC unit of DTSP at OSSPARC. 7.5 million Seeds were supplied to Shrimp farmers in Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Odisha. Details of the High Health seed performance has been evaluated by Dr. Al Muthuraman, Deputy Director MPEDA and published in MPEDA newsletter July 2012 issue under the titled "Successful production of Tiger Shrimp using high health seeds".

DTSP-Pilot Scale BMC operation at OSSPARC is progressing and the facility succeeded in producing sixth generation G6 tiger Shrimps. Currently, this facility is holding over 1000 number SPF Shrimps belonging to 9 families.

जिला और राज्य स्तरीय समितियों से तमिलनाडु के कन्याकुमारी में डी टी एस पी-बी एम सी हेतु तटीय विनियमन जोन (सी आर इज़ेड) संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। परियोजना शुरू करने के लिए आर जी सी ए द्वारा राष्ट्र स्तरीय समिति के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

12.1.5 स्कैम्पी ब्रुड स्टॉक विकास परियोजना

कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के कांकीपाडू में स्थापित आर जी सी ए की स्कैम्पी ब्रुड स्टॉक विकास परियोजना ने वर्ष के दौरान लिंग परिवर्तन एवं नव मादा उत्पादन कार्यकलाप जारी रखा। पिछले वर्ष के दौरान 4 पुष्टिकृत नव मादाओं के उत्पादन बढ़ाते हुए इस परियोजना ने केरल क्षेत्र से 20 नव मादाओं और पश्चिम बंगाल क्षेत्र से एक का संग्रहण कर विस्तार किया है। वर्ष के दौरान पहले ही पुष्टिकृत नव मादाओं से समस्त नर संतति का उपयोग करते हुए नव मादाओं के व्यापक उत्पादन हेतु दूसरे चरण के त्वरित कार्यक्रम को जोरशोर से चलाया गया।

परियोजनाओं में आंशिक संग्रहण, क्लॉ अपक्षरण; सेल्टरों एवं उपर्युक्त के संयोजनों के प्रावधान जैसे अलग अलग तरीकों को अपनाकर उत्पादित समस्त नर स्केम्पी बीजों के निष्पादन का अध्ययन करने के लिए एक समेकित प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। प्रकाशन हेतु परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है। इस प्रयोग से कृषि की सर्वोत्तम तकनीकें स्कैम्पी किसानों को उपलब्ध होंगी जिससे वे समस्त नर स्कैम्पी कृषि के जरिए उत्पादन और लाभ को अधिकतम बना सकेंगे। अधिकतम लिंग परिवर्तन करने के लिए एन्ड्रोजेनिक ग्लेंड एब्लेशन हेतु ईष्टतम आयु एवं संभरण सधनता का निर्धारण करने के लिए एक प्रयोग चल रहा है। परियोजना में स्कैम्पी की केरल तथा पं. बंगाल की नस्लों के साथ चुनिंदा प्रजनन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

12.1.6 एल. वन्नामेई के लिए जलीय संगरोध सुविधा

नीलंकराई में जलजीव संगरोध सुविधा, जिसमें तीन अतिरिक्त क्यूबीकल और अपेक्षित अनुषंगी संरचनाओं एवं उपकरणों से समर्थित दो रिसीविंग क्षेत्र शामिल हैं, के दूसरे चरण का उद्घाटन 9 जनवरी, 2013 को किया गया था। इसका निधीयन एन एफ डी बी ने किया और निर्माण आर जी सी ए मानदंडों के अनुसार आर जी सी ए ने किया। दूसरे चरण के संगरोध क्यूबीकलों और रिसीविंग क्षेत्र को 6 माह की अवधि के भीतर शुरू किया गया था जैसा कि आर जी सी ए ने कृषि मंत्रालय तथा पणधारियों को आश्वासन दिया था। इस सुविधा का उद्घाटन श्री जी सी पति, आई ए एस, सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री एस आर राव, आई ए एस, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, सुश्री लीना नायर, अध्यक्ष, एम्पीडा और अध्यक्ष, आर जी सी ए, डॉक्टर ई जी सैलास, अध्यक्ष, आर जी एच सी ए वैज्ञानिक सलाहकार समिति, श्री तरूण श्रीधर, आई ए एस, संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), डी ए एच डी एफ, कृषि मंत्रालय, डॉ. जार्ज जॉन, वरिष्ठ सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. आर. पॉल राज, सदस्य सचिव, सी ए ए, श्री गगनदीप सिंह बेदी, आई ए एस, सचिव, डी ए एच डी एफ, तमिलनाडु सरकार, डॉ. सूर्य प्रकाश, सी ई प्रभारी, एन एफ डी बी एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था।

आर जी सी ए के अक्वाटिक संगरोध सुविधा के द्वितीय चरण का उद्घाटन

The Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance has been received for the DTSP - BMC at Kanyakumari in Tamil Nadu from the District and State Level Committees. RGCA is awaiting approval from the National Level Committee to commence the project.

12.1.5 Scampi Broodstock Development Project

The Scampi Broodstock Development Project of RGCA established at Kankipadu in Krishna District, Andhra Pradesh continued the Sex reversal and Neofemale production activities during the year. Building up on the production of 4 confirmed Neofemales during the previous year, the project has expanded its collection to 20 Neofemales from the Kerala region and one from the West Bengal region. The second phase speed up programme for mass production of Neofemales using all male progeny from the already confirmed Neofemales was carried out in full swing during the year.

An Integrated Experiment to study the performance of All Male Scampi seed produced by adopting different methods such as partial harvest, claw ablation; provision of shelters and combinations of the above has been successfully completed. Results are being analyzed for publication. This experiment would provide the Scampi farmers with best culture techniques to maximize production and profits through All Male Scampi farming. An experiment to determine the optimum age and stocking density for androgenic gland ablation to achieve the maximum sex reversal is underway. Selective Breeding programme with the Kerala and West Bengal strains of Scampi has also been initiated at the project.

12.1.6 Aquatic Quarantine Facility for *L. vannamei*

The second phase of the Aquatic Quarantine Facility at Neelankarai, comprising of three additional cubicles and 2 receiving areas supported with requisite ancillary structures and equipment was inaugurated on 9th January 2013. This was funded by NFDB and built by RGCA as per RGCA norms. The quarantine cubicles and receiving area of the second phase was made operational within 6 months period as assured by RGCA to the MoA and Stakeholders. Shri G. C. Pati, IAS, Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, MoA, Government of India has inaugurated the facility in the presence of Shri S. R. Rao, IAS, Commerce Secretary, Government of India, Ms. Leena Nair, IAS, Chairman MPEDA and President RGCA, Dr. E. G. Silas, Chairman Scientific Advisory Committee, RGCA, Shri Tarun Shridhar, IAS, Joint Secretary (Fy), DAHDF, MoA, Dr. George John, Sr. Advisor, Department of Biotechnology, Dr. R. Paul Raj, Member Secretary, CAA, Shri Gagandeep Singh Bedi, IAS, Secretary, DAHDF, Government of Tamil Nadu, Dr. Suryaprakash CE-in-charge, NFDB and many other dignitaries.

Inauguration of Aquatic Quarantine Facility Second Phase at RGCA

ए क्यू एफ के अंतिम चरण, जिसमें 13 क्यूबीकल शामिल हैं, के लिए आधारशिला भी श्री जी सी पति एवं श्री एस आर राव द्वारा संयुक्त रूप से उसी दिन रखी गई थी। ए क्यू एफ के अंतिम चरण का आंशिक निधीयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एसैड स्कीम के अंतर्गत किया गया है और एक दूसरे भाग का निधीयन कृषि मंत्रालय द्वारा किए जाने की संभावना है। अंतिम चरण का निर्माण शुरू हो गया है जो प्रगति पर है।

उपर्युक्त के पूरा होने के बाद जलीय संगरोध सुविधा की कुल क्षमता बढकर प्रतिवर्ष लगभग 2.47 लाख एल. वन्नामेई ब्रुड स्टॉक की कुल संगरोध क्षमता के साथ 20 क्यूबिकल हो जाएगी।

जलजीव संगरोध सुविधा में ऑन लाइन स्थान आरक्षण पोर्टल के साथ ऑन लाइन संगरोध मॉनीटरिंग प्रणाली का विकास पूरा हो गया है। इसे आर जी सी ए की वैबसाइट www.rgca.org.in पर उपलब्ध कराया गया है। प्रणाली की जांच हेतु परीक्षण चल रहे हैं और यह मई, 2013 के दौरान शुरू हो जाएगी।

इस बीच, जनवरी, 2013 के दौरान तीन और संगरोध क्यूबीकलों के जुड़ जाने से पिछले वर्षों की तुलना में एक्यू सुविधा में संगरोधित लॉटों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पूर्ववर्ती वर्ष में संगरोधित 83 लॉटों की तुलना में इस वर्ष के दौरान ब्रुड स्टॉक के लगभग 135 लॉटों को संगरोधित किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आयातित 37960 की तुलना में आयातित ब्रुड स्टॉक की कुल संख्या 64,580 हो गई थी। 96.67% की उत्तर जीविता दर पर इस सुविधा से कुल 62,307 को संगरोधित करके प्रेषित किया गया था।

12.1.7 कीचड़ केकड़ा हैचरी परियोजना

आर जी सी ए ने तोडूवाई नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु में देश की प्रथम अनन्य कीचड़ केकड़ा हैचरी स्थापित कर प्रचालन शुरू किया है। इस आधुनिकतम सुविधा में प्रति वर्ष 1 दशलक्ष से अधिक केकड़ा इन्सटार्स की उत्पादन क्षमता है। इस बीच, पायलट स्तरीय कीचड़ केकड़ा हैचरी सुविधा ने कैब इन्स्टार्स उत्पादन में उच्च उत्तर जीविता दर प्राप्त करना जारी रखा और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 17.5 प्रतिशत की सर्वोच्च दर और लगभग 3 प्रतिशत की सामान्य वैश्विक औसत की तुलना में 18.1 प्रतिशत की सर्वोच्च उत्तरजीविता दर दर्ज की। कई जल प्रबंधन कार्यनीतियों का प्रयोग किया गया है जिनसे उत्तरजीविता दर को बढ़ाने में मदद मिली है।

वर्ष 2012-13 के दौरान इस सुविधा में केकड़ा इन्स्टार्स का उत्पादन जारी रहा और 2.82 लाख से अधिक केकड़ा इन्स्टार्स का उत्पादन कर किसानों को आपूर्ति की गई है जिनमें दिसंबर, 2012 से नई हैचरी सुविधा में उत्पादित 1.6 लाख शामिल हैं।

मैच बॉक्स आकार के क्राबलेट्स

12.1.8 आर्टीमिया परियोजना-तूतिकोरिन

फार्म में जलकृषि के जरिए आर्टिमिया सिस्ट और बायोमास के उत्पादन का प्रदर्शन जारी रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान 189.500 किग्रा. नमसिस्ट का फार्म में उत्पादन किया गया था। गभीर खारे जल में भंडारण द्वारा डायापॉजों को निष्क्रिय बनाने के बाद इन सिस्टों को सुखाया गया और बाद में लगभग 66.465 किग्रा. सूखे सिस्ट का उत्पादन करके 152 नाइट्रोजन फ्लशड

The foundation stone for the final Phase of AQF comprising of 13 cubicles was also laid on the same day jointly by Shri G. C. Pati and Shri S. R. Rao. The final phase of the AQF is partly funded under the ASIDE scheme of the Ministry of Commerce & Industry and another part is likely to be funded by MoA. Construction of the final phase has been initiated and progressing.

Upon completion of the above, the total strength of the Aquatic Quarantine Facility would be boosted to 20 cubicles with a total quarantine capacity of approximate 2.47 lakh *L. vannamei* broodstock per annum.

The development of the Online Quarantine Monitoring system with an online space reservation portal at the Aquatic Quarantine facility has been completed. This is hosted at the website of RGCA at www.rgca.org.in. Trials are underway to test the system and it would be put into operation during May 2013.

Meantime, with the addition of three more quarantine cubicles during January 2013, the AQ facility witnessed a marked increase in lots quarantined when compared to the previous years. About 135 lots of broodstock were quarantined during the year when compared to the 83 lots quarantined in the previous year. The total no: of broodstock imported were 64,580 when compared to 37,960 imported during the previous year. A total of 62,307 nos. were quarantined & despatched from the facility at a survival rate of 96.67%.

12.1.7 Mud Crab Hatchery Project

RGCA established and put into operation, the country's first exclusive Mud Crab Hatchery at Thoduvai Nagapattinam District, Tamil Nadu. This state-of-the-art facility has a production capacity of over 1 million Crab instars per annum. Meanwhile, the pilot scale Mud Crab hatchery facility continued to achieve high survival rates in Crab Instars production and recorded a highest survival rate of 18.1% as against a highest of 17.5% achieved during the previous year and the normal world average of around 3%. Several water management strategies had been experimented which have helped in the enhancement of survival rates.

During the year 2012-13, production of Crab instars continued at the facility and over 2.82 Lakh Crab instars has been produced and supplied to the farmers that includes 1.6 lakh produced at the New Hatchery facility since December 2012.

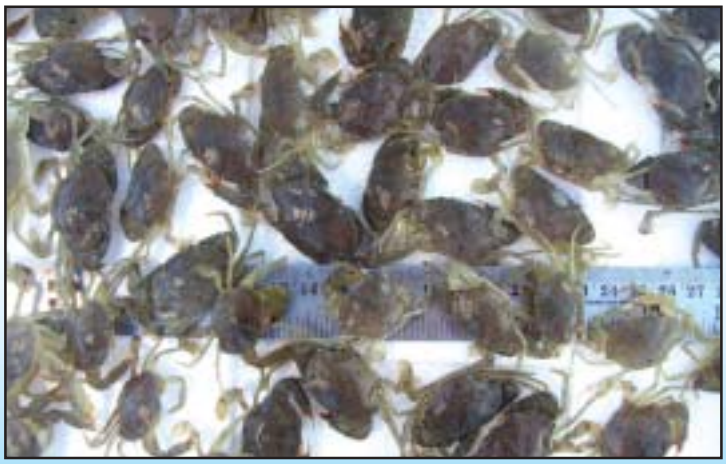

Match Box sized Crablets

12.1.8 Artemia Project – Tuticorin

Demonstration of Artemia Cyst and Biomass production through Aquaculture continued at the farm. During the year 2012-13, 189.500 kg wet cyst was produced at the farm. After deactivating the diapauses by storing in high saline water the cysts were dried and produced around 66.465 kg of dry cyst, which was

कंटेनरों में पैक किया गया था और अलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयों, श्रिम्प एवं अन्य फिन फिश हैचरियों में अपूर्ति की गयी। फार्म में 793 किग्रा. आर्टीमिया बायोमास का संग्रहण किए गया और 696.00 किग्रा. आर्टीमिया बायोमास की बिक्री प्रशीतित रूप में की गई थी।

एक नए प्रदर्शन फार्म की स्थापना करने के लिए रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु में एक स्थान को अभिज्ञात किया गया है। अभिज्ञात स्थान पर खारेपन और मृदा की जांच की गई है और इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रस्तावित स्थल सिस्ट एवं बायोमास उत्पादन हेतु आर्टिमिया कृषि के लिए उपयुक्त है। रामनाथपुरम जिले के तटीय क्षेत्रों में एस एच जी को आर्टेमिया सिस्ट एवं बायोमास उत्पादन के प्रौद्योगिकी अंतरण के प्रसार हेतु राजस्व भूमि का अधिग्रहण करने के लिए परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अर्टीमिया फार्म का दृश्य

12.1.9 सीबास हैचरी परियोजना

वर्ष 2012-13 के दौरान सीबास हैचरी ने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रचालन किया था। पुनसंचरण प्रणाली में 6 अंडसमूह प्राप्त किए गए थे जिनसे कुल 7.6 दशलक्ष अंडों का उत्पादन हुआ था। बीजोत्पादन हेतु लगभग 4.28 दशलक्ष अंडों को लार्वे पालन टैंकों में संभरित किया गया था। 6 चक्रों से लगभग 8.22 लाख 2 सीएम फ्राई का उत्पादन किया गया था। इस अवधि के दौरान 5.19 लाख से अधिक की बिक्री की गई है।

परियोजना में नियंत्रित प्रबंधन प्रणाली के साथ अब एक गहन रोटीफर कृषि प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस सुविधा के नजदीक स्थापित मत्स्य आहार संयंत्र से बहिस्राव, जिससे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उत्पादन गंभीर रूप

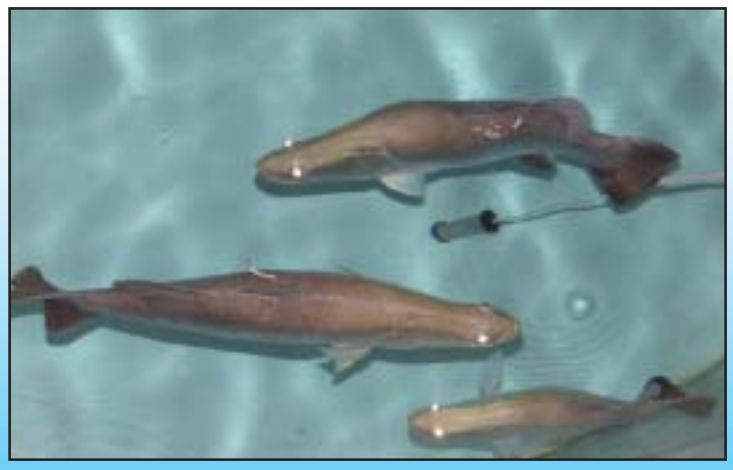

सीबास ब्रुडस्टॉक

packed in 152 Nos. of Nitrogen flushed containers and supplied to Ornamental Fish breeding units, Shrimp and other finfish hatcheries. 793 kg of Artemia Biomass was also harvested from the farm and out of that 696.00 kg was sold in frozen form.

A site was identified in Ramanathapuram District, Tamil Nadu for the establishment of a New Demonstration Farm. Salinity and soil tests were carried out in the identified site and it was established that the proposed site is suitable for Artemia culture for cyst and biomass production. An application has been submitted with the detailed project proposal for acquisition of revenue land for the dissemination of technology transfer of Artemia cyst and Biomass production to SHGs in the coastal areas of Ramanathapuram District.

View of the Artemia farm

12.1.9 Seabass Hatchery Project

The Seabass Hatchery was in full fledged operation during 2012-13. Six spawnings were achieved in the recirculation system yielding a total of 7.6 million eggs. Around 4.28 million eggs were stocked in the larval rearing tanks for seed production. Around 8.22 Lakhs 2 cm fry was produced from the 6 cycles. Over 5.19 lakh has been sold during the period.

An intensive Rotifer culture system with controlled management system is now being established at the project. The issue regarding the discharge of effluents from a Fish Meal Plant established adjacent to the

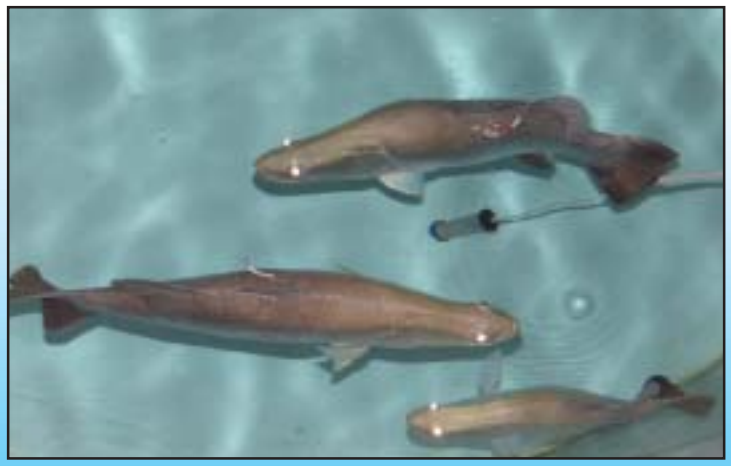

Seabass Broodstock

से प्रभावित हुआ था, से संबन्धित मुद्दे का समाधान किया गया था और बाद में संयंत्र से बहिस्राव की कोई घटना नहीं देखी गई थी।

12.1.10 जलकृषि प्रदर्शन फार्म-कारैकल, पुडुचेरी संघशासित क्षेत्र

कारैकल स्थित प्रदर्शन फार्म में जलकृषि तालाबों में एशियाई सीबास की केज कृषि, केकड़ा इन्स्टार्स से केकड़ा शावकों तक नर्सरी पालन, संग्रहण आकार तक केकड़ा शावकों की कृषि तथा सॉफ्ट शेल केकड़े के उत्पादन से संबंधित प्रदर्शन कार्यक्रम जारी रहे।

अक्वाकल्चर तालाबों में पिंजरों में सीबास कृषि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रदर्शन फार्म में लगभग 1.73 लाख केकड़ा इन्स्टार्स का संभरण किया गया था। लगभग 19700 को पालकर केकड़ा शावक बनाया गया था जिनकी आपूर्ति किसानों को की गई थी। 4,000 क्रैबलेटों को विकास परीक्षण हेतु ग्रोआउट तालाबों और पैनों में रखा गया था और अन्य 2000 क्रैबलेटों को परीक्षण हेतु सॉफ्ट-शेल बक्सों में रखा गया। केकड़ा शावकों की बिक्री के अलावा, प्रदर्शन के भाग के रूप में उत्पादित लगभग 2.9 टन सीबास और 66 किग्रा. केकड़ों की खेती कर उनकी बिक्री की गई थी।

12.1.11 ग्रूपर परियोजना-अंडमान

वर्ष 2012-13 के दौरान टाइगर ग्रूपर के 3 लारवा पालन परीक्षण शुरू किए गए थे जिनमें से हैचरी सुविधा में दो सफल चक्र प्राप्त किए गए थे। इन चक्रों में 2.4% और 5.7% की उत्तरजीविता दर पर क्रमशः लगभग 3830 और 6960 फ्राई का उत्पादन किया गया है।

आर जी सी ए ग्रूपर परियोजना, आन्डमान्स में खुले समुद्री पिंजरों का एक एरियल दृश्य

facility, which had seriously affected production during the previous year was settled and subsequently no incidents of discharge from the plant was observed.

12.1.10 Aquaculture demonstration Farm – Karaikal, UT of Puducherry

Demonstration programmes in Cage farming of Asian Seabass in Aquaculture ponds, nursery rearing of Crab Instars to Crablets, Farming of Crablets to harvest sizes and Soft Shell Crab production trials continued at the Demonstration farm at Karaikal.

Seabass Farming in Cages in Aquaculture ponds

During the period under review, around 1.73 lakh Crab instars were stocked at the Demonstration farm. Around 19700 were reared to Crablets and supplied to farmers. 4000 Crablets were stocked in Grow-out ponds and pens for growth trials and another 2000 crablets were stocked in soft-shell boxes for trials. In addition to the sale of Crablets, around 2.9 tons of Seabass and 66 Kgs of Crabs produced as a part of demonstrations were also harvested and sold during the year.

12.1.11 Grouper Project – Andamans

During 2012-13, three larval rearing cycles of the Tiger Grouper were initiated out of which 2 successful cycles have been obtained at the Hatchery facility. Approximately 3,830 and 6,960 fry have been produced in these cycles at a survival rate of 2.4% and 5.7% respectively.

An aerial view of Open Sea Cage, RGCA Grouper Project, Andamans

ग्रो-आउट कृषि परीक्षण हेतु लगभग 3700 टाइगर ग्रूपर फिंगरलिंग्स को समुद्री केजों में रखा गया था। लगभग 1700 फिंगरलिंग्स को नर्सरी अनुभाग में ही रखा जा रहा है। इस समय समुद्री केज फार्म में कुल 1.1 टन के बायोमास के साथ कुल 3900 किशोर हैं। मत्स्य का वजन 160 ग्राम और 900 ग्राम के बीच है।

ग्रूपर बीज

12.1.12 तिलापिया परियोजना - कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

अगस्त, 2011 के दौरान वर्ल्ड फिश सेंटर मलेशिया से आयातित गिफ्ट तिलापिया के 60 परिवारों से चुनिंदा प्रजनन मई, 2012 में शुरू हो गया और यह परियोजना भारत में जी आई गिफ्ट स्टॉक के 60 परिवारों का सफलतापूर्वक उत्पादन कर रही है। आनुवंशिक गुणों के आधार पर चुने गए प्रतिनिधिक मत्स्य को टैग किया गया था और ब्रुड स्टॉक आकार के होने तक उनका पालन किया गया था। बाद में भारत में गिफ्ट के जी 2 स्टॉक का विकास भी शुरू किया गया है और यह परियोजना अब तक लगभग 49 परिवारों का उत्पादन करने में समर्थ रही है।

आर जी सी ए तिलापिया परियोजना, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश में तिलापिया हाप्पास

वर्ष के दौरान किसानों के तालाबों में विकास परीक्षण हेतु समस्त नर गिफ्ट फिंगरलिंग्स का उत्पादन कर आपूर्ति भी शुरूकी गई है। यह परियोजना अब देश में उभरते हुए सेटेलाइट ब्रीडिंग सेंटरों को गिफ्ट तिलापिया ब्रुड स्टॉक की आपूर्ति हेतु तैयार है।

Around 3,700 Tiger Grouper fingerlings were stocked in sea cages for grow-out farming trials. Around 1700 fingerlings are being maintained in the nursery section itself. Presently the sea cage farm has a total of 3,900 juveniles with a total biomass of 1.1 tons. The body weight of the fish ranges between 160 grams and 900 grams.

Grouper seeds

12.1.12 Tilapia Project – Krishna District, Andhra Pradesh

Selective breeding with the 60 families of GIFT Tilapia imported from Worldfish Centre Malaysia during August 2011commenced during May 2012 and the project has been successful in the production of 60 families of GI GIFT stocks in India. Representative fish, selected based on genetic attributes were tagged and grown to broodstock sizes. Subsequently, the development of the G2 stocks of GIFT in India has also commenced and the project has so far been able to produce around 49 families.

Tilapia Happas in RGCA Tilapia Project, Krishna District, Andhra Pradesh

Production and supply of All-Male GIFT fingerlings for growth trials in farmer's ponds has also commenced during the year. The project is now geared up to supply GIFT Tilapia broodstock to emerging Satellite Breeding Centres in the country.

12.1.13 समुद्री फिन फिश हैचरी परियोजना

आर जी सी ए की समुद्री फिनफिश परियोजना में अनुसूचित बीज अपेक्षाओं के अनुसार कोबिया का प्रजनन करने के लिए मानकीकृत प्रौद्योगिकी है। वर्ष 2012-13 के दौरान कोबिया के 10,000 से अधिक किशोरों का उत्पादन करने के लिए 3 सफल प्रजनन प्रयास किए गए थे। कुल 9842 कोबिया फिंगरलिंग्स/किशोरों की बिक्री मत्स्य कृषकों तथा अनुसंधान संस्थानों (के वी के, सी एम एफ आर आई, नारक्कल, केरल एवं मात्स्यिकी विभाग, केरल तथा एन आई ए पी हेतु मात्सियकी कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, तूतीकोरिन, तमिलनाडु) को की गई थी। 26 से.मी. टीएल के औसत आकार और 130 ग्राम ए बी डब्ल्यू वाले लगभग 2900 कोबिया किशोरों को हैचरी में रखा जा रहा है।

पोषियूर का हैचरी कॉम्प्लेक्स का दृश्य

समुद्री पिंजरा फार्म में कोबिया को चारा देना

दि. 9.5.2012 को कुल 0.5 दशलक्ष एक डी पी एच कोबिया हैचलिंग्स और 58 डी पी एच के 40 (16 सेमी. टी एल) कोबिया फिंगरलिंग्स का निर्यात मे. एशियन फिशरीज टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कंपनी लि. (ए एफ टी एम), ईरान और 41 डी पी एच के 1000 कोबिया फिंगरलिंग्स का निर्यात दि. 20.6.2012 को मे. फिशर फार्म इंक, फिलीपींस को किया गया था।

मुट्टम मत्स्यन बंदरगाह स्थित आर जी सी ए के समुद्री केज प्रदर्शन फार्म में पालित कोबिया के संग्रहण का उद्घाटन अप्रैल, 2012 के दौरान अध्यक्ष, आर जी सी ए और अध्यक्ष, एम्पीडा द्वारा डॉ. ई.जी. सैलास, अध्यक्ष, एस ए सी, आर जी सी ए और श्री जेपियर, अध्यक्ष, मुट्टम मत्स्यन बंदरगाह की उपस्थिति में किया गया था। श्री तरुण श्रीधर, आई ए एस, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय समारोह के मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2012-13 के दौरान मुट्टम समुद्री केज फार्म में परीक्षण कृषि प्रचालनों के दौरान उत्पादित कुल 22 मीट्रिक टन कोबिया का संग्रहण कर उसकी बिक्री की गई थी। 3 किग्रा. से अधिक आकार के लगभग 27 टन साशिमी ग्रेड कोबिया बिक्री के लिए तैयार है।

12.1.13 Marine Finfish Hatchery Project

The Marine Finfish Project of RGCA has standardized technology to breed Cobia as per scheduled seed requirements. During 2012-13, three successful breeding attempts were made for the production of over 10,000 juveniles of Cobia. A total of 9,842 nos. of Cobia fingerlings / juveniles was sold to fish farmers and research Institutes (KVK, CMFRI, Njarakkal, Kerala & Department of Fisheries Kerala & for NIAP to Fisheries College & Research Institute, Tuticorin, Tamil Nadu). Around 2,900 Cobia juveniles with average size of 26 cm TL and 103 gm ABW are being maintained at the hatchery.

View of the Hatchery Complex at Pozhiyur

Feeding Cobia at the Sea Cage Farm

A total of 0.5 million 1 dph Cobia hatchlings and 40 No's of 58 dph (16cm TL) cobia fingerlings were exported to M/s. Asian Fisheries Technology & Management Co Ltd, (AFTM), IRAN on 09.05.2012 and 1000 No's of 41 dph Cobia fingerlings were exported to M/s. Fisher farm INC, Philippines on 20.06.2012.

Inaugural harvest of Cobia reared at the Sea cage demonstration farm of RGCA at Muttom fishing harbour was inaugurated by President RGCA and Chairman, MPEDA during April 2012 in the presence of Dr. E.G. Silas, Chairman SAC of RGCA and Shri Jeppiar, Chairman of the Muttom Fishing Harbour. Shri Tarun Sridhar IAS, Joint Secretary, MoA, was the chief guest at the function. During 2012-13, a total of 22 metric tons of Cobia produced during the trial farming operations at the Muttom Sea cage farm were harvested and sold. Around 27 tons of sashimi grade Cobia above 3 kg sizes are ready for sale.

अप्रैल से अगस्त, 2012 की अवधि के दौरान आर जी सी ए के समुद्री प्राकृतिक स्टॉक संवर्धन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हमारी आर जी सी ए समुद्री मत्स्य हैचरी, पोषियूर के ठीक सामने अरब सागर के लहर विभाजन क्षेत्र में समुद्र में कुल 14276 कोबिया किशोर छोड़े गए थे।

12.2 मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन एवं चिरस्थाई मत्स्यन नैटवर्क (नेटफिश)

एम्पीडा के तत्वाधान में गठित एक सोसाइटी, मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन एवं चिरस्थाई मत्स्यन नैटवर्क (नेटफिश) द्वारा वर्ष 2007 से खास तौर पर मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन, संरक्षण एवं चिरस्थाई मत्स्यन जैसे मात्स्यिकी से जुड़े विषयों पर मछुवारा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आधारभूत स्तर पर प्रभावी विस्तार कार्य किए जा रहे हैं। नेटफिश भारत के सभी समुद्रतटीय राज्यों में कार्य करता है और इन राज्यों में चुनिंदा बंदरगाहों और उतराई केन्द्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारबार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

12.2.1 विस्तार कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान नेटफिश ने 2371 विस्तार कार्यक्रम चलाए जिनमें 1883 नियमित जागरूकता कक्षाएं और 488 विशेष कार्यक्रम, जैसे नुक्कड़ नाटक (406), सफाई (9), रैली (1), स्कूल कार्यक्रम (18), जनसंचार (16) और अन्य विशेष कार्यक्रम (38) शामिल हैं (देखिए तालिका 1)। कार्यक्रमों के दौरान कारगर संदेश देने के लिए नेटफिश द्वारा तैयार किए गए पोस्टर, लीफलेट, वृत्त चित्र और एनीमेशन फिल्म जैसे विस्तार माध्यम का उपयोग किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभार्थियों को एम्पीडा की सब्सिडी स्कीमों के बारे में जागरूकता भी प्रदान की गई थी। इन कार्यक्रमों के अलावा, मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन एवं चिरस्थाई मत्स्यन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान और बंदरगाहों तथा उतराई केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य विभागों, संस्थानों, एजेंसियों आदि के साथ कई बैठकें और विचारविमर्शों का भी आयोजन किया गया था और उनके साथ कुछ संपर्क बनाए गए थे। इसके अलावा, नेटफिश राज्य समन्वयकर्ताओं ने अन्य संगठनों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त नेटफिश ने विभिन्न प्रांतों में आयोजित कई प्रदर्शनियों में भाग लिया जिनके दौरान नेटफिश कार्यकलापों एवं संदेशों का चित्रण करते हुए लीफलेट और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे और स्टालों में समस्त नेटफिश वृत्त चित्रों एवं एनीमेशन फिल्मों का लगातार प्रदर्शन किया गया।

12.2.2 विस्तार के नए साधनों का विकास

अंग्रेजी में निर्मित "पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों में मत्स्य का स्वच्छतापूर्ण हैंडलिंग" नामक एक नया वृत्त चित्र और "एन एस्केप टू द डेप्थ्स" नामक एक एनीमेशन फिल्म 9 क्षेत्रीय भाषाओं में डब की गई थी। 4 नए लीफलेटों नामतः "श्रिम्प कृषि में अच्छी पद्धतियां", "मेश साइज रेग्युलेशन फॉर सस्टेनेबल फिशिंग", "समुद्री खाद्य हैंडलिंग में व्यक्तिगत स्वच्छता" और "अधिमत्स्यन" अंग्रेजी और 9 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए गए थे। "मत्स्यन जलयान में अच्छी पद्धति", "एक पूर्व प्रसंस्करण केन्द्र में अच्छी पद्धतियां", "मत्स्य उतराई केन्द्रों मे अच्छी पद्धतियां" के संबंध में 3 चित्रात्मक चार्ट भी 10 भाषाओं में मुद्रित किए गए थे।

12.2.3 बैठकें

पूर्ववर्ती वर्षों में नेटफिश कार्यकलापों की उपलब्धियों और कमियों पर चर्चा करने के लिए नेटफिश राज्य समन्वयकर्ताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में एन जी ओ सदस्यों और एम्पीडा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी तथा नए वित्त वर्ष के लिए उसके आधार पर कार्य योजना तय की गई थी। वर्ष के दौरान नेटफिश कार्यकारी समिति की दो बैठकें 17 अप्रैल और 17 सितंबर को एम्पीडा, कोच्चि मे हुई थी। नेटफिश समीक्षा बैठक 14 सितंबर, 2012 को एम्पीडा, कोच्चि में हुई थी और नेटफिश की साधारण वार्षिक बैठक कोच्चि में 25 सितंबर, 2012 को बुलाई गई थी।

12.2.4 मैनेज, हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 4 से 8 नवंबर, 2012 तक नेटफिश के अधिकारियों ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा "कृषि एवं संबद्ध विभागों के विस्तार संस्थानों के प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण के तरीके" विषय पर आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था।

A total of 14276 Cobia juveniles were released into the sea at wave break zone of Arabian Sea just opposite to our RGCA Marine Fish Hatchery, Pozhiyoor as a part of RGCA's Marine Natural Stock Enhancement Programme during the period from April to August 2012.

12.2 NETWORK FOR FISH QUALITY MANAGEMENT AND SUSTAINABLE FISHING (NETFISH)

Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH), a Society formed under the aegis of MPEDA, has been conducting effective extension works, since 2007, at grass root level to empower fishermen community on fishery related subjects particularly on Fish Quality Management, Conservation and Sustainable Fishing. NETFISH works in all maritime states of India and conduct repeated training programmes at areas in and around selected harbours and landing centers in these States.

12.2.1 Extension programmes

During the financial year 2012-13, NETFISH conducted 2,371 extension programmes which consisted of 1883 regular awareness classes and 488 special programmes such as Street plays (406 nos.), Clean-ups (9 nos.), Rally (1 no.), School programmes (18 nos.), Mass communications (16 nos.) and other special programmes (38 nos.) (see Table - 1). The extension tools developed by NETFISH such as posters, leaflets, documentaries and animation films were made use of for delivering the messages effectively during the programmes. Awareness on MPEDA's subsidy schemes were also given to the beneficiaries in the training programmes. Apart from these programmes, a series of meetings and discussions were also arranged and certain linkages were established with various National / State Departments, Institutes, Agencies, etc. to solve the various issues regarding fish quality management & sustainable fishing and also for the development of infrastructure facilities at harbours and landing centers. Also, NETFISH State coordinators attended various seminars and workshops conducted in their regions by other organizations. Moreover, NETFISH participated in several exhibitions conducted at different provinces during which leaflets and posters depicting NETFISH activities & messages were displayed and all NETFISH documentaries & animation films were played continuously in the stalls.

12.2.2 Development of new extension tools

A new documentary film entitled "Hygienic Handling of Fish at Pre-processing Centers" and an animation film entitled "An Escape to the Depths" produced in English were dubbed into 9 regional languages. Four new leaflets viz. 'Good Practices in Shrimp Farming', 'Mesh Size Regulation for Sustainable Fishing', 'Personal Hygiene in Seafood Handling', and 'Overfishing' were developed in English and 9 regional languages. Three pictorial charts on 'Good Practice Onboard Fishing Vessels', 'Good Practices in a Pre-processing Centre', 'Good Practices in Fish Landing Centres' were also printed in 10 languages.

12.2.3 Meetings

In April, review meeting with NGO members and MPEDA officials were held by NETFISH State Coordinators in their respective regions to discuss the achievements and short falls of NETFISH activities in previous years and the action plan for the new fiscal year was fixed based on that. The Executive Committee of NETFISH met twice during the year on 17th April and 17th September 2012 at MPEDA, Kochi. NETFISH review meeting was held on 24th September 2012 at MPEDA, Kochi and the Annual General body Meeting of NETFISH was convened on 25th September 2012 at Kochi.

12.2.4 Training Programme at MANAGE, Hyderabad

From 4th to 8th November 2012, NETFISH officials had attended a training programme organized by National Institute of Agriculture Extension Management (MANAGE) at Hyderabad on the topic "Training Methods for Trainers of Extension Institutes of Agriculture and Allied departments".

तालिका - 1: वर्ष 2012-13 के दौरान नेटफिश द्वारा विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं	राज्य/क्षेत्र	अवतरण केन्द्र-गुणवत्ता	परिरक्षण	पोत पर	पूर्व-प्रसंस्करण	जल कृषि फार्म	सूखी मछली	नुक्कड़ नाटक	बंदरगाह/तटीय सफाई	जुलूस/रैली	स्कूल कार्यक्रम	जन संचार	अन्य विशेष कार्यक्रम	कुल
1	केरल - दक्षिण	38	20	2	74	-	2	45	1	-	1	-	1	**184**
2	केरल - उत्तर	100	83	8	-	-	-	95	1	-	-	9	3	**299**
3	कर्नाटक/गोवा	90	61	12	21	10	24	24	-	-	4	-	-	**246**
4	महाराष्ट्र	60	61	30	20	-	30	10	2	-	-	-	23	**236**
5	गुजरात	87	62	9	37	-	13	80	-	1	4	1	7	**301**
6	तमिलनाडु - दक्षिण	33	37	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	**82**
7	तमिलनाडु - उत्तर	97	59	26	-	-	20	28	-	-	-	-	2	**232**
8	आंध्र प्रदेश	83	53	12	12	15	25	40	-	-	2	6	2	**250**
9	ओडीषा	56	41	108	16	10	8	24	-	-	4	-	-	**267**
10	पं. बंगाल	76	26	25	15	49	15	60	5	-	3	-	-	**274**
	ब्रेक - अप	720	503	241	195	87	137	406	9	1	18	16	38	**2371**

मछुआरा जागरूकता कार्यक्रम

12.2.5 अक्वाअक्वेरिया 2013 में भागीदारी

नेटफिश ने 8 से 10 फरवरी, 2013 तक लोयोला कॉलेज ग्राउंड, विजयवाड़ा में आयोजित "अक्वाअक्वेरिया 2013" में भाग लिया। नेटफिश द्वारा तैयार किए गए पोस्टरों, लीफलेटों, वृत्त चित्रों और एनीमेशन फिल्मों का प्रदर्शन करते हुए एक स्टॉल लगाया गया था। नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया था जिसने बड़ी तादाद में लोगों को आकार्षित किया था।

12.2.6 विशेष कार्यकलाप

1) कार्यशालाएं

ई आई सी, राज्य मात्स्यिकी विभाग, एम्पीडा, बंदरगाह इंजीनियरी विभाग और पणधारियों की भागीदारी से केरल में मात्स्यिकी बंदरगाह के विकास हेतु कोचीन में 21 जून, 2012 को एक राज्य स्तरीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया

Table - 1: Details of extension programmes conducted by NETFISH during 2012-13

Sl. No.	State/Region	Landing Centre - Quality	Conservation	On board	Pre-processing	Aqua farm	Dry fish	Street-plays	Harbour/coastal cleanups	Procession / Rally	School programme	Mass communications	Other special programmes	Total
1	Kerala - South	38	20	2	74	-	2	45	1	-	1	-	1	**184**
2	Kerala - North	100	83	8	-	-	-	95	1	-	-	9	3	**299**
3	Karnataka/Goa	90	61	12	21	10	24	24	-	-	4	-	-	**246**
4	Maharashtra	60	61	30	20	-	30	10	2	-	-	-	23	**236**
5	Gujarat	87	62	9	37	-	13	80	-	1	4	1	7	**301**
6	Tamil Nadu- South	33	37	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	**82**
7	Tamil Nadu- North	97	59	26	-	-	20	28	-	-	-	-	2	**232**
8	Andhra Pradesh	83	53	12	12	15	25	40	-	-	2	6	2	**250**
9	Odisha	56	41	108	16	10	8	24	-	-	4	-	-	**267**
10	West Bengal	76	26	25	15	49	15	60	5	-	3	-	-	**274**
	Break-up	720	503	241	195	87	137	406	9	1	18	16	38	**2,371**

Fishermen Awareness Programme

12.2.5 Participation in AQUA AQUARIA 2013

From 8th to 10th February 2013, NETFISH participated in the 'Aqua Aquaria 2013' held at Loyola College Ground, Vijayawada. A stall was set up by displaying posters, leaflets, documentaries and animation films developed by NETFISH. Also street play shows were conducted, which attracted the crowd.

12.2.6 Special Activities

1) Workshops

A State level consultative workshop for Development of Fishing Harbours in Kerala was organized on 21st June, 2012 at Kochi by involving participants from EIC, State Fisheries Department, MPEDA, Harbour

सूखे मत्स्य कामगरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

था। इस कार्यशाला में केरल के मत्स्यन बंदरगाहों की मौजूदा स्थितियों पर एक प्रदर्शन शामिल था और उसके बाद एक आदर्श मत्स्यन बंदरगाह की अनिवार्य अपेक्षाओं पर बिन्दुवार रचनात्मक विचारविमर्श किया गया था। कार्यशाला के विचारविमर्श के रूप मे एक आदर्श मत्स्यन बंदरगाह की अपेक्षाओं पर संबंधित सुझावों को मुद्रित कर उन्हें समस्त भागीदारों को प्रेषित किया गया था।

इसी प्रकार दिनांक 22 नवंबर, 2012 को मुंबई में सासून डोक मत्स्यन बंदरगाह के विकास पर एक अन्य कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में एम्पीडा, ई आई ए, मात्स्यिकी विभाग, एस ई ए आई, मुंबई पत्तन न्यास के अधिकारियों और नीलामकर्ता एसोसिएशन, सासून डोक समुद्री खाद्य आपूर्तिकर्ता एसोसिएशन, बर्फ आपूर्तिकर्ता एसोसिएशन, जाल निर्माता एसोसिएशन, ठेला एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथसाथ सासून डोक बंदरगाह से संबंधित 10 मछुवारा सहकारी सोसायटियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेट फिश राज्य समन्वयकर्ता द्वारा "सासून डोक मत्स्यन बंदरगाह की वर्तमान स्थिति और विकास की जरूरत" पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। अधीक्षक अभियंता, मुंबई पत्तन न्यास ने "सासून गोदी बंदरगाह की सुधार योजना" पर एक प्रस्तुतीकरण दिया था। सी ई ओ, नेटफिश ने मुनम्बम स्थित बंदरगाह प्रबंधन सोसाइटी के कार्यकलापों को स्पष्ट किया। उन्होंने मुनम्बम मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण पर भी प्रकाश डाला और बंदरगाह में स्वच्छता एवं सफाई की स्थितियां बनाए रखने और बंदरगाह में मात्स्यिकी से जुड़े कार्यकलापों के रिकॉर्डों के रखरखाव में सफाई निरीक्षक की भूमिका को स्पष्ट किया। कार्यशाला में मुनम्बम मत्स्यन बंदरगाह की तर्ज पर एक प्रबंधन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। सरकारी एजेंसियों के 8 सदस्यों और पणधारियों के 4 सदस्यों को शामिल करते हुए एक कोर कमेटी गठित की गई थी।

केरल मं बन्दरगाह विकास के लिए कार्यशाला

Awareness Programme for dry fish workers

Engineering Department and stake holders. The workshop included a presentation on the existing conditions of the fishing harbours of Kerala and followed by a constructive point by point discussion on essential requirements of a model fishing harbour. The suggestions on the requirements of a model fishing harbour were printed as deliberations of the workshop and dispatched to all the participants.

Similarly, another Workshop on Development of Sassoon dock fishing harbour was conducted on 22nd November, 2012 in Mumbai. MPEDA, EIA, Dept. of Fisheries, SEAI, Mumbai Port Trust officials and representatives from Auctioneer Association, Sassoon dock Seafood Suppliers' Association, Ice Suppliers' Association, Net makers' Association, Handcart Association, as well as representatives of ten Fishermen Co-operative Societies concerned to Sassoon dock harbour participated in the workshop. A presentation on "Present Condition of Sassoon dock fishing harbour and need for Development" was presented by NETFISH State Coordinator. The Superintendent Engineer, Mumbai Port Trust had delivered a presentation on "Improvement Plan of Sassoon dock harbour". CEO, NETFISH explained the functions of Harbour Management Society at Munambam. He also highlighted the modernization of Munambam fishing harbour and explained the Role of Hygiene Inspector in maintaining the hygiene and sanitary conditions in the harbour and maintaining the records for the fishery related activities in the harbour. In the workshop it was decided to form a Management Committee in line with Munambam Fishing harbour. A Core Committee consisting of 8 members from Government agencies and 4 members from Stake holders was formed.

Workshop for Harbour development in Kerala

महाराष्ट्र में बन्दरगाह विकास के लिए कार्यशाला

ओनबोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम

मात्स्यिकी प्रशिक्षण केन्द्र, रत्नागिरी में दिनांक 13.12.2012 को "समुद्री मत्स्यन में आधुनिक उपस्करों और जीवन रक्षक उपकरणों के उपयोग" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री घाटगे, सहायक मात्स्यिकी आयुक्त, रत्नागिरी जिला ने किया था। 30 मछुवारों ने कार्यशाला में भाग लिया था और उन्हें आधुनिक मत्स्यन उपस्करों के प्रचालन और रखरखाव तथा समुद्री मत्स्यन में जीवन रक्षक उपकरणों के प्रयोग पर प्रशिक्षण दिया गया था। इस कार्यशाला में जिला सूचना एवं प्रसारण प्रभाग, रत्नागिरी के एक अधिकारी ने भी भाग लिया था।

2) प्लास्टिक की टोकरियों का वितरण

पोत और अवतारण स्थलों पर मत्स्य के हैड्लिंग के लिए बांस की टोकरियों के उपयोग को बंद करने हेतु नेटफिश पणधारियों को प्लास्टिक की टोकरियों का वितरण करता है। प्लास्टिक टोकरी वितरण कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों, केरल के बेपूर, कर्नाटक के मंडोवी, गुजरात के मगरोल एवं नारगोल, तमिलनाडु के पषियार और ओडिषा में आयोजित किए गए थे।

3) ट्रॉली वितरण

बंदरगाह में मत्स्य एवं बर्फ के अस्वच्छतापूर्ण हैंड्लिंग पर नियंत्रण रखने और पणधारियों के कार्यभार को कम करने के लिए नेटफिश ने 20 सितंबर, 2012 को नींडकरा-शक्तिकुलंगरा बंदरगाह में स्टेनलैस स्टील की 10 ट्रॉलियां वितरित कीं। इस समारोह में एम्पीडा उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम के सहायक निदेशक, ई आई ए, कोल्लम के उप निदेशक और शक्ति कुलंगारा

Workshop for Harbour development in Maharashtra

Onboard Training Programme

A one day Workshop on "Use of Modern Equipments and Life Saving Appliances in Marine Fishing" was conducted on 13.12.2012 at Fisheries Training Centre, Ratnagiri. The workshop was inaugurated by Mr. Ghatge, Assistant Commissioner of Fisheries, Ratnagiri district. Thirty fishers participated in the workshop and they were trained on operation and maintenance of modern fishing equipments and utilization of life saving appliances in marine fishing. An officer from District Information & Broadcasting Division, Ratnagiri also participated in this workshop.

2) Distribution of Plastic Baskets

NETFISH distribute plastic baskets to stakeholders for handling of fishes onboard as well as at landing sites and thus to eradicate use of bamboo baskets. Plastic Basket distribution programmes were conducted at different regions in West Bengal, at Baypore in Kerala, at Mondovi in Karnataka, at Mangrol & Nargol in Gujarat, at Pazhaiyar in Tamil Nadu and Odisha.

3) Trolley Distribution

For controlling unhygienic handling of fish and ice in harbour and to reduce the work load of stakeholders, NETFISH distributed 10 numbers of stainless steel trolleys at the Neendakara-Sakthikulangara harbour on 20th September 2012. Assistant Director of MPEDA Sub Regional Office, Kollam, Deputy Director of

स्टेनलेस स्टील ट्रोलियों का वितरण

मात्स्यिकी बंदरगाह के सहायक कार्यकारी अभियंता ने भी भाग लिया था। ट्रॉलियां बंदरगाह पर 4 अलगअलग कामगार यूनियनों के नेताओं को सौंपी गई थीं।

बर्फ एवं मत्स्य के बेहतर हैंड्लिंग हेतु नेटफिश ने देशप्राण मत्स्यन बंदरगाह और दिघा मोहाना नीलामी बाजार, पेटुवाघाट, पूर्वा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल को स्टील की 17 ट्रॉलियां प्रदान की।

4) स्कूल कार्यक्रम

स्कूल कार्यक्रमों का आयोजन प.बंगाल में पूर्वा मेदिनीपुर, कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले एवं कारवार, आंध्र प्रदेश में विशाखपट्टनम एवं काकीनाड़ा, ओडीषा में चिल्का, गुजरात में वेरावल, मंगरौल और वनकबाड़ा तथा केरल में चेरियाषीकल में किया गया था। बच्चों को मत्स्यन उद्योगों के वर्तमान परिदृश्य, मात्स्यिकी चिरस्थायिता में उनकी भूमिका, संसाधन प्रबंधन के अलगअलग तरीकों, पोत, बंदरगाह/अवतरण केन्द्रों और पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों आदि पर मत्स्य के स्वच्छतापूर्ण हैंडलिंग आदि के बारे में जानकारी दी गई थी। कार्यक्रमों में उपर्युक्त विषयों पर वृत्त चित्र एवं एनीमेशन फिल्में भी प्रदर्शित की गई। नेटफिश स्टीकरों, पोस्टरों और लीफलेटों के बारे में स्पष्ट किया गया और उन्हें भागीदारों में वितरित किया गया। अपने मातापिता के बीच जागरूकता पैदा करने में ये बच्चे एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं।

स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम

5) सफाई कार्यक्रम

- पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना के नामखाना मत्स्य अवतरण केन्द्र और पश्चिम बंगाल में पूर्वा मेदिनीपुर के देशप्राण तथा शंकरपुर मत्स्यन बंदरगाह में व्यापक नौका सफाई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में मत्स्यन नौकाओं

Distribution of stainless steel Trolleys

EIA, Kollam, and Assistant Executive Engineer of Sakthikulangara Fisheries Harbour also attended the function. The trolleys were handed over to the leaders of 4 different worker's unions at the harbour.

NETFISH has given 17 Steel Trolleys to Deshapran Fishing Harbour and Digha Mohana Auction Market, Petuaghat, Purba Medinipur, West Bengal for better handling of ice and fish.

4) School Programme

School programmes were conducted at Purba Medinipur in West Bengal, at Uttar Kannada district & Karwar in Karnataka, at Visakhapatnam & Kakinada in Andhra Pradesh, at Chilka in Odisha, at Veraval, Mangrol and Vanakbara in Gujarat and at Cheriazheekal in Kerala. The children were informed about present scenario of fishing industries, their role in fisheries sustainability, different methods of resource management, hygienic handling of fish at onboard, Harbour / Landing Centres and Pre-Processing centres, etc. Documentary and Animation films on above said subjects were also shown in the programmes. NETFISH stickers, posters, leaflets were explained and distributed to the participants. These children can act as medium to create awareness among their parents.

School Children Programme

5) Clean-up Programme

- Mass Boat Clean-up programmes were arranged at Namkhana Fish Landing Centre of South 24 Parganas and at Deshapran and Sankarpur Fishing harbours of Purba Medinipur in West Bengal. The programme

की साफसफाई के महत्व पर एक व्याख्यान और पोत पर सफाई प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक प्रदर्शन शामिल था। कार्यक्रम के भाग के रूप में ट्रॉलरों को तरल साबुन, ब्लीचिंग पाउडर और कयर ब्रश वितरित किए गए थे।

- पोन्नानी, केरल के निकट "तेवर कडप्पुरम" में 25 अक्टूबर, 2012 को एक तटीय सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें उस क्षेत्र के मछुवारों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया था। नेटफिश ने आवश्यक सफाई सामग्री की आपूर्ति की थी जिन्हें वे अब अवतारण केन्द्र की नियमित सफाई के लिए उपयोग कर रहे हैं।
- तोप्पुमपडी बंदरगाह, केरल के निकट "मानाशेरी" में एक अवतारण केन्द्र सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

6) स्क्वेयर मैश पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

- दिनांक 6 और 14 अगस्त, 2012 को वेरावल तथा मंगरोल में "डायमंड मेश का स्क्वेयर मेश में परिवर्तन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर प्रशिक्षणार्थियों को वृत्त चित्र दिखाया गया था और उसके बाद उन्हें डायमंड मेश से स्क्वेयर मेश बनाने की विधि के बारे में व्यावहारिक रूप से सिखाया गया था। प्रशिक्षणार्थियों को सिफ्ट के वैज्ञानिक और तकनीकी स्टॉफ द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

डायमन्ड मेश का स्क्वयर मेश नेट में परिवर्तन करने के लिए प्रशिक्षण

- सासून गोदी बंदरगाह के जाल निर्माता मछुवारों के लिए दो विशेष जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। उन्हें स्क्वेयर मेश नेट और अन्य बाई कैच कमी के उपायों पर प्रशिक्षित किया गया था जिनका उपयोग अवयस्क मत्स्य एवं बाई-कैच के बचाव के लिए किया जा सकता है।
- दिनांक 21 दिसंबर, 2012 को सोमनाथ कम्युनिटी हॉल, मंगरोल में "डायमंड मेश का स्क्वेयर मेश में परिवर्तन" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। कार्यक्रम के संचालन में नेटफिश के साथ खरवा समाज के अध्यक्ष, ट्रॉल बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सिफ्ट और सी एम एफ आर आई के तकनीकी अधिकारियों तथा मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने सहयोग किया था।

7) प्रदर्शनी स्टॉल

दिनांक 13 अगस्त, 2012 को वेरावल में "सागर खेडू सम्मेलन" में एक प्रदर्शनी सटॉल लगाया गया था। स्टॉल के भीतर विभिन्न प्रशिक्षण सामग्रियों, पैम्फलेटों, पोस्टरों, बैनरों, स्क्वेयर मैश कोर्ड एंड प्रदर्शन, मछुआरों केलिए एम्पीडा सब्सिडी स्कीम आदि का प्रदर्शन किया गया था। लगभग 1500 मछुवारों ने स्टॉल का संदर्शन किया। मात्स्यिकी आयुक्त ने भी अन्य अधिकारियों के साथ स्टॉल का संदर्शन किया।

8) अनुवर्ती कार्यक्रम

सितंबर माह 2012 के दौरान ओडिषा के मोटो गांव में एक अनुवर्ती कार्यक्रम आयोजित किया गया था और प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति, मोटो गांव में मत्स्य अवतारण के प्रकार, समाकलित तटीय ज़ोन प्रबंधन परियोजना आदि के बारे में

consisted of lecture on significances of hygiene and cleaning of fishing boats and practical demonstration on sanitation practices onboard. Liquid Soap, Bleaching Powder and Coir brushes were distributed to trawlers as part of the programme.

- A Coastal Clean-up programme was conducted on 25th October 2012 at 'Thevar Kadappuram' near Ponnani, Kerala in which fishermen and school children from the area participated. NETFISH supplied the necessary cleaning materials which they are now using for regular cleaning of the landing centre.
- A Landing Centre Clean-up Programme was conducted at 'Maanassery' near Thoppumpady Harbour, Kerala.

6) Training Programme on Square mesh

- On 6th & 14th August 2012, Training Programmes on "Conversion of Diamond mesh to Square mesh" was conducted at Veraval and Mangrol. During the programme documentary film was shown to trainees on subject matter and then practically taught them how to make diamond mesh to square mesh. The trainees were trained by Scientist and Technical staff of CIFT.

Training for conversion of Diamond mesh to Square mesh net

- Two special awareness training were conducted for net making fishers from Sassoon dock harbour. They were trained on square mesh net and other by-catch reduction devices that can be used to avoid juvenile fishing and by-catch.
- On 21st December 2012 a training programme on "Conversion of Diamond mesh to Square mesh" was conducted at Somnath Community Hall, Mangrol. President of Kharwa Samaj, President of Trawl Boat Association, Technical Officers of CIFT & CMFRI and Officials of Department of Fisheries associated with NETFISH in conducting the programme.

7) Exhibition Stall

On 13th August 2012, an Exhibition Stall was installed in 'Sagar Khedu Sammelan' in Veraval. Inside the stall various training materials, pamphlets, posters, banners, square mesh cod end demonstration, MPEDA subsidy scheme for fishermen, etc were displayed. Around 1500 fishermen visited the stall. Commissioner of Fisheries also visited the stall along with other officials.

8) Follow-up Programme

A follow up programme was arranged during September 2012 at Moto village in Odisha and had interactions with the fishermen regarding Primary Fishermen Co-operative Society, type of fish landing in

मछुवारों के साथ विचारविनिमय किया गया था। कार्यक्रम के लिए नेटफिश के साथ चिल्का विकास प्राधिकरण और राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों ने भी सहयोग किया था।

9) जन संचार

- दिनांक 15, 16 और 26 अक्टूबर, 2012 को नेटफिश ने जागरूकता पैदा करने और उसके द्वारा छोटे आकार की ट्यूना की पकड़ को रोकने के लिए काकीनाडा तथा विजाग मत्स्यन बंदरगाहों में जनसंचार कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम के दौरान हस्त पुस्तिकाएं वितरित की गई थीं। यंत्रीकृत बोट मालिकों ने यह आश्वासन दिया कि वे ऐसे कार्यकलापों को स्वीकार नहीं करेंगे और स्थानीय क्रेताओं के जरिए इसे नियंत्रित करेंगे।
- दिनांक 9, 10 और 21 दिसंबर, 2012 को विशाखपट्टनम तथा काकीनाडा में मत्स्यन जलयानों में स्वास्थ्यकारिता पर 3 जनसंचार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान मत्स्यन जलयानों पर "पोत पर स्वास्थ्यकर प्रक्रियाएं" पर नेटफिश के स्टिकर चिपकाए गए थे। मत्स्य गुणवता प्रबंधन और मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण पर मात्स्यिकी विभाग एवं नेटफिश, दोनों द्वारा तैयार की गई हस्त पुस्तिकाएं भी इस कार्यक्रम में वितरित की गई थीं।
- पुतियप्पा, केरल में एक जनसंचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बंदरगाह पर स्वास्थ्यकर स्थितियों के सुधार हेतु पणधारियों, बंदरगाह इंजीनियरी विभाग और बंदरगाह विकसना समिति के सदस्यों के साथ विचारविमर्श भी किए गए थे।

10) रैली

16 अक्टूबर, 2012 को परमेश हाई स्कूल, मंगरौल के लगभग 100 विद्यार्थियों को शामिल करते हुए मंगरोल, गुजरात में एक रैली का आयोजन किया गया था। पोस्टर्स, बैनर्स, स्लोगन्स, स्लोट आदि का प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने स्थानीय मत्स्य बाज़ार से अस्थाई बूथों, बंदरगाह, नीलामी बाज़ार हाल के क्षेत्रों, नावों के लंगर डालने के स्थानों, मछुआरा समुदाय के रहने के परिसरों और गली की ओर मार्च किया। मत्स्य हैंड्लिंग, मत्स्य एवं बर्फ के परिवहन आदि की गलत प्रक्रियाओं को रोकने के संवन्ध में माइक पर घोषणा भी की गई। मछुआरों से भारी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तथा मछुआरा समुदाय को सक्रिय करने के लिए यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहा।

11) इंसुलेटेड आईस बॉक्स का प्रदर्शन

वेरावल और मंगरौल में इंसुलेटेड बॉक्स के विषय में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और एम्पीडा से सब्सिडी प्राप्त करने के बारे में ब्यौरे स्पष्ट किए गए थे तथा मछुवारों को तकनीकी जानकारी प्रदान की गई थी। 350 से अधिक मछुवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया था और उन्होंने इस समय प्रयोग में लाए जाने वाले फाइबर कोटेड वुडन प्लाई बक्सों के बजाय इस प्रकार के बक्सों के उपयोग के प्रति गहरी रुचि दिखाई।

12) फसल पूर्व परीक्षण अभियान

अपंजीकृत किसानों के लिए पासबुक प्रणाली लागू करने हेतु नेटफिश ने पश्चिम बंगाल, ओडिषा और आंध्र प्रदेश में एम्पीडा के फसल पूर्व परीक्षण अभियानों में सहयोग किया है। एम्पीडा द्वारा बालासोर, ओडिषा और भीमावरम, आंध्र प्रदेश में आयोजित प्रशिक्षणों में राज्य समन्वयकर्ताओं ने भाग लिया था।

13) स्टेनलैस स्टील ट्रे का वितरण

पिसे हुए बर्फ को फर्श पर रखने की प्रथा को रोकने के लिए मुनम्बम बंदरगाह पर स्टेनलैस स्टील ट्रे वितरित किए गए।

14) नौका दर नौका जागरूकता अभियान

दिनांक 4 और 19 जनवरी, 2013 को विशाखापट्टनम में दो नौका दर नौका जागरूकता अभियान चलाए गए थे जिनमें नौका मालिकों और क्रू सदस्यों को मत्स्यन जलयानों पर स्वास्थ्यकर प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया था। उन्हें डिटरजेंट का उपयोग कर जलयानों की नियमित सफाई करने के बारे में बताया गया था। सभी नौकाओं पर नेटफिश के स्टिकर चिपकाए गए थे जिनमें पोत पर स्वच्छता एवं संरक्षण के तरीकों के बारे में सूचना दी गई थी और मात्स्यिकी विभाग एवं नेटफिश द्वारा तैयार किए गए मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन एवं मात्स्यिकी संसाधन संरक्षण से संबंधित हस्त पुस्तिकाएं वितरित की गई थीं।

Moto village, Integrated Coastal Zone Management project, etc. Chilka Development Authority and State Fishery Officials also associated with NETFISH for the programme.

9) Mass Communication

- On 15th, 16th & 26th October 2012, NETFISH conducted Mass Communication Programmes at Kakinada & Vizag fishing harbours to create awareness and thereby to prevent catch of small sized Tuna. Handouts were distributed during the programme. Mechanized boat owners assured that they would not entertain such activities and would control it through the local purchasers.
- On 9th, 10th and 21st December 2012, 3 Mass Communication Programmes on Hygiene in Fishing Vessels were conducted at Visakhapatnam and Kakinada. NETFISH stickers on 'Hygienic Practices onboard' were pasted in fishing vessels during the programme. The handouts prepared by both Department of Fisheries and NETFISH on Fish Quality Management and Conservation of Fishery resources were also distributed in the programme.
- A Mass Communication Programme was conducted at Puthiyappa, Kerala and also had discussions with stakeholders, Harbour Engineering Department and Harbour Vikasana Samithi members for the improvement of hygienic conditions at the Harbour.

10) Rally

On 16th October 2012 a Rally was conducted at Mangrol, Gujarat by involving around 100 students of Parmesh High School, Mangrol. The students holding posters, banners, slogans, slots, etc. marched from local fish market to areas of temporary booths, harbour, auction market hall, berthing place of boats, surroundings and street where fishermen community are staying. Mike announcements were also made on stoppage of wrong practices of fish handling, transportation of Fish & Ice, etc. Tremendous response was received from fishermen and the programme was highly useful to activate fishermen community.

11) Demonstration of Insulated Ice Box

Demonstration programmes on Insulated ice box was conducted at Veraval and Mangrol and explained the details about getting subsidy from MPEDA and provided technical knowledge to fishermen. More than 350 fishermen attended the programmes and they showed good interest to utilize such kind of boxes instead of presently used fiber coated wooden ply boxes.

12) Pre-Harvest Test Campaign

NETFISH associated in Pre-Harvest Test Campaigns of MPEDA at West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh for implementation of Pass Book system to the unregistered farmers. The State Coordinators attended the trainings conducted by MPEDA at Balasore, Odisha and at Bhimavaram, Andhra Pradesh.

13) Distribution of Stainless Steel Trays

Stainless Steel Trays were distributed at Munambam harbour to stop the practice of putting crushed ice on floor.

14) Boat to Boat Awareness Campaign

On 4th and 19th of January 2013, two Boat to Boat awareness campaigns were conducted at Visakhapatnam, in which the boat owners and crew members were informed about hygienic practices onboard fishing vessels. They were told to practice regular cleaning of vessels using detergent. NETFISH stickers having information on hygiene and conservation methods onboard were pasted in all the boats and also distributed handouts on fish quality management and conservation of fishery resources prepared by Department of Fisheries as well as NETFISH.

कच्छीय वन प्लान्टेशन अभियान

15) कच्छीय वन रोपण शिविर

तटीय पारिस्थिति प्रणाली में सुधार करने और उसका संरक्षण करने के उद्देश्य से रांध, गुजरात में एक कच्छीय वन रोपण शिविर आयोजित गया था। दिनांक 5 से 7 फरवरी, 2013 तक सदस्य एन जी ओ, सेतु सूचना केन्द्र के सहयोग से नेटफिश ने रांध खाडी और भद्रावती नदी के तटीय क्षेत्रों में 6,80,000 पौधों का रोपण किया था। समूचे मछुवारा समुदाय ने एकत्र होकर इस कार्यक्रम में भागीदारी की थी।

16) तटीय सफाई अभियान

मछुवारा समुदायों के बीच पूर्ण सफाई जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कुड्डालूर में दिनांक 24.3.2013 को और चेन्नई में दिनांक 27.3.2013 को तटीय सफाई अभियान चलाए गए थे। इस अभियान में "वन यात्रा", गलि नुक्कड़ बैठकें, हस्त पुस्तिकाओं का वितरण, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं तटीय सफाई और मछुवारों के जीवन की गुणवत्ता तथा घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों में विपणन किए जाने वाले समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता पर उसके प्रभाव के बारे में बैनरों का प्रदर्शन शामिल था।

17) जखाऊ - कच्छ, गुजरात में ट्रॉल मत्स्यन जलयान में 40 मि.मी. स्क्वेयर मेश आकार का कार्यान्वयन

नेटफिश ने गुजरात में 40 मि.मी. मेश आकार विनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्य मात्स्यिकी विभाग की शुरूआत की है। नेटफिश ने ट्रॉलरों में 40 मि.मी. स्क्वेयर मेश वाले नेटों के उपयोग की जरूरत के बारे में मछुवारों के बीच जागरूकता भी पैदा की जो अवयस्क मत्स्यन से बचने और समुद्री संसाधनों की चिरस्थायिता हेतु अनिवार्य है। ट्रॉल में 40 मि.मी. मेश आकार के कार्यन्वयन के भाग के रूप में जखाऊ - कच्छ के राज्य मात्स्यिकी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ राज्य समन्वयकर्ता नेटफिश-एम्पीडा ने दिनांक 6 फरवरी, 2013 को एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में जखाऊ मछुवारा नौका एसोसिएशन के सभी सदस्य, समुद्री पुलिस स्टेशन, जखाऊ के प्रभारी, जखाऊ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष आदि ने भी भाग लिया था। लंबे विचारविमर्श के बाद अंततः मछुवारों ने इस पर सहमति व्यक्त की। वे यह भी चाहते थे कि इसे गुजरात के अन्य सभी मत्स्यन बंदरगाहों पर कार्यान्वित किया जाए।

12.3 राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केन्द्र (नाक्सा)

भागीदारी अभियान चलाकर भारत में चिरस्थाई जलकृषि में नाक्सा का समर्थन जारी है जिससे "आधारभूत स्तर पर क्षमता निर्माण" के जरिए सीमांत और गरीब ग्रामीण जलकृषक शक्ति संपन्न बनते हैं। नाक्सा द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति सूचना के आदान-प्रदान और समूह सदस्यों के बीच संसाधनों की भागीदारी में सुधार करने, प्रौद्योगिकियों तथा कृषि के बेहतर तरीकों के बारे में सूचना का प्रसार करने, सुरक्षित तथा चिरस्थाई रूप से कृषित श्रिम्प का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए जलकृषि सोसाइटियों के गठन के जरिए की जा रही हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान नाक्सा की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं,

- पी एच टी पंजीकरण कार्यक्रम,
- सोसाइटियों का गठन एवं पंजीकरण,

Mangrove Plantation Campaign

15) Mangrove Plantation Camp

With an aim to build up coastal ecosystem and for its protection a mangrove planting camp was organized at Randh, Gujarat. From 5th to 7th February 2013, NETFISH in cooperation with the member NGO, Setu Information Centre planted 6,80,000 saplings along the creek of Randh and the belt of Bhadravati River. Entire fishermen community gathered and participated in the programme.

16) Coastal Sanitation Campaign

Coastal Sanitation Campaigns were arranged in Cuddalore on 24.03.2013 and in Chennai on 27.03.2013 with an aim to create complete sanitation awareness among fishermen communities. The campaign included 'Van Yathra', street corner meetings, distribution of hand outs, display of banners on personal hygiene and coastal sanitation and its impact on the quality of life of fisher folk and the quality of marine products to be marketed both in domestic and export markets.

17) Implementation of 40 mm Square Mesh Size in Trawl Fishing Vessel at Jakhau-Kutch, Gujarat

NETFISH initiated State Fisheries Department for the implementation of 40 mm mesh size regulation in Gujarat. NETFISH also created awareness among fishermen about the need for using 40 mm square meshed nets in trawlers which is essential to avoid juvenile fishing and for the sustainability of marine resources. As part of the implementation of 40 mm mesh size in trawl, State Coordinator NETFISH-MPEDA along with officials of State Fisheries Department of Jakhau-Kutch had conducted a meeting on 6th February 2013. All the Members of Jakhau Fishermen Boat Association, In Charge of Marine Police Station, Jakhau, President of Jakhau Gram Panchayat, etc also attended the meeting. After long discussion the fishermen finally agreed to it. They also wanted to implement the same at all other fishing harbours of Gujarat.

12.3 NATIONAL CENTRE FOR SUSTAINABLE AQUACULTURE (NaCSA)

NaCSA is continuing support of Sustainable Aquaculture in India by creating a participatory movement that empowers the marginalized and poor rural aquaculture farmers through 'Capacity building at grass root level'. NaCSA is achieving this objective through organizing Aquaculture Societies to improve information exchange and sharing resources among group members, disseminating technologies and information on better farming practices, sustainable and judicious use of natural resources to produce safe and sustainably farmed Shrimp.

The major achievements of NaCSA during the year 2012-13 are as follows,

- PHT Registration programme,
- Organizing and registration of societies,

- पी. मोनोडॉन श्रिम्प कृषि में तकनीकी प्रशिक्षण वीडियो तैयार करना,
- सोसायटी फार्मों में स्वस्थ पी.मोनोडॉन बीज कृषि के बारे में प्रदर्शन,
- नाक्सा / एम्पीडा - जी ए ए / बी ए पी द्वारा सोसाइटियों का समूह पंजीकरण का प्रारंभ,
- रिलायंस फाउंडेशन, मुंबई के साथ आई सी टी कार्य,
- श्रिम्प कृषि में बी एम पी मैनुअल,
- क्षमता निर्माण कार्यकलाप,
- प्रतिजैविकी/बीएमपी जागरूकता कार्यक्रम,

12.3.1 पी एच टी पंजीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ तथा जी पी एस इकाइयों से समन्वयकों का प्रत्यक्ष सत्यापन तथा रिकॉर्डिंग

एम्पीडा/ नाक्सा ने आंध्र प्रदेश, ओडिषा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल राज्यों में पी एच टी पंजीकरण कार्यक्रम चलाया है और तदनुसार नामांकन प्रपत्र ऑन लाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, फार्मों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था और जी पी एस इकाइयों से फार्मों के समन्वयकों के आंकड़े दर्ज किए गए थे।

पी एच टी नामांकन का एक दृश्य

क) पी एच टी पंजीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा:

राज्य	नामांकित प्रपत्रों की संख्या	ऑन लाइन दर्ज प्रपत्रों की संख्या	जी पी एस युक्तियों वाले सत्यापित फार्मों की संख्या	प्रयुक्त जी पी एस इकाइयां
आंध्र प्रदेश	23049	22899	23190	47
पं. बंगाल	6272	5438	2132	10
ओडिषा	3866	3515	2201	11
तमिलनाडु/पांडिचेरी/अंडमान व निकोबार	1310	1285	952	3
कर्नाटक/गोवा	356	346	204	3
केरल	561	422	116	3
महाराष्ट्र	110	110	107	3
गुजरात	548	509	57	3
कुल	**36,072**	**34,524**	**28,959**	**83**

- Preparation of Technical training video in *P. monodon* Shrimp farming,
- Demonstration on High Health *P. monodon* seed Farming in Society farms,
- Initiation for Cluster Certification of societies by NaCSA/MPEDA-GAA/BAP,
- ICT work with Reliance Foundations, Mumbai,
- BMP Manual in Shrimp farming,
- Capacity building activities,
- Antibiotic /BMP Awareness Programmes.

12.3.1 Commencement of PHT Registration programme and physically verification and recording the coordinates with GPS units

MPEDA/NaCSA has conducted PHT Registration programme in States of Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Kerala and accordingly the enrolment formats were entered in online software. Further the farms were physically verified and captured the coordinates of the farms with GPS units.

A view of PHT enrollment

a) Details of PHT Registration program:-

State	No of formats enrolled	No of formats entered on line	No. of farms verified with GPS Devices	GPS Units used
Andhra Pradesh	23,049	22,899	23,190	47
West Bengal	6,272	5,438	2,132	10
Odisha	3,866	3,515	2,201	11
Tamil Nadu/Pondicherry/A&N	1,310	1,285	952	3
Karnataka / Goa	356	346	204	3
Kerala	561	422	116	3
Maharashtra	110	110	107	3
Gujarat	548	509	57	3
Total	**36,072**	**34,524**	**28,959**	**83**

कुल 36,072 खारा जल फार्म और 1,428 मीठा जल फार्म नामांकित किए गए थे जिनमें से 34,524 फार्मों की ऑन लाइन प्रविष्टि की गई थी।

ख) जी पी एस आंकड़ा संग्रहण

29,881 फार्मों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था और जी पी एस रीडिंग ली गई थी जिसका सत्यापन चल रहा है।

12.3.2 सोसाइटियों का गठन और पंजीकरण

वर्ष 2012-13 के दौरान नाक्सा ने विभिन्न तटीय राज्यों में 12 सोसाइटियों का गठन किया। योजना स्कीम के जरिए चिरस्थाई श्रिम्प कृषि के लिए नाक्सा एम्पीडा के साथ राज्य पंजीकृत सोसाइटियों के औपचारिक पंजीकरण पर ध्यान केन्द्रित करता है।

राज्य	संचयी सोसाइटियां	संचयी कृषक	संचयी क्षेत्र (हे.)
आंध्र प्रदेश	639	14,019	12,856
तमिलनाडु	47	1,144	1,938
ओडिषा	55	1,188	801
पं. बंगाल	56	1,289	444
कर्नाटक तथा केरल	22	399	427
कुल जोड	**819**	**18,039**	**16,466**

12.3.3 अक्वा अक्वेरिया इंडिया, 2013 में भागीदारी

नाक्सा ने अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 में 2000 जलकृषकों की भागीदारी में सुविधा प्रदान की और यह शो किसानों के लिए उपयोगी रहा था क्योंकि वे प्रदर्शनी में भाग ले सके और तकनीकी सत्रों में उपस्थित हो सके।

12.3.4 पी. मोनोडॉन श्रिम्प कृषि में तकनीकी प्रशिक्षण वीडियो तैयार करना और 9 स्थानीय भाषाओं में उसका अनुवाद करना

नाक्सा ने सोसाइटी अवधारणा के साथ बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के बारे में अंग्रेजी में एक निर्दशनात्मक चरण-वार वीडियो तैयार किया। इसके अलावा, इसे 9 स्थानीय भाषाओं में अनुदित किया गया था। इस वीडियो का प्रमोचन अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013 में किया गया।

12.3.5 सोसाइटी फार्मों में उच्च स्वस्थ पी मोनोडॉन बीज कृषि का प्रदर्शन

उच्च स्वस्थ पी मोनोडॉन बीजों का संभरण दिनांक 28/29 मार्च, 2012 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में नाक्सा सोसाइटियों के फार्मों में किया गया था। 20.25 एकड़ के 38 तालाबों में कुल 1.74 दशलक्ष बीजों का संभरण किया गया था: पैदावार का सारांश नीचे दिया जाता है:-

सारांश	
संभरित फार्मों की कुल संख्या	13
कुल क्षेत्र	20.25 हेक्टे.
संग्रहित कृषित कुल तालाब	38 तालाब
संभरित कुल बीज	1.74 दशलक्ष
संग्रहित कुल सामग्री	28.296 मे.ट.
प्रयुक्त कुल आहार	41.045 मे.ट.
औसत एफ सी आर	1 : 1.4

Totally of 36,072 brackish water farms and 1,428 fresh water farms were enrolled in which 34,524 farms were entered online.

b) GPS data collection

29,881 farms were physically verified and GPS readings were taken and the verification is under progress.

12.3.2 Organizing and Registration of Societies

NaCSA organized 12 societies during 2012-13 in different coastal States. NaCSA concentrates on registering formally State Registered Societies with MPEDA to achieve sustainable Shrimp farming through planned scheme.

State	Cumulative Societies	Cumulative Farmers	Cumulative Area(Ha)
Andhra Pradesh	639	14,019	12,856
Tamil Nadu	47	1,144	1,938
Odisha	55	1,188	801
West Bengal	56	1,289	444
Karnataka & Kerala	22	399	427
Grand Total	**819**	**18,039**	**16,466**

12.3.3 Participation in Aqua Aquaria India 2013

NaCSA facilitated the participation of 2,000 aqua farmers in Aqua Aquaria India 2013, and the show was useful to the farmers, as they could attend the exposition and participate in the technical sessions.

12.3.4 Preparation of Technical training video in *P. monodon* Shrimp farming and translation in nine vernacular languages

NaCSA prepared an illustrative step by step video in English, on Better Management Practices implementation with Society concept. And further, it was translated to nine vernacular languages. This video was launched in Aqua Aquaria India - 2013.

12.3.5 Demonstration of Farming of High Health *P. monodon* seeds in Society farms

The High Health *P. monodon* seeds were stocked in the farms of NaCSA societies in Guntur district of Andhra Pradesh on 28 / 29th of March 2012. A total of 1.74 million seeds were totally stocked in 38 ponds, covering 20.25 acres. The summary of the crop is furnished below:-

Summary	
Total number of farms stocked	13
Total Area	20.25 ha.
Total Ponds harvested	38 Ponds
Total Seed stocked	1.74 Million
Total material harvested	28.296 MT
Total Feed used	41.045 MT
Average FCR	1:1.4

12.3.6 नाक्सा / एम्पीडा जी ए ए बी ए पी द्वारा सोसाइटी परियोजना कार्यान्वयन के समूह प्रमाणन की शुरूआत

एम्पीडा-नाक्सा का प्राथमिक उद्देश्य चिरस्थाई एवं पर्यावरण हितैषी जलकृषि में समर्थ बनने हेतु बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं (बी एम पी) को अपनाने के लिए लघु कृषकों का संवर्धन करना है। जलकृषि सोसाइटियों के गठन में नाक्सा के प्रयासों ने बी एम पी को अपनाकर उत्पादन की चुनौतियों का सामने करने में लघु कृषकों को एक उच्च और एकीकृत आवाज़ प्रदान की है। बाद में फोकस खाद्य सुरक्षा, अनुमार्गणीयता आदि जैसे मुद्दों में जागरूकता पैदा कर प्रमाणन हेतु छोटे किसानों को तैयार करने पर केन्द्रित किया जा रहा है। उत्पादन के प्रमाणन से छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजारों में बेहतर पहुंच उपलब्ध करवाकर जिम्मेवारी के साथसाथ अत्यंत जरूरी आर्थिक निर्भरता की शक्ति मिलेगी। बाजार की बेहतर और आसान पहुँच को सुकर बनाने के लिए जलकृषि उत्पादन के प्रमाणन की सिफारिश की जाती है।

उपर्युक्त के संदर्भ में ग्लोबल एक्वाकल्चर एलायंस के बी ए पी (बेस्ट एक्वाकल्चर प्रेक्टिस) ने 11 और 12 दिसंबर, 2012 को पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में नाक्सा सोसाइटियों का दौरा किया और सोसाइटी किसानों के साथ विचारविनिमय किया। यह पाया गया था कि किसानों द्वारा अपनाए गए तरीके प्रमाणन मार्गनिर्देशों द्वारा निर्धारित मानकों के कमोबेश अनुकूल हैं। उन्होंने एम्पीडा सोसाइटियों में उनके द्वारा अपनाई गई आई सी एस (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली) के बारे में भी किसानों के साथ विचारविमर्श किया। निकट भविष्य में प्रमाणित करवाने के लिए उन्होंने नाक्सा सोसायटियों के साथ कार्य करने में रुचि व्यक्त की। आई सी एस प्रणाली और प्रमाणन मार्ग निर्देशों से संबंधित मानकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए एम्पीडा और नाक्सा के दो अधिकारियों को चीन में समूह प्रमाणन में प्रशिक्षित किया गया।

12.3.7 श्रिम्प कृषि में बी एम पी मैनुअल

पी. मोनोडॉन और एल. वन्नामाई के लिए श्रिम्प कृषि हेतु मसौदा बी एम पी मैनुअल तैयार किया गया था। नाक्सा जी सी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बी एम पी मैनुअल को एक समिति अंतिम रूप प्रदान करेगी, जिसमें कृषक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

12.3.8 रिलायंस फाउंडेशंस, मुंबई के साथ आई सी टी कार्य

जल कृषकों की आजीविका में सुधार करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में नाक्सा के साथ घनिष्ट रूप से कार्य करने के बारे में रिलायंस फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन सर्विस कार्यक्रम ने प्रस्ताव किया है।

1. आवश्यक परामर्शिका और वर्गीकरण उपलब्ध कराने के लिए नाक्सा नेटवर्क जलकृषकों के लिए हेल्प लाइन स्थापित करना।
2. नाक्सा नेटवर्क जलकृषकों के लिए मोबाइल आधारित ऑडियो परामर्शिकाओं के जरिए मौसम आधारित जलकृषि परामर्शिकाओं का प्रसार
3. जलकृषि के विभिन्न पहलुओं के लिए सीधा केबल टी वी कार्यक्रम आयोजित करना
4. नाक्सा जलकृषकों के लिए कुछेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/आडियो कान्फ्रेंसिंग कार्यक्रमों का आयोजन
5. मौसम आधारित जलकृषि परामर्शिका प्रचार योजना तैयार करना।

ए टी एम ए के साथ कृषक बैठक

12.3.6 Initiation for Cluster Certification of Society's project implementation by NaCSA/ MPEDA-GAA-BAP

The prime objective of MPEDA-NaCSA is to promote small scale farmers to adopt Better Management Practices (BMPs) enabling sustainable and environment friendly Aqua farming. NaCSA's efforts in formation of Aqua Societies have by and large provided a louder and unified voice to the small scale farmers in facing the challenges of production through adoption of BMPs. Subsequently the focus is being shifted to get the small scale farmers prepared for Certification through creation of awareness in issues like food quality, traceability etc. Certification of produce will empower the small scale farmers with the much needed economic independence, coupled with responsibility by providing them better accessibility to competitive markets. Certification of the Aquaculture produce is advocated to facilitate better and easy access to the market.

In the above context, BAP (Best Aquaculture Practices) of Global Aquaculture Alliance has visited NaCSA Societies in East Godavari district, Andhra Pradesh on 11th and 12th of December, 2012 and interacted with Society farmers. It was observed that the practices followed by farmers are more or less complying with the standards prescribed by the certification guidelines. They had also discussed with farmers regarding the ICS (Internal Control System) adopted by them in MPEDA societies. They had expressed interest to work with NaCSA Societies to get certified in near future. In order to understand more about the ICS system and standards related to certification guidelines, two officials from MPEDA and NaCSA have been trained in China in Group Certification.

12.3.7 BMP Manual in Shrimp farming

The draft BMP manual for Shrimp farming was prepared for *P. monodon* and *L.vannamei*. In the NaCSA GC Meeting, it was decided that a Committee comprising of farmer's representatives will finalise the BMP Manual.

12.3.8 ICT work with Reliance Foundations, Mumbai

Reliance Foundation Information Service programme proposes to closely work with NaCSA in the following aspects to improve the livelihood of aquaculture farmers.

1. Setting up help line for NaCSA network aquaculture farmers for providing necessary advisories and classifications
2. Disseminating season based aquaculture advisories through mobile based audio advisories to the NaCSA network aquaculture farmers
3. Conducting live cable TV programmes for various aspects of aquaculture
4. Organizing a few training programmes / audio conferencing programmes to the NaCSA aquaculture farmers
5. Developing season based aquaculture advisories dissemination plan

Farmers meeting with ATMA

12.3.9 प्रतिजैविकी/बी एम पी कार्यक्रम

एम्पीडा/नाक्सा द्वारा सभी किसानों के लिए नियमित विस्तार कार्यकलाप के रूप में बी एम पी कार्यक्रम/प्रतिजैविकी जागरूकता कार्यक्रम जारी रखे गए थे।

12.3.10 क्षमता निर्माण कार्यकलाप

नाक्सा ने श्रिम्प कृषि में बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं के बारे में सी आई एफ ई, मुंबई, आंध्र विश्व विद्यालय आदि के विद्यार्थियों को अनुभवजन्य प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इसके अलावा, ए टी एम ए के सहयोग से जिम्मेवार श्रिम्प कृषि में पूर्वी गोदावरी जिले के सोसाइटी किसानों को भी प्रशिक्षित किया गया।

13.0 राजभाषा कार्यकलाप

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अपनी वैबसाइट के जरिए प्रतिवर्ष जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्रवाई की गई थी।

राजभाषा के संवर्धन हेतु प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ववर्ती स्कीमों और कार्यक्रमों को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भी जारी रखा गया है। ये हैं:

i) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों में से प्रत्येक को प्रति वर्ष ` 1000/ (एक हजार रुपए) की दर से नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो फाइलों और रजिस्टरों में 10000 हिंदी शब्द लिखते हैं।

ii) राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन और नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

iii) जो अधिकारी/कर्मचारी हिंदी पखवाड़ा समारोह के सिलसिले में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें "राजभाषा प्रतिभा" उपाधि के साथ साथ 600 रुपए (छह सौ रुपए मात्र) का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

iv) उस अनुभाग को राजभाषा ट्रॉफी प्रदान की जाती है जो हिंदी पखवाड़ा समारोह के संबंध में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है।

v) कर्मचारियों के उन बच्चों को ` 400 (चार सौ रुपए केवल) का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो एस एल सी/सी बी एस ई/आई सी एस सी ई 10 वीं और +2 परीक्षाओं में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं।

vi) उन समूह "ग" कर्मचारियों को 750 रुपए (सात सौ पचास रुपए) की दर से नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित श्याम/श्वेत पट्ट पर अंग्रेजी समानार्थी के साथ हिंदी शब्द लिखते हैं।

प्रत्येक अनुभाग/कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्टों और मुख्यालय से बाहर के कार्यालयों के द्वारा भेजी गई अपेक्षित रिपोर्टों के जरिए की गई थी और ऐसी रिपोर्टों की समीक्षा कर सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया था। उपर्युक्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्टें भी तिमाही आधार पर एकत्र की गई थीं।

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में एम्पीडा द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु वर्ष 2011-12 के लिए हिंदीतर भाषी राज्यों में स्थित वाणिज्य मंत्रालय के अधीन संगठनों के लिए स्थापित राजभाषा ट्रॉफी (दूसरा पुरस्कार) से सम्मानित किया गया था। श्री बी. श्रीकुमार सचिव, एम्पीडा ने अध्यक्ष, एम्पीडा की ओर से माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ट्रॉफी प्राप्त की थी।

12.3.9 Antibiotics/BMP programmes

BMP programmes/Antibiotic awareness programmes were continued as regular extension activity to all farmers by MPEDA/NaCSA.

12.3.10 Capacity building activities

NaCSA has trained students from CIFE, Mumbai, Andhra University, etc, on Better Management Practices in Shrimp farming, with hands on experience.

Also trained the Society farmers from East Godavari district in responsible Shrimp farming, in association with ATMA.

13.0 OFFICIAL LANGUAGE ACTIVITIES

The Marine Products Export Development Authority has been implementing the Official Language Policy of the Union. Action was taken so as to achieve the various targets stipulated in the Annual Programme issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs every year through their Website.

The earlier Schemes and Programmes for motivating and encouraging all the officials of the Authority to promote Official Language are continued during the year under report also. They are:

i) Officers/staff who write 10,000 Hindi words in files and registers are awarded cash incentives @ ` 1,000/- (Rupees Thousand only) each per year.

ii) Personal pay and cash incentives are awarded to the employees on passing Hindi/Hindi typewriting/ Hindi stenography examinations as per the orders of the Department of Official Language.

iii) The Officer/staff who secures highest points in various Hindi competitions conducted in connection with the Hindi Fortnight Celebration is awarded a cash incentive @ ` 600/- (Rupees Six Hundred only) along with the title 'Rajbhasha Prathibha'.

iv) A Rajbhasha trophy is awarded to the section which secures highest points in various Hindi competitions, conducted in connection with the Hindi Fortnight Celebrations.

v) Cash incentives @ ` 400/- (Rupees Four Hundred only) each are awarded to the children of the employees who secure highest marks in Hindi in the SSLC/CBSE/ ICSE 10th Standard and plus 2 examinations.

vi) Cash incentive @ ` 750/- (Rupees Seven Hundred and fifty only) each are awarded to the Group 'C' employees who write a Hindi word with its English equivalent in the black/white board exhibited at the entrance of field offices.

The progressive use of Hindi in each and every section/office was monitored through the Quarterly Progressive Reports and Requisite Reports forwarded by the outstation offices and such reports were reviewed and corrective measures were suggested. The Action Taken reports on the above were also collected on a quarterly basis.

In recognition of the efforts taken by MPEDA in implementing the Official Language policy of the Union, the Authority was awarded with the Rajbhasha Trophy (2nd Prize) instituted for the Organisations under the Ministry of Commerce located in non-Hindi Speaking States for the year 2011-12 for the outstanding performance in implementing Official Language. Shri B. Sreekumar, Secretary, MPEDA received the trophy from the Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry, Shri Jyothiraditya Sindhya on behalf of Chairman, MPEDA.

अन्य प्रमुख कार्यकलाप हैं:

i) मुख्यालय में राजभाषा कार्यन्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें क्रमशः दिनांक 22.6.2012, 20.9.2012, 19.12.2012, 28.3.2013 को आयोजित की गईं।

इन बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की गई थी जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। मंत्रालय के अनुदेशों/निर्देशों/आदेशों के कड़ाई से अनुपालन के बारे में विभिन्न उपायों पर विचारविमर्श किया गया था तथा कार्यक्रम तैयार किए गए थे और की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई थी।

ii) मुख्यालय में प्रत्येक तिमाही के दौरान दिनांक 05.05.2012, 22.09.2012, 15.12.2012 तथा 16.03.2012 को 4 अर्धदिवसीय हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। कार्यशालाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रियतापूर्वक भाग लिया था। शामिल किए गए विषय राजभाषा नीति, बोलचाल की हिंदी, हिंदी व्याकरण आदि थे।

iii) दिनांक 23.3.2013 को एक राजभाषा सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया था।

iv) पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु आवंटित कुल निधि के 50 प्रतिशत का उपयोग करने के बारे में अनुदेशों के अनुपालन में वार्षिक कार्यक्रम में किए गए निर्धारण के अनुसार मुख्यालय और बाहर स्थित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों में वितरित किए जाने के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित पुस्तकें खरीदी गई थीं।

v) लघु कथाओं, कविताओं, हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में किए गए विभिन्न कार्यकलापों पर रिपोर्टों और समुद्री उद्योग से जुड़े लेखों को शामिल करते हुए तिमाही हिंदी गृह पत्रिका "सागरिका" नियमित रूप से प्रकाशित की गई थी।

vi) सभी कंप्यूटरों में यूनीकोड उपलब्ध किया गया है और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को यूनीकोड आधारित कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कर्मचारी यूनीकोड के जरिए कंप्यूटर पर अपना कुछ कार्य करते हैं।

vii) एम्पीडा में 14.09.2012 से 27.09.2012 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। जिस कर्मचारी ने हिंदी प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे उसे "राजभाषा प्रतिभा" उपाधि और 600 रूपए (छह सौ रूपए मात्र) का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया था। मुख्यालय के अनुभागों में से प्रशासन अनुभाग ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे और उसे राजभाषा ट्रॉफी प्रदान की गई थी। प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी दिवस 14.09.2012 को मनाया गया था।

viii) हिंदी पखवाड़ा समारोह, 2012 के सिलसिले में कोच्चि और उसके आसपास के स्कूलों के बच्चों के लिए भी अलग से हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। भवन्स आदर्श विद्यालय, काक्कनाड और क्रिस्तु जयंती पब्लिक स्कूल, काक्कनाड ने क्रमशः राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी (प्रथम) और राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी (द्वितीय) जीत ली।

सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए हिन्दी पखवाडा समारोह 2012 का उद्घाटन करती हैं

The other major activities covered are:-

(i) Four Quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) were convened in HO on 22.6.2012, 20.9.2012, 19.12.2012, 28.3.2013 respectively.

These meetings were presided over by the Chairman and in the presence of Senior Officers. The various measures connected with the strict compliance of the instructions/directions/orders from the Ministry were discussed and programmes were chalked out and actions taken were reviewed.

(ii) Four Hindi workshops of half day duration on 05.05.2012, 22.09.2012, 15.12.2012 and 16.03.2013 were conducted during each quarter in HO. Officers/Staff members actively participated in the workshops. The topics covered included O. L. Policy, Spoken Hindi, Hindi Grammar, etc.

(iii) A Rajbhasha Seminar was organized on 23.03.2013 in which officers/staff of the Authority participated.

(iv) As prescribed in the Annual Programme in compliance of instructions to use 50% of the total fund allocated for the purchase of books for the Library, copies of the books on Hindi Grammar were purchased to be distributed among the Officers/Staff in HO and outstation Offices.

(v) The Quarterly Hindi House Magazine 'Sagarika' was released regularly, incorporating short stories, poems, reports on various activities conducted in connection with Hindi implementation and articles related to marine industry.

(vi) In all the computers, UNICODE has been installed and UNICODE based computer training has been imparted to the staff in HO and Field Offices. Employees do part of their work in computer through UNICODE.

(vii) Hindi Fortnight was celebrated in MPEDA from 14.09.2012 to 27.09.2012 with various competitions for all Officers and Staff. The Official who scored the highest points in Hindi competitions was awarded with the 'Rajbhasha Prathibha' title and a cash prize of ` 600/- (Rupees Six Hundred only). The Administration section scored the highest points among the sections of HO and was awarded the Rajbhasha Trophy. 'Hindi Diwas' was celebrated on 14.09.2012 in all the Field offices of the Authority also.

(viii) Hindi competitions for the children of schools in and around Kochi were also conducted separately in connection with the Hindi Fortnight Celebrations, 2012. Bhavan's Adarsh Vidyalaya, Kakkanad and Christu Jayanti Public School, Kakkanad won the Rajbhasha Rolling Trophy (1st) and Rajbhasha Rolling Trophy (2nd) respectively.

Ms. Leena Nair, IAS, Chairman MPEDA inaugurating the Hindi Fortnight Celebrations 2012

श्री बी श्रीकुमार सचिव, एम पी ई डी ए हिन्दी पखवाडा समारोह, 2012 के सिलसिले में आयोजित स्कूल बच्चों की हिन्दी प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करते हैं

ix) दिनांक 21-24 जनवरी, 2013 के दौरान कोच्चि नराकास (कोच्चि स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों सहित) के तत्वाधान में आयोजित संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोहों में एम्पीडा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया था और सार-लेखन, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते थे। पुरस्कारों का वितरण 21.3.2013 को आयोजित नराकास की बैठक में किया गया था।

श्री बी. श्रीकुमार, सचिव, एम्पीडा ने दिनांक 3 अगस्त, 2012 को आयोजित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।

14.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम

अपनी वृत्तिक क्षमता के संवर्धन हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान एम्पीडा के कार्मिकों द्वारा भागीदारी किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनारों आदि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण का विषय	भाग लेने वाले अधिकारियों की सं.	संकाय सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5
1.	11.04.2012	बेहतर भू स्थानिक आसूचना के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर	01	भू विज्ञान विभाग, केरल, विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम
2.	26.06.2012 से 27.06.2012 तक	औद्योगिक सुरक्षा एवं अग्निशमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	02	केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमश्शेरी, एर्णाकुलम
3.	03.07.2012	जैविक जलकृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20	मे. इंडोसर्ट, अलूवा द्वारा, उ.क्षे.के. कारवार में
4.	18.07.2012	सिबा-नाका इंटरनेशनल अक्वा क्लाइमेट परियोजना के परिणाम प्रसार पर कार्यशाला	01	सिबा-नाका, चेन्नई
5.	28.7.2012 से 29.7.2012 तक	बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी सेमिनार	02	जलकृषि व्यवसायी सोसाइटी, चेन्नई
6.	17.8.2012 से 18.8.2012 तक	राष्ट्रीय हिंदी सेमिनार	01	सिफ्ट, कोच्चि

Shri B. Sreekumar, Secretary, MPEDA inaugurating the Hindi Competitions of the School Children in connection with the Hindi Fortnight Celebrations, 2012

(ix) In the Joint Hindi Week Celebrations held under the auspices of the Kochi TOLIC (including all Central Government Offices in Kochi) during 21-24 January, 2013, MPEDA Officers and staff participated and won the prizes in Précis writing, Poetry recitation, Quiz Competition. The prizes were distributed in the TOLIC meeting held on 21.3.2013.

Shri B. Sreekumar, Secretary, MPEDA attended the Hindi Salahkar Samiti meeting of the Ministry of Commerce and Industry, held on 3rd August, 2012.

14.0 TRAINING PROGRAMMES

The details of Training Programmes / Workshops / Seminar etc. attended by MPEDA personnel during the year 2012-13 for the enhancement of their professional competency are given below:-

Sl. No.	Duration of the training	Subject of training	No. of officials attended	Name of the faculty members
1	2	3	4	5
1.	11.04.2012	Free Software for Better Geospatial Intelligence.	01	Department of Geology, University of Kerala, Thiruvananthapuram
2.	From 26.06.2012 to 27.06.2012	Training Programme on Industrial Safety and Fire Fighting.	02	Kerala State Productivity Council, Kalamassery
3.	03.07.2012	Training programme on Organic Aquaculture	20	At SRC, Karwar by M/s. INDOCERT, Aluva
4.	18.07.2012	Workshop on Results dissemination of CIBA-NACA International Aqua climate Project	01	CIBA-NACA, Chennai
5.	From 28.7.2012 to 29.7.2012	Biofloc Technology Seminar	02	Society of Aquaculture Professionals, Chennai
6.	From 17.8.2012 to 18.8.2012	National Hindi Seminar	01	CIFT, Kochi

7.	27.8.2012 से 31.8.2012 तक	सिबा द्वारा पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में श्रिम्प कृषि में बी एम पी	02	सीबा, काकद्वीप
8.	28.08.2012 से 30.08.2012 तक	स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मुद्दों पर प्रशिक्षण	02	वाणिज्य विभाग, वा. एवं उ. मं., नई दिल्ली
9.	12.9.2012 से 19.9.2012 तक	एन बी एफ जी आर, कोच्चि द्वारा आयोजित मात्स्यिकी अनुसंधान में आणविक मार्कर	1	सी एम एफ आर आई, कोच्चि
10.	17.09.2012 से 26.09.2012 तक	विश्व व्यापार करार एवं भारतीय मात्स्यिकी प्रतिमानों पर अल्पावधिक पाठ्यक्रम	03	सी एम एफ आर आई, कोच्चि
11.	01.10.2012 से 06.10.2012 तक	निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	03	एम एस एम ई प्रशिक्षण संस्थान, एट्टुमानूर, केरल
12.	20.11.2012 से 10.12.2012 तक	संसाधन संरक्षण हेतु मत्स्य पालन प्रणालियां	01	सिफ्ट, कोच्चि
13.	27.12.2012 से 28.12.2012 तक	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर कार्यशाला	01	प्रशिक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
14.	7.1.2013 से 12.1.2013 तक	आर जी सी ए द्वारा श्रिम्प रोग विज्ञान	02	आर जी सी ए, सिरकाली
15.	29.01.2013	डी जी सेटों के कुशल प्रचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षण	01	केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमश्शेरी, कोच्चि
16.	19.02.2013	जैविक जलकृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	56	मे. इंडोसर्ट, आलूवा द्वारा क्षे.के., तंजावूर में.
17.	04.03.2013	जी ए पी पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण	02	यू एस एफ डी ए

15.0 आभार

निर्यात के क्षेत्र में यह उपलब्धि प्राधिकरण में व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों सहित समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग द्वारा किए गए निष्ठावान और बहुमूल्य प्रयासों के जरिए संभव हुई है।

प्राधिकरण को सभी मंत्रालयों, योजना आयोग और राज्य सरकारों से सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है और प्राधिकरण इसके लिए आभार व्यक्त करता है। समुद्री उत्पादों के व्यापार और निर्यात विकास में भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी), आई सी ए आर संस्थानों (सिफ्ट/सी एम एफ आर आई/सिबा), राष्ट्रीय मात्स्यिकी संग्रहणोत्तर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ एस आई और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटीकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट), समुद्री विकास विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग आदि ने भी सक्रिय भूमिका अदा की है। समुद्री खाद्य के निर्यात विपणन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्रमुख विदेशी बाजारों में स्थित हमारे दूतावासों ने अपना सहयोग प्रदान किया है और उन्होंने उन बाजारों को हमारे निर्यात में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्राधिकरण इन सभी संगठनों के लिए भी अपना आभार दर्ज करना चाहता है। प्राधिकरण समुद्री खाद्य उद्योग एवं व्यापार द्वारा प्रदत्त सहायता और सहयोग के लिए भी अत्यंत ऋणी है।

समग्र कार्यचालन और निष्पादन में एम्पीडा और उसके मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों, जलकृषि संवर्धन केन्द्रों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और विदेश एवं दिल्ली स्थित व्यापार संवर्धन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान किया है और प्राधिकरण प्रशस्ति सहित उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करना चाहता है।

7.	From 27.8.2012 to 31.8.2012	BMP in Shrimp farming with special reference to West Bengal by CIBA	02	CIBA, Kakdwip
8.	From 28.08.2012 to 30.08.2012	Training on Sanitary and Phyto Sanitary issues	02	Department of Commerce, MoCI, New Delhi
9.	From 12.9.2012 to 19.9.2012	Molecular marker in Fisheries Research organized by NBFGR, Kochi	1	CMFRI, Kochi
10.	From 17.09.2012 to 26.09.2012	Short Course on World Trade Agreement and Indian Fisheries Paradigms	03	CMFRI, Kochi
11.	From 01.10.2012 to 06.10.2012	Management Development Programme on Export Procedures & Documentation	03	MSME Training Institute, Ettumanoor, Kerala
12.	From 20.11.2012 to 10.12.2012	Fish Harvesting Systems for Resource Conservation	01	CIFT, Kochi
13.	From 27.12.2012 to 28.12.2012	Workshop on Right to Information Act 2005	01	Centre for Training & Social Research, New Delhi
14.	From 7.1.2013 to 12.1.2013	Shrimp Pathology by RGCA	02	RGCA, Sirkali
15.	29.01.2013	Training on Efficient Operation and Maintenance of DG Sets	01	Kerala State Productivity Council, Kalamassery
16.	19.02.2013	Training programme on Organic Aquaculture	56	At RC, Thanjavur by M/s. INDOCERT, Aluva
17.	04.03.2013	Trainers training on GAP	02	USFDA

15.0 Acknowledgement

The achievement in the export front was made possible through the sincere and valuable efforts made by the seafood export industry including the members representing the trade in the Authority.

The Authority has received the active co-operation of all Ministries, the Planning Commission and the State Governments and the Authority gratefully acknowledges the same. The Export Inspection Council of India (EIC), the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), the ICAR Institutes (CIFT/ CMFRI/ CIBA), the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology, the Fishery Survey of India (FSI) and the Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training (CIFNET), Department of Ocean Development, Department of Bio-Technology, etc. have also played active role in developing the trade and achieving the export of marine products. Our embassies in the important overseas markets have extended their co-operation in solving various problems relating to export marketing of seafoods and also played an important role in boosting our exports to those markets. The Authority also wishes to place on record its gratitude to all these organisations. The Authority is also deeply indebted to the support and co-operation extended by the seafood export industry and trade.

The dedicated services of the officers and staff of MPEDA at its Head Quarters, Regional Offices and the Sub Regional Offices, Aquaculture Promotion Centres, Quality Control Laboratories and the Trade Promotion Offices Overseas and at Delhi have contributed significantly to the overall functioning and performance and the Authority wishes to acknowledge their contribution with appreciation.

परिशिष्ट - 1

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

1. सुश्री लीना नायर, आई ए एस
अध्यक्ष
एम्पीडा
एम्पीडा हाउस
पनंपिल्लि एवेन्यू
कोच्चि - 682 036

2. श्री मोहनसुन्दरम
निदेशक
एम्पीडा
एम्पीडा हाउस
पनंपिल्लि एवेन्यू
कोच्चि - 682 036

3. श्री के.पी. धनपालन
संसद सदस्य (लोक सभा)
कलत्तिल हाउस
नॉर्थ परवूर, एरणाकुलम - 683 513

4. श्री बिष्णु पाद रॉय
संसद सदस्य (लोक सभा)
26, नॉर्थ एवेन्यू
नई दिल्ली - 110001

5. श्रीमती टी.रत्नाबाई
संसद सदस्य (राज्य सभा)
बी 303, एम एस फ्लैट्स
बी के एस मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

6. श्री तरूण श्रीधर, आई ए एस
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
पशुपालन, दुग्ध एवं मात्स्यिकी विभाग
कमरा सं. 221, कृषि भवन
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 001

7. श्री संतोष कुमार, आई ए ए एस
उप सचिव (वित्त)
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कमरा सं. 219, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110 011

8. श्री अविनाश पी. जोशी, आई ए एस
निदेशक, ई पी (एम पी)
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कमरा सं. 250, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110 011

9. श्री राजबीर सिंह पंवार, आई ए एस
निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
कमरा सं० 101 बी, पंचशील भवन
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 049

10. श्री सुधीर जी भंडारे
उप महानिदेशक
पोत परिवहन महानिदेशालय
जहाज भवन, वालचंद हीराचंद मार्ग
बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001

11. डॉ. मनमोहन सिंह, आई ए एस
सरकार का प्रधान सचिव
ए एच, डी डी एवं मात्स्यिकी विभाग
आंध्र प्रदेश सरकार, कमरा नं० 236 ए
प्रथम तल, 'डी' ब्लॉक, ए पी सचिवालय
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश - 500 022

12. श्री दिनेश एच. ब्रहमभट्ट, आई ए एस,
सरकार का सचिव
ए एच, सी बी, दुग्ध व मात्स्यिकी विभाग
गुजरात सरकार, ब्लॉक सं. 5, दूसरा तल
सरदार भवन, सचिवालय
गांधीनगर - 382 010

Appendix - 1

LIST OF AUTHORITY MEMBERS AS ON 31.03.2013

1. Ms. Leena Nair, IAS
Chairman
MPEDA
MPEDA House
Panampilly Avenue
Kochi - 682 036

2. Shri P. Mohanasundaram
Director
MPEDA
MPEDA House
Panampilly Avenue
Kochi – 682 036.

3. Shri K.P. Dhanapalan
Member of Parliament (Lok Sabha)
Kalathil House
North Paravur
Ernakulam - 683 513.

4. Shri Bishnu Pada Ray
Member of Parliament (Lok Sabha)
26, North Avenue
New Delhi – 110 001

5. Smt. T. Ratna Bai
Member of Parliament (Rajya Sabha)
B-303, MS Flats
B K S Marge
New Delhi – 110 001

6. Shri Tarun Shridhar, IAS
Joint Secretary (Fisheries)
Government of India
Ministry of Agriculture, Deptt. of
AH Dairying & Fisheries
Room No.221, Krishi Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi - 110 001

7. Shri Santosh Kumar, IAAS
Deputy Secretary (Finance)
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
Room No. 219
Udyog Bhawan
New Delhi - 110 011

8. Shri Avinash P. Joshi, IAS
Director EP (MP)
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
Room No.250
Udyog Bhawan
New Delhi - 110 011

9. Shri Rajbir Singh Panwar, IAS
Director
Ministry of Food Processing Industries
Room No. 101- B
Punchasheel Bhawan
August Kranti Marg
New Delhi - 110 049

10. Shri Sudhir G. Bhandare
Deputy Director General
Directorate General of Shipping
Jahaz Bhawan
Walchand Hirachand Marg
Ballard Estate
Mumbai - 400 001

11. Dr. Manmohan Singh, IAS
Principal Secretary to Government
AH, DD & Fisheries Deptt.
Government of Andhra Pradesh
Room No.236-A, 1st Floor, 'D' Block
A P Secretariat, Hyderabad
Andhra Pradesh – 500 022

12. Shri Dinesh H. Brahmbhatt, IAS
Secretary to Government
AH, CB, Dairying & Fisheries Deptt.
Government of Gujarat
Block No.5, 2nd Floor
Sardhar Bhavan, Sachivalaya
Gandhinagar - 382 010

13. श्री जेम्स वर्गीज, आई ए एस
सरकार का सचिव
मात्स्यिकी विभाग
केरल सरकार
कमरा सं. 394
सचिवालय
तिरुवनन्तपुरम - 695 001

14. श्री अनिल डिग्गिकर, आई ए एस
सरकार का सचिव
(पशुपालन दुग्ध विकास व मात्स्यिकी विभाग)
महाराष्ट्र सरकार
5 वां तल, कमरा सं. 524
एनेक्स, मंत्रालय
मुंबई - 400 032

15. श्री अरविन्द जन्नू, आई ए एस
प्रधान सचिव,
पशुपालन व मात्स्यिकी विभाग,
कर्नाटक सरकार सचिवालय
कमरा सं. 404, चौथा तल
विकास सौध, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर वीथि
बंगलौर - 560 001

16. श्री सत्यब्रत साहू, आई ए एस
आयुक्त व सचिव
मात्स्यिकी व ए आर डी विभाग
ओडिषा सरकार
ओडिषा सचिवालय
सचिवालय मार्ग
भुवनेश्वर - 751 001

17. श्री गगनदीप सिंह बेदी, आई ए एस
सरकार का सचिव
पशुपालन, दुग्ध व मात्स्यिकी विभाग
तमिलनाडु सरकार
सचिवालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज
चेन्नै,
तमिलनाडु - 600 009

18. डा. सुबेश कुमार दास, आई ए एस
अपर मुख्य सचिव
पश्चिम बंगाल सरकार
मात्स्यिकी विभाग
भूतल (द्वार सं. 6 के समीप)
राइटर्स बिल्डिंग,
कोलकाता - 700 001

19. श्री वी.सी. पांडेय, आई ए एस
समाहर्ता एवं विकास आयुक्त
लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र
लक्षद्वीप प्रशासन
कवरत्ती - 682 555

20. श्री अनवर हाशिम
प्रबंध निदेशक,
आबाद फिशरीज प्राइवेट लिमि.
आबाद बिल्डिंग, 13/681, जू टाउन रोड
कोच्चंगाडी, कोच्चि - 682 002

21. श्री मनीश मावजी लोधारी
पुराने लाइट हाउस के सामने
बुंदर रोड, पोरबंदर
गुजरात - 360 575

22. श्री के.जी. लॉरेन्स
प्रबंध भागीदार
मेसर्स जियो सीफुड्स, पल्लिचाल रोड
पल्लुरुत्ती, कोच्चि - 682 006

23. श्री एस.वेणुगोपाल
63/28,
पी.वी. कोइल स्ट्रीट
रोयपुरम
चेन्नै
तमिलनाडु - 600 013

24. श्री अनीस अहमद खान
भागीदार
मैसर्स एस.ए. एक्सपोर्ट्स
548, जेस्सोर रोड
कोलकाता
पश्चिम बंगाल - 700 055

13. Shri James Varghese, IAS
Secretary to Government
Fisheries Department
Government of Kerala
Room No.394
Secretariat
Thiruvananthapuram – 695 001

14. Shri Anil Diggikar, IAS
Secretary to Government
(Animal Husbandry, Diary
Development & Fisheries Deptt.)
Government of Maharashtra
5th Floor, Room No 524
Annex, Mantralaya
Mumbai - 400 032

15. Shri Aravind Jannu, IAS
Principal Secretary
Animal Husbandry & Fisheries Deptt.
Karnataka Government Secretariat
Room No. 404, 4th Floor
Vikasa Soudha
Dr. B.R. Ambedkar Veedhi
Bangalore - 560 001

16. Shri Satyabrata Sahu, IAS
Commissioner-cum-Secretary
Fisheries & ARD Deptt.
Government of Odisha
Odisha Secretariat
Sachivalaya Marg
Bhubaneswar – 751 001

17. Shri Gagandeep Singh Bedi, IAS
Secretary to Government
AH, Dairying and Fisheries Deptt.
Government of Tamil Nadu
Secretariat, Fort St. George
Chennai
Tamil Nadu – 600 009

18. Dr. Subesh Kumar Das, IAS
Additional Chief Secretary
Government of West Bengal
Fisheries Department
Ground Floor (Near Gate No.6)
Writers Building
Kolkata – 700 001

19. Shri V.C. Pandey, IAS
Collector cum Development
Commissioner
Union Territory of Lakshadweep
Lakshadweep Administration
Kavaratti – 682 555

20. Shri Anwar Hashim
Managing Director
Abad Fisheries Pvt. Ltd
Abad Building, 13 / 681
Jew Town Road
Kochangadi
Kochi - 682 002

21. Shri Manish Mavji Lodhari
Opposite Old Light House
Bundar Road
Porbandar
Gujarat – 360 575

22. Shri K.G. Lawrence
Managing Partner
M/s. Geo Seafoods
Pallichal Road, Palluruthy
Kochi - 682 006

23. Shri S. Venugopal
63 / 28
P.V. Koil Street
Royapuram
Chennai
Tamil Nadu – 600 013

24. Shri Anis Ahmed Khan
Partner
M/s. S. A. Exports
548, Jessore Road
Kolkata
West Bengal – 700 055

25. श्री एम.एस. राउतर
"क्रेसेन्ट"
15, सी. एस. एम. नगर
एडप्पाझिंजी
शास्तमंगलम पी.ओ.
तिरुवनंतपुरम - 695 010

26. डॉ. के.वी. प्रसाद
प्रबंध निदेशक
मेसर्स संध्या मरीन लिमि.
402, वान्टेज अपार्टमेंट्स
ईस्ट प्वाइंट कॉलनी, विजाग़
आंध्र प्रदेश - 530 017

27. डा. (सुश्री) बी. मीनाकुमारी
उप महानिदेशक (मात्स्यिकी)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
मात्स्यिकी विभाग
कृषि अनुसंधान भवन ।।
डा. के. एस. कृष्णन मार्ग, पूसा
नई दिल्ली - 110 012

28. प्रो. विनोद रामकृष्ण बोंदे
किशोर अप्पास फार्म
नकने रोड
देवपुर
धुले
महाराष्ट्र - 424 002

29. श्री एम. मौलाना इब्राहिम
क्वालिटी एक्सपोटर्स सी फूड प्रोसेसर्स
एंड एक्सपोर्टर्स, प्लाट सं. 5 बी 64, 65
66 एवं 67, कंकोलिम इंडस्ट्रियल इस्टेट
कंकोलिम, सल्सेट, गोवा - 403 703

30. श्री आई. मूसा
इरकुनियिल
वेल्लिकुलंगरा
ओरकाटेरी पी.ओ.
वडकरा (मार्ग), कालीकट - 673 101

25. Shri M.S. Rawther
"Crescent",
15, C. S. M. Nagar
Edappazhinji
Sasthamangalam – PO
Thiruvananthapuram – 695 010

26. Dr. K.V. Prasad
Managing Director
M/s. Sandhya Marine Ltd
402, Vantage Apartments
East Point Colony, Vizag
Andhra Pradesh – 530 017

27. Dr. (Ms) B. Meenakumari
Deputy Director General (Fy)
Indian Council of Agricultural Research
Department of Fisheries
Krishi Anusandhan Bhawan - II
Dr. K. S. Krishnan Marg, Pusa
New Delhi - 110 012

28. Prof. Vinod Ramkrishna Bonde
Kishor Appa's Farm
Nakane Road
Deopur
Dhule
Maharashtra – 424 002

29. Shri M. Moulana Ibrahim
Quality Exporters - Seafood Processors
& Exporters, Plot Nos. 5B 64, 65, 66 & 67
Cuncolim Industrial Estate
Cuncolim
Salcete
Goa – 403 703

30. Shri I. Moosa
Irakuniyil
Vellikulangara
Orkkatteri – PO
Vadakara (Via)
Calicut – 673 101

परिशिष्ट - 2

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची

1. सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम्पीडा, एम्पीडा हाउस, पनंपिल्लि एवेन्यू, कोच्ची 682 036.
2. डा. के. वी. प्रसाद, उपाध्यक्ष एम्पीडा एवं प्रबंध निदेशक, संध्या मरीन लिमि. 402, वांटेज अपार्टमेंट्स, ईस्ट पाइंट कालोनी, विजाग, आंध्र प्रदेश - 530 017.
3. श्री के. पी धनपालन, संसद सदस्य (लोक सभा), कलत्तिल हाउस, नॉर्थ परवूर, एरणाकुलम - 683 513.
4. श्री पी.मोहनसुन्दरम, निदेशक, एम्पीडा, एम्पीडा हाउस, पनंपिल्लि एवेन्यू, कोच्ची - 682 036.
5. श्री अविनाश पी. जोशी, आई ए एस, निदेशक, ई पी (एम पी), कमरा सं. 250, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 011.
6. डॉ. मनमोहन सिंह, आई ए एस, प्रधान सचिव, ए एच, डी डी एवं मात्स्यिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, कमरा सं. 236 ए, प्रथम तल, "डी" ब्लॉक, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश - 500 022.
7. श्री बी. श्रीकुमार, सचिव, एम्पीडा, एम्पीडा हाउस, पनंपिल्लि एवेन्यू, कोच्ची - 682 036.

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्यों की सूची

1. सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम्पीडा, एम्पीडा हाउस, पनंपिल्लि एवेन्यू, कोच्ची - 682 036.
2. डा. के. वी. प्रसाद, उपाध्यक्ष एम्पीडा एवं प्रबंध निदेशक, संध्या मरीन लिमि., 402, वांटेज अपार्टमेंट्स, ईस्ट पाइंट कालोनी, विज़ाग, आंध्र प्रदेश - 530 017.
3. श्री बिष्णु पाद रॉय, संसद सदस्य (लोक सभा), 26, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110001.
4. श्री पी. मोहनसुन्दरम, निदेशक, एम्पीडा, एम्पीडा हाउस, पनंपिल्लि एवेन्यू, कोच्ची - 682 036.
5. श्री एम एस राउतर, "केसेन्ट", 15, सी एस एम नगर, इडप्पाझिंजी, शास्तमंगलम, पी. ओ., तिरुवनंतपुरम - 695 010.
6. श्री अरविंद जन्नू, आई ए एस, प्रधान सचिव, (पशुपालन व मात्स्यिकी विभाग),कर्नाटक सरकार सचिवालय, कमरा सं. 404, चौथा तल, विकास सौध, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर वीथि, बंगलौर - 560 001

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तकनीकी समिति के सदस्यों की सूची

1. सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम्पीडा, एम्पीडा हाउस, पनंपिल्लि एवेन्यू, कोच्ची - 682 036..
2. डा. के. वी. प्रसाद, उपाध्यक्ष एम्पीडा एवं प्रबंध निदेशक, संध्या मरीन लिमि., 402, वांटेज अपार्टमेंट्स, ईस्ट पाइंट कालोनी, विजाग, आंध्र प्रदेश - 530 017.
3. श्रीमती टी. रत्नाबाई, संसद सदस्य (राज्य सभा), बी 303, एम.एस. फ्लैट्स, बी के एस मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.

Appendix - 2

LIST OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS AS ON 31.03.2013

1. Ms. Leena Nair, IAS, Chairman, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi - 682 036.
2. Dr. K.V. Prasad, Vice Chairman - MPEDA & Managing Director, Sandhya Marine Ltd., 402, Vantage Apartments, East Point Colony, Vizag, Andhra Pradesh – 530 017.
3. Shri K.P. Dhanapalan, Member of Parliament (Lok Sabha), Kalathil House, North Parur, Ernakulam - 683 513.
4. Shri P. Mohanasundaram, Director, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi – 682 036.
5. Shri Avinash P. Joshi, IAS, Director-EP (MP), Room No.250, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi – 110 011.
6. Dr. Manmohan Singh, IAS, Principal Secretary to AH, DD & Fisheries Deptt., Government of Andhra Pradesh, Room No. 236A, 1st Floor, 'D' Block, Andhra Pradesh Secretariat, Hyderabad – 500 022, Andhra Pradesh.
7. Shri B. Sreekumar, Secretary, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi - 682 036.

LIST OF EXPORT PROMOTION COMMITTEE MEMBERS AS ON 31.03.2013

1. Ms. Leena Nair, IAS, Chairman, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi - 682 036.
2. Dr. K.V. Prasad, Vice Chairman - MPEDA & Managing Director, Sandhya Marine Ltd., 402, Vantage Apartments, East Point Colony, Vizag, Andhra Pradesh–530 017.
3. Shri Bishnu Pada Ray, Member of Parliament (Lok Sabha), 26, North Avenue, New Delhi – 110 001.
4. Shri P. Mohanasundaram, Director, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi - 682 036.
5. Shri M.S. Rawther, "Crescent", 15, C.S.M. Nagar, Edappazhinji, Sasthamangalam – PO, Thiruvananthapuram – 695 010.
6. Shri Aravind Jannu, IAS, Principal Secretary, (Animal Husbandry & Fisheries), Karnataka Government Secretariat, Room No.404, 4th Floor, Vikasa Soudha, Dr. B. R. Ambedkar Veedhi, Bangalore - 560 001.

LIST OF TECHNICAL COMMITTEE MEMBERS AS ON 31.03.2013

1. Ms. Leena Nair, IAS, Chairman, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi - 682 036.
2. Dr. K.V. Prasad, Vice Chairman - MPEDA & Managing Director, Sandhya Marine Ltd., 402, Vantage Apartments, East Point Colony, Vizag, Andhra Pradesh – 530 017.
3. Smt. T. Ratna Bai, Member of Parliament (Rajya Sabha), B-303, MS Flats, BKS Marg, New Delhi – 110 001.

4. श्री पी. मोहनसुन्दरम, निदेशक, एम्पीडा, एम्पीडा हाउस, पनंपिल्लि एवेन्यू, कोच्चि - 682 036.

5. श्री आई. मूसा, इराकुनियिल, वेल्लिकुलंगरा, ओरकाटेरी, पी ओ वडकरा (मार्ग) कालीकट - 673 101

6. श्री के.जी. लॉरेन्स, प्रबंध भागीदार, मेसर्स जियो सीफुड्स, पल्लिचाल रोड, पल्लुरुति, कोच्ची - 682 006

7. श्री तरूण श्रीधर, आई ए एस, संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, दुग्ध व मात्स्यिकी विभाग, कमरा सं. 221, कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 001.

8. श्री सुधीर जी, भंडारे, उप महानिदेशक, पोत परिवहन महानिदेशालय, जहाज भवन, वालचंद हीराचंद मार्ग, मुंबई - 400 001

9. डॉ. (सुश्री) बी. मीनाकुमारी, उपमहा निदेशक (मात्स्यिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मात्स्यिकी प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन।।, डॉ. के.एस. कृष्णन मार्ग, पूसा, नई दिल्ली - 400 001.

10. श्री गगनदीप सिंह बेदी, आई ए एस, सरकार का सचीव, पशुपालन, दुग्ध व मात्स्यिकी विभाग, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, फोर्ट सेन्ट जॉर्ज, चैन्ने, तमिलनाडु - 600 009

11. श्री एस. वेणुगोपाल, 63/28, पी.वी.कोइल स्ट्रीट, रोयपुरम, चेन्नै, तमिलनाडु - 600 013

4. Shri P. Mohanasundaram, Director, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi - 682 036.

5. Shri I. Moosa, Irakuniyil House, Vellikulangara, Orkkatteri – P. O., Vadakara (Via), Calicut – 673 101.

6. Shri K.G. Lawrence, Managing Partner M/s. Geo Seafoods, Pallichal Road, Palluruthy, Kochi- 682 006.

7. Shri Tarun Shridhar, IAS, Joint Secretary (Fisheries), Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Room No.221, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi - 110 001.

8. Shri Sudhir G. Bhandare, Deputy Director General, Directorate General of Shipping, Jahaz Bhawan, Walchand Hirachand Marg, Mumbai - 400 001.

9. Dr. (Ms.) B. Meenakumari, Deputy Director General (Fisheries), Indian Council of Agricultural Research, Division of Fisheries, Krishi Anusandhan Bhawan – II, Dr. K. S. Krishnan Marg, Pusa, New Delhi - 110 012.

10. Shri Gagandeep Singh Bedi, IAS, Secretary to Government, AH, Dairying and Fisheries Department, Government of Tamil Nadu, Secretariat, Fort St. George, Chennai, Tamil Nadu – 600 009.

11. Shri S. Venugopal, 63/28 P. V. Koil Street, Royapuram, Chennai, Tamil Nadu – 600 013.

परिशिष्ट - 3

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों की सूची

मुख्यालय:

1.	अध्यक्ष	:	सुश्री लीना नायर, आई ए एस,
2.	निदेशक (विपणन)	:	श्री एन. रमेश, आई टी एस,
3.	निदेशक	:	श्री पी. मोहनसुन्दरम
4.	सचिव	:	श्री बी. श्रीकुमार
5.	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	:	श्रीमती के. एम. वीणा
6.	संयुक्त निदेशक (जलकृषि)	:	श्री वाई. सी. तंपी सामराज
7.	संयुक्त निदेशक (गु.नि.)	:	श्री के. एन. विमल कुमार
8.	उप निदेशक (सोसाइटी)	:	डा. अल. मुत्तुरामन
9.	उप निदेशक (जलकृषि)	:	श्री एस. एक्स. प्रिंस
10.	उप निदेशक (सी व जी)	:	श्री के. जे. एंटनी
11.	उप निदेशक (पी व एम पी)	:	डॉ. एम .के. राम मोहन
12.	उप निदेशक (प्रशाo)	:	श्री पी. के. उन्निकृष्णन
13.	उप निदेशक (गु. नि.)	:	श्री के. विजय कुमार
14.	उप निदेशक (गु. नि.)	:	श्री वी. एल. पैट्रिक
15.	उप निदेशक (एम. एस.)	:	डा. षैन कुमार
16.	उप निदेशक (सांख्यिकी)	:	श्री राजकुमार एस. नाइक
17.	सहायक निदेशक (गु. नि.)	:	श्री के. शशिधरन नायर
18.	सहायक निदेशक (गु .नि.)	:	श्री वी. विवेकानंदन
19.	सहायक निदेशक (विकास)	:	श्री पी. डी. सतीशन
20.	सहायक निदेशक (विकास)	:	डा. पी. जी. श्रीनाथ
21.	सहायक निदेशक (एम एस)	:	श्रीमती एम. सी. एलसम्मा
22.	सहायक निदेशक (ओ एफ डी)	:	श्रीमती आइवी बर्नाडेट
23.	सहायक निदेशक (ए व आई)	:	श्री सुब्रता रॉय
24.	सहायक निदेशक (प्रकाशन)	:	श्री पी. वी. वेबी
25.	सहायक निदेशक (ई पी)	:	डा. टी जी मनोजकुमार
26.	सहायक निदेशक (ए व आई)	:	डा. एस. शशि
27.	सहायक निदेशक (कार्मिक)	:	श्री वी. वी. सुरेश कुमार
28.	सहायक निदेशक (रजि.)	:	श्री यू. सुनील कुमार
29.	सहायक निदेशक (जलकृषि)	:	श्री यू. सी. महापात्रा
30.	सहायक निदेशक (जलकृषि)	:	श्री रेजी मैथ्यू
31.	सहायक निदेशक (जलकृषि)	:	श्री पी. एन. विनोद
32.	सहायक निदेशक (जलकृषि)	:	श्री एम. विश्वकुमार
33.	प्रणाली विश्लेषक	:	श्रीमती उषा सिंह
34.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्री वाल्टर जॉन मेइन

Appendix - 3

LIST OF OFFICERS OF THE AUTHORITY AS ON 31.03.2013

HEAD OFFICE:

1.	Chairman	:	Ms. Leena Nair, IAS
2.	Director (Marketing)	:	Shri N. Ramesh, ITS
3.	Director	:	Shri P. Mohanasundaram
4.	Secretary	:	Shri B. Sreekumar
5.	Joint Director (Trg.)	:	Smt. K. M. Veena
6.	Joint Director (Aqua)	:	Shri Y. C. Thampi Samraj
7.	Joint Director (QC)	:	Shri K. N. Vimal Kumar
8.	Deputy Director (Soc)	:	Dr. Al Muthuraman
9.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri S. X. Prince
10.	Deputy Director (C&G)	:	Shri K. J. Antony
11.	Deputy Director (P&MP)	:	Dr. M. K. Ram Mohan
12.	Deputy Director (Admn)	:	Shri P. K. Unnikrishnan
13.	Deputy Director (QC)	:	Shri K. Vijayakumar
14.	Deputy Director (QC)	:	Shri V. L. Patrick
15.	Deputy Director (MS)	:	Dr. Shine Kumar
16	Deputy Director (Stat)	:	Shri Rajakumar S. Naik
17.	Assistant Director (QC)	:	Shri K. Sasidharan Nair
18.	Assistant Director (QC)	:	Shri V. Vivekanandan
19.	Assistant Director (QC)	:	Shri P. D. Satheesan
20.	Assistant Director (Dev)	:	Dr. P. G. Sreenath
21.	Assistant Director (MS)	:	Smt. M. C. Elsamma
22.	Assistant Director (OFD)	:	Smt. Ivy Benedict
23.	Assistant Director (A&I)	:	Shri Subrata Ray
24.	Assistant Director (Pub)	:	Shri P. V. Baby
25.	Assistant Director (EP)	:	Dr. T. G. Manojkumar
26.	Assistant Director (A&I)	:	Dr. S. Shassi
27.	Assistant Director (Pers)	:	Shri V. V. Suresh Kumar
28.	Assistant Director (Regn.)	:	Shri U. Sunil Kumar
29.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri U. C. Mohapatra
30.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri Reji Mathew
31.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri P. N. Vinod
32.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri M. Viswakumar
33.	Systems Analyst	:	Smt. Usha Singh
34.	Technical Officer (QC)	:	Shri Walter John Meyn

35.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्री पी. उत्तरिपति
36.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्री पी. पी. सुरेश बाबू
37.	लेखा अधिकारी	:	श्रीमती वेर्लिन पौट्रिक
38.	लेखा अधिकारी	:	श्री पी. के. विनू
39.	लेखा अधिकारी व प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी	:	श्री जी. राजेन्द्रन
40.	हिंदी अधिकारी	:	श्रीमती मल्लिका उनिकृष्णन
41.	अनुभाग अधिकारी	:	श्री दर्शनलाल ढोंडियाल
42.	अनुभाग अधिकारी	:	श्रीमती टी. पी. विनीता
43.	वरिष्ठ लेखाकार	:	श्री के.ए. जेकब
44.	वरिष्ठ लेखाकार	:	श्री के. एस. उन्निकृष्णन
45.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	:	श्रीमती तुलसी नायर
46.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	:	श्री आर. प्रभाकरन

क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची:

1.	उप निदेशक	:	श्रीमता आशा सी. परमेश्वरन
2.	सहायक निदेशक (ईपी)	:	श्री षाजी जॉर्ज

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई:

1.	उप निदेशक	:	श्री ए. जयबाल
2.	सहायक निदेशक (ईपी)	:	श्रीमती वी. के. विजयकुमारी
3.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	डॉ. ओ. के. सिन्धु

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई:

1.	उप निदेशक (ई पी)	:	श्री पी. अनिल कुमार
2.	सहायक निदेशक (ई पी)	:	श्री वी. आई. हकीम
3.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	:	श्रीमती मृणालिनी पी. आरेकर

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता:

1.	उप निदेशक (ई पी)	:	श्री के. वी. प्रेम देव
2.	सहायक निदेशक (गु. नि.)	:	श्री बरून कुमार दास
3.	सहायक निदेशक (ईपी)	:	श्री जिन्सन जोसफ
4.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्री पुलक कुमार प्रमाणिक

क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग:

1.	उप निदेशक (ई पी)	:	श्री राजू के. जोसफ
2.	सहायक निदेशक (ई पी)	:	श्री राकेश थोमस कुरियन

क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल:

1.	उप निदेशक (ई पी)	:	श्री विजयकुमार सी. यारगल
2.	सहायक निदेशक (ई पी)	:	डा. के. के. अनिकुट्टन
3.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्री एम. श्रीमाली विनोदकुमार

35.	Technical Officer (QC)	:	Shri P. Uthirapathy
36.	Technical Officer (QC)	:	Shri P. P. Suresh Babu
37.	Accounts Officer	:	Smt. Verlin Patrick
38.	Accounts Officer	:	Shri P. K. Vinu
39.	Accounts Officer & CAO -in-Charge	:	Shri G. Rajendran
40.	Hindi Officer	:	Smt. Mallika Unnikrishnan
41.	Section Officer	:	Shri Darshan Lal Dhondiyal
42.	Section Officer	:	Smt. T. P. Vineetha
43.	Senior Accountant	:	Shri K. A. Jacob
44.	Senior Accountant	:	Shri K. S. Unnikrishnan
45.	Senior Hindi Translator	:	Smt. Tulsi Nair
46.	Assistant Library & Information officer	:	Shri R. Prabhakaran

REGIONAL OFFICE, KOCHI:

1.	Deputy Director	:	Smt. Asha C. Parameswaran
2.	Assistant Director (EP)	:	Shri Shaji George

REGIONAL OFFICE, CHENNAI:

1.	Deputy Director	:	Shri A. Jayabal
2.	Assistant Director (EP)	:	Smt. V. K. Vijayakumari
3.	Technical Officer (QC)	:	Dr. O. K. Sindhu

REGIONAL OFFICE, MUMBAI:

1.	Deputy Director (EP)	:	Shri P. Anil Kumar
2.	Assistant Director (EP)	:	Shri V. I. Hakkim
3.	Senior Hindi Translator	:	Smt. Mrinalini Paresh Arekar

REGIONAL OFFICE, KOLKATA:

1.	Deputy Director (EP)	:	Shri K. V. Prem Dev
2.	Assistant Director (QC)	:	Shri Barun Kumar Das
3.	Assistant Director (EP)	:	Shri Ginson Joseph
4.	Technical Officer (QC)	:	Shri Pulak Kumar Pramanik

REGIONAL OFFICE, VIZAG:

1.	Deputy Director (EP)	:	Shri Raju K. Joseph
2.	Assistant Director (EP)	:	Shri Rakesh Thomas Kurian

REGIONAL OFFICE, VERAVAL:

1.	Deputy Director (EP)	:	Shri Vijayakumar C. Yaragal
2.	Assistant Director (EP)	:	Dr. K. K. Anikuttan
3.	Technical Officer (QC)	:	Shri M. Shrimali Vinodkumar

उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलोर:

1. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री सुधीर कुमार पत्रा

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा:

1. उप निदेशक (ई पी) : श्री एस. अशोक कुमार

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम:

1. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री अर्चिमान लाहिरी

उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर:

1. उप निदेशक (ई पी) : डा. टि. आर. जिबिन कुमार

उप क्षेत्रीय कार्यालय, तूतीकोरिन:

1. सहायक निदेशक (ई पी) : डा. अन्सार अली
2. तकनीकी अधिकारी (गु.नि.) : श्री वी. लक्ष्मीकांतन

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी:

1. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री वासा वेंकटाराजू

क्षेत्रीय केन्द्र (जलकृषि):

कोच्ची:

1. उप निदेशक (जलकृषि) : श्री एम. षाजी
2. सहायक निदेशक (ए ई) : श्रीमती नीनू पीटर

भुवनेश्वर:

1. उप निदेशक (जलकृषि) : श्री जी. रतिनाराज
2. सहायक निदेशक (जलकृषि) : श्री आर. शंकर पिल्ले
3. तकनीकी अधिकारी (गु.नि.) : श्री वी. विनोद

विजयवाड़ा:

1. उप निदेशक (जलकृषि) : श्री सी. जे. संपत कुमार
2. सहायक निदेशक (जलकृषि) : श्री पी. ब्रह्मेश्वर राव
3. सहायक निदेशक (ए ई) : श्री के. षणमुख राव
4. सहायक निदेशक (गु. नि.) : श्री एस. एस. षाजी

तंजावुर:

1. उप निदेशक (जलकृषि) : श्री सी. विल्सन
2. सहायक निदेशक (जलकृषि) : डा. एस. कंडन
3. सहायक निदेशक (ए ई) : श्री रज़ाक अली

वलसाड:

1. उप निदेशक (जलकृषि) : डा. एस. विजय कुमार
2. सहायक निदेशक (जलकृषि) : डा. जी. गोपकुमार

पनवेल:

1. उप निदेशक (जलकृषि) : श्री मारूति डी. यलिगर
2. सहायक निदेशक (जलकृषि) : श्री जे. पुरुषोत्तम साई

SUB-REGIONAL OFFICE, MANGALORE:

1.	Assistant Director (EP)	:	Shri Sudhir Kumar Patra

SUB-REGIONAL OFFICE, GOA:

1.	Deputy Director (EP)	:	Shri S. Ashok Kumar

SUB-REGIONAL OFFICE, KOLLAM:

1.	Assistant Director (EP)	:	Shri Archiman Lahiri

SUB-REGIONAL OFFICE, BHUBANESWAR:

1.	Deputy Director (EP)	:	Dr. T. R. Gibin Kumar

SUB-REGIONAL OFFICE, TUTICORIN:

1.	Assistant Director (EP)	:	Dr. Ansar Ali
2.	Technical Officer (QC)	:	Shri V. Lakshmikanthan

SUB-REGIONAL OFFICE, GUWAHATI:

1.	Assistant Director (EP)	:	Shri Vasa Venkata Raju

REGIONAL CENTRES (AQUACULTURE):

KOCHI:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri M. Shaji
2.	Assistant Director (AE)	:	Smt. Neenu Peter

BHUBANESWAR:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri G. Rathinaraj
2.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri R. Sankara Pillay
3.	Technical Officer (QC)	:	Shri V. Vinod

VIJAYAWADA:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri C. J. Sampathkumar
2.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri P. Brahmeswara Rao
3.	Assistant Director (AE)	:	Shri K. Shanmukha Rao
4.	Assistant Director (QC)	:	Shri S. S. Shaji

THANJAVUR:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri C. Wilson
2.	Assistant Director (Aqua)	:	Dr. S. Kandan
3.	Assistant Director (AE)	:	Shri Razak Ali

VALSAD:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Dr. S. Vijayakumar
2.	Assistant Director (Aqua)	:	Dr. G. Gopakumar

PANVEL:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri Maruti D. Yaligar
2.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri J. Purushotham Sai

3.	सहायक निदेशक (ए ई)	:	श्री के. शिवराजन
4.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्री राजेश अनंत डागरे

उप क्षेत्रीय केन्द्र, (जलकृषि):

कारवार:

1.	उप निदेशक (जलकृषि)	:	श्री रामआधार गुप्ता
2.	सहायक निदेशक (ई पी)	:	श्री तम्बाडा नरेश विष्णु

कोलकाता:

1.	उप निदेशक (जलकृषि)	:	श्री दिलीप कुमार विश्वास
2.	सहायक निदेशक (ए ई)	:	श्री धिरित एक्का

भीमावरम:

1.	सहायक निदेशक (जलकृषि)	:	श्री वासा सुब्बाराव

कन्नूर:

1.	सहायक निदेशक (जलकृषि)	:	श्रीमती एलसम्मा इत्ताक

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमावरम:

1.	उप निदेशक (गु. नि.)	:	श्री वी.आई. जार्ज
2.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्री दुबाकुला वेणुगोपाल

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला नेल्लूर:

1.	सहायक निदेशक (गु. नि.)	:	श्री जी. महेश
2.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	श्रीमती ए. सुमा
3.	तकनीकी अधिकारी (गु. नि.)	:	डा. ई. सी. अभिलाष

व्यापार संवर्धन कार्यालय:

नई दिल्ली:

1.	सहायक निदेशक (ईपी)	:	रिक्त

न्यूयोर्क:

1.	आवासी निदेशक	:	श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, आई आर एस

जापान:

1.	आवासी निदेशक	:	रिक्त

3.	Assistant Director (AE)	:	Shri K. Sivarajan
4.	Technical Officer (QC)	:	Shri Rajesh Anant Dagare

SUB-REGIONAL CENTRES (AQUACULTURE):

KARWAR:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri Ram Adhar Gupta
2.	Assistant Director (EP)	:	Shri Tambada Naresh Vishnu

KOLKATA:

1.	Deputy Director (Aqua)	:	Shri Dileep Kumar Biswas
2.	Assistant Director (AE)	:	Shri Dhirit Ekka

BHIMAVARAM:

1.	Assistant Director (Aqua)	:	Shri Vasa Subha Rao

KANNUR:

1.	Assistant Director (Aqua)	:	Smt. Elsamma Ithack

QUALITY CONTROL LABORATORY, BHIMAVARAM:

1.	Deputy Director (QC)	:	Shri V. I. George
2.	Technical Officer (QC)	:	Shri Dubakula Venugopal

QUALITY CONTROL LABORATORY, NELLORE:

1.	Assistant Director (QC)	:	Shri G. Mahesh
2.	Technical Officer (QC)	:	Smt. A. Suma
3.	Technical Officer (QC)	:	Dr. E. C. Abhilash

TRADE PROMOTION OFFICE:

NEW DELHI:

1.	Assistant Director (EP)	:	Vacant

NEW YORK:

1.	Resident Director	:	Smt. Monika A. Batra, IRS

JAPAN:

1.	Resident Director	:	Vacant

वित्तीय विवरण
FINANCIAL STATEMENTS
2012-13

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

कोच्ची - 36
KOCHI - 36

वार्षिक लेखे 2011-12

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	तुलन पत्र	0
2.	आय एवं व्यय लेखा	0
3.	तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां (अनुसूचियां 1-11)	0
4.	आय एवं व्यय लेखे के भाग स्वरूप अनुसूचियां (अनुसूची 12-23)	0
5.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 24 व 25)	0
6.	लेखाओं के साथ संलग्न और उनके भाग स्वरूप टिप्पणियां	0
7.	अनुसूचियों का अनुबंध 1 से 19	0
8.	प्राप्तियां एवं भुगतान	0

ANNUAL ACCOUNTS 2012-13

INDEX

Sl. No.	Description	Page No.
1.	Balance Sheet	0
2.	Income and Expenditure Accounts	0
3.	Schedules Forming Part of Balance Sheet (Schedules 1 to 11)	0
4.	Schedules Forming Part of Income and Expenditure Accounts (Schedules 12 to 23)	0
5.	Significant accounting policies (Schedule 24 & 25)	0
6.	Notes attached to and forming part of the accounts	0
7.	Annexure to Schedules - 1 to 19	0
8.	Receipts & Payments	0

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31-03-2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि - ` में)

समग्र निधि/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालूवर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
समग्र/पूंजी निधि	1	140040901	156322604
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट/स्थायी निधियां	3	290163700	262293282
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	0	0
अप्रितभूत ऋण और उधार	5	0	0
आस्थगित उधार देयताएं	6	0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	1066668407	1034988092
कुल		**1496873008**	**1453603978**
परिसंपत्तियां			
स्थाई परिसंपत्तियां	8	123192207	134304467
निवेश-उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से	9	200131799	223350587
निवेश-अन्य	10	0	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	144360347	97067511
विविध व्यय (कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों के लिए प्रावधान) (बट्टेखाते में न डाले गए या समायोजन न किए गए मामलों में)		1029188655	998881413
कुल		**1496873008**	**1453603978**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी

सचिव

अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year (2012-13)	Previous Year (2011-12)
CORPUS/CAPITAL FUND	1	140040901	156322604
RESERVES AND SURPLUS	2	0	0
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	290163700	262293282
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0	0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	1066668407	1034988092
TOTAL		**1496873008**	**1453603978**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	123192207	134304467
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	200131799	223350587
INVESTMENTS - OTHERS	10	0	0
CURRENT ASSETS, LOAN, ADVANCES ETC.	11	144360347	97067511
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (Provison for employees retirement & terminal benefits) (In the extent not written off or adjusted)		1029188655	998881413
TOTAL		**1496873008**	**1453603978**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

CHIEF ACCOUNTS OFFICER I/C

SECRETARY

CHAIRMAN

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि - ` में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
बिक्रियों/सेवाओं से आय	12	28506501	13205629
अनुदान/इमदाद	13	960061067	1128977702
शुल्क/अभिदान	14	9904950	8089025
निवेशों से आय (निधियों में अंतरित उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से किए गए निवेश पर आय)	15	0	0
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	1040821	869646
अर्जित ब्याज	17	7965673	12007697
अन्य आय	18	1440510	1109860
तैयार माल के स्टॉक में हुई वृद्धि/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर	19	0	0
कुल (क)		**1008919522**	**1164259559**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	256101446	232872335
अन्य प्राासनिक व्यय आदि	21	107219151	89830616
अनुदान, इमदाद आदि पर व्यय	22	665015520	804459334
ब्याज	23	0	0
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूपी वर्षांत का निवल जोड़)		26802078	21538031
कुल (ख)		**1055138195**	**1148700316**
व्यय से अधिक आय के रूप में शेष (क - ख)		**(46218673)**	**15559243**
पूर्वावधि समायोजन		7498037	3619302
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण			
अधिशेष/(घाटे) के रूप में समग्र/पूंजी निधि में लाया गया शेष		**(38720636)**	**19178545**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी

सचिव

अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount - `)

INCOME	Schedule	Current Year (2012-13)	Previous Year (2011-12)
Income from Sales/Services	12	28506501	13205629
Grants/Subsidies	13	960061067	1128977702
Fees/Subscriptions	14	9904950	8089025
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/endowment funds transferred to Funds)	15	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	1040821	869646
Interest Earned	17	7965673	12007697
Other Income	18	1440510	1109860
Increased/(decrease) in stock of Finished goods and work-in-progress	19	0	0
TOTAL (A)		**1008919522**	**1164259559**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	256101446	232872335
Other Administrative Expenses etc.	21	107219151	89830616
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	665015520	804459334
Interest	23	0	0
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)		26802078	21538031
TOTAL (B)		**1055138195**	**1148700316**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		**(46218673)**	**15559243**
Prior Period Adjustments		7498037	3619302
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/ from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT)CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**(38720636)**	**19178545**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

CHIEF ACCOUNTS OFFICER I/C **SECRETARY** **CHAIRMAN**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	चालू वर्ष (2012-13)		पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)	
अनुसूची 1 - समग्र/पूंजी निधि				
वर्ष की शुरूआत में शेष	156322604	156322604	123313761	123313761
जोड़िए : समग्र/पूंजी निधि में अंशदान	22438933	22438933	13830298	13830298
जोड़ें/घटाएं : व्यय से अधिक आय	(38720636)	(38720636)	19178545	19178545
वर्षांत में शेष	**140040901**	**140040901**	**156322604**	**156322604**

	चालू वर्ष (2012-13)		पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)	
अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
1. पूंजी आरक्षित निधि:				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
3. विशेष आरक्षित निधि:				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
4. सामान्य आरक्षित निधि:				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां				
कुल				

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

	Current year (2012-13)		Previous year (2011-12)	
SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:				
Balance as at the beginning of the year	156322604	156322604	123313761	123313761
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	22438933	22438933	13830298	13830298
Add/Less: Excess of income over expenditure	(38720636)	(38720636)	19178545	19178545
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**140040901**	**140040901**	**156322604**	**156322604**

	Current year (2012-13)		Previous year (2011-12)	
SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS:				
1. Capital Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
3. Special Reserves:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
4. General Reserves:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
TOTAL				

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
अनुसूची 3 - उद्दिष्ट/स्थायी निधि (संलग्नक-1)		
क) निधियों का अथशेष	262293282	239912474
ख) निधियों में परिवर्धन		
i. दान/अनुदान	212431000	136673803
ii. निधि खाते से किए गए निवेशों से आय	28477931	8907619
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकार स्पष्ट करें)	18388386	35834061
कुल (क + ख)	**521590599**	**421327957**
ग) निधियों के लक्ष्य के लिए उपयोग/व्यय		
i. पूंजी व्यय		
- स्थाई परिसंपत्तियां		
- अन्य	186715500	84396095
कुल	**186715500**	**84396095**
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	918172	865371
- किराया	0	0
- अन्य प्रशासनिक व्यय	432260	15970914
- वापसी	43360967	57802295
- अन्य (ईपीएस)	0	0
कुल	**44711399**	**74638580**
कुल (ग)	**231426899**	**159034675**
वर्षांत में निवल शेष (क+ख-ग)	**290163700**	**262293282**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

		Current year (2012-13)	Previous year (2011-12)
SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUND (Annexure-1)			
a)	Opening balance of the funds	262293282	239912474
b)	Additions to the Funds:		
	i. Donations/grants	212431000	136673803
	ii. Income from Investments made on account of funds	28477931	8907619
	iii. Other additions (specify nature)	18388386	35834061
	TOTAL (a+b)	**521590599**	**421327957**
c)	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
	i. Capital Expenditure		
	- Fixed Assets		
	- Others	186715500	84396095
	Total	**186715500**	**84396095**
	ii. Revenue Expenditure		
	- Salaries, Wages and allowances etc.	918172	865371
	- Rent	0	0
	- Other Administrative expenses	432260	15970914
	- Refund	43360967	57802295
	- others (EPS)	0	0
	Total	**44711399**	**74638580**
	TOTAL (c)	**231426899**	**159034675**
	NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	**290163700**	**262293282**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण एवं उधार:		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) सावधिक ऋण		
ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण		
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)		
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. ऋण पत्र एवं बंध पत्र		
7. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी : राशि एक वर्ष के भीतर देय

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

	Current Year (2012-13)		Previous year (2011-12)	
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:				
1. Central Government				
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due				
4. Banks:				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due				
b) Other loans (specify)				
- Interest accrued and due				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Others (Specify)				
TOTAL				

Note: Amounts due within one year

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण एवं उधार:		
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. ऋण पत्र एवं बंध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल		
टिप्पणी : राशि एक वर्ष के भीतर देय		

	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं		
क) पूंजी उपकरण एवं अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
कुल		
टिप्पणी : राशि एक वर्ष के भीतर देय		

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

(Amount - `)

	Current Year (2012-13)		Previous year (2011-12)	
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:				
1. Central Government				
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions				
4. Banks:				
a) Term Loans				
b) Other loans (specify)				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Fixed Deposits				
8. Others (Specify)				
TOTAL				
Note: Amounts due within one year				

	Current Year (2012-13)		Previous Year (2011-12)	
SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:				
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets				
b) Others				
TOTAL				

Note: Amounts due within one year

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	चालू वर्ष (2012-13)		पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)	
अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क. चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध लेनदार				
क) माल हेतु				
ख) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम (संलग्नक-2)	3146653	3146653	8207546	8207546
4. निम्नलिखित पर प्रोद्भूत परंतु देय न बना ब्याज:				
क) प्रतिभूत ऋण/उधार				
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार				
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिदेय				
ख) अन्य (संलग्नक-3)	8366794	8366794	6661752	6661752
6. अन्य चालू देयताएं (संलग्नक-4)	25966305	25966305	21237381	21237381
7. अन्य (ई पी एस)	0	0	0	0
कुल (क)	**37479752**	**37479752**	**36106679**	**36106679**
ख. प्रावधान				
1. उपदान	119937692	119937692	119778115	119778115
2. अधिवर्षिता/पेन्शन	844407831	844407831	819195857	819195857
3. संचित छुट्टी नकदीकरण	64843132	64843132	59907441	59907441
4. व्यापार वारंटियां/दावे	0	0	0	0
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0
कुल (ख)	**1029188655**	**1029188655**	**998881413**	**998881413**
कुल (क + ख)	**1066668407**	**1066668407**	**1034988092**	**1034988092**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

	Current Year (2012-13)		Previous Year (2011-12)	
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:				
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
a) For Goods				
b) Others				
3. Advances Received (Annexure-2)	3146653	3146653	8207546	8207546
4. Interest accrued but not due on:				
a) Secured Loans/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
5. Statutory Liabilities:				
a) Overdue				
b) Others (Annexure-3)	8366794	8366794	6661752	6661752
6. Other current Liabilities (annexure-4)	25966305	25966305	21237381	21237381
7. Others (EPS)	0	0	0	0
TOTAL (A)	**37479752**	**37479752**	**36106679**	**36106679**
B. PROVISIONS				
1. Gratuity	119937692	119937692	119778115	119778115
2. Superannuation/Pension	844407831	844407831	819195857	819195857
3. Accumulated Leave Encashment	64843132	64843132	59907441	59907441
4. Trade Warranties/Claims	0	0	0	0
5. Others (Specify)	0	0	0	0
TOTAL (B)	**1029188655**	**1029188655**	**998881413**	**998881413**
TOTAL (A + B)	**1066668407**	**1066668407**	**1034988092**	**1034988092**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 8

(राशि - ` में)

समूह	विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास					निवल ब्लॉक	
		वर्ष की शुरूआत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्षांत में लागत/ मूल्यांकन	दर	वर्ष की शुरूआत में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्षांत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक
1	पुस्तकें	1933432	112851	355	2045928	10	1148951	86594	289	1235256	810672	784481
2	भवन	28105121	2104561	0	30209682	5	14696849	696362	0	15393211	14816471	13408272
3	कंप्यूटर/सहायक सामग्री	27237352	2595407	404122	29428637	60	22545649	3069092	388547	25226194	4202443	4691703
4	फर्नीचर एवं जुड़नार (चल)	20224464	1342182	172784	21393862	10	8210339	1866492	115978	9960853	11433009	12014125
5	हैचरी कॉम्पलैक्स वल्लारपाटम	10302723	0	0	10302723	5	6003326	214970	0	6218296	4084427	4299397
6	हैचरी उपस्कर वल्लारपाटम	30200	0	0	30200	25	28690	0	0	28690	1510	1510
7	प्रयोगाला एवं फार्म उपस्कर	226202489	39983451	35362	266150578	25	178068305	17866807	31160	195903952	70246626	48134184
8	भूमि	2513238	2420000	0	4933238	0	0	0	0	0	4933238	2513238
9	कार्यालय वाहन	4958721	0	4270	4954451	25	3924690	212361	4049	4133002	821449	1034031
10	अन्य परिसंपत्तियां	3444745	997910	20647	4422008	25	2386243	393194	19467	2759970	1662038	1058502
11	संयंत्र मशीनरी एवं सूखा मत्स्य भंडारण	1085246	0	0	1085246	10	1030984	0	0	1030984	54262	54262
12	कार्यालय उपस्कर	8819970	36060	356535	8499495	20	7086883	333288	325252	7094919	1404576	1733087
13	जुड़नार (अचल)	24806634	1027553	0	25834187	20	15049783	2062918	0	17112701	8721486	9756851
	कुल चालू वर्ष	359664335	50619975	994075	409290235		260180692	26802078	884742	286098028	123192207	99483643
	पूर्ववर्ती वर्ष	347245536	13830298	1411499	359664335		239861459	21538031	1218798	260180692	99483643	107384077

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDUES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 8 (Amount - `)

GROUP	DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
		Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation as at the year-end	Rate	As at the beginning of the year	During the year	On Deduction during the year	Total upto the year end	As at the current year-end	As at the previous year-end
1	BOOKS	1933432	112851	355	2045928	10	1148951	86594	289	1235256	810672	784481
2	BUILDINGS	28105121	2104561	0	30209682	5	14696849	696362	0	15393211	14816471	13408272
3	COMPUTERS/PERIPHERALS	27237352	2595407	404122	29428637	60	22545649	3069092	388547	25226194	4202443	4691703
4	FURNITURE AND FIXTURES (MOVABLE)	20224464	1342182	172784	21393862	10	8210339	1866492	115978	9960853	11433009	12014125
5	HATCHERY COMPLEX VALARPADOM	10302723	0	0	10302723	5	6003326	214970	0	6218296	4084427	4299397
6	HATCHERY EQUIPMENT VALLARPADOM	30200	0	0	30200	25	28690	0	0	28690	1510	1510
7	LAB AND FARM EQUIPMENTS	226202489	39983451	35362	266150578	25	178068305	17866807	31160	195903952	70246626	48134184
8	LAND	2513238	2420000	0	4933238	0	0	0	0	0	4933238	2513238
9	OFFICE VEHICLE	4958721	0	4270	4954451	25	3924690	212361	4049	4133002	821449	1034031
10	OTHER ASSETS	3444745	997910	20647	4422008	25	2386243	393194	19467	2759970	1662038	1058502
11	PLANT MACHINERY & DRY FISH STORAGE	1085246	0	0	1085246	10	1030984	0	0	1030984	54262	54262
12	OFFICE EQUIPMENTS	8819970	36060	356535	8499495	20	7086883	333288	325252	7094919	1404576	1733087
13	FIXTURES (IMMOVABLE)	24806634	1027553	0	25834187	20	15049783	2062918	0	17112701	8721486	9756851
	TOTAL Current Year	359664335	50619975	994075	409290235		260180692	26802078	884742	286098028	123192207	99483643
	Previous year	347245536	13830298	1411499	359664335		239861459	21538031	1218798	260180692	99483643	107384077

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर (संलग्नक - 5)	55090700	55090700
4. ऋण पत्र एवं बंध पत्र	0	0
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	25000000	25000000
6. अन्य (स्पष्ट किया जाए) (संलग्नक - 6)	120041099	143259887
कुल	**200131799**	**223350587**

	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
अनुसूची 10 - निवेश-अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बंध पत्र		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (स्पष्ट किया जाए)		
कुल		

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

		Current Year (2012-13)	Previous Year (2011-12)
SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS			
1.	In Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares (Annexure-5)	55090700	55090700
4.	Debentures and Bonds	0	0
5.	Subsidiaries and Joint Ventures	25000000	25000000
6.	Others (to be specified) (Annexure-6)	120041099	143259887
	TOTAL	**200131799**	**223350587**

		Current Year (2012-13)	Previous Year (2011-12)
SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS			
1.	In Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	वर्तमान वर्ष (2012-13)		पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)	
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1. मालसूची:				
क) भंडार एवं स्पेअर	4050146	4050146	7146657	7146657
ख) खुले औजार	0	0	0	0
ग) व्यापारगत माल	0	0	0	0
तैयार माल				
कार्य प्रगति पर				
कच्ची सामग्री				
2. विविध देनदार:				
क) छ माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण				
ख) अन्य - संदिग्ध ऋण (ईपीएस)	0	0	0	0
3. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय सहित) (संलग्नक - 7)	50925	50925	81966	81966
4. बैंक शेष				
क) अनुसूचित बैंकों में:				
- चालू खाते में (संलग्नक - 8)	101499305	101499305	65767872	65767872
- जमा खाते में (मार्जिन धन सहित)				
- बचत खाते में				
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खाते में				
- जमा खाते में				
- बचत खाते में				
5. डाकघर बचत खाता				
कुल (क)		**105600376**		**72996525**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

		Current Year (2012-13)		Previous year (2011-12)	
SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.					
A.	CURRENT ASSETS:				
1.	Inventories:				
a)	Stores and Spares	4050146	4050146	7146657	7146657
b)	Loose Tools	0	0	0	0
c)	Stock-in-trade	0	0	0	0
	Finished Goods				
	Work-in-progress				
	Raw Materials				
2.	Sundry Debtors:				
a)	Debts Outstanding for a period exceeding six months				
b)	Others - Doubtful debts (EPS)	0	0	0	0
3.	Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest) (Annexure-7)	50925	50925	81996	81996
4.	Bank Balances:				
a)	With Scheduled Banks:				
	- On Current Accounts (Annexure-8)	101499305	101499305	65767872	65767872
	- On Deposit Accounts (includes margin money)				
	- On Savings Accounts				
b)	With non-Scheduled Banks				
	- On Current Accounts				
	- On Deposit Accounts				
	- On Savings Accounts				
5.	Post Office-Savings Accounts				
	TOTAL (A)		**105600376**		**72996525**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	वर्तमान वर्ष (2012-13)		पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)	
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (क्रमागत)				
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण:				
क) कर्मचारी (संलग्नक - 9)	3361439	3361439	6559252	6559252
ख) इस संगठन के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे अन्य संगठन				
ग) अन्य (स्पष्ट करें)				
2. नकद में या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशि या प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजी खाते पर				
ख) पूर्वभुगतान	1318721	1318721	1441180	1441180
ग) अन्य (संलग्नक - 10)	6761256	6761256	6692531	6692531
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेशों पर				
ख) निवेशों पर-अन्य				
ग) ऋणों व अग्रिमों पर				
घ) अन्य				
(` ..... की वसूल न की गई बकाया आय सम्मिलित है)				
4. प्राप्य दावे	27318555	27318555	9378023	9378023
कुल (ख)		**38759971**		**24070986**
योग (क + ख)		**144360347**		**97067511**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - `)

	Current Year (2012-13)		Previous year (2011-12)	
SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)				
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans:				
a) Staff (Annexure-9)	3361439	3361439	6559252	6559252
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity				
c) Other (specify)				
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				
a) On Capital Account				
b) Prepayments	1318721	1318721	1441180	1441180
c) Others (Annexure-10)	6761256	6761256	6692531	6692531
3. Income Accrued:				
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds				
b) On Investments - Others				
c) On Loans and Advances				
d) Others				
(includes income due unrealised ` .....)				
4. Claims Receivable	27318555	27318555	9378023	9378023
TOTAL (B)		**38759971**		**24070986**
TOTAL (A + B)		**144360347**		**97067511**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	वर्तमान वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 12 - बिक्रियों / सेवाओं से आय						
1) बिक्री से आय						
क) तैयार माल की बिक्री						
ख) कच्ची सामग्री की बिक्री						
ग) रद्दी माल की बिक्री (पुरानी मदों की बिक्री)	0	0	0	0	569	569
घ) अन्य (मत्स्य/झींगा की बिक्री)						
2) सेवाओं से आय						
क) मजदूरी व प्रसंस्करण प्रभार						
ख) संव्यावसायिक / परामर्श सेवाएं	0	0	0			
ग) अभिकरण कमीशन व दलाली	0	0	0			
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर / संपत्ति)						
ड.) अन्य (स्पष्ट करें) (पट्टा किराया-भुवनेश्वर प्रयोगशाला-एलीसा प्रयोगशाला)		28506501	28506501	0	13205060	13205060
कुल			**28506501**			**13205629**

	वर्तमान वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 13 - अनुदान /सब्सिडी						
(प्राप्त अविकल्पी अनुदान व सब्सिडी)						
1) केन्द्रीय सरकार	928043702	32017365	960061067	1082878323	46099379	1128977702
2) राज्य सरकार (रें)						
3) सरकारी अभिकरण						
4) संस्थाएं / कल्याण निकाय						
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन						
6) अन्य (स्पष्ट करें) इंडाक्वा से ट्रस वर्क के लिए	0	0	0	0	0	0
कुल	**928043702**	**32017365**	**960061067**	**1082878323**	**46099379**	**1128977702**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount - `)

	Current Year (2012-13)			Previous Year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES						
1) Income from Sales						
a) Sale of Finished Goods						
b) Sale of Raw Material						
c) Sale of Scraps (Sale of old items)	0	0	0	0	569	569
d) Others (Sale of Fish/Prawn)						
2) Income from Services						
a) Labour and Processing Charges						
b) Professional/Consultancy Services	0	0	0			
c) Agency Commission and Brokerage	0	0	0			
d) Maintenance Services (Equipment/Property)						
e) Others (Specify) (Lease Rent-Lab BBSR-ELISA LAB		28506501	28506501	0	13205060	13205060
TOTAL			**28506501**			**13205629**

	Current Year (2012-13)			Previous Year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES						
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)						
1) Central Government	928043702	32017365	960061067	1082878323	46099379	1128977702
2) State Government(s)						
3) Government Agencies						
4) Institutions/Welfare Bodies						
5) International Organisations						
6) Others (Specify) INDAQUA for truss work	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**928043702**	**32017365**	**960061067**	**1082878323**	**46099379**	**1128977702**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	वर्तमान वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान						
1) प्रवेश शुल्क						
2) वार्षिक शुल्क / अंशदान (संलग्नक - 11)		124750	124750		73200	73200
3) संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क (संलग्नक - 12)		9780200	9780200		8015825	8015825
4) परामर्श शुल्क						
5) अन्य (स्पष्ट करें)						
कुल		9904950	9904950		8089025	8089025

टिप्पणी : प्रत्येक मद हेतु लेखाकरण नीतियों को स्पष्ट किया जाना है।

	चिह्नित निधि से निवेश		निवेश-अन्य
	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)	वर्तमान वर्ष (2012-13)
अनुसूची 15 - निवेशों से आय			
(निधियों में अंतरित उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से किए गए निवेशों पर आय)			
1) ब्याज			
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर			
ख) अन्य बंधपत्र / ऋण पत्र			
2) लाभांश:			
क) शेयरों पर			
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर			
3) किराया			
4) अन्य (स्पष्ट करें)	28477931	8907619	
कुल	**28477931**	**8907619**	
उद्दिष्ट / स्थाई निधियों में अंतरित	**28477931**	**8907619**	

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount - `)

	Current Year (2012-13)			Previous Year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS						
1) Entrance Fees						
2) Annual Fees/Subscriptions (Annexure-11)		124750	124750		73200	73200
3) Seminar/Program Fees (Annexure-12)		9780200	9780200		8015825	8015825
4) Consultancy Fees						
5) Others (Specify)						
TOTAL		**9904950**	**9904950**		**8089025**	**8089025**

Note: Accounting Policies towards each item are to be disclosed

	Investment from Earmmarked Fund		Investment - Others
	Current Year (2012-13)	Previous year (2011-12)	Current Year (2012-13)
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS			
(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)			
1) Interest			
a) On Govt. Securities			
b) Other Bonds/Debentures			
2) Dividends:			
a) On Shares			
b) On Mutual Fund Securities			
3) Rents			
4) Others (Specify)	28477931	8907619	
TOTAL	**28477931**	**8907619**	
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**28477931**	**8907619**	

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

	चालू वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय						
1) रॉयल्टी से आय						
2) प्रकाशनों से आय (संलग्नक - 13)	0	727546	727546	0	546421	546421
3) अन्य (स्पष्ट करें) (संलग्नक - 14)	0	313275	313275	0	323225	323225
कुल	**0**	**1040821**	**1040821**	**0**	**869646**	**869646**

	चालू वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज						
1) सावधि जमा पर	6785997	0	6785997	10538114	0	10538114
क) अनुसूचित बैंकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में						
ग) संस्थाओं में						
घ) अन्य						
2) बचत खातों पर:						
क) अनुसूचित बैंकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में						
ग) डाकघर बचत खाता						
घ) अन्य						
3) ऋणों पर						
क) अधिकारी / कर्मचारी (संलग्नक-15)	0	1168331	1168331	0	1469583	1469583
ख) अन्य						
4) देनदारों व अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज (विद्युत)	0	11345	11345			
कुल	**6785997**	**1179676**	**7965673**	**10538114**	**1469583**	**12007697**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount - `)

	Current year (2012-13)			Previous Year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.						
1) Income from Royalty						
2) Income from Publications (Annexure-13)	0	727546	727546	0	546421	546421
3) Others (Specify) (Annexure-14)	0	313275	313275	0	323225	323225
TOTAL	**0**	**1040821**	**1040821**	**0**	**869646**	**869646**

	Current year (2012-13)			Previous Year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED						
1) On Term Deposits	6785997	0	6785997	10538114	0	10538114
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) With Institutions						
d) Others						
2) On Savings Accounts:						
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) Post Office Savings Accounts						
d) Others						
3) On Loans						
a) Employees/Staff (Annexure-15)	0	1168331	1168331	0	1469583	1469583
b) Others						
4) Interest on Debtors and Other Receivables (Electricity)	0	11345	11345			
TOTAL	**6785997**	**1179676**	**7965673**	**10538114**	**1469583**	**12007697**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

अनुसूची 18 - अन्य आय	चालू वर्ष (2012-13) योजना	गैर योजना	कुल	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12) योजना	गैर योजना	कुल
1) परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ						
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियां	0	47897	47897	0	73830	73830
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां						
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन						
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क						
4) विविध आय (आरटीआई सहित)		1488407	1488407	0	1183690	1183690
कुल			**1440510**			**1109860**

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर

	चालू वर्ष (2012-13) योजना	गैर योजना	कुल	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12) योजना	गैर योजना	कुल
क) अंतिम स्टॉक						
- तैयार माल - कार्य प्रगति पर						
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक						
- तैयार माल - कार्य प्रगति पर						
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)						

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

	चालू वर्ष (2012-13) योजना	गैर योजना	कुल	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12) योजना	गैर योजना	कुल
क) वेतन व मज़दूरी	135177992	43947727	179125719	134950631	30049890	165000521
ख) भत्ते व बोनस	2315803	456747	2772550	2458308	276420	2734728
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0	0	0	0	0
घ) अन्य निधि में अंशदान (डी सी पी एस अंशदान)	0	2130529	2130529	0	1616209	1616209
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	146163	264083	410246	83072	201119	284191
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सेवांत लाभों पर व्यय	24134774	47527628	71662402	23854463	39382223	63236686
छ) सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान						
ज) अन्य (स्पष्ट करें)						
कुल	**161774732**	**94326714**	**256101446**	**161346474**	**71525861**	**232872335**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount - `)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	Current Year (2012-13) PLAN	NON PLAN	TOTAL	Previous Year (2011-12) PLAN	NON PLAN	TOTAL
1) Profit on Sale/disposal of Assets						
a) Owned assets	0	-47897	-47897	0	-73830	-73830
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost						
2) Export Incentives realized						
3) Fees for Miscellaneous Services						
4) Miscellaneous Income (including RTI)		1488407	1488407	0	1183690	1183690
TOTAL			**1440510**			**1109860**

SCHEDULE 19 - INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN - PROGRESS

	Current Year (2012-13) PLAN	NON PLAN	TOTAL	Previous Year (2011-12) PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) Closing stock						
- Finished Goods						
- Work-in-progress						
b) Less: Opening Stock						
- Finished Goods						
- Work-in-progress						

NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year (2012-13) PLAN	NON PLAN	TOTAL	Previous Year (2011-12) PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) Salaries and Wages	135177992	43947727	179125719	134950631	30049890	165000521
b) Allowances and Bonus	2315803	456747	2772550	2458308	276420	2734728
c) Contribution to Provident Fund	0	0	0	0	0	0
d) Contribution to Other Fund (DCPS Contribution)	0	2130529	2130529	0	1616209	1616209
e) Staff Welfare Expenses	146163	264083	410246	83072	201119	284191
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	24134774	47527628	71662402	23854463	39382223	63236686
g) Provision for Retirement Benefits						
h) Others (specify)						
TOTAL	**161774732**	**94326714**	**256101446**	**161346474**	**71525861**	**232872335**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क) विद्युत एवं जल	4571962	1515487	6087449	3765497	1416065	5181562
ख) ए एम सी	2745471	401859	3147330	0	0	0
ग) बीमा	1608223	2968	1611191	2067090	34335	2101425
घ) मरम्मत व अनुरक्षण	552562	619984	1172546	3570786	1035163	4605949
ङ) उत्पाद शुल्क	0	0	0	0	0	0
च) किराया, दरें व कर	26599202	0	26599202	21781338	0	21781338
छ) वाहन चालन व अनुरक्षण	817176	369128	1186304	1025205	400838	1426043
ज) डाक, टेलीफोन व संचार प्रभार एवं मुद्रण व लेखन सामग्री	7102540	4820428	11922968	785550	927051	1712601
झ) यात्रा व वाहन व्यय	21721306	3074863	24796169	21271147	1232961	22504108
ञ) आतिथ्य व्यय (मनोरंजन)	100363	27098	127461	21828	30578	52406
ट) वृत्तिक प्रभार (विधिक)	444541	117855	562396	144265	331091	475356
ठ) विज्ञापन व प्रचार	0	100498	100498	0	85822	85822
ड) लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक	0	0	0	0	641620	641620
ढ) अन्य (संलग्नक-16)	22966895	6938742	29905637	25729905	4815721	30545626
कुल	**89230241**	**17988910**	**107219151**	**80162611**	**9668005**	**89830616**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount - `)

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	CURRENT YEAR (2012-13)			PREVIOUS YEAR (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) Electricity and Water	4571962	1515487	6087449	3765497	1416065	5181562
b) AMC	2745471	401859	3147330	0	0	0
c) Insurance	1608223	2968	1611191	2067090	34335	2101425
d) Repairs and maintenance	552562	619984	1172546	3570786	1035163	4605949
e) Excise Duty	0	0	0	0	0	0
f) Rent, Rates and Taxes	26599202	0	26599202	21781338	0	21781338
g) Vehicles Running and Maintenance	817176	369128	1186304	1025205	400838	1426043
h) Postage, Telephone and Communication Charges & Printing and Stationary	7102540	4820428	11922968	785550	927051	1712601
i) Travelling and Conveyance Expenses	21721306	3074863	24796169	21271147	1232961	22504108
j) Hospitality Expenses (Entertainment)	100363	27098	127461	21828	30578	52406
k) Professional Charges (Legal)	444541	117855	562396	144265	331091	475356
l) Advertisement and Publicity	0	100498	100498	0	85822	85822
m) Auditor's Remuneration	0	0	0	0	-641620	-641620
n) Others (Annexure-16)	22966895	6938742	29905637	25729905	4815721	30545626
TOTAL	**89230241**	**17988910**	**107219151**	**80162611**	**9668005**	**89830616**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि - ` में)

अनुसूची 22 - अनुदानों, इमदाद आदि पर व्यय	चालू वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क) संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त अनुदान (संलग्नक-17)	383000000		383000000	190000000		190000000
ख) संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त सब्सिडी (संलग्नक-18)	219106293		219106293	526579397		526579397
ग) अन्य (संलग्नक-19)	62909227		62909227	87879937		87879937
कुल	**665015520**		**665015520**	**804459334**		**804459334**

टिप्पणी : संगठनों के नाम, अनुदान / सब्सिडी राशि सहित उनके कार्यकलाप स्पष्ट किए जाने हैं।

अनुसूची - 23 ब्याज	चालू वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
क) सावधि ऋणों पर						
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)						
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
कुल						

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2013

(Amount - `)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year (2012-13)			Previous Year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) Grants given to Institutions / Organisations(Annexure-17)	383000000		383000000	190000000		190000000
b) Subsidies given to Institutions / Organisations (Annexure-18)	219106293		219106293	526579397		526579397
c) Others(Annexure-19)	62909227		62909227	87879937		87879937
TOTAL	**665015520**		**665015520**	**804459334**		**804459334**

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed

SCHEDULE 23 - INTEREST	Current Year (2012-13)			Previous Year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
a) On Fixed Loans						
b) On other Loans (including Bank Charges)						
c) Others (specify)						
TOTAL						

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि के लिए आय - व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (निदर्शी)

1. **लेखाकरण प्रथा**

वर्ष 2007-08 से प्राधिकरण आय व व्यय और तुलन पत्र तैयार करने में लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार को अपनाता है। जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, वित्तीय विवरण लागत प्रथा के आधार पर व लेखाकरण की प्रोद्भवन रीति पर तैयार किए जाते हैं। योजना निधि के अल्पावधिक मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को छोड़कर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी विभागीय आय (आई ई बी आर) गैर योजना के तहत ली जाती है।

2. **सामान सूची का मूल्यांकन**

2.1. भंडार और कल पुर्जे (मशीनरी पुर्जे शामिल हैं) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। - लागू नहीं

2.2. कच्ची सामग्री, अर्ध तैयार माल और तैयार माल का मूल्यांकन निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य, पर किया जाता है। मूल्य भारित औसत लागत पर आधारित है। तैयार माल व अर्ध तैयार माल के मूल्य का निर्धारण सामग्री, मजदूरी व संबंधित उपरि प्रभार के आधार पर किया जाता है। - लागू नहीं

3. **निवेश**

3.1. दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत निवेशों को मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों का मूल्य लगाने के लिए अस्थाई गिरावट से इतर गिरावट के लिए प्रावधान किया जाता है।

3.2. "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य पर होने वाली कमी का प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग रूप से किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3. लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अर्जन व्यय शामिल हैं।

4. **उत्पाद शुल्क**

निर्यात केलिए उत्पादित माल को छोड़कर, संग्ठन द्वारा उत्पादित माल से संबंधित उत्पादन शुल्क की देयता को उत्पादन के पूर्ण हो जाने पर लेखाबद्ध किया जाता है और वर्षांत में उत्पादन शुल्क योग्य उत्पादित माल के लिए प्रावधान किया जाता है।

5. **स्थाई परिसंपत्तियां**

5.1. स्थाई परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क, कर और अर्जन से संबंधित आकस्मिक व प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। जिन परियोजनाओं में निर्माण की अपेक्षा होती है उनमें संबंधित पूर्व प्रचालन व्यय (इस विशेष परियोजना के पूर्ण होने के पहले लिए गए ऋणों पर ब्याज शामिल है) पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग बनते हैं।

5.2. गैर आर्थिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थाई परिसंपत्तियां, (समग्र निधि को छोड़कर) पूंजी रिजर्व में तदनुरूपी जमा द्वारा मूल्य आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं।

6. **मूल्यह्रास**

6.1. स्थाई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं के परिवर्तन के कारण उत्पन्न लागत समायोजन पर मूल्यह्रास को छोड़कर, मूल्यह्रास का प्रावधान अविलिखित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) पर किया जाता है, जो संबंधित परिसंपत्तियों की अवशेषित अवधि में परिशोधित किया जाता है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income and Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. All departmental incomes (IEBR) received by the Authority except the interest earned on short term deposits of plan fund are taken under Non Plan.

2. INVENTORY VALUATION

2.1. Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost - N.A

2.2. Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overhead - N.A

3. INVESTMENTS

3.1. Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments - N.A

3.2. Investments classified as "Current" are carried at lower cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3. Cost includes acquisiton expenses like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year-end.

5. FIXED ASSETS

5.1. Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquistion. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

5.2. Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. DEPRECIATION

6.1. Depreciation is provided on Written Down Value (WDV) method except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि के लिए आय - व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (निदर्शी) - जारी...

6.2. इस वर्ष के दौरान, स्थाई परिसंपत्तियों से की जानेवाली कटौतियों / परिवर्धनों के संबंध में, मूल्यह्रास पर यथानुपात आधार पर विचार किया जाता है।

6.3. परिसंपत्तियों की मूल लागत के 95 प्रतिशत तक डब्ल्यू डी वी आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है और उसके बाद बिना किसी मूल्यह्रास के अंकित मूल्य पर रखा जाता है।

7. **विविध व्यय**

इस शीर्ष के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों के लिए प्रावधान किया गया है।

8. **बिक्रियों के लिए लेखाकरण**

बिक्रियों में उत्पाद शुल्क सम्मिलित है और बिक्री आय, रिबेट व व्यापार छूट की वास्तविक राशि हैं। - लागू नहीं

9. **सरकारी अनुदान / इमदाद**

9.1. परियोजनाओं की स्थापना की पूंजी लागत के लिए अंशदान के रूप में दिए गए सरकारी अनुदान पूंजी रिज़र्व के रूप में समझे जाते हैं।

9.2. अधिग्रहण की गई विशेष स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से की गई कटौतियों के रूप में दर्शाए जाते हैं।

9.3. सरकारी अनुदानों / इमदाद का लेखाकरण वसूली आधार पर किया जाता है - लागू नहीं

10. **विदेशी मुद्रा विनिमय**

10.1. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित विनिमय को उक्त विनिमय की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर लेखाकरण किया जाता है।

10.2. वर्तमान परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों व चालू देयताओं को वर्षांत में विद्यमान विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ /हानि को यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल परिसंपत्तियों से संबंधित है, तो अचल परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में उसे राजस्व में माना जाता है।

11. **पट्टा**

पट्टा किराया पट्टे की शर्तों के अनुसार व्यय किया जाता है।

12. **सेवानिवृत्ति लाभ**

12.1. एवं 12.2 प्रत्येक वर्ष के बजट में उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन परिवर्तन, पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गैर योजना के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है और इसमें से व्यय किया जाता है। वर्ष के दौरान, 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार देयता का मूल्यांकन प्रोद्भभवन के आधार पर किया गया है और लेखे में देयता का प्रावधान किया गयाहै। सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभों के लिए कोई अलग आरक्षित निधि नहीं है। उपदान पर देयता आदि चालू वर्ष के लिए प्रोद्भूत नहीं की जाती है अतः आय व्यय लेखे में प्रभारित नहीं की गयी है। प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निधि के जारी करने के अधीन है।

प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative) - Contd...

6.2. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

6.3. Depreciation is provided on WDV basis upto 95% of the original cost of assets and thereafter retained at book value without any further depreciation.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Under this head provision for employees retirement and terminal benefits have been made.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount - N.A

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

9.1. Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

9.2. Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

9.3. Government grants/subsidy are accounted on realization basis - N.A

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

10.1. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

10.2. Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 & 12.2 Every year budget provision is made under non plan for the retirement benefits like gratuity, leave encashment, pension commutation, pension etc. and the expenditure is met from this. During the year, the liability existing as on 31.03.2013 have been valued on actuarial basis and the liability provided in the accounts. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits. The liability on gratuity etc. are not accrued for the current year and hence not charged under Income and Expenditure Account. The commitments are subjected to release of funds by the Government towards the specific purposes.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER I/C	SECRETARY	CHAIRMAN

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं व लेखाओं पर टिप्पणियां (निदर्शी)

1. आकस्मिक देयताएं

1.1. संगठन के विरूद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

1.2. निम्नलिखित से संबंधितः

- संगठन द्वारा / की ओर से दी गई बैंक गारंटियां - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

- बैंकों के साथ बिलों का मिती काटा - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

1.3. निम्नलिखित से संबंधित विवादास्पद मांग

आयकर - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

बिक्री कर - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

मुन्सिपल कर - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

1.4. आर्डरों को पूरा न करने पर पार्टियों की ओर से किए गए परंतु संगठन की ओर से विरोध किए गए दावों के बारे में - लागू नहीं

2. पूंजी वचनबद्धता

पूंजी लेखे पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का आकलित मूल्य जिसका प्रावधान नहीं किया गया है - ` ..... (अग्रिमों का निवल) - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र व मशीनरी के लिए की गई वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए की भावी बाध्यताएं - ` ..... (गत वर्ष - ` .....)

4. चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम

प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यापार प्रक्रिया में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों की प्राप्ति होने पर उनका एक मूल्य है जो कम से कम, तुलन पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय न होने के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1. Claims against the Entity not acknowledged as debts - ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)

1.2. In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity - ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)
- Bills discounted with banks ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)

1.3. Disputed demands in respect of

Income tax ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)

Sales-tax ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)

Municipal Taxes ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)

1.4. In respect of claims from parties on non execution of orders but contested by the entity - N.A

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to ` ..... - ..... (Previous year ` ..... - .....)

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregated amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-Tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

दिनांक : 31.3.2013 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं व लेखाओं पर टिप्पणियां (निदर्शी) - जारी ...

6. विदेशी मुद्रा विनिमय	चालू वर्ष (2012-13)	पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)
6.1. सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्यः		
- तैयार मालों की खरीद		
- कच्ची सामग्री व संघटक (मार्गस्थ सहित)		
- पूंजीगत माल		
- भंडार, कलपुर्जे व खपतयोग्य वस्तुएं		
6.2. विदेी मुद्रा में व्यय		
क) यात्रा (दैनिक भत्ता)	52355 अम.डा.	35989 अम.डा.
ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण व ब्याज का भुगतान		
ग) अन्य व्यय	1092255 अम.डा.	2128201 अम.डा.
- बिक्री पर कमीशन		
- कानूनी व वृत्तिक व्यय		
- विविध व्यय		
6.3. अर्जन		
एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य - लागू नहीं		
6.4. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक - लागू नहीं		
लेखा परीक्षकों के रूप में		
- कराधान मामले		
- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
- प्रमाणीकरण के लिए		
अन्य		

जहां आवश्यक है, पूर्व वर्ष के संगत आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 25 दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय लेखे के साथ संलग्न हैं और उनके भागस्वरूप हैं।

प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative) - Contd.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS	Current Year (2012-13)	Previous year (2011-12)
6.1. Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis:		
- Purchase of finished Goods		
- Raw Materials & Components (Inluding in transit)		
- Capital Goods		
- Stores, Spares and Consumables		
6.2. Expenditure in foreign currency		
a) Travel(per diem allowance)	US $ 52355	US $ 35989
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency		
c) Other expenditure:	US $ 1092255	US$ 2128201
- Commission on Sales		
- Legal and Professional Expenses		
- Miscellaneous Expenses		
6.3. Earnings:		
Value of Exports on FOB basis - N.A		
6.4. Remuneration to auditors - N.A		
As Auditors		
- Taxation matters		
- For Management services		
- For certification		
Others		

Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary

Schedule 1 to 25 are annexed to and forming an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2013 and the Income Expenditure Account for the year ended on that date.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER I/C **SECRETARY** **CHAIRMAN**

अनुसूची - 25

वर्ष 2012-13 के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के लेखाओं के साथ संलग्न और उनके भाग स्वरूप टिप्पणियां

1. **पूंजीनिधि**

दिनांक 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार शेष निधि ` 15,63,22,604.00 थी। निधि का समग्र स्रोत केंद्रीय सरकार से प्राप्त आबंटन था। वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक व्यय ` 3,87,20,636.00 है। योजना और गैरयोजना के अंतर्गत स्थाई परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु अनुदान के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त निधि पर विशिष्ट उपयोग हेतु उद्दिष्ट निधि के रूप में विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह निधि किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के लिए नहीं हैं, अपितु यह एम्पीडा की सामान्य निधि से परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु पूंजी स्वरूप की निधि है। परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु प्रयुक्त ऐसे अनुदान (` 2,24,38,933.00) को पूंजी निधि में जोड़ा गया है।

2. वर्ष के दौरान संगठन ने कोई पूंजी रिज़र्व/पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व का सृजन नहीं किया है। सृजित/विनियोजित कोई सामान्य आरक्षित निधि नहीं है।

3. इस वर्ष के दौरान विद्यमान उद्दिष्ट निधियां हैं,

(क) क्रांतिक अवसंरचना निधिः

यह निधि वर्ष 1998-99 में वाणिज्य मंत्रालय से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी। वर्ष के दौरान निधियों की कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। इस निधि का निवेश संयुक्त उद्यम कंपनी (मिडकॉन) के शेयरों में किया गया था। वर्ष के दौरान प्राप्त आय शून्य थी। वर्ष के दौरान निधि का कोई उपयोग नहीं किया गया था। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार निधि खाते में शेष राशि ` 2,50,00,000.00 है।

(ख) इक्विटी सहभागिता स्कीम

दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार निधि खाते में शेष राशि ` 8,96,69,139.00 है जिसमें इक्विटी राशि तथा ब्याज शामिल है। वर्ष 2012-13 के दौरान निधि का कोई उपयोग नहीं किया गया है। शेयर मूल्य ` 5,50,90,700.00 की लागत पर लिया गया है। मे. अंडमान फिशरीज़ और मे. लक्षद्वीप शिल्पी को छोड़कर माध्यस्थम निर्णय तथा कानूनी एवं प्रशासनिक व्यय के अनुसार शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु प्रावधान की गणना ` 28,29,68,537 (20 कंपनियों के लिए) के रूप में की गई है।

शेयर मूल्य ` 5,50,90,700.00 की लागत पर लिया गया है।

मंत्रालय के निर्देशानुसार एम्पीडा ने उन 15 कंपनियों के अनुरोध में बट्टे खाते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिन्होंने इस संबंध मे भारत सरकार को वचन पत्र प्रस्तुत किया है। मंत्रालय का निर्णय प्रतीक्षित है।

(ग) एसाइड निधि

दिनांक 1.4.2012 को निधि खाते में शेष राशि शून्य थी। वर्ष के दौरान सरकार से प्राप्त निधि ` 9,15,00,000.00 थी। वर्ष के लिए निवेशों से आय शून्य थी। वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि 7,50,00,000.00 रु थी। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि ` 1,65,00,000.00 है।

(घ) जी पी एफ निधि

यह निधि कर्मचारियों द्वारा संचित अंशदान और उस पर ब्याज की द्योतक है। अंशदान के रूप में कुल योगदान और ऋण वापसी की कुल राशि ` 3,51,76,259.00 है। वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज ` 99,37,945.00 था। तदनुसार वर्ष के लिए कुल ` 3,58,90,939.00 का उपयोग हुआ था। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार निधि खाते में शेष राशि ` 11,61,33,820.00 है।

SCHEDULE - 25

NOTES ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS OF MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (MPEDA) FOR THE YEAR 2012-2013

1. **CAPITAL FUND**

Balance of the fund as on 01.04.2012 was ` 15,63,22,604.00. Entire source of fund was the allocation received from Central Government. Excess of expenditure over income for the year is ` 3,87,20,636.00. Fund received during the year as grants for acquisition of fixed assets under Plan and Non-Plan, has not been considered as earmarked funds for specific usage since it is not fund meant for any specific asset but is fund of capital nature for acquisition of assets from general fund of MPEDA. Such Grants utilized for acquisition of assets (` 2,24,38,933.00) has been added to the Capital Fund.

2. The Organization has not created any capital reserves/revaluation reserves during the year. There is no General reserve created/appropriated.

3. During the year earmarked funds existing are viz.,

(a) Critical Infrastructure fund

The fund was received in 1998-1999 from MOC as grant - in - Aid. No receipt to the fund were made during the year. The fund was invested in shares of the Joint venture company (MIDCON). Income received during the year was NIL. No fund utilization was made during the year. Balance in the fund account as on 31.03.2013 is ` 2,50,00,000.00.

(b) Equity Participation Scheme

Balance in the fund account as on 31.03.2013 is ` 8,96,69,139.00 which included equity amount as well as interest. No utilization has been made from fund during 2012-2013. The share value has been taken at cost for ` 5,50,90,700.00. As the provision for increase in share value as per the arbitration awards and legal and administration expenses is calculated as ` 28,29,68,537.00 (for 20 companies) except M/s. Andaman Fisheries and M/s.Lakshadweep Shilpi.

The share value has been taken at cost for ` 5,50,90,700.00.

As per the direction from Ministry, MPEDA submitted the write off proposal in request of 15 companies who have submitted the undertaking in this regard to Govt of India. Decisions from the Ministry is awaited.

(c) ASIDE Fund

Balance in the fund account on 01.04.2012 was NIL. Fund received during the year from Government was ` 9,15,00,000.00. Income from investments for the year was NIL. The amount utilized during the year was ` 7,50,00,000.00 Balance in the fund account as on 31.03.2013 is ` 1,65,00,000.00.

(d) GPF Fund

The fund represents the accumulated contribution by employees and interest thereon. The total contribution by way of subscription and loan repayment aggregated to ` 3,51,76,259.00. Interest received for the year was ` 99,37,945.00. Accordingly total utilization for the year was ` 3,58,90,939.00. The balance in the fund account on 31.03.2013 is ` 11,61,33,820.00.

(ड.) पाकिस्तान में बंधक रखे गए मत्स्यन जलयानों के प्रतिस्थापन हेतु निधि (एम ओ ए)

दिनांक 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार इसके अंतर्गत शेष राशि ` 2,60,35,656.00 थी। इस वित्त वर्ष के दौरान इस स्कीम के लिए प्राप्त निधि ` 1,00,00,000.00 है। इस स्कीम के अंतर्गत पाकिस्तान में जब्त किए गए मत्स्यन जलयानों के प्रतिस्थापन हेतु प्रत्येक जलयान मालिक को प्रत्येक जलयान की लागत के 30% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो अधिकतम ` 6,00,000.00 होगी। वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि ` 3,48,00,000.00 थी। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि ` 12,35,656.00 है।

(च) अन्य निधियां

i. **अंक्टाड निधि**

दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार अंक्टाड निधि में शेष राशि ` 1,34,045.00 थी। वर्ष के दौरान प्राप्त निधि और वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि शून्य थी। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ` 1,34,045.00 है।

ii. **एम पी आर एन एल निधि**

दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार एम पी आर एन एल निधि में शेष राशि ` 7,94,974.00 थी। वर्ष के दौरान प्राप्त निधि ` 8,00,000.00 थी। वर्ष के दौरान ` 13,50,432.00 की राशि का उपयोग किया गया था और दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ` 2,44,542.00 है।

iii. **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि (एम ओ ए)**

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त निधि ` 4,60,00,000.00 थी। वर्ष के दौरान इस राशि का पूर्ण उपयोग किया गया था। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार शेष राशि शून्य है।

iv. **एन एफ डी बी निधि (ओ एफ डी)**

दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार शेष निधि ` 74,70,028.00 थी। सम्पूर्ण राशि एन एफ डी बी को लौटा दी गई थी। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि शून्य है।

v. **एन एफ डी बी निधि (जलकृषि बीमा)**

दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार निधि में शेष राशि ` 80,30,998.00 थी। जल कृषि बीमा हेतु एन एफ डी बी से ` 6,41,31,000.00 की राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान ` 3,09,15,500.00 का उपयोग किया गया था। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार इस निधि में शेष राशि ` 4,12,46,498.00 हे।

4. **स्थाई परिसम्पत्तियां**

(क) लेखा बहियों में स्थाई परिसंपत्तियों को अर्जन की लागत के साथसाथ अर्जन या निर्माण में उपगत प्रासंगिक या अनुषंगी व्यय में दर्ज किया जाता है। लेखाओं में मूल्य ह्रास को ह्रासित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) पद्धति के तहत प्रभारित किया गया है। परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास का प्रावधान आनुपातिक रूप से उनके अर्जन की तारीख से किया गया है। मूल्य ह्रास की दर संगठनों द्वारा निर्धारित की जाती है और स्थाई परिसंपत्तियों के प्रतीक्षित उपयोग/कार्य की अवधि के आधार पर डब्ल्यू डी वी में प्रभारित किया जाता है।

(ख) वर्ष के दौरान पुरानी परिसंपत्तियों के निपटान से ` 61,436.00 प्राप्त हुए थे। निपटान की तारीख के अनुसार निपटाई गई परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य ` 1,09,333.00 था।

(ग) मौजूदा लिफ्टों के प्रतिस्थापन हेतु सी पी डब्ल्यू डी को प्रदत्त अग्रिम ठेकेदार को प्रदत्त अग्रिम (प्राप्य लेखा-अन्य) माना गया था।

(घ) स्थाई परिसंपत्ति की अनुसूची में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदत्त पट्टा भूमि पर सूखा मत्स्य भंडार तूतीकोरिन शामिल है। इस भंडार का निर्माण पूरा होने पर इसे प्रबंधन हेतु टी एन एफ डी सी को सौंप दिया गया था।

(e) Fund for Replacement of Fishing Vessels held in Captivity in Pakistan (MOA)

Balance under this as on 01.04.2012 was ` 2,60,35,656.00. Fund received for the scheme during the financial year was ` 1,00,00,000.00. Under this scheme capital subsidy of 30% cost of each vessel subject to a ceiling of ` 6,00,000.00 will be provided to each vessel owner for replacement of fishing vessels seized in Pakistan. The amount utilized during the year was ` 3,48,00,000.00 Balance in the fund as on 31.03.2013 is ` 12,35,656.00.

(f) Other Funds

i. **UNCTAD FUND**

Balance under UNCTAD Fund as on 01.04.2012 was ` 1,34,045.00. Fund received during the year and the amount utilised during the year was Nil. The balance as on 31.03.2013 is ` 1,34,045.00.

ii. **MPRNL FUND**

Balance under MPRNL fund as on 01.04.2012 was ` 7,94,974.00. Fund received during the year was ` 8,00,000.00. An amount of ` 13,50,432.00 was utilized during the year and balance as on 31.03.2013 is ` 2,44,542.00.

iii. **Prime Minister's National Relief FUND (MOA)**

Fund received during the year 2012-13 was ` 4,60,00,000.00. The amount was fully utilized during the year. Balance as on 31.03.2013 is NIL.

iv. **NFDB FUND (OFD)**

The Balance fund as on 01.04.2012 was ` 74,70,028.00. The fund was fully returned to NFDB. Balance in the fund as on 31.03.2013 is NIL.

v. **NFDB FUND (AQ Insurance)**

Balance in the fund as on 01.04.2012 was ` 80,30,998.00. A sum of ` 6,41,31,000.00 was received from NFDB for Aquaculture Insurance. Utilization during 2012-13 was ` 3,09,15,500.00. The Balance under this fund as on 31.03.2013 is ` 4,12,46,498.00.

4. **Fixed Assets**

(a) Fixed Assets are recorded in the books of Accounts at its cost of acquisition together with expenditure incurred incidental or ancillary to acquisition or construction. Depreciation has been charged in the Accounts under Written Down Value (WDV) method. Depreciation has been provided proportionately on assets from the date of its acquisition. Rate of depreciation is fixed by the organizations and charged under WDV basis based on the expected utilization/life time of the fixed assets.

(b) During the year old assets disposed off realized ` 61,436.00. Book value of disposed assets as on the date of disposal was ` 1,09,333.00.

(c) The advance given for CPWD for replacing existing lifts was considered as advance to contractor (Accounts Receivable- Others).

(d) The fixed asset schedule include the Dry Fish Storage Tuticorin on the leasehold land given by Tamil Nadu Government. On completion of construction the storage was handed over to the TNFDC for management.

5. उद्दिष्ट/स्थायी निधि का निवेश - दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार

निधियों और निवेश की पद्धति का ब्यौरा संक्षेप में निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि	`	निवेश	`
(क)	(i) आकस्मिक अवसंरचना निधि	2,50,00,000.00	संयुक्त उद्यम के शेयरों में निवेश	2,50,00,000.00
(ख)	ई पी एस निधि	89669139.00	(1) इक्विटी शेयरों में निवेश (शेयरों के मूल्य में वृद्धि सहित)	5,54,90,700.00
			(2) ईपीएस सावधि जमा	0.00
			(3) चालू खाते	3,41,78,439.00
(ग)	एसाइड केंद्रीय निधि	1,65,00,000.00	चालू खाता	1,65,00,000.00
(घ)	जी पी एफ निधि	11,61,33,820.00	जी पी एफ	12,00,41,099.00
(ड.)	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि (एमपीआरएनएल)	2,44,542.00	एस बी टी में चालू खाता	2,44,542.00
(च)	मत्स्यन जलयान प्रतिस्थापन निधि	12,35,656.00	एस बी टी में चालू खाता	12,35,656.00
(छ)	अंक्टाड	1,34,045.00	एस बी टी में चालू खाता	1,34,045.00
(ज)	एनएफडीबी निधि (जलकृषि)	4,12,46,498.00	एस बी टी में चालू खाता	4,12,46,498.00

अंक्टाड, एम पी आर एन एल, एन एफ डी बी तथा मत्स्यन जलयान प्रतिस्थापन निधि में शेष राशि का निवेश सावधि जमा में नहीं किया गया है क्योंकि ये चालू खाते हैं जिनमें से राजस्व स्वरूप का भुगतान समय समय पर करना होता है।

6. दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार स्टॉक एवं कलपुर्जे ` 40,50,146.00 के हैं जिनमें शामिल हैं:

i)	समूल्य प्रकाशन प्रपत्र एवं लेखन सामग्री का स्टॉक	-	` 4013883.00
ii)	स्टाम्प स्टॉक	-	` 36263.00
	कुल	-	` 4050146.00

स्टॉक एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

7. क) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में दर्शाई गई बकाया ` 33,61,439.00 की राशि से कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न अग्रिम अभिप्रेत हैं। मूलधन की वसूली पहले की जाती है। ब्याज की वसूली संपूर्ण मूलधन चुकता होने के बाद ही की जाती है। ब्याज आय को केवल प्राप्ति आधार पर स्वीकार किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया के समान वर्ष के लिए प्राप्य राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख) एम्पीडा प्रत्येक वर्ष उस वर्ष विशेष के लिए कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की पूर्ति हेतु गैरयोजना के अंतर्गत बजट प्रावधान करता है और व्यय की पूर्ति मंत्रालय द्वारा गैरयोजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों से की जाती है। ऐसा ही वर्ष 2012-13 के दौरान भी किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2009-10 से कर्मचारियों को देय सेवा निवृत्ति लाभों का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नया बीमांकिक मूल्यांकन किया

5. Earmarked/Endowment Fund Investments-as on 31.03.2013

Break up of Funds and the pattern of Investment is briefly stated below:-

Sl. No.	Fund	`	Investment	`
(a)	(i) Critical infrastructure Fund	2,50,00,000.00	Invested in shares of joint venture	2,50,00,000.00
(b)	EPS Fund	8,96,69,139.00	(1) Invested in Equity Shares (including increase in value of shares)	5,54,90,700.00
			(2) EPS Fixed Deposit	0.00
			(3) Current A/cs	3,41,78,439.00
(c)	ASIDE Central Fund	1,65,00,000.00	Current Account	1,65,00,000.00
(d)	GPF Fund	11,61,33,820.00	GPF	12,00,41,099.00
(e)	Indian Agriculture Research Fund (MPRNL)	2,44,542.00	Current Account at SBT	2,44,542.00
(f)	Fund for Replacement of Fishing Vessel	12,35,656.00	Current Account at SBT	12,35,656.00
(g)	UNCTAD	1,34,045.00	Current Account at SBT	1,34,045.00
(h)	NFDB Fund (AQ)	4,12,46,498.00	Current Account at SBT	4,12,46,498.00

The balance of funds remaining in the UNCTAD, MPRNL, NFDB and Fund for Replacement of Fishing Vessel funds have not been invested in Fixed Deposits as these are running accounts from which payment of revenue nature have to be made periodically.

6. **Stock and Spares as on 31.03.2013 is ` 40,50,146.00 includes:-**

(i)	Stock of priced pub forms & Stationary	-	` 40,13,883.00
(ii)	Stock of Stamp	-	` 36,263.00
	Total	-	` 40,50,146.00

Stock and spares are valued at cost.

7. (a) A sum of ` 33,61,439.00 shown outstanding towards loans and advances to staff refers to various advances provided to staff. The recovery of principal is made first. Interest repayment is made only after principal is fully repaid. Interest income is recognized only on receipt basis. No provision is made for receivables for the year as is the normal practice.

(b) Every year MPEDA makes Budget provision under Non-Plan for meeting Pension and other retirement benefits to the staff for that particular year and the expenditure is met from the funds released by the Ministry under Non-Plan. The same was done during the year 2012-13 also. In addition to this, the retirement benefits payable to employees have been provided on actuarial valuation basis from 2009-10 onwards. During the year 2012-13 a fresh actuarial valuation for

गया है और लेखाबहियों में प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभों के लिए कोई पृथक आरक्षित निधि नहीं है और इसे आय तथा व्यय लेखे के अधीन दर्ज नहीं किया जाता है। ये प्रतिबद्धताएं सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदत्त निधियों के अधीन हैं।

8. वर्ष के दौरान भागीदारों (निर्यातकों) से वसूल किए गए स्टॉल किराया और स्टॉल पंजीकरण शुल्क योजना शीर्ष व्यापार मेले (अन्य व्यय) के अंतर्गत लिया गया है और इस प्रकार संलग्नक - 19 में अन्य व्यय के अंतर्गत कुल व्यय को केवल निवल आंकड़ों में दार्शाया गया है।

9. सावधि जमा पर अर्जित ब्याज विभागीय प्राप्तियों के अंतर्गत लिया जाता है।

10. समस्त विभागीय आय (आई ई बी आर) गैरयोजना के अंतर्गत ली गई थी।

11. अनुदानों, इमदादों पर व्यय (अनुसूची 22) में स्थापना/प्रशासन तथा परिसंपत्तियों के अर्जन पर किया गया योजना व्यय शामिल नहीं है।

12. एच ए सी सी पी विभागीय प्राप्तियां जोखिम विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण कार्यक्रम और अन्य गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के भागीदारों से वसूल किए गए शुल्क को दर्शाता है। इसे (संलग्नक - 12) में सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क प्राप्ति में आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

13. ` 21,30,529.00 के डी सी पी एस अंशदान से उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लाभार्थ अंशदायी पेंशन स्कीम में नियोक्ता का अंशदान अभिप्रेत है। दिनांक 31.3.2013 तक की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान के साथसाथ कर्मचारी के हिस्से के रूप में प्राप्त अंशदान अनुमोदित निधि प्रबंधकों (बैंक ऑफ इंडिया, एर्णाकुलम) को अंतरित किया जा चुका है।

14. अनुदान/सब्सिडी

क) वर्ष के दौरान ` 3,30,00,000.00 की राशि का वितरण नेटफिश तथा नाक्सा को सहायता के रूप में किया गया है। इसके अलावा, ` 35.00 करोड़ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप हेतु राजीव गांधी जल कृषि केंद्र को सहायता के रूप में प्रदान किए गए थे।

ख) वर्ष के लिए वितरित की गई कुल सब्सिडी ` 21,91,06,293.00 है। वितरण को दर्शाने वाली एक सूची संलग्नक - 18 के रूप में अलग से संलग्न की गई है। जो व्यय सब्सिडी से जुड़े कार्यकलाप के लिए/उससे संबंधित था परन्तु जिसे प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी सहायता नहीं माना जा सका, उसे संलग्नक - 19 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

15. प्राधिकरण वर्ष 200708 से आय एवं व्यय तथा तुलन पत्र तैयार करने में लेखा-विधि के प्रोद्भवन आधार का पालन करता है।

16. भारत इन्फोफिश की शासी परिषद का एक सदस्य है। भारत का सदस्यता अंशदान प्रतिवर्ष 25,000.00 यु एस डॉलर निर्धारित किया गया है और इसका भुगतान वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया जाता है। चूंकि यह एक एकमुश्त भुगतान है और सतत स्वरूप का है इसलिए इसे पूर्व प्रदत्त व्यय नहीं माना जाता है।

17. अधिकांश निवेश अल्पावधि निक्षेप में किए गए थे। तथापि ` 11,64,57,826.00 के कुल जी पी एफ निक्षेप में से 80.00 लाख रूपए की राशि मई, 2005 में दस वर्षीय जमा में रखी गई है।

18. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार जोडा गया है।

प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी | सचिव | अध्यक्ष

the retirement benefits payable to employees as on 31.3.2013 has been made and provisions made in the books of accounts. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits and not charged under Income & Expenditure Account. The commitments are subjected to release of funds by the Government towards the specific purpose.

8. The stall rentals and registration fee for stalls recovered from the participants (exporters) during the year have been taken under the plan head Trade Fairs (Other Expenses) and thus the total expenditure under other expenses in Annexure 19 is shown the net figure only.

9. The interest earned on fixed deposits are taken under departmental receipts.

10. All departmental incomes (IEBR) were taken under non-plan.

11. The expenditure on grants, subsidies (Schedule 22) does not include plan expenditure on establishment/administration and acquisition of assets.

12. HACCP Department receipts represent fees collected from participants of training programme on Hazard Analysis Critical Control Programme and other quality control programme. The same is accounted as income in seminar/programme fee receipts in (Annexure-12).

13. DCPS contribution of ` 21,30,529.00 refers to contribution of the employer to contributory Pension Scheme for the benefit of employees falling under the category. Contribution received as employee's share together with employer's contribution for the period up to 31.03.2013 have already been transferred to the approved Fund Managers (Bank of India, Ernakulam).

14. Grants/Subsidies

(a) An amounts of ` 3,30,00,000.00 have been disbursed during the year as assistance to NETFISH and NaCSA . Further, ` 35.00 crore was given as Assistance to Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture towards Research and Development activity.

(b) Total subsidy disbursed for the year is ` 21,91,06,293.00 A list showing disbursement is annexed separately vide Annexure-18. Expenditure which were attributable/related to subsidy related activity but could not be directly considered as subsidy assistance have been classified under Annexure 19.

15. The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income & Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08.

16. India is a member of the governing council of INFOFISH. India's membership contribution is fixed at US $ 25,000.00 every year and the payment is made during the last quarter of the year. As this is a one time payment and is a continuing nature, this is not considered as pre-paid expense.

17. Most of the investments were on short term deposits. However, out of the total deposit of ` 11,64,57,826.00 of GPF, an amount of ` 80.00 lakh is kept for 10 years deposit in May 2005.

18. The figures have been clubbed together wherever necessary.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER I/C	SECRETARY	CHAIRMAN

संलग्नक - 1 - उद्धिष्ट / स्थाई निधि

		आकस्मिक अवसंरचना निधि	ई पी एस निधि	एसाइड केन्द्रीय निधि	जी पी एफ निधि	मत्स्यन जलयान प्रतिस्थापन निधि	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि (एम पी आर एन एल)	अन्य (अंकटाड)	राष्ट्रीय मात्स्यि की बोर्ड निधि (ओ एफ डी)	राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्डनिधि (जल कृषि बीमा)	पी एम एन आर निधि	कुल
क)	निधियों का अथशेष्	25000000	87917026	0	106910555	26035656	794974	134045	7470028	8030998	0	262293282
ख)	निधियों में परिवर्धन											
	(i) दान/अनुदान	0	0	91500000	0	10000000	800000	0	0	64131000	46000000	212431000
	(ii) निधियों से किए गए निवेश से आय	0	1752113	0	26725818	0	0	0	0	0	0	28477931
	(iii) अन्य परिवर्धन	0	0	0	18388386	0	0	0	0	0	0	18388386
	कुल (क)+(ख)	**25000000**	**89669139**	**91500000**	**152024759**	**36035656**	**1594974**	**134045**	**7470028**	**72161998**	**46000000**	**521590599**
ग)	निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग /व्यय											
i.	पूंजी व्यय											
	- स्थाई परिसंपत्तियां											
	- अन्य	0	0	75000000	0	34800000	0	0		30915500	46000000	186715500
	कुल	**0**	**0**	**75000000**	**0**	**34800000**	**0**	**0**		**30915500**	**46000000**	**186715500**
ii.	राजस्व व्यय											0
	- वेतन, मजदूरी व भत्ते आदि	0	0	0	0	0	918172	0	0	0	0	918172
	- किराया	0	0	0	0	0	0	0				0
	- अन्य प्रशासनिक व्यय	0	0	0	0	0	432260	0	0	0	0	432260
	- वापसी/ प्रावधान	0	0	0	35890939	0	0	0	7470028	0	0	43360967
	अन्य - (ईपीएस)				0							0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**35890939**	**0**	**1350432**	**0**	**7470028**	**0**	**0**	**44711399**
	कुल (ग)	**0**	**0**	**75000000**	**35890939**	**34800000**	**1350432**	**0**	**7470028**	**30915500**	**46000000**	**231426899**
	वर्षांत में निवल शेष (क)+(ख)-(ग)	**25000000**	**89669139**	**16500000**	**116133820**	**1235656**	**244542**	**134045**	**0**	**41246498**	**0**	**29016370**

Annexure - 1 - Earmarked / Endowment funds

		Critical Infrastructure Fund	EPS Fund	ASIDE Central Fund	GPF FUND	Fund for replacement of Fishing Vessel	Indian Agri. Research Fund (MPRNL)	Others (UNCTAD)	National Fisheries Board Fund (OFD)	National Fisheries Board Fund (AQ Insurance)	PMNR FUND	TOTAL
a)	Opening balance of the funds	25000000	87917026	0	106910555	26035656	794974	134045	7470028	8030998	0	262293282
b)	Additions to the funds											
	(i) Donations / grants	0	0	91500000	0	10000000	800000	0	0	64131000	46000000	212431000
	(ii) Income from investment made out of funds	0	1752113	0	26725818	0	0	0	0	0	0	28477931
	(iii) Other additions	0	0	0	18388386	0	0	0	0	0	0	18388386
	TOTAL (a)+(b)	**25000000**	**89669139**	**91500000**	**152024759**	**36035656**	**1594974**	**134045**	**7470028**	**72161998**	**46000000**	**521590599**
c)	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds											
I.	Capital Expenditure											
	- Fixed Assets											
	- Others	0	0	75000000	0	34800000	0	0		30915500	46000000	186715500
	Total	**0**	**0**	**75000000**	**0**	**34800000**	**0**	**0**		**30915500**	**46000000**	**186715500**
ii.	Revenue Expenditure											0
	- Salaries, Wages and allowances etc	0	0	0	0	0	918172	0	0	0	0	918172
	- Rent	0	0	0	0	0	0	0				0
	- Other Administrative Expenses	0	0	0	0	0	432260	0	0	0	0	432260
	- Refund/provisions	0	0	0	35890939	0	0	0	7470028	0	0	43360967
	Others - (EPS)				0							0
	Total	**0**	**0**	**0**	**35890939**	**0**	**1350432**	**0**	**7470028**	**0**	**0**	**44711399**
	TOTAL (c)	**0**	**0**	**75000000**	**35890939**	**34800000**	**1350432**	**0**	**7470028**	**30915500**	**46000000**	**231426899**
	NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a)+(b)-(c)	**25000000**	**89669139**	**16500000**	**116133820**	**1235656**	**244542**	**134045**	**0**	**41246498**	**0**	**290163700**

अनुसूचियों के अनुबंध

संलग्नक - 2

प्राप्त अग्रिम	31.03.2013	31.03.2012
ई एम डी मुख्यालय	1635142	6814406
ई एम डी क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची	0	1630
प्रतिभूति निक्षेप मुख्यालय	1511511	1391510
कुल	**3146653**	**8207546**

संलग्नक - 3

सांविधिक देयताएं	31.03.2013	31.03.2012
प्रतिनियुक्ति पर सी जी आई एस / एल आई सी	20688	24925
डी सी पी एस अंशदाई भविष्य निधि वसूली	2399710	2549570
जी आई एस सामूहिक बीमा योजना	111602	24740
जी पी एफ अंशदान प्रतिनियुक्ति	67000	51300
प्रतिनियुक्ति पर जी पी एफ ऋण वसूली	8200	12265
आय कर	368033	137500
व्यवसाय कर (वेतन वसूली के अलावा)	790	7696
छुट्टी वेतन व पेंशन	5390771	3853756
कुल	**8366794**	**6661752**

संलग्नक - 4

अन्य चालू देयताएं	31.03.2013	31.03.2012
न्यायालय कुर्की	24982	5398
केंद्रीय सेवा सहकारी सोसाइटी	1593094	1524879
एचडीएफसी	2917	2917
एलआईसी	252678	245850
प्रतिनियुक्ति पर एम सी ए	4450	4450
एमपीडा उपभोक्ता सोसाइटी	1800	1800
एमपीडा कर्मचारी कल्याण निधि	212218	229984
देय वेतन	7186674	2284455
स्टाफ क्लब अंशदान	5430	9850
अर्बन को-आपरेटिव सोसाइटी	55555	67492
बकाया व्यय	3830940	3162159
प्रतिनियुक्ति पर एच बी ए	12000	12000
एच आर डी	26023	3038
अन्य वसूलियां	91727	0
अन्य (देय लेखे)	11223892	13683109
अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2013	116066	0
नाक्सा - योजनाएं	1261183	0
वृत्तिक कर	64676	0
कुल	**25966305**	**21237381**

Annexure - 2 - Annexures to Schedules

Advances Received		31.03.2013	31.03.2012
EMD	HO	1635142	6814406
EMD	RO Kochi	0	1630
Security Deposit	HO	1511511	1391510
TOTAL		**3146653**	**8207546**

Annexure - 3

Statutory Liabilities	31.03.2013	31.03.2012
CGIS / LIC on Deputaion	20688	24925
DCPS. Contributory PF Recovery	2399710	2549570
GIS Group Insurance Scheme	111602	24740
GPF Subscription Deputation	67000	51300
GPF Loan Recovery on Deputation	8200	12265
Income Tax	368033	137500
Professsional tax (other than salary recovery)	790	7696
Leave Salary & Pension	5390771	3853756
TOTAL	**8366794**	**6661752**

Annexure - 4

Other Current Liabilities	31.03.2013	31.03.2012
Court attachment	24982	5398
Central Service Co-operative Society	1593094	1524879
HDFC	2917	2917
LIC	252678	245850
MCA on deputation	4450	4450
MPEDA Consumer Society	1800	1800
MPEDA Employees welfare Fund	212218	229984
Salary payable	7186674	2284455
Staff Club Subscription	5430	9850
Urban Cooperative Society	55555	67492
Outstanding expenses	3830940	3162159
HBA on deputation	12000	12000
HRD	26023	3038
Other Recoveries	91727	0
Others (Accounts Payable)	11223892	13683109
Aqua Aquaria India 2013	116066	0
NaCSA - Schemes	1261183	0
Professional Tax	64676	0
TOTAL	**25966305**	**21237381**

संलग्नक - 5

ईपीएस इक्विटी सहभागिता निधि निवेश	31.03.2013	31.03.2012
लागत पर इक्विटी शेयरों में ईपीएस निवेश		
अंडमान फिशरीज़, पोर्ट ब्लेअर	330000	330000
बे लाइनर्स, हैदराबाद	2700000	2700000
ब्लू गोल्ड मैरिटेक, मद्रास	500000	500000
कोरोमंडल फिशरीज़, हैदराबाद	2475000	2475000
डीसीएल मैरीटेक, हैदराबाद	3500000	3500000
फिशिंग फाल्कन्स लिमिटेड, हैदराबाद	4900000	4900000
इंडो एक्वाटिक, हैदराबाद	3600000	3600000
इंटग्रेटेड रूबियन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	3000000	3000000
कल्याण सी फूड्स, हैदराबाद	3448000	3448000
किंग इन्टरनेशनल अक्वा मरीन, क्विलोन	5000000	5000000
कोलुत्तरा एक्सपोर्ट्स, कोचीन	290000	290000
लक्षद्वीप शिल्पी अक्वा, कोचीन	3000000	3000000
ओशियानिक एन्टरप्राइसेस, भुवनेश्वर	0	0
ओशियन बाउंटी, कोचीन	440000	440000
सुदेश सी फूड्स, मुंबई	3600000	3600000
सुमुरा मारीटाइम ट्रेड्स, हैदराबाद	1207700	1207700
सूर्य चक्र सीफूड्स, हैदराबाद	2500000	2500000
सुवर्णा अक्वा फार्म्स, हैदराबाद	5000000	5000000
टेक्नोमिन अक्वा एक्सपोर्ट्स, विजयवाड़ा	1600000	1600000
तिरूमाला फुजी टेक, हैदराबाद	5000000	5000000
विजया श्रिम्प फार्म, हैदराबाद	2500000	2500000
समुदिरा मरीन फार्म्स	500000	500000
कुल	**55090700**	**55090700**

संलग्नक - 6

अन्य	31.03.2013	31.03.2012
ईपीएस सावधि जमा	0	32426326
एफडी सामान्य भविष्य निधि	116457826	103015702
बचत बैंक खाता सामान्य भविष्य निधि	3583273	7817859
कुल	**120041099**	**143259887**

Annexure - 5

EPS - Equity Participation Fund Investment	31.03.2013	31.03.2012
EPS Investment in Equity shares at cost		
Andaman Fisheries, Port Blair	330000	330000
Bay Liners, Hyderabad	2700000	2700000
Blue Gold Maritech, Madras	500000	500000
Coromandel Fisheries, Hyderabad	2475000	2475000
DCL Maritech, Hyderabad	3500000	3500000
Fishing Falcons Ltd, Hyderabad	4900000	4900000
Indo Aquatics, Hyderabad	3600000	3600000
Integrated Rubian Exports Ltd	3000000	3000000
Kalyan sea foods, Hyderabad	3448000	3448000
King International Aqua Marine, Quilon	5000000	5000000
Koluthara Exports, Cochin	290000	290000
Lakshadeep Shilpi Aqua, Cochin	3000000	3000000
Oceanic Enterprises, BBNSR	0	0
Ocean Bounty, Cochin	440000	440000
Sudhesh Sea Foods, Bombay	3600000	3600000
Summura Maritime Trades, Hyderabad	1207700	1207700
Surya chakra Sea Foods, Hyderabad	2500000	2500000
Suvarna Aqua Farms, Hyderabad	5000000	5000000
Technomin Aqua Exports, Vijayawada	1600000	1600000
Thirumala Fuji Tech, Hyderabad	5000000	5000000
Vijaya Shrimp Farm, Hyderabad	2500000	2500000
Samudira Marine Farms	500000	500000
TOTAL	**55090700**	**55090700**

Annexure - 6

Others		31.03.2013	31.03.2012
EPS	Fixed Deposit	0	32426326
FD	GPF	116457826	103015702
SB A/C	GPF	3583273	7817859
TOTAL		**120041099**	**143259887**

संलग्नक - 7 क

नकद शेष		31.03.2013	31.03.2012
नकद खाता	(मुख्यालय)	31433	2249
क्षेत्रीय केंद्र	पनवेल	0	0
क्षेत्रीय केंद्र	कोच्ची	0	15861
क्षेत्रीय केंद्र	भुवनेश्वर	0	0
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकाता	0	15000
क्षेत्रीय कार्यालय	कोचीन	4588	39469
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नै	3190	0
क्षेत्रीय कार्यालय	वेरावल	1450	250
उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	1000	0
कुल		**41661**	**72829**

संलग्नक - 7 ख

अग्रदाय नकद शेष		31.03.2013	31.03.2012
अग्रदाय नकद लेखा मुख्यालय		54	641
प्रयोगशाला	भीमवारम	933	800
प्रयोगशाला	नेल्लोर	488	471
क्षेत्रीय केंद्र	पनवेल	124	246
क्षेत्रीय केंद्र	कोच्ची	725	726
क्षेत्रीय केंद्र	तंजावुर	196	500
क्षेत्रीय केंद्र	वलसाड	244	440
क्षेत्रीय केंद्र	विजयवाड़ा	200	33
क्षेत्रीय केंद्र	भुवनेश्वर	0	385
क्षेत्रीय कार्यालय	मुम्बई	264	500
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकाता	299	270
क्षेत्रीय कार्यालय	कोचीन	1464	1094
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नै	333	99
क्षेत्रीय कार्यालय	वेरावल	268	150
क्षेत्रीय कार्यालय	विज़ाग	320	295
उप क्षेत्रीय केंद्र	भीमावरम	309	136
उप क्षेत्रीय केंद्र	कोलकाता	368	142
उप क्षेत्रीय केंद्र	कन्नूर	500	457
उप क्षेत्रीय केंद्र	कारवार	15	46
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गुवाहाटी	393	459
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गोवा	615	507
उप क्षेत्रीय कार्यालय	मैंगलोर	344	271
उप क्षेत्रीय कार्यालय	भुवनेश्वर	155	70
उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	155	8
उप क्षेत्रीय कार्यालय	तूतीकोरिन	490	278
टीपीओ	नई दिल्ली	8	143
कुल		**9264**	**9167**
कुल अनुसूची 7 क + 7 ख का कुल		**50925**	**81996**

Annexure - 7 A

Cash Balance		31.03.2013	31.03.2012
Cash	Account (Head office)	31433	2249
RC	Panvel	0	0
RC	Kochi	0	15861
RC	Bhubaneswar	0	0
RO	Kolkata	0	15000
RO	Cochin	4588	39469
RO	Chennai	3190	0
RO	Veraval	1450	250
SRO	Kollam	1000	0
TOTAL		**41661**	**72829**

Annexure - 7 B

Imprest Cash Balance		31.03.2013	31.03.2012
Imprest	Cash Account - HO	54	641
Lab	Bhimavaram	933	800
Lab	Nellore	488	471
RC	Panvel	124	246
RC	Kochi	725	726
RC	Thanjavur	196	500
RC	Valsad	244	440
RC	Vijayawada	200	33
RC	Bhubaneswar	0	385
RO	Mumbai	264	500
RO	Kolkata	299	270
RO	Cochin	1464	1094
RO	Chennai	333	99
RO	Veraval	268	150
RO	Vizag	320	295
SRC	Bhimavaram	309	136
SRC	Kolkata	368	142
SRC	Kannur	500	457
SRC	Karwar	15	46
SRO	Guwahati	393	459
SRO	Goa	615	507
SRO	Mangalore	344	271
SRO	Bhubaneswar	155	70
SRO	Kollam	155	8
SRO	Tuticorin	490	278
TPO	New Delhi	8	143
TOTAL		**9264**	**9167**
Total of Schedule 7A + 7B		**50925**	**81996**

संलग्नक - 8

बैंक में नकद		31.03.2013	31.03.2012
एक्सिस बैंक - एर्णाकुलम		1450187	0
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - एर्णाकुलम		14833	24833
एसबीटी	पनंपिल्ली नगर	88863789	50760957
एसबीआई	विल्लिंगटन आइलैंड - विदेशी शाखा	0	87427
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - नई दिल्ली		11058	11058
प्रयोगशाला	भीमावरम	179768	462973
प्रयोगशाला	नेल्लोर	111246	81381
क्षेत्रीय केंद्र	पनवेल	337538	49758
क्षेत्रीय केंद्र	भुवनेश्वर	57808	21085
क्षेत्रीय केंद्र	कोचीन	212275	12730
क्षेत्रीय केंद्र	तंजावुर	397374	161465
क्षेत्रीय केंद्र	वलसाड	339987	118507
क्षेत्रीय केंद्र	विजयवाड़ा	254955	93319
क्षेत्रीय कार्यालय	मुम्बई	301222	358677
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकाता	26449	885804
क्षेत्रीय कार्यालय	कोचीन	373961	108673
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नै	231317	128670
क्षेत्रीय कार्यालय	वेरावल	329704	657764
क्षेत्रीय कार्यालय	विजाग	207902	153944
उप क्षेत्रीय केंद्र	भीमावरम	138049	55032
उप क्षेत्रीय केंद्र	कोलकाता	60907	444167
उप क्षेत्रीय केंद्र	कन्नूर	51486	22691
उप क्षेत्रीय केंद्र	कारवार	489496	190365
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गुवाहाटी	41746	96043
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गोवा	73627	82574
उप क्षेत्रीय कार्यालय	मंगलौर	403724	109456
उप क्षेत्रीय कार्यालय	भुवनेश्वर	169511	268597
उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	81277	68960
उप क्षेत्रीय कार्यालय	तूतीकोरिन	93091	80927
टीपीओ	नई दिल्ली	476290	262356
टीपीओ	न्यूयोर्क	5680818	6552951
टीपीओ	टोक्यो	37910	3354728
कुल		**101499305**	**65767872**

Annexure - 8

Cash At Bank		31.03.2013	31.03.2012
Axis Bank - Ernakulam		1450187	0
Central Bank of India - Ernakulam		14833	24833
SBT	Panampilly Nagar	88863789	50760957
SBI	W-Island - Overseas Branch	0	87427
Central Bank of India - New Delhi		11058	11058
Lab	Bhimavaram	179768	462973
Lab	Nellore	111246	81381
RC	Panvel	337538	49758
RC	Bhubaneswar	57808	21085
RC	Cochin	212275	12730
RC	Thanjavur	397374	161465
RC	Valsad	339987	118507
RC	Vijayawada	254955	93319
RO	Mumbai	301222	358677
RO	Kolkata	26449	885804
RO	Cochin	373961	108673
RO	Chennai	231317	128670
RO	Veraval	329704	657764
RO	Vizag	207902	153944
SRC	Bhimavaram	138049	55032
SRC	Kolkata	60907	444167
SRC	Kannur	51486	22691
SRC	Karwar	489496	190365
SRO	Guwahati	41746	96043
SRO	Goa	73627	82574
SRO	Mangalore	403724	109456
SRO	Bhubaneswar	169511	268597
SRO	Kollam	81277	68960
SRO	Tuticorin	93091	80927
TPO	New Delhi	476290	262356
TPO	New York	5680818	6552951
TPO	Tokyo	37910	3354728
TOTAL		**101499305**	**65767872**

संलग्नक - 9

ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां	31.03.2013	31.03.2012
कर्मचारी		
कंप्यूटर अग्रिम	756287	492230
गृह निर्माण अग्रिम	1718801	2514751
मोटरकार अग्रिम	78375	204285
स्कूटर अग्रिम	577260	502566
साइकिल अग्रिम	2275	3475
त्योहार अग्रिम	149150	173645
एलटीसी अग्रिम	0	2547900
दौरा अग्रिम	46291	62900
समायोज्य अग्रिम	33000	57500
विशेष अग्रिम (ओणम)	0	0
कुल	**3361439**	**6559252**

संलग्नक - 10

निक्षेप		31.03.2013	31.03.2012
विद्युत	निक्षेप, मुख्यालय	254372	242992
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	34080	34080
विद्युत	निक्षेप, टी सी ए वल्लारपदम (क्षे.के.)	164250	164250
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केंद्र, कन्नूर	212281	212281
विद्युत	निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लोर	44000	44000
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, तंजावुर	36474	36474
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, वलसाड	94517	94517
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	510989	483475
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलौर	64659	64659
गैस	निक्षेप, टीसीए वल्लारपदम (क्षे.के.)	8900	10900
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलौर	3550	3550
गैस	निक्षेप, मुख्यालय	6523	6523
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	3000	3000
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	2550	2550
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	5000	5000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम	1500	1500
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	20000	20000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, तूतीकोरिन	1600	1600
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, तंजावुर	10000	10000

Annexure - 9

Loans, Advances & Other Assets		31.03.2013	31.03.2012
Staff			
Computer	Advance	756287	492230
House Building	Advance	1718801	2514751
Motor Car	Advance	78375	204285
Scooter	Advance	577260	502566
Bicycle	Advance	2275	3475
Festival	Advance	149150	173645
LTC	Advance	0	2547900
Tour	Advance	46291	62900
Adjustable	Advance	33000	57500
Special	Advance (Onam)	0	0
TOTAL		**3361439**	**6559252**

Annexure - 10

Deposits		31.03.2013	31.03.2012
Electricity	Deposit, HO	254372	242992
Electricity	Deposit, RO Mumbai	34080	34080
Electricity	Deposit, TCA Vallarpadom (RC)	164250	164250
Electricity	Deposit, SRC Kannur	212281	212281
Electricity	Deposit, Lab Nellore	44000	44000
Electricity	Deposit, RC Thanjavur	36474	36474
Electricity	Deposit, RC Valsad	94517	94517
Electricity	Deposit, SRO BBSR	510989	483475
Electricity	Deposit, SRO Mangalore	64659	64659
GAS	Deposit, TCA Vallarpadom (RC)	8900	10900
GAS	Deposit, SRO Mangalore	3550	3550
GAS	Deposit, HO	6523	6523
GAS	Deposit, RO Cochin	3000	3000
GAS	Deposit, RO Vizag	2550	2550
GAS	Deposit, RO Mumbai	5000	5000
GAS	Deposit, SRO Quilon	1500	1500
GAS	Deposit, SRO BBSR	20000	20000
GAS	Deposit, SRO Tuticorin	1600	1600
GAS	Deposit, RC Thanjavur	10000	10000

गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केंद्र, कन्नूर	5000	5000
पेट्रोल	निक्षेप, मुख्यालय	56160	56160
पेट्रोल	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, कोचीन	10000	10000
किराया	निक्षेप, मुख्यालय	47234	47234
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र / पीएफ, भुवनेश्वर	548640	548640
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	91362	91362
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	175000	180000
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	110340	110340
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै	330000	330000
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल	30000	30000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केंद्र, कारवार	50000	50000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, तूतीकोरिन	20000	20000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा	36000	36000
किराया	निक्षेप, टीपीओ, न्यूयोर्क कार्यालय	457600	457600
किराया	निक्षेप, टीपीओ, टोक्यो	1594165	1594165
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, तंजावुर	91200	91200
किराया	निक्षेप, टीपीओ, नई दिल्ली	926884	926884
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, पनवेल	151032	151032
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, विजयवाड़ा	52500	52500
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन	191250	191250
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	54000	15000
किराया	निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लोर	136500	136500
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	23352	23352
टेलीफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल	10000	10000
टेलीफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै	3033	3033
टेलीफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, वलसाड	10619	10619
टेलीफोन	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केंद्र, कारवार	220	220
टेलीफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	7632	7632
टेलीफोन	निक्षेप, मुख्यालय	19494	21663
टेलीफोन	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केंद्र, कन्नूर	4000	4000
टेलीफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची	11030	11030
टेलीग्राम	निक्षेप, मुख्यालय	26240	26240
टेलीग्राम	निक्षेप, क्षेत्रीय केंद्र, विजयवाड़ा	324	324
टेलीग्राम	निक्षेप, तंजावुर	2200	2200
कुल		**6761256**	**6692531**

GAS	Deposit, SRC Kannur	5000	5000
Petrol	Deposit, HO	56160	56160
Petrol	Deposit, RC Cochin	10000	10000
Rent	Deposit, HO	47234	47234
Rent	Deposit, RC/PF, BBSR	548640	548640
Rent	Deposit, SRO BBSR	91362	91362
Rent	Deposit, RO, Vizag	175000	180000
Rent	Deposit, RO, Kolkata	110340	110340
Rent	Deposit, RO Chennai	330000	330000
Rent	Deposit, RO Veraval	30000	30000
Rent	Deposit, SRC Karwar	50000	50000
Rent	Deposit, SRO Tuticorin	20000	20000
Rent	Deposit, SRO Goa	36000	36000
Rent	Deposit, TPO New York - OFFICE	457600	457600
Rent	Deposit, TPO Tokyo	1594165	1594165
Rent	Deposit, RC Thanjavur	91200	91200
Rent	Deposit, TPO New Delhi	926884	926884
Rent	Deposit, RC Panvel	151032	151032
Rent	Deposit, RC Vijayawada	52500	52500
Rent	Deposit, RO Cochin	191250	191250
Rent	Deposit, SRO Guwahati	54000	15000
Rent	Deposit, Lab Nellore	136500	136500
Rent	Deposit, RO Mumbai	23352	23352
Telephone	Deposit, RO Veraval	10000	10000
Telephone	Deposit, RO Chennai	3033	3033
Telephone	Deposit, RC Valsad	10619	10619
Telephone	Deposit, SRC Karwar	220	220
Telephone	Deposit, RO Vizag	7632	7632
Telephone	Deposit, HO	19494	21663
Telephone	Deposit, SRC Kannur	4000	4000
Telephone	Deposit, RO Kochi	11030	11030
Telegram	Deposit, HO	26240	26240
Telegram	Deposit, RC Vijayawada	324	324
Telegram	Deposit, Thanjavur	2200	2200
TOTAL		**6761256**	**6692531**

संलग्नक - 11

वार्षिक शुल्क / अंशदान	31.03.2013	31.03.2012
एम्पीडा समाचार पत्रिका के लिए अंशदान	97550	52200
प्राइम के लिए अंशदान	27200	21000
कुल	**124750**	**73200**

संलग्नक - 12

सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	31.03.2013	31.03.2012
पंजीकरण/जी एस पी प्रमाण पत्र / पुनः वैधीकरण शुल्क	7168600	7412825
एच ए सी सी पी विभागीय प्राप्तियां	306000	598500
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (अलंकारिक मत्स्य निर्यात)	28500	0
लोगो प्रमाणन	2203000	0
आई यू यू प्राप्तियां	74100	4500
कुल	**9780200**	**8015825**

संलग्नक - 13

प्रकाशनों से आय	31.03.2013	31.03.2012
अन्य प्रकाशनों की बिक्री	393910	277230
एम्पीडा समाचार पत्रिका में विज्ञापन	333636	269191
कुल	**727546**	**546421**

संलग्नक - 14

रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	31.03.2013	31.03.2012
प्रपत्रों की बिक्री	267150	271775
जी एस पी प्रपत्र	46125	51450
कुल	**313275**	**323225**

Annexure - 11

Annual fees / Subscription	31.03.2013	31.03.2012
Subscription for MPEDA Newsletter	97550	52200
Subscription for Prime	27200	21000
TOTAL	**124750**	**73200**

Annexure - 12

Seminar / Programme fee	31.03.2013	31.03.2012
Registration/GSP Certificate/Revalidation fee	7168600	7412825
HACCP Department Receipts	306000	598500
Health certificate (Ornamental Fish Export)	28500	0
Logo Certification	2203000	0
I U U Receipts	74100	4500
TOTAL	**9780200**	**8015825**

Annexure - 13

Income from Publications	31.03.2013	31.03.2012
Sale of other publication	393910	277230
Advertisement in MPEDA Newsletter	333636	269191
TOTAL	**727546**	**546421**

Annexure - 14

Income from Royalty, Publication etc	31.03.2013	31.03.2012
Sale of Forms	267150	271775
GSP Forms	46125	51450
TOTAL	**313275**	**323225**

संलग्नक - 15

अर्जित ब्याज	31.03.2013	31.03.2012
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर		
साइकिल/पंखा अग्रिम	0	4135
एच बी ए	962525	1353327
मोटरकार	140114	55024
कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	14502	5880
स्कूटर	51190	51217
कुल	**1168331**	**1469583**

संलग्नक - 16

अन्य व्यय - अन्य	चालु वर्ष (2012-13)			पूर्ववर्ती वर्ष (2011-12)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
बैंक प्रभार	304420	960	305380	371179	22818	393997
हिन्दी कार्यान्वयन	0	1116984	1116984	0	882669	882669
विविध प्रशासनिक व्यय	7051612	2568297	9619909	10619907	1033666	11653573
पुस्तकें व पत्रिकाएं	300846	180172	481018	419227	811885	1231112
छुट्टी यात्रा रियायत	4703247	1483532	6186779	2942253	1018042	3960295
चिकित्सा दावा	3196961	1186321	4383282	3499785	953019	4452804
सदस्यता शुल्क	1339105	4008	1343113	1311951	0	1311951
अन्य व्यय	0	358348	358348	0	78763	78763
प्रशिक्षण कार्यक्रम	6070704	40120	6110824	6565603	14859	6580462
कुल	**22966895**	**6938742**	**29905637**	**25729905**	**4815721**	**30545626**

संलग्नक - 17

अन्य अनुदान	31.03.2013	31.03.2012
राजीव गांधी जलकृषि केंद्र को सहायता	350000000	150000000
तकनीकी परामर्श के लिए सहायता नाक्सा	15000000	20000000
नेटफिश को सहायता	18000000	20000000
कुल	**383000000**	**190000000**

Annexure - 15

Interest earned	31.03.2013	31.03.2012
On Loans to employees		
Bicycle / Fan Advance	0	4135
HBA	962525	1353327
Motor Car	140114	55024
Interest on Computer Advance	14502	5880
Scooter	51190	51217
TOTAL	**1168331**	**1469583**

Annexure - 16

Other expenses - others	Current year (2012-13)			Previous year (2011-12)		
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
Bank Charges	304420	960	305380	371179	22818	393997
Hindi Implementation	0	1116984	1116984	0	882669	882669
Misc. Admn. Expenses	7051612	2568297	9619909	10619907	1033666	11653573
Books & Periodicals	300846	180172	481018	419227	811885	1231112
Leave Travel Concession	4703247	1483532	6186779	2942253	1018042	3960295
Medical Claim	3196961	1186321	4383282	3499785	953019	4452804
Membership Fee	1339105	4008	1343113	1311951	0	1311951
Other Expenses	0	358348	358348	0	78763	78763
Training Programme	6070704	40120	6110824	6565603	14859	6580462
TOTAL	**22966895**	**6938742**	**29905637**	**25729905**	**4815721**	**30545626**

Annexure - 17

Other Grants	31.03.2013	31.03.2012
Assistance to Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture	350000000	150000000
Assistance for availing Technical consultancy NaCSA	15000000	20000000
Assistance to Netfish	18000000	20000000
TOTAL	**383000000**	**190000000**

संलग्नक - 18

संस्थाओं / संगठनों को दी गई इमदाद	31.03.2013	31.03.2012
वाणिज्यिक हैचरियों के संवर्धन के लिए इमदाद	337179	5676136
कम विकसित क्षेत्रों में नए फार्म विकसित करने के लिए इमदाद	13809358	29214123
बहिस्राव अभिक्रिया प्रणाली स्थापित करने के लिए इमदाद	1109271	800346
चुने हुए / उपयुक्त क्षेत्र में जैव कृषि शुरू करने के लिए इमदाद	3046730	1409802
पी सी आर स्थापित करने के लिए विकास सहायता हेतु इमदाद	4139167	9640262
शीतभंडार की स्थापना के लिए इमदाद	18449345	55212841
आधुनिक हिम संयंत्र की स्थापना के लिए इमदाद	0	4109417
अलंकारिक मत्स्य इकाई की स्थापना के लिए इमदाद	16015931	24853906
कैप्टीव पूर्व प्रसंस्करण केंद्र के निर्माण / नवीकरण के लिए इमदाद	6790155	9912951
लघु प्रयोगशाला की स्थापना के लिए इमदाद	711126	1556449
रोधीकृत मत्स्य डिब्बों के लिए इमदाद	3446481	4184076
स्वतंत्र पूर्व प्रसंस्करण केंद्रों के निर्माण/नवीकरण के लिए इमदाद	0	3500000
प्रशीतित ट्रकों/कंटेनरों की खरीद के लिए इमदाद	0	3150000
ट्यूना लोंग लाइनिंग विविधीकृत मत्स्यन के लिए दी गई इमदाद	21504000	83505221
पकड़ के बेहतर परिरक्षण के लिए मछुआरों को सहायता	9859719	12130688
केरल के पाटशेखरम के लिए सहायता	318395	1040308
सोसाइटियों को सहायता	1591450	7252800
सभी प्रसंस्करण मशीनरियों के अर्जन के लिए सहायता	0	0
अवसंरचना सुविधाएं (जीएस, डब्ल्यूपीएस, ईटीपी, एफआईएमएम, सीआर, यूडीएस)	0	3325799
अलंकारिक अक्वेरियम मत्स्य के निर्यात के लिए विकास सहायता	1085057	1019858
समुद्री खाद्य संयंत्रों का ई यू मानकों के अनुसार उन्नयन	0	6976624
समुद्री भाड़ा सहायता	65787403	144441902
सूखी मछली के हैंडलिंग हेतु सहायता	1518349	0
प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विशेष योजना	49587177	113665888
कुल	**219106293**	**526579397**

Annexure - 18

Subsidy given to Institutions / Organisation	31.03.2013	31.03.2012
Subsidy for Promotion of commercial hatcheries	337179	5676136
Subsidy for New farm development in under developed area	13809358	29214123
Subsidy for set up of effluent treatment system	1109271	800346
Subsidy for taking up organic farming in selected/suitable area	3046730	1409802
Subsidy for development assistance for PCR set up	4139167	9640262
Subsidy for setting up cold storage	18449345	55212841
Subsidy for setting up of modern ice plant	0	4109417
Subsidy for setting up ornamental fish unit	16015931	24853906
Subsidy for construction / renovation of captive Pre-processing Centre	6790155	9912951
Subsidy for setting up mini lab	711126	1556449
Subsidy for insulated fish boxes	3446481	4184076
Subsidy for const/Renovation of independent preprocessing centres	0	3500000
Subsidy for procurement of refrigerated Trucks/containers	0	3150000
Subsidy given for Tuna long lining div. Fishing	21504000	83505221
Assistance to Fishermen for better preservation of catch	9859719	12130688
Assistance for Padasekharams of Kerala	318395	1040308
Assistance to societies	1591450	7252800
Assistance for acquisition of all processing machineries	0	0
Infrastructure facilities (GS, WPS, ETP, FIMM, CR, UDS)	0	3325799
Dev. assistance for export of Ornamental Aquairum fishes	1085057	1019858
Upgradation seafood plants to EU Standards	0	6976624
Seafreight Assistance	65787403	144441902
Subsidy for Dried fish handling	1518349	0
Special Scheme for Technology upgradation	49587177	113665888
TOTAL	**219106293**	**526579397**

संलग्नक - 19

अनुदान / इमदाद पर व्यय	31.03.2013	31.03.2012
अन्य		
संगोष्ठी		
व्यावसायिक प्रभार	7213701	9886043
प्रचार व बाजार संवर्धन (विज्ञापन व प्रचार)	9545165	7487161
आतिथ्य सत्कार	0	0
बीमा	0	0
चंदा	0	0
पी सी आर प्रयोगशाला सुविधा का अनुरक्षण	0	0
अलंकारिक मत्स्य उत्पादों का संवर्धन	0	0
नव मूल्यवर्धित उत्पाद का विकास	0	0
एम्पीडा प्रयोगशाला व्यय (कोच्ची)	0	0
एम्पीडा प्रयोगशाला व्यय (भीमावरम व नेल्लौर)	0	0
कीटनाशियों के अवशिष्ट स्तरों का मॉनीटरिंग	0	0
समुद्री खाद्य गुणवत्ता विकास कार्यक्रम	0	0
डाटा बैंक व संग्रहण	0	0
विकास प्रभाग	0	0
सोसाइटियों को सहायता	0	0
एच पी एल सी एम एस प्रतिजैविकी जांच	0	0
रसायन	1918124	3046921
कांच के सामान	566309	172895
अन्य व्यय	55464388	86470220
एन आर सी पी	540020	843397
कुल	**75247707**	**107906637**
घटाएं:		
आबंटित स्थल के लिए प्राप्त वसूली	12338480	20026700
कुल	**62909227**	**87879937**

टिप्पणी:

1. अन्य व्यय में अनुदान, इमदाद व स्थापना व्यय को छोड़कर योजना के अंतर्गत किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

Annexure - 19

Expenditure on grant / subsidies	31.03.2013	31.03.2012
Others		
Seminar		
Professional charges	7213701	9886043
Publicity & Market Promotion (Advt. & Publicity)	9545165	7487161
Hospitality	0	0
Insurance	0	0
Subscription	0	0
PCR lab facility maintenance	0	0
Promotion of ornamental fish products	0	0
Development of new value added product	0	0
MPEDA lab expenses (Kochi)	0	0
MPEDA lab expenses (Bhimavaram & Nellore)	0	0
Monitoring of residual level of pesticides	0	0
Seafood quality development programme	0	0
Data bank & collection	0	0
Development Division	0	0
Assistance to societies	0	0
HPLCMS antibiotic test	0	0
Chemicals	1918124	3046921
Glasswares	566309	172895
Other Expenses	55464388	86470220
NRCP	540020	843397
Total	**75247707**	**107906637**
Less:		
Collection received for space allotted	12338480	20026700
TOTAL	**62909227**	**87879937**

Note:
1. Other Expenses include all expenses incurred under Plan except Grants, Subsidies & Establishment expense

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), कोच्ची के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 1972 अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के 31 मार्च 2013 तकके संलग्न तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की यूनिटों /शाखाओं के लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि, नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर लेखा टिप्पणियाँ और दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों केलिए यह अपेक्षित है कि, इन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम अपनी लेखा परीक्षा को योजनाबद्धहोकर निष्पादित करें। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में प्रमाण की, परीक्षण आधार पर, जाँच शामिल है। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

   ii. तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे की रिपोर्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार की गई है।-

   iii. हमारी राय में, बहियों की जाँच करने से प्रकट होता है कि एम पी ई डी ए अधिनियम 1972 की धारा 19 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रख-रखाव प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

   iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2013 के अनुसार तुलन पत्र

1. देयताएं

1.1. समग्र निधि (अनुसूची 1): ` 14.00 करोड

वर्ष के दौरान प्रगति पर पूँजी कार्य के अंतरण द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों में ` 2.62 करोड का परिवर्धन हुआ है। वर्ष के दौरान प्राप्त इतना बडा अनुदान राजस्व आय के रूप में नहीं दर्शाकर सीधे समग्र निधि को परिवर्धन के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। ऐसा

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Marine Products Export Development Authority for the year ended 31 March 2013

1. We have audited the attached Balance Sheet of Marine Products Export Development Authority (Authority) as at 31 March 2013 and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended 31 March 2013 on that dated under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 19(2) of the Marine Products Development Authority Act, 1972. These financial Statements are the responsibility of the Authorities' management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transaction with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with standards on auditing generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

   i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

   iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority as required under Section 19 of MPEDA Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.

   iv. We further report that:

A) Balance sheet as on 31 March 2013

1. Liabilities

1.1. Corpus Fund (Schedule 1) : ` 14.00 Crore

There was an addition to Fixed Assets during the year to the extent of ` 2.62 crore, by transfer from capital work in progress. The grant received during the year to this extent should not have been shown as revenue income but shown as addition to the Corpus Fund directly. This has not been done, resulting

नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप आय से अधिक व्यय तथा समग्र/पूँजी निधि को आंदान, दोनों में ` 2.62 करोड कम दर्ाया गया है।

1.2. उद्दिष्ट/स्थाई निधि (अनुसूची 3): (संलग्नक-1)

लेखाओं के संलग्नक-1 में ` 2,67,25,818 के निवेश से आय (जी पी एफ) में ` 1,67,87,873 की राशि शामिल की गई है जो वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि के लिए अंशदान है तथा इसे वर्ष के दौरान किए गए आंदानों के रूप में 'अन्य परिवर्धन' के शीर्ष के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।

1.3. चालू देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 7): ` 106.67 करोड

इसे वर्ष 2012-13 के लिए देय बकाया व्यय के लिए गैर-प्रावधान के कारण ` 70.65 लाख कम दर्शाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप व्यय को कम (अनुसूची 21) तथा आय से अधिक व्यय को कम दर्शाया गया है।

2. परिसंपत्तियाँ

2.1. स्थाई परिसंपत्तियाँ निवल ब्लोक (अनुसूची 8): ` 12.32 करोड

मंत्रालय, एसैड/एम पी ई डी ए की निधियों से प्राप्त अनुदानों से बनी परिसंपत्त्यिों के गैर- लेखाकरण के कारण इसे ` 37.80 करोड (` 8.65 करोड - परिसंपत्तियाँ और ` 29.15 करोड प्रगति पर) कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक और इसी राशि की समग्र/पूँजी निधि तथा/या उद्दिष्ट निधि को कम दर्शाया गया है, जो एम पी ई डी ए द्वारा परिसंपत्तियों को वापस करने, बेचने या बनाए रखने से संबंधित मंत्रालय के निर्णय पर आधारित है।

2.2. उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेश (अनुसूची 9): ` 20.01 करोड

क) इसमें वर्ष 2010-11 के दौरान लेखाओं में बट्टे खाते में डाले गए ब्याज से संबन्धित

` 21.28 करोड इसमें शामिल नहीं है हालांकि बट्टे खाते को अभी तक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप 'उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेश' तथा 'चालूदेयताएं एवं प्रावधान' दोनों को ` 21.28 करोड कम दर्शाया गया है।

अनुसूची 25 में निहित टिप्पणी सं.3.(ख) में बट्टे खाते से संबंधित उपरोक्त तथ्य को दर्शाया नहीं गया है।

ख) उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से प्रोद्भूत आय 'चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों' के तहत 'उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेशों पर प्रोद्भूत आय' शीर्ष के तहत दर्शाया जाना है। हालांकि, सामान्य भविष्य निधि निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज की ` 66.50 लाख की राशि को उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवो के अन्तर्गत शामिल किया गया है। परिणामतः उद्दिष्ट/स्थाई से निवेश को अधिक दशार्या गया है तथा चालू परिसंपत्ति, ऋण व अग्रिमें प्रत्येक को ` 66.50 लाख कम दर्शाया गया है।

2.3 अनुसूची 11 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमें

क. चालू परिसंपत्तियाँ 3. रोकड एवं बैंक शेष (चेक, ड्राफ्ट व अग्रदाय को शामिल करते हुए) ` 50925

इसमें आहरण किए हुए, परन्तु शर्तों को पूरा न करने के कारण लाभार्थियों को जारी नहीं किए गए 06 डिमांड ड्राफ्टों से संबन्धित ` 3.01 करोड शामिल नहीं है।

into understatement of Excess of Expenditure over Income (deficit) and understatement of Contribution towards Corpus/Capital Fund by ` 2.62 crore each.

1.2. Earmarked/Endowment Fund (Schedule - 3) (Annexure - 1)

In Annexure - 1 to the accounts, Income from Investment (GPF) of Rs. 2,67,25,818 include an amount of Rs. 1,67,87,873 which is subscription to GPF during the year and should have been shown as subscriptions made during the year under the head 'Other Additions.'

1.3. Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): ` 106.67 Crore

This stands understated by ` 70.65 lakh due to non-provision for outstanding expenses payable for 2012-13. This has also resulted in understatement of expenses (Schedule 21) and understatement of excess of expenditure over income.

2. Assets

2.1. Fixed Assets Net Block (Schedule - 8): ` 12.32 Crore

This stands understated by ` 37.80 crore (` 8.65 crore - Assets and ` 29.15 crore-Capital Work in Progress) due to non-accounting of Assets created from grants received from Ministry ASIDE/MPEDA's Funds. This has further resulted in overstatement of expenditure and consequent understatement of Corpus/Capital Fund and/or Earmarked Fund by the same amount, depending on the decision of the Ministry whether MPEDA should return, sell or retain the assets.

2.2. Investments from Ear-marked/Endowment Funds (Schedule 9): ` 20.01 crore

a) This does not include Rs. 21.28 crore pertaining to interest income which has been written off in the accounts during 2010-11 while the write off is yet to be approved by the Ministry. This has resulted in understatement of 'Investments from Ear-marked/Endowment Funds' and 'Current Liabilities & Provisions' by Rs. 21.28 crore each.

The above fact about the write off has also not been disclosed in Notes No. 3 (b) contained in Schedule 25.

b) Income accured from Earmarked/Endowment funds are to be disclosed under the head 'Income accrued on investments from Earmarked/Endowment funds under 'Current Assets, Loans and Advances.' Where an amount of Rs. 66.50 lakh, being interest accrued on GPF Investment, has been included under Investment from Earmarked/Endowment. As a result, Investment from Earmarked/ Endowment is overstated and 'Current Assets, Loans & Advances' is understated by Rs. 66.50 lakh each.

2.3. Schedule 11 Current Assets Loans and Advances

A. Current Assets 3. Cash and Bank Balances (including cheques, drafts and imprest) : Rs. 50925

This does not include Rs. 3.01 crore pertaining to six demand drafts drawn but not issued to beneficiaries due to non-fulfilment of conditions.

ख) आय व व्यय लेखा

1. व्यय

स्थापना व्यय (अनुसूची 20) ` 25.61 करोड

इसे बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के गैर- प्रभार के कारण ` 102.92 करोड कम दर्शाया गया है। प्राधिकरण ने इस देयता को लेखाकरण मानदंड -15 के तहत अपेक्षानुसार आय एवं व्यय लेखा के जरिए दर्शाने के बजाय तुलन पत्र में 'विविध व्यय' में समरूपी गलत नामे के साथ 'चालू देयताएं' के तहत दर्शाया है। इसके परिणाम स्वरूप 'आय से अधिक व्यय' को कम तथा 'पूंजी निधि' और 'विविध व्यय', प्रत्येक को ` 102.92 करोड अधिक दर्शाया गया है।

2. आय

पूर्वावधि समायोजन : ` 0.75 करोड

इसमें उन अव्ययित अनुदानों को दर्शाया जाता है, जो प्राप्य भावी अनुदानों में समायोजित नहीं है। इसके कारण अव्ययित अनुदानों की गलत सूचना दी गई है। परिणामतः चालू देयताओं को कम तथा समग्र/पँजी निधि को अधिक प्रत्ये को ` 0.75 करोड दर्शाया गया है।

ग) टिप्पणियों का प्रभाव

उपरोक्त टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि देयताओं को ` 37.50 करोड अधिक, परिसंपत्तियों को ` 40.83 करोड अधिक तथा आय से अधिक व्यय को ` 144.01 करोड कम दर्शाया गया है।

घ) सहायता अनुदान

` 104.83 करोड के कुल अनुदान (पिछले वर्ष से अग्रेनीत -3.52 करोड सहित) में से वर्ष 2012-13 के दौरान ` 107.47 करोड का उपयोग किया गया जो अधिक है।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में बनाए गए तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।

6. हमारी राय में तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप उक्त वित्तीय विवरण एक सच्चा एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:

क) जहाँ तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के दिनांक 31 मार्च 2013 तक के कार्यकलापों से संबंधित तुलन पत्र के साथ इसका संबंध है: तथा

ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध है।

(ह0/-)

(एम.वी. राजेश्वरी)
प्रधान निदेाक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

स्थानः चेन्नई
तिथिः 22 अक्तूबर, 2013

B) Income and Expenditure Account

1. Expenditure

Establishment Expenses (Schedule 20) : ` 25.61 Crore

This is understated by Rs. 102.92 crore due to non-charging of the liability for retirement benefits of employees as per actuarial valuation. The Authority has shown this liability under 'Current Liabilities' with corresponding wrong debit to 'Miscellaneous Expenditure' in Balance Sheet instead of routing it through Income and Expenditure Account as required under Accounting Standard-15. This has resulted in understatement of 'Excess of Expenditure over Income' and consequent overstatement of 'Capital Fund' and overstatement of 'Miscellaneous Expenditure' by Rs. 102.92 crore each.

2. Income

Prior Period Adjustments : ` 0.75 Crore

This represents unspent grants, which were not adjusted against future grants receivable. This has resulted in mis reporting of Unspent Grants. Consequently, Current Liability is understated and Corpus/ Capital Fund is overstated by Rs. 0.75 crore each.

D) Impact of Comments

The net impact of the comments given above is that the liabilities are overstated by ` 37.50 crore, Assets are overstated by ` 40.83 crore and Excess of Expenditure over Income is understated by ` 144.05 crore.

E) Grants in aid

Out of the total grant of ` 104.83 crore (including ` –3.52 crore carried forward from previous year) ` 107.47 crore utilized during 2012-13 resulting in excess.

5. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair View in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Products Export Development Authority as at 31 March 2013; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

(Sd/-)

(M.V. Rajeswari)
Principal Director of Commercial Audit)

Place: Chennai
Date: 22 October, 2013

संलग्नक - I

- **आंतरिक लेखा परीक्षा पद्वति की पर्याप्तता**

प्राधिकरण में मौजूद आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अपर्याप्त है। हालांकि वर्ष 1972 में प्राधिकरण का गठन हुआ परंतु अभी भी एक आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल तैयार किया जाना है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करने के बजाय सचिव को प्रस्तुत की गई थी। आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध प्राधिकरण के अध्यक्ष को सीधे रिपोर्ट करने के बजाय प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी के नियंत्रणाधीन है।

- **आंतरिक नियंत्रण पद्वति की पर्याप्तता**

बोर्ड में मौजूदा आन्तरिक नियंत्रण पद्धति नीचे दर्शाए अनुसार अपर्याप्त थी:

सामान्य वित्तीय नियमों, के नियम 208 (vii) की अनुसार प्रतिवर्ष ` 5 करोड से ज्यादा बजटीय सहायता वाले स्वायत्त संगठनों को इनपुट अपेक्षाओं के अनुरूप होने के साथ-साथ आउटपुट में गुणात्मक सुधार एवं कार्ययोजना विवरण से संबंधित आउटपुट लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए प्राासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन बनाना होगा। कार्य निष्पादन के परिमेय यूनिटों में दिए गए आउटपुट लक्ष्य इन संगठनों को दी गई बजटीय सहायता का आधार होना चाहिए। प्राधिकरण सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 208(vii) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन करने में चूक गया है।

(ह0/-)
(उप निदेशक)

Annexure - I

- **Adequacy of Internal Audit system**

  The internal audit system existing in the authority is inadequate. Though the authority was set up in 1972 it is yet to prepare an internal Audit manual. The internal audit report was submitted to the Secretary instead of submission to the Chairman. The internal audit wing is under the control of Chief Account's Officer (in charge) instead of directly reporting to the Chairman of the authority.

- **Adequacy of Internal Control System**

  Internal control system existing in the Board was inadequate as detailed below:

  As per Rule 208(vii) of General Financial Rules, Autonomous Organizations with a budgetary support of more than Rupees five crore per annum, should be required to enter into a Memorandum of Understanding with the Administrative Ministry or Department, spelling out clearly the output targets in terms of details of programme of work and qualitative improvement in output, along with commensurate input requirements. The output targets, given in measurable units of performance, should form the basis of budgetary support extended to these organizations. The authority has failed to execute MoU with the administrative ministry violating the provisions of Rule 208(vii) of General Financial Rules.

(Sd/-)
Deputy Director

संलग्नक - II

सहायता अनुदान (एस ए आर का पैरा घ देखें)

वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान की प्राप्ति एवं उपयोग का योजनावार ब्योरा नीचे दिया जाता हैः

(` करोड में)

क्रम. सं.	अनुदान प्राप्त परियोजना का नाम या सामान्य अनुदान	पिछले वर्ष से अग्रेनीत अनुदान की राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि	आन्तरिक व बजेटेतर साधन	आन्तरिक व बजेटेतर साधनों सहित प्राप्त कुल अनुदान	प्राधिकरण के अनुसार वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	दिनांक 31.03.13 के अनुसार अगले वर्ष को अग्रेनीत अनुपयोगित राशि	परियोजना की लक्ष्य तिथि	विलंब आदि पर लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	योजना	-2.14	95	0	95	96.12	शून्य		
2	गैर-योजना	-1.38	3.25	6.58	9.83	11.35	शून्य		
3	कुल	-3.52	98.25	6.58	104.83	107.47	शून्य		

(ह0/-)
(उप निदेशक)

Annexure - II
Grant in aid (Refer Para E of SAR)

Project wise details of receipt and utilization of grant-in-aid during the year 2012-13 are given below.

(` in Crore)

Sl. No.	Name of Project for which grants were received or General grants	Amount of grant brought forward from previous year	Amount of grant received during the year	Internal & Extra Budgetary Resources	Total grant received Including Internal & Extra Budgetary Resources	Amount utilized during the year as per the Authority	Amount unutillized as on 31.03.13 carried forward to next year	Target date of the Project	Audit comment on delay etc.
1	Plan	-2.14	95	0	95	96.12	Nil		
2	Non-Plan	-1.38	3.25	6.58	9.83	11.35	Nil		
3	Total	-3.52	98.25	6.58	104.83	107.47	Nil		

(Sd/-)
Deputy Director

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के वर्ष 2012-13 के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रत्युत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ
1. हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 1972 अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के 31 मार्च 2013 तक के संलग्न तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की यूनिटों/शाखाओं के लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।	कोई टिप्पणी नहीं ।
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्वति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ ाामिल हैं। विधि, नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर लेखा टिप्पणियाँ और दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं ।
3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों केलिए यह अपेक्षित है कि, इन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम अपनी लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध होकर निष्पादित करें। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में प्रमाण की, परीक्षण आधार पर, जाँच शामिल है। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है।	कोई टिप्पणी नहीं ।

Replies to the separate audit report on the accounts of the marine products export development authority, Kochi for the year 2012-13

	Audit Observation	Replies/Comments
1.	We have audited the attached Balance Sheet of Marine Products Export Development Authority (Authority) as at 31 March 2013 and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts for the year ended 31 March 2013 on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act , 1971 read with Section 19 (2) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972. These financial statements include the accounts of units/branches of the Authority. These financial statements are the responsibility of the Authorities' management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	No comments
2.	This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	No comments
3.	We have conducted our audit in accordance with the standards on auditing generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.	No comments

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ
4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
i. जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।	
ii. तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे की रिपोर्ट भारत सरकार,वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार की गई है।	
iii. हमारी राय में, बहियों की जाँच करने से प्रकट होता है कि एम पी ई डी ए अधिनियम 1972 की धारा 19 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रख-रखाव प्राधिकरण द्वारा किया गया है।	
iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:	
(क) दिनांक 31 मार्च 2013 के अनुसार तुलन पत्र	
1. देयताएं	
1.1 समग्र निधि (अनुसूची 1): ` 14.00 करोड	
वर्ष के दौरान प्रगति पर पूँजी कार्य के अंतरण द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों में ` 2.62 करोड का परिवर्धन हुआ है। वर्ष के दौरान प्राप्त इतना बडा अनुदान राजस्व आय के रूप में नहीं दर्शाकर सीधे समग्र निधि को परिवर्धन के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप आय से अधिक व्यय तथा समग्र/पूँजी निधि को आंदान, दोनों में ` 2.62 करोड कम दर्शाया गया है।	वर्ष 2013-13 के दौरान एम ओ सी आई से प्राप्त निधि, जो पूँजी निधि के साथ जोडी गई थी, से ` 2,24,38,933 का उपयोग पूँजी मदों के प्रापण के लिए किया गया था। पूँजी मदों में परिवर्तित पिछले वर्ष के प्रगति पर कार्य को वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त निधि से पूँजी मदों के प्रापण के लिए प्रयुक्त निधि के रूप में नहीं माना गया था। वर्ष 2013-14 के प्रस्ताव के अनुसार आवयक समायोजन किया जाएगा।
1.2 उद्दिष्ट/स्थाई निधि (अनुसूची 3): (संलग्नक-1)	
लेखाओं के संलग्नक-1 में ` 2,67,25,818 के निवेा से आय (जी पी एफ) में ` 1,67,87,873 की राशि शामिल की गई है जो वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि के लिए अंशदान है तथा इसे वर्ष के दौरान किए गए अंशदानों के रूप में 'अन्य परिवर्धन' के शीर्ष के तहतदर्ाया जाना चाहिए था।	सामान्य भविष्य निधि का प्रारंभिक शेष ` 10,69,10,555.00 है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश से आय ` 99,37,945.00 तथा अन्य परिवर्धन ` 3,51,76,259.00 है जिसमें जी पी एफ अभिदान, ऋण वसूली, अभिदान तथा प्रतिनियुक्ति पर ऋण वसूली आदि शामिल हैं। संलग्नक-क्ष के अनुसार निधि को कुल जोड ` 4,51,14,204.00 है। निवेश से आय तथा निधि को परिवर्धन के लिए किए गए विभाजन में हुए अंतर को भावी अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
1.3 चालू देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 7): ` 106.67 करोड	
इसे वर्ष 2012-13 के लिए देय बकाया व्यय के लिए गैर-प्रावधान के कारण ` 70.65 लाख कम दर्शाया गया है। इसके	सामान्यतः मार्च से संबन्धित अप्रदत्त किराया, विद्युत एवं जल प्रभार के लिए प्रावधन को बकाया के रूप में माना गया था तथा ए एम सी एवं

Audit Observation	Replies/Comments
4. Based on our audit, we report that	
i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.	
ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.	
iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority as required under Section 19 of MPEDA Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.	
iv. We further report that:	
(A) Balance Sheet as on 31 March 2013	
1. Liabilities	
**1.1 Corpus Fund (Schedule I): ` 14.00 Crore** There was an addition to Fixed Assets during the year to the extent of ` 2.62 crores by transfer from capital work in progress. The grant received during the year to this extent should not have been shown as revenue income but shown as addition to the Corpus Fund directly. This has not been done, resulting into understatement of Excess of Expenditure over Income (deficit) and understatement of Contribution towards Corpus/Capital Fund by ` 2.62 crore each.	During the year 2012-13, ` 2,24,38,933 was utilized for procuring capital items from the fund received from MOCI, which was added to the capital fund. The work-in- progress of the previous year's which was converted to capital items were not considered as fund utilized for procuring capital item from fund received during 2012-13. Necessary adjustment will be done as suggested in 2013-14.
1.2 Earmarked/Endowment Fund (Schedule 3) (Annexure-1) In Annexure-1 to the accounts, Income from Investment (GPF) of ` 2,67,25,818 include an amount of ` 1,67,87,873 which is subscription to GPF during the year and should have been shown as subscriptions made during the year under the head "Other Additions".	Opening balance of GPF Fund is ` 10,69,10,555.00 Income from Investment during FY 2012-13 is ` 99,37,945.00 and other additions ` 3,51,76,259.00 which includes GPF subscription, loan recovery, subscription and loan recovery on deputation etc. Total additions to the fund as per Annexure-I is ` 4,51,14,204.00. Difference occured into division made for income from investment and additions to the fund was noted for future compliance.
**1.3. Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): ` 106.67 Crore.** This stands understated by ` 70.65 lakh due to non-provision for outstanding expenses payable for 2012-	Normally provision for unpaid rent, electricity & water charges relating to March were considered as outstanding

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ
परिणाम स्वरूप व्यय को कम (अनुसूची 21) तथा आय से अधिक व्यय को कम दर्शाया गया है।	बीमा की असमाप्त अवधि के भुगतान को पूर्व प्रदत्त के रूप में माना गया था। नगण्य मूल्य की मदों पर प्रावधान के लिए विचार नहीं किया जाता है। तथापि, भावी अनुपालन के लिए इस टिप्पणी को नोट किया जाता है।
2. परिसंपत्तियाँ	
2.1 स्थाई परिसंपत्तियाँ निवल ब्लोक(अनुसूची 8): ` 12.32 करोड	
मंत्रालय, एसैड/एम पी ई डी ए की निधियों से प्राप्त अनुदानों से बनी परिसंपत्त्यिों के गैर-लेखाकरण के कारण इसे ` 37.80 करोड (` 8.65 करोड-परिसंपत्तियाँ और ` 29.15 करोड प्रगति पर) कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक और इसी राशि की समग्र/पूँजी निधि तथा/या उद्दिष्ट निधि को कम दर्शाया गया है, जो एम पी ई डी ए द्वारा परिसंपत्तियों को वापस करने, बेचने या बनाए रखने से संबंधित मंत्रालय के निर्णय पर आधारित है।	भविष्य में एसैड निधि के उपयोग का उचित प्रकटीकरण किया जाएगा तथा जी एफ आर 215 (2) एवं (3) के अनुसार इसके पूँजीकरण का पालन किया जाएगा। पिछले वर्षों में एसैड निधि से प्राप्त से प्राप्त परिसंपत्ति का प्रकटीकरण वर्ष 2013-14 के लेखाओं में किया जाएगा।
2.2 उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेश (अनुसूची 9): ` 20.01 करोड	
क) इसमें वर्ष 2010-11 के दौरान लेखाओं में बट्टे खाते में डाले गए ब्याज से संबन्धित ` 21.28 करोड इसमें शामिल नहीं है हालांकि बट्टे खाते को अभी तक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप 'उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेश' तथा 'चालू देयताएं एवं प्रावधान 'दोनों को ` 21.28 करोड कम दर्शाया गया है। अनुसूची 25 में निहित टिप्पणी सं.3.(ख) में बट्टे खाते से संबंधित उपरोक्त तथ्य को दर्शाया नहीं गया है।	दिनांक 31.03.2011 तक ई पी एस शेयर का परिकलित वर्धित मूल्य (` 21.28 करोड) को संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान के रूप में दर्शाया गया है तथा धारा. 7 'प्रावधान' के तहत दर्शाया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए लेखाओं की महालेखाकार लेखा परीक्षा के दौरन, पंचाटों पर ब्याज के साथ परिकलित वर्धित मूल्य प्राप्त होने की कोई गारंटी न होने के कारण से इस प्रावधान को निकाल देने का मौखिक रूप से निदेश दिया गया था। इसलिए वर्ष 2011-12 के दौरान लेखा में परिकलित मूल्य दर्शाया नहीं गया था। परन्तु, पिछले वर्ष की सरकारी लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर विचार करते हुए, वर्ष 2012-13 की अनुसूची 25 (ख) के तहत इसका प्रकटीकरण किया गया। इस टिप्पणी को भविष्य में अनुपालनार्थ नोट किया जाता है।
ख) उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से प्रोद्भूत आय 'चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों' के तहत 'उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेशों पर प्रोद्भूत आय' शीर्ष के तहत दर्शाया जाना है। हालांकि, सामान्य भविष्य निधि निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज की ` 66.50 लाख की राशि को उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवो के अन्तर्गत शामिल किया गया है। परिणामतः उद्दिष्ट/स्थाई से निवेश को अधिक दर्शाया गया है तथा चालू परिसंपत्ति, ऋण व अग्रिमें प्रत्येक को ` 66.50 लाख कम दर्शाया गया है।	अनुसूची-III में भी दर्ाई गई उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से प्रोद्भूत आय सहित संपूर्ण ब्योरे को संलग्नक-1-उद्दिष्ट/स्थाई निधि- में प्रकट किया गया है। समुचित प्रकटीकरण वर्ष 2013-14 में किया जाएगा।

Audit Observation	Replies/Comments
13. This has also resulted in understatement of expenses (Schedule 21) and understatement of excess of expenditure over income.	and payment of unexpired period of insurance and AMC were considered as prepaid. Item of negligible values are not considered for provision. However, the observation is noted for future compliance.
2. Assets	
**2.1 Fixed Assets Net Block (Schedule 8): ` 12.32 Crore** This stands understated by ` 37.80 crore (` 8.65 crore - Assets and ` 29.15 crore - Capital Work-in-Progress) due to non-accounting of Assets created from grants received from Ministry ASIDE/ MPEDA's Funds. This has further resulted in overstatement of expenditure and consequent understatement of Corpus/Capital Fund and/ or Earmarked Fund by the same amount, depending on the decision of the Ministry whether MPEDA should return, sell or retain the assets.	Proper disclosure of utilization of ASIDE Fund will be made as well as capitalization of the same as per GFR 215 (2) & (3) may be observed in future. The asset procured from ASIDE fund in previous years, will be disclosed in the 2013-14 Accounts.
2.2 Investments from Ear-marked/Endowment Funds (Schedule 9): ` 20.01 crore.	
a) This does not include ` 21.28 crore pertaining to interest income which has been written off in the accounts during 2010-11 while the write off is yet to be approved by the Ministry. This has resulted in understatement of 'Investments from Ear-marked/ Endowment Funds' and 'Current Liabilities & Provisions' by Rs.21.28 crore each. The above fact about the write off has also not been disclosed in Notes No.3 (b) contained in Schedule 25.	Till 31.03.2011, the calculated increased value of EPS Share (` 21.28 Crore) was shown as provision for doubtful debts and shown under Sec.7 'Provision'. During the AG Audit of accounts for the year 2010-11, it was orally directed to remove the provision on the ground that there is no guarantee to get the increased value which was calculated with interest on awards. So the calculated value was not shown in the account during 2011-12.But by considering the observation of Govt Audit in the previous year, the same was disclosed under Schedule 25(b) of 2012-13. The observation is noted for compliance in future.
b) Income accrued from Earmarked/ Endowment funds are to be disclosed under the head 'Income accrued on investments from Earmarked/Endowment funds under 'Current Assets, Loans and Advances'. Whereas an amount of ` 66.50 lakh, being interest accrued on GPF Investment, has been included under Investment from Earmarked/Endowment. As a result, Investment from Earmarked/Endowment is overstated and 'Current Assets, Loans & Advances' is understated by ` 66.50 lakh each.	The full details were disclosed in Annexure - I - Earmarked/ Endowment funds including income accrued from earmarked/endowment funds which is also reflected in Schedule - III. Propper disclosure shall be made in 2013-14.

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ
2.3 अनुसूची 11 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमें **क. चालू परिसंपत्तियाँ 3. रोकड एवं बैंक शेष (चेक, ड्राफ्ट व अग्रदाय को शामिल करते हुए): ` 50925** इसमें आहरण किए हुए, परन्तु शर्तों को पूरा न करने के कारण लाभार्थियों को जारी नहीं किए गए 06 डिमान्ड ड्राफ्टों से संबन्धित ` 3.01 करोड शामिल नहीं है।	इमदाद समिति की सिफारिश तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर वाउचरों को तैयार किया जाता है तथा बैंक से डिमान्ड ड्राफ्ट उपलब्ध किया जाता है। कुछेक विरल अवसरों पर लाभार्थियों द्वारा वचन न पूरा किए जाने के कारण डिमान्ड ड्राफ्ट का वितरण नहीं हो पाया है। शर्तों को पूरा किए जाने पर इसे पार्टी को जारी किया जाएगा।
ख. आय व व्यय लेखा **1. व्यय** **स्थापना व्यय (अनुसूची 20) ` 25.61 करोड** इसे बीमांकिक मूल्यांकन के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के गैर- प्रभार के कारण ` 102.92 करोड कम दर्शाया गया है। प्राधिकरण ने इस देयता को लेखाकरण मानदंड -15 के तहत अपेक्षानुसार आय एवं व्यय लेखा के जरिए दर्शाने के बजाय तुलन पत्र में 'विविध व्यय' में समरूपी गलत नामे के साथ 'चालू देयताएं' के तहत दर्शाया है। इसके परिणाम स्वरूप 'आय से अधिक व्यय' को कम तथा 'पूंजी निधि' और 'विविध व्यय', प्रत्येक को ` 102.92 करोड अधिक दर्शाया गया है।	चूँकि एम पी ई डी ए में पेनन निधि नहीं बनाई गई थी, सेवानिवृत्ति लाभों पर देयताओं को निधि आबंटन से पूरा किया जाता है तथा सीधे राजस्व व्यय के तहत बुक किया जाता है। हर वर्ष 31 मार्च को अनुदान, पेनन, छुट्टी नकदीकरण आदि सहित सेवानिवृत्ति लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन मेसर्स एस बी आई जीवन बीमा कंपनी लि. द्वारा किया जाता है। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कुल ` 102,91,88,655 की राशि का बीमांकिक मूल्यांकन फार्मेट में निर्धारित किए अनुसार तुलनपत्र परिसंपत्ति में सीधे उल्लिखित अनुसूची 7 ख - 'चालू देयताएं एवं प्रावधान' तथा 'विविध व्यय' में दार्शाया गया है। हर वर्ष एम पी ई डी ए एक नया बीमांकिक मूल्यांकन का परिकलन करता है तथा उसे पहलेवाले के साथ समायोजित किया जाता है। वर्ष 2012-13 में योजना व गैर-योजना के लिए कुल निधि आबंटन ` 98.25 करोड (जारी किया गया)था तथा यदि एम पी ई डी ए आय व व्यय लेखे में ` 102.92 करोड की राशि प्रभारित करता है तो यह नकारात्मक तुलन होगा। तथापि, इस टिप्पणी को नोट किया जाता है तथा भावी अनुपालन के लिए संभावनाओं की छान-बीन की जाएगी।
2. आय **पूर्वावधि समायोजन : ` 0.75 करोड** इसमें उन अव्ययित अनुदानों को दर्शाया जाता है, जो प्राप्य भावी अनुदानों में समायोजित नहींहै। इसके कारण अव्ययित अनुदानों की गलत सूचना दी गई है। परिणामतः चालू देयताओं को कम तथा समग्र/पँजी निधि को अधिक प्रत्ये को ` 0.75 करोड दर्शाया गया है।	अनुपालन की जा रही, पिछले वर्षों से संबन्धित गैर-संवितरण/ वित्तीय सहायता वापसी की पद्धति पूर्वावधि समायोजन के तहत दर्शाई जाती है। इस प्रकार की योजनाओं के लिए बजट तैयार करते समय इसका परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता। तथापि, भावी मार्गदर्शन के लिए इस टिप्पणी को नोट किया जाता है।
ग. टिप्पणियों का प्रभाव उपरोक्त टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि देयताओं को ` 37.50 करोड अधिक, परिसंपत्तियों को ` 40.83 करोड	भावी अनुपालन के लिए नोट किया जाता है ।

Audit Observation	Replies/Comments
2.3 Schedule II Current Assets, Loans and Advances.	
A. Current Assets 3, Cash and Bank Balances (including cheques, drafts and imprest): ` 50925.	
This does not include ` 3.01 crore pertaining to six demand drafts drawn but not issued to beneficiaries due to non-fulfillment of conditions.	On the basis of the recommendation of Subsidy Committee and approval of the Competent Authority vouchers are prepared and availing Demand Drafts from Bank. In certain rare occasions, the demand draft could not be disbursed due to non-fulfilling the obligation by the beneficiary. On fulfilling the conditions the same will be issued to the party.
B. Income and Expenditure account	
1. Expenditure	
Establishment expenses (Schedule 20): ` 25.61 Crore	
This is understated by ` 102.92 crore due to non-charging of the liability for retirement benefits of employees as per actuarial valuation. The Authority has shown this liability under 'Current Liabilities' with corresponding wrong debit to 'Miscellaneous Expenditure' in Balance Sheet instead of routing it through Income and Expenditure Account as required under Accounting Standard - 15. This has resulted in understatement of 'Excess of Expenditure over Income' and consequent overstatement of 'Capital Fund' and overstatement of 'Miscellaneous Expenditure' by ` 102.92 crore each.	As MPEDA had not created pension fund, liabilities on retirement benefits are being met from the fund allocation and directly booked under revenue expenditure. The actuarial valuation of retirement benefits including gratuity, pension, leave encashment etc on 31st March have been worked out by the M/s SBI Life Insurance Company Ltd in every year. The actuarial valuation on 31.03.2013 amounting to ` 102,91,88,655/- was shown in Schedules 7B - 'Current Liabilities and Provision' and 'Miscellaneous expenditure' directly mentioned in the Balance Sheet asset as prescribed in the format. Every year MPEDA is calculating a fresh actuarial valuation and it is adjusted with the earlier one. In 2012-13 the total fund allocation for Plan & Non Plan was ` 98.25 crore (released) and if MPEDA charged the amount of ` 102.92 crore in income and expenditure account which will be a negative balance. However the observation is noted and the possibilities for future compliance will be explored.
2. Income	
Prior Period/Adjustments: ` 0.75 crore	
This represents unspent grants, which were not adjusted against future grants receivable. This has resulted in mis-reporting of Unspent Grants. Consequently, Current Liability is understated and Corpus/Capital Fund is overstated by ` 0.75 crore each.	The practice followed is the non-disbursement/ returned financial assistance relates to previous years are being shown under prior period adjustment. While preparing budgets for such schemes this cannot be quantified. However, observation is noted for future guidance.
C. Impact of Comments	
The net impact of the comments given above is that the liabilities are overstated by ` 37.50 crore. Assets	Noted for future compliance.

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ
अधिक तथा आय से अधिक व्यय को ` 144.01 करोड कम दर्शाया गया है।	
घ. सहायता अनुदान	
` 104.83 करोड के कुल अनुदान (पिछले वर्ष से अग्रेनीत - 3.52 करोड सहित) में से वर्ष 2012-13 के दौरान ` 107.47 करोड का उपयोग किया गया जो अधिक है।	भावी अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।
5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में बनाए गए तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति व भुगतान लेखा, लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
6. हमारी राय में तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप उक्त वित्तीय विवरण एक सच्चा एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:	
क. जहाँ तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के दिनांक 31 मार्च 2013 तक के कार्यकलापों से संबंधित तुलन पत्र के साथ इसका संबंध है: तथा	
ख. जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध है।	

(बी. श्रीकुमार)
सचिव

Audit Observation	Replies/Comments
are overstated by ` 40.83 crore and Excess of Expenditure over Income is understated by ` 144.05 crore.	
D. Grants in aid	
Out of the total grant of ` 104.83 crore (including ` -3.52 crore carried forward from previous year) ` 107.47 crore utilized during 2012-13 resulting in excess.	Noted for future compliance.
5. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this **report are in agreement** with the books of accounts.	No comments
6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant maters stated above and other matters mention in Annexure-I to this Audit Report **give a true and fair View** in conformity with accounting principles generally accepted in India:	
a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Products Export Development Authority as at 31 March 2013; and	
b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.	

(B SREEKUMAR)
SECRETARY

संलग्नक - I

❖ **आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की पर्याप्तता**

प्राधिकरण में मौजूद आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अपर्याप्त है। हालांकि वर्ष 1972 में प्राधिकरण का गठन हुआ परंतु अभी भी एक आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल तैयार किया जाना है।

आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करने के बजाय सचिव को प्रस्तुत की गई थी। आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध प्राधिकरण के अध्यक्ष को सीधे रिपोर्ट करने के बजाय प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी के नियंत्रणाधीन है।

इस समय कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल नहीं है। केन्द्रीय सरकार के नियमों पर आधारित लेखा परीक्षा की जाती है। रिपोर्ट के रिपोर्टिंग/ प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अनुपालनार्थ नोट किया जाता है।

❖ **आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता**

बोर्ड में मौजूदा आन्तरिक नियंत्रण पद्धति नीचे दर्शाए अनुसार अपर्याप्त थी:

सामान्य वित्तीय नियमों, के नियम 208 (vii) की अनुसार प्रतिवर्ष ` 5 करोड से ज्यादा बजटीय सहायता वाले स्वायत्त संगठनों को इनपुट अपेक्षाओं के अनुरूप होने के साथ-साथ आउटपुट में गुणात्मक सुधार एवं कार्ययोजना विवरण से संबंधित आउटपुट लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन बनाना होगा। कार्य निष्पादन के परिमेय यूनिटों में दिए गए आउटपुट लक्ष्य इन संगठनों को दी गई बजटीय सहायता का आधार होना चाहिए। प्राधिकरण सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 208(vii) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन करने में चूक गया है।

एम पी ई डी ए का गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया था। एम पी ई डी ए केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन करता है। वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होती हैं। एम पी ई डी ए द्वारा किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। तथापि एम पी ई डी ए विशेष लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा इनकी उपलब्धियाँ सुनिचित करता है तथा आवधिक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाती है।

(बी. श्रीकुमार)
सचिव

Annexure - I

❖ **Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit system existing in the Authority is inadequate. Though the Authority was set up in 1972, it is yet to prepare an Internal Audit Manual. The internal report was submitted to the Secretary instead of submission to Chairman. The internal audit wing is under the control of Chief Accounts Officer (in-charge) instead of directly reporting to the Chairman of the Authority.	At present there is no Internal Audit Manual. The audit is being conducted based on the central government rules. Remark of audit regarding reporting/submission of report, the same is noted for compliance.

❖ **Adequacy of Internal Control System**

Internal control system existing in the board was inadequate as detailed below: As per Rule 208 (VII) of GFR, autonomous organizations with a budgetary support of more than ` 5 crore per annum, should be required to enter into a memorandum of understanding with the administrative Ministry or Department, spelling out clearly the output of target in terms of details of programme of work and qualitative improvement in output along with commensurate input requirement. The output target, given in measurable units in performance should form the basis of the budgetary support extended to these organizations. The Authority has failed to execute MOU with the Administrative Ministry violating the provisions of Rule 208 (vii) of GFR.	MPEDA was formed under the Act of Parliament. MPEDA follows the central government rules. Funds are received from Govt of India through Ministry of Commerce. There is no MOU signed by MPEDA. However, MPEDA is fixing specific targets and ensuring its achievements, and periodical reports are being furnished to the Ministry.

(B SREEKUMAR)
SECRETARY